राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6]   चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का पांचवां दिवस   [संख्या : 5

शुक्रवार,

04 मार्च 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री संजीव कुमार।

भादरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

77. **श्री संजीव कुमार** (भादरा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा के उपरान्त भी अब तक भादरा में राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार भादरा विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) सुराज संकल्प, जो कि राज्य सरकार का नीति पत्र है, के बिन्दु संख्या 10.17 में प्रत्येक एस.डी.ओ. मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का संकल्प है। अतएव निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भादरा उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोला जाना विचाराधीन है।

(2) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भादरा उप खण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, भादरा उप खण्ड

(श्री संजीव कुमार)

मुख्यालय है। करीब 8-10 हजार विद्यार्थी भादरा विधान सभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं। उनको या तो उच्च शिक्षा के लिये बाहर करीब 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कइयों को, सीमावर्ती क्षेत्र है, इसलिये हरियाणा में अध्ययन के लिये जाना पड़ता है। कुछ छात्रों को स्वयंपाठी के रूप में पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ विद्यार्थियों को निजी महाविद्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता है और निजी महाविद्यालय मनमानी फीस वसूल करते हैं। क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये लोगों द्वारा लम्बे समय से यह मांग की जा रही है और इस मांग को ले करके भादरा विधान सभा क्षेत्र में कई बार छात्रों को आंदोलन भी करना पड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया कि सुराज संकल्प जो कि राज्य सरकार का नीति पत्र है, उसमें प्रत्येक एस.डी.एम. हैडक्वार्टर पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का संकल्प है। भादरा, चूंकि एक उपखण्ड मुख्यालय भी है, भवन हेतु जमीन वगैरह की भी दिक्कत नहीं आयेगी। विद्यार्थियों की भी कमी नहीं है। एक तरह से भादरा में सारे निर्धारित मापदण्ड पूरे हो रहे हैं लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से निर्धारित मानदण्ड हैं जो कि भादरा में पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक भादरा उप खण्ड का सवाल है वहां 8 प्राइवेट कालेजेज तो केवल भादरा नगर में चल रहे हैं और भादरा उप खण्ड में 15 निजी महाविद्यालय हैं। नोहर राजकीय महाविद्यालय 48 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बात सही है कि सुराज संकल्प घोषणा पत्र में हमने यह वादा किया है कि हर उप खण्ड पर हम एक महाविद्यालय खोलेंगे। परन्तु अभी केवल दो साल हुए हैं, तीन साल बाकी हैं। हमारी नीयत है कि निश्चित रूप से हर उपखण्ड पर खोलें, पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यह महाविद्यालय खोले जाएंगे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, केवल भादरा का है। मैं भादरा से इधर-उधर नहीं जाने दूंगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): नहीं, उप खण्ड का है, सर।

श्री अध्यक्ष: हां, उपखण्ड, भादरा का।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): प्रत्येक उप खण्ड पर, राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक उप खण्ड स्तर पर है। मारवाड़ जंक्शन में दो उप खण्ड स्तर हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। अंकित नहीं हो। यह नहीं हो सकता है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अध्यक्ष: भादरा है, भादरा है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अध्यक्ष: भादरा है। साफ है। मैंने पढ़ लिया उसको। मैंने भी पढ़ा है। भादरा से इधर-उधर नहीं। दूसरा प्रश्न।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस बात को हर बार स्वीकार करते हैं कि हमारे भादरा के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिये, नोहर की इन्होंने बात की, 50 किलोमीटर दूर यात्रा करनी पड़ती है। हरियाणा भी जाना पड़ता है और निजी महाविद्यालय का जिक्र बार-बार आता है। हम राजकीय महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी महाविद्यालयों का कोई मतलब नहीं है। निजी महाविद्यालय मनमानी फीस वसूल करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी हर बार इस बात को दोहराते हैं कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की बात हर बार यहां कही जाती है। तो, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि भादरा में राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु वित्तीय संसाधन कब तक उपलब्ध हो जाएंगे और राजकीय महाविद्यालय आप कब तक खोल देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह उम्मीद करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है मंत्री महोदय से कि शायद आज ही भादरा में राजकीय महाविद्यालय की आप घोषणा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा अभी 289 उपखण्ड प्रदेश में हैं। उनमें से 164 उपखण्ड ऐसे हैं कि जहां पर सरकारी महाविद्यालय नहीं हैं, 36 उप खण्ड ऐसे हैं जहां सरकारी महाविद्यालय भी नहीं हैं और निजी महाविद्यालय भी नहीं हैं। तो सरकार प्राथमिकता के आधार पर पहले जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट कालेजेज नहीं हैं वह हमारी प्राथमिकता में हैं। पहले हम वहां कोशिश करेंगे कि सरकारी महाविद्यालय खुलें और उसके बाद जहां प्राइवेट कालेजेज में बच्चे पढ़ रहे हैं वे सैकिण्ड प्रायोरिटी में आएंगे। उसके बाद वहां खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री संजीव कुमार (भादरा): नहीं, पहले, माननीय मंत्री महोदय, जहां निजी महाविद्यालय हैं, वहां पहले आपने नहीं खोले क्या। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आप बैठिये। जवाब आ गया। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां निजी महाविद्यालय हैं, क्या आपने पहले वहां नहीं खोले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया। (व्यवधान) आप मिल लेना। आपका जवाब आ गया।

श्री संजीव कुमार (भादरा): मैं निवेदन कर रहा हूं कि निजी महाविद्यालय जहां पहले हैं, क्या आपने वहां विद्यालय नहीं खोले? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, जवाब आ गया। मिल लेना आप उनसे और।

श्री संजीव कुमार (भादरा): निजी महाविद्यालय की बात कर रहे हैं, साहब। निजी महाविद्यालय अगर नहीं हैं, जहां अगर निजी महाविद्यालय हैं क्या अब से पहले वहां कालेज नहीं खोले?

श्री अध्यक्ष: आप उनके चैम्बर में मिल लेना। (व्यवधान) नहीं, महरिया साहब को पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां फतेहपुर क्षेत्र में 1400 लड़कियां कालेज की परीक्षा दे रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, फतेहपुर नहीं। अलाउ नहीं। फतेहपुर नहीं। अलाउ नहीं। (व्यवधान) भादरा से इधर-उधर नहीं।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): उनके लिये परीक्षा केन्द्र 30 किलोमीटर दूर है। (व्यवधान) मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनका परीक्षा केन्द्र बनवाएं, परेशानी हो रही है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपके पास बजट नहीं है तो देवनारायण योजना में तो बजट है। बानसूर में भी घोषणा करके आये थे। कम से कम देवनारायण योजना से खोल दो महाविद्यालय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण। दूसरा प्रश्न।

जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायतों में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराये गये कार्य

78. **श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अन्तर्गत आती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम पंचायतों में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा वर्ष 2010 से जनवरी, 2016 तक किस-किस प्रकार के कार्य करवाए गए? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले गांवों में विकास कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या कार्य एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): (1) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायतों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायतों में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा 2010 से लेकर जनवरी, 2016 तक कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। उपयोगिता के आधार पर प्रस्तावों के परीक्षण उपरान्त कार्य करवाये जा रहे हैं तथा प्रस्तावित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, एक।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न था, विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आती हैं। पहले से 11 ग्राम पंचायतें जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आती थीं और 5 नई पंचायतों को शामिल करने के लिये मैंने मांग की थी। अब आज जो मुझे लिस्ट दी है इसमें

(श्री जगदीश नारायण)

14 पंचायतों की लिस्ट आई है। इसका मतलब 5 में से 3 पंचायतें उसमें शामिल कर ली गई हैं। उसके लिये तो मैं मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि शेष दो पंचायतें बच गयीं, वह क्यों छूट गयीं। आखिर इनको शामिल करने के मापदण्ड क्या हैं, ये कब तक शामिल होंगी, ये मेरा एक निवेदन है। यह भी थोड़ा सा निवेदन है कि यह जो तीन पंचायतें शामिल की गयी हैं अब इनके विकास की योजनाएं क्या-क्या रहेंगी, ताकि हम प्रस्ताव भिजवाएं और साथ ही अन्य पंचायतों की तरह जो 50-50 लाख रुपये आपने जिला परिषद के माध्यम से प्रत्येक पंचायत को भिजवाया है, यह तीन पंचायतों का 50-50 लाख रुपये का पैसा कब तक आ जाएगा। यह मैं आपसे जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि पहले 11 पंचायतें जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आती थीं। वे कह रहे हैं कि उन्होंने 16 की मांग की है लेकिन 14 पंचायतें ही इनके इलाके में आयीं। मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): नहीं, सर। पांच मांगे थे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 11 और 5, 16 ।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): 3 आपने दे दिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 11 और 5, 16 ना ।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): हां, 11 और 5, 16 बनते हैं, जिसमें से 14 हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, हो गया ना। मेरा यह निवेदन है कि नई पंचायतें शामिल करना या पंचायतें छोड़ने का काम नहीं हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि पंचायतों का री-आर्गनाइजेशन हुआ था। जो पंचायतें जे.डी.ए. के क्षेत्र में पहले से आती थीं उन पंचायतों के अन्दर डीलिमिटेशन में कुछ वृद्धि हुई है। तो 11 जो जमवारामगढ़ में जे.डी.ए. लिमिट में आती थीं, री-आर्गनाइजेशन के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

बाद डीलिमिटेशन के बाद में वे पंचायतें 14 हो गयीं, 14 हो गयीं तो 14 की 14 पंचायतें जे.डी.ए. में अपने आप ही शामिल हो गयीं। इसी प्रकार पूरे जयपुर रीजन की ही बात करें, जयपुर डवलपमेंट आथोरिटी के एन्टायर रीजन की बात करें तो पहले 120 पंचायतें आती थीं। अब 136 पंचायतें आती हैं। अब इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले 120 की 120 पंचायतों में पहली बार जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से सारी पंचायतों को 50-50 लाख रुपये उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये, उनके सेनिटेशन के लिये दिये हैं। जो पंचायतें अब बनी हैं, हालांकि यह पंचायतें उन्हीं पंचायतों का हिस्सा हैं, जिनको 50 लाख रुपये दिये गये थे।

लेकिन उसके बावजूद न केवल जमवारामगढ़ की आपकी इन तीन पंचायतों को बल्कि बची हुई दूसरी भी पंचायतें जो जयपुर रीजन में आती हैं, 120 से बढ़कर 136, इन 16 नई पंचायतों को भी 50 लाख रुपये प्रति पंचायत जे.डी.ए. की तरफ से मिलेंगे।

जहां तक आपने विकास की चर्चा की है और आपने हमसे पूछा है कि कितना विकास हुआ? 2010 से लेकर अभी तक कितना विकास हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहिए माननीय सदस्य, कि आपके विधायक बनने से पहले जमवारामगढ़ में जे.डी.ए. की तरफ से केवल 2 करोड़ 22 लाख रुपये के विकास कार्य हुए थे और आपके विधायक बनने के बाद गये ढाई साल में अकेले जमवारामगढ़ के अन्दर 27 करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास कार्य हो चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं 27 करोड़ रुपये के विकास के काम हो चुके हैं और 19.80 यानी, तकरीबन 20 करोड़ रुपये के काम अभी भी आपके यहां पर जारी हैं। इस बारे में मैं कह सकता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने पहली बार पंचायतों के क्षेत्र में जो मैसिव लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बीड़ा उठाया है, अपने स्तर पर भी काम कर रहा है और जो छोटी-मोटी स्थानीय समस्याएं हैं, उन स्थानीय समस्याओं के लिए 50 लाख रुपये देने का जो काम किया है, उसके बाद मैं सोचता हूं जमवारामगढ़ के विधायक को धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं कहना चाहिए। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-दो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जोधपुर में भी यही फार्मूला लागू करना। नहीं, जोधपुर में भी यही फार्मला लागू करना।

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको इस कार्य के लिए बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यह मेरे ऊपर आपने बहुत बड़ा आभार किया है। इसके लिए तो मैं वहां कार्यक्रम करवाकर, बुलवाकर जनता के सामने आपको सम्मान दिलवाऊंगा, यह तो मेरे दिल की एक भावना है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): पर मैं एक निवेदन आपसे यह कर रहा हूं, मेरी मुख्य बात है।

श्री अध्यक्ष: यह बात पहले बोलनी चाहिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): जमवारामगढ़ में पहले मात्र 9 ही ग्राम पंचायतें थीं जे.डी.ए. क्षेत्र में, 2 ग्राम पंचायतें डी-लिमिटेशन में बढ़ के 9 और प्लस 2, यह 11 बन गयी थीं और अब आपने लिस्ट 14 की दी है तो मैं तो यह जानना चाह रहा था कि मैंने 5 की मांग की थी, उनमें से 3 शायद आपने बढ़ा दीं, क्योंकि आपकी लिस्ट 14 है, वैसे डी-लिमिटेशन सहित केवल 11 पंचायतें थीं तो मैं तो इसकी जानकारी चाह रहा हूं कि यह 3 अगर बढ़ाई हैं तो 2 क्यों रह गयीं? और नहीं बढ़ाई हैं तो वह बता दें मुझे तो।

श्री अध्यक्ष: बैठिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया था कि इनमें कोई पंचायतों को नया जोड़कर नोटिफिकेशन जारी जे.डी.ए. ने नहीं किया। जो 120 पंचायतें जे.डी.ए. के क्षेत्राधिकार में पहले से आती थीं, उन 120 पंचायत के डी-लिमिटेशन होने से 136 पंचायतें बन गयीं इसलिए वह 136 पंचायतें स्वत: ही जे.डी.ए. में आ गयीं, इसमें जोड़ने और घटाने का प्रश्न उठता ही नहीं है। इसी प्रकार इनके जो 11 पंचायतें आया करती थीं जे.डी.ए. लिमिट के अन्दर, डी-लिमिटेशन के बाद 14 हो गयीं इसलिए वह 14 की 14 बन गयीं। अब यह डिमांड के आधार पर नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। केवल डी-लिमिटेशन के आधार पर वृद्धि हुई थी, उसके आधार पर इनकी पंचायतें 11 से 14 हो गयी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हैं। जिस प्रकार जयपुर के बाकी रीजन के अन्दर 120 से 136 पंचायतें हो गयी हैं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सोना देवी।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): सर, मेरा निवेदन है कि 9 और 2, 11 ही बनती हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): कम से कम संतोषप्रद उत्तर तो मिले मुझे।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप चैम्बर में जाकर विस्तार से बात कर लीजिए। जगदीश नारायणजी, बैठिए। नहीं, आप चैम्बर में जाकर हिसाब कर लेना। दो बार आ गया यह।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी भावना ही नहीं समझ रहे आप। आप मेरा प्रश्न तो समझें कम से कम।

श्री अध्यक्ष: नहीं, दो पूरक प्रश्न हो गये, अब नहीं।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): डी-लिमिटेशन के बाद 11 पंचायतें बनती हैं पूरी और अब 14 की लिस्ट दी है मुझे। (व्यवधान)

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): बैठ जाइए।

श्री अध्यक्ष: बैठिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): बैठ जाइए। बैठ जाइए। बैठ जाइए।

श्री अध्यक्ष: आप चैम्बर में मिल लेना।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपको अधिकार है, आप मुझे बैठा सकते हैं लेकिन दूसरा कौन कह सकता है कि आप बैठ जाइए? (व्यवधान)

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने गवर्नमेंट कालेज के लिए बटन दबाया था, इससे पहले क्वश्चन के लिए बटन दबाया था (व्यवधान)

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): यह क्या तरीका है सदन का? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशों की पालना करने के लिए मैं तैयार हूं। आपके आदेशों की पालना कर सकता हूं, बाकी कोई दूसरा यह नहीं कह सकता है कि आप बैठ जाइए। यह क्या है?

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। मैं कह रहा हूं कि आप विराज जाइए। (व्यवधान)

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): मैंने प्रश्न आपसे किया है। (व्यवधान)

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में एक भी गवर्नमेंट कालेज नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले वाले क्वेश्चन के लिए बटन दबाया था। मान्यवर, गंगानगर जिले में सरकार को तो यूं ही नहीं दिखता। मान्यवर, सैकिण्ड, इस क्वेश्चन के लिए मैंने बटन नहीं दबाया।

श्री अध्यक्ष: यह जमवारामगढ़ का है। जमवारामगढ़ का सवाल है।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): मान्यवर, आपको भी हम देरी से दिखने लग गये हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आपको भी हम देरी से दिखने लगे हैं। सरकार को तो गंगानगर जिले के लिए, यूं ही अंधी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। बिलकुल नहीं। ईर्रेलेवेंट है। श्री जयराम जाटव।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर जिले की, अलवर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलवर की छोड़ो। नहीं, नहीं। नो-नो।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): इसी तरह से, वही क्वश्चन, वही सप्लीमैंट्री क्वेश्चन है, डिफरेंस नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, यह जमवारामगढ़ का है।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मैं निवेदन कर रहा था कि अलवर में जो गांव आ गये यू.आई.टी. में, उनका विकास नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुखरामजी, इस पर पूछना है जमवारामगढ़ पर?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरा महत्वपूर्ण मामला है, टोकना मत, साहब, नगरपालिका के जो पैरीफेरी विलेज आते हैं, जमीन महंगी हो गयी, ग्रीन बैल्ट घोषित कर दिया।

श्री अध्यक्ष: नहीं। नेक्स्ट।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): एक महत्वपूर्ण सवाल है, साहब, इस नगरपालिका से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: यह अलग से लाना। श्री श्रीचन्दजी कृपलानी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): सभी महंगी चीजें हो गयीं और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। नगरपालिका, कोई सरकार सुविधा नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। देगी, देगी, आप बात करना। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जमीन महंगी हो गयी, ग्रीन-बैल्ट घोषित कर दिया, फायदा क्या हुआ फिर पैराफेरी विलेज से।

गुन्दारेल (निम्बाहेड़ा) एनिकट हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

79. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत गुन्दारेल एनिकट की स्वीकृति जारी की गयी है?

(2) उक्त एनिकट के निर्माण हेतु किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे का कुल कितना अवार्ड जारी किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सभी किसानों को मुआवजा भुगतान के लिए बजट एवं साख सीमा जारी कर दी गयी है? यदि नहीं, तो अब कब तक जारी कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (डा. रामप्रताप): (1) जी हां।

(2) गुन्दारेल एनिकट के निर्माण हेतु किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे के लिए 13 प्रकरणों में राशि रुपये 196.15 लाख के अवार्ड पारित किये गये।

(3) जी हां। राशि रुपये 196.15 लाख के अवार्ड के विरुद्ध राशि रुपये 120 लाख का बजट एवं साख सीमा जारी की का चुकी है, शेष बजट एवं साख सीमा प्रक्रियाधीन संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत जारी किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न-नम्बर-एक।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि, इस गुन्दारेल एनिकट के बारे में ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात करूंगा तो पूरा इतिहास हो जाएगा। 2013-14 में यह गुन्दारेल एनिकट स्वीकृत हुआ था, उसके बाद में मुआवजा, प्रशासनिक स्वीकृति होने के बाद में धीरे-धीरे और उस समय

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

43.41 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक 30 लाख का कार्य हुआ है। मैं तो माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद भी देना चाहता हूं जैसा आपने जवाब दिया है कि इसमें हमने 120 लाख रुपये, जो मुआवजा है, काश्तकारों को उसको उन्होंने स्वीकृत कर दिया है और शीघ्र ही मुआवजा मिल जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यही पूछना है कि बाकी बचे हुए काश्तकारों को, क्योंकि 13 अवार्ड जारी हुए थे, बाकी उसके बाद भी बचते हैं तो उनको भी मुआवजा आप कब तक दे देंगे? नम्बर-एक।

नम्बर-दो, 2013-14 से चलने वाला कार्य, जो 2014 में पूरा हो जाना चाहिए था। 17.04.2014 तक पूरा हो जाना चाहिए था, आज तक वह कार्य पूरा नहीं हुआ तो वह कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा?

नम्बर-तीन। (व्यवधान) तीसरा बाद में पूछ लूंगा मैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस टाइम यह प्रश्न मेरे पास अनुमोदन के लिए आया और आनलाइन हुआ, उस स्थिति को मैंने उत्तर के रूप में कहा है लेकिन इस पूरे प्रकरण को जब मैंने गहराई से देखा तो समय, जैसा माननीय सदस्य फरमा रहे हैं, बहुत ज्यादा लगा और समय जो बढ़ा, बढ़ा हुआ समय लगा है, उसके लिए मैंने सम्बन्धित एडिशनल चीफ इंजीनियर को निर्देशित किया है कि वह सात दिन के अन्दर-अन्दर जांच करके मुझे बतायें कि इसके लिए कौन अधिकारी या कर्मचारी दोषी है।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, रिवाइज्ड एस्टिमेट है, उसका भी मैंने जवाब दिया है। उससे हटकर अभी मैंने इस देरी हुई है, उसकी किस तरीके से पूर्ति की जाए और बढ़े हुए और चेंज आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सैंक्शन है, वह भी मैंने जारी कर दी है। इस तरीके से, तीसरा सवाल पूछ रहे थे, पूछा ही नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं यह पूछ रहा था कि इसमें जिस अधिकारी का दोष है, आप उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? क्योंकि, कितना तो बजट था और कितना आज चार साल में बढ़ गया है, 250 लाख का नया प्रस्ताव और भेजा है उन्होंने एक छोटे से एनिकट का, माननीय

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

अध्यक्ष महोदय, कितना मुआवजा देना पड़ा, वह मुआवजा मिला भी नहीं किसी कारण से और वह एनिकट भी कम्प्लीट नहीं हुआ। किसानों को फायदा भी नहीं हुआ, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? वह जिम्मेदारी आप मंत्री महोदय, तय कर दीजिए।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए जैसा कि मैंने बताया 7 दिवस के अन्दर एडिशनल चीफ इंजीनियर जांच करके मुझे बताएंगे और इसमें जो भी अधिकारी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: चलो ठीक है।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): दूसरा, आपने जो फरमाया है, जो आपने बढ़ी हुई राशि की बात की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभी माननीय सदस्यों को पता है कि एक्विजीशन एक्ट है वह 2013 में आया और लागू हुआ 2014 की जनवरी में और उसके बाद में इसने हमारी स्थिति को बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया। माननीय सदस्य बिलकुल सही फरमा रहे हैं कि जब उस एनिकट की लागत है, वह तो सारी 49 लाख है और मुआवजा शायद 166 लाख के करीब है तो इसने हमारी बी.सी. रेश्यो को भी डिस्टर्ब किया है और दूसरा, माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है, मैं पार्टी लाइन से हट कर बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एनिकट में मैं पहली दफा देख रहा हूं कि उसमें लैंड एक्विजीशन का प्रोविजन है अन्यथा, कभी भी मेरे ख्याल से इसमें मुआवजा नहीं दिया गया। अगर कहीं थोड़ा-बहुत किसी किसान की जमीन आती है तो उसको इनडाइरेक्ट बैनिफिट होता है, वह स्वत: ही अपनी जमीन दे देता है लेकिन इसके अन्दर और शुरू में 66 लाख का था जो बढ़कर नई दरों के हिसाब से 196 लाख का हो गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 250 लाख का हो गया।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): 250 से भी क्रास कर गया। 268.96 लाख का हो गया। अब एक सवाल जो आपने पूछा है कि कब तक कर देंगे? मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से यह आश्वस्त करता हूं कि अगले मानसून से पहले-पहले इस एनीकट का निर्माण होकर तैयार कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): एक मिनट अध्यक्ष महोदय, बाकी बचे हुए काश्तकारों को मुआवजा कब तक दे देंगे?

श्री अध्यक्ष: बात कर लो आप। आपके पड़ौस में ही बैठे हुए हैं, बात कर लो।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): यह मुआवजा जब ए एण्ड एफ जारी होगी तो मार्च तक दे देंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): नहीं, वह बाकी है न।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): नई ए एण्ड एफ जारी होगी तो दे देंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चन्द्रभान सिंह 'आक्या'। इनका भी एक सवाल है, यह 17 वें नम्बर पर है।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं मेरा क्वेश्चन भी लग रहा है 97 नम्बर और यही क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र के कुल एरिया का 60 प्रतिशत कमांड एरिया है। वहां गम्भीरी, सादी, मूंडिया महादेव, यह सभी बांध है और उसकी नहरें बिलकुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उनकी रिपेयर के लिये मंत्री महोदय को मैं कहना चाहता हूं कि वहां टेल तक पानी पहुंचता नहीं है और वास्तव में वहां किसानों का बहुत ज्यादा अहित हो रहा है, उनके लिये आप नहर के लिये अलग से बजट देने की व्यवस्था करें और जो एनीकट बने हुए हैं 15-15, 20-20 साल पुराने एनिकट हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी तो राजधानी रही है चित्तौड़, और वहां आपने देखा है कि जो 15-20 साल से जो एनिकट बने हुए हैं, उनके रिपेयर की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक बार कोई छोटा एनिकट टूट गया तो वह बार-बार टूटता रहता है और वह लीकेजिंग होने के बाद पूरी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तो उनके बजट की व्यवस्था अगर अपन नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में जितने भी एनीकट है, वह सभी एनिकट टूट जाएंगे। इसलिये जो कच्ची नहरें हैं, उनको पक्की करें और जो नहरें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उनको नयी बनाये और एनीकट के रिपेयर का बजट आप कितना दिलवा पायेंगे, वह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि नहरों की कंडीशन है, वह जीर्ण-शीर्ण है, जैसा आपने फरमाया है और उसकी वजह से लोसेज भी बहुत ज्यादा हैं और टेल एण्ड के किसान को बड़ी भारी परेशानी होती है। आर्थिक नुकसान के साथ-साथ उसको मानसिक पीड़ा है, उसका अपन आकलन नहीं कर सकते, इतनी भारी दिक्कत आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इतना ही ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि संसाधन उपलब्ध होने पर जो आपने फरमाया है उस कार्य को हम वरीयता के हिसाब से लेंगे।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय मंत्री महोदय, वह एनीकट कम से कम दो-दो, तीन-तीन करोड़ के एनिकट हैं और 15-15, 20-20 हजार या एक-दो लाख से वह रिपेयर हो सकते हैं। बहुत छोटे बजट से अभी तो रिपेयर हो सकते हैं, उसके बाद पूरे टूटने के बाद वह रिपेयर नहीं हो पायेंगे, इसलिये छोटा-छोटा अमाउंट आप कहीं न कहीं अलाट करवायें।

श्री अध्यक्ष: बात कर लेना, आप बात कर लेना। नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछली अतिवृष्टि में पूरे राजस्थान के अन्दर एनिकट और बांध, जो सिंचाई विभाग के द्वारा बने हुए थे, वह कई जगह से टूट चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न निम्बाहेड़ा से सम्बन्धित है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): यह निम्बाहेड़ा से भी सम्बन्धित है। निम्बाहेड़ा और पूरे राजस्थान में यह स्थिति हुई है।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान नहीं, निम्बाहेड़ा के बारे में पूछिये। प्रश्न से इतर मत जाइये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मैं अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूं कि इन एनिकट और बांध को सिंचाई विभाग ने पंचायती राज को हैंड-ओवर कर दिया है और पंचायत राज के पास साधन सीमित है। ऐसी स्थिति में पूरे निम्बाहेड़ा के साथ-साथ में पूरे राजस्थान में इन एनीकट्स और बांधों का क्या होगा, यह मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: यह सवाल ठीक पूछा है, बिराजिये।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत

(डा. रामप्रताप)

राज को जो तालाब हस्तानान्तरित हो गये, उनके बारे में क्या होगा, यह तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि यह अभी मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दूसरा, जो माननीय सदस्य ने निम्बाहेड़ा के पीछे जो बात कही है, वह इनके खुद के क्षेत्र की है, तो यह मेरी जानकारी में है और संसाधन उपलब्ध होने पर हम उस कार्य को भी करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न रामहेत सिंहजी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मेरे प्रश्न का जवाब आ गया साहब।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रमेश।

प्रदेश के मदरसों का बिना भौतिक सत्यापन के रजिस्ट्रेशन निरस्त की कार्यवाही

80. **श्री रमेश** (सपोटरा): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में गत दो वर्षों में एक हजार से अधिक मदरसों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त सभी मदरसों की जांच कराई गई हैं? यदि हां, तो कब-कब एवं किसके माध्यम से? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त मदरसों का भौतिक सत्यापन भी करवाया गया है? यदि हां, तो कब-कब? भौतिक सत्यापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार को कई मदरसों का रजिस्ट्रेशन बिना भौतिक सत्यापन के रद्द करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी व नहीं तो क्यों?

(5) क्या सरकार द्वारा मदरसों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सूचना सम्बन्धित मदरसें को लिखित में दी गयी है? यदि हां, तो किस-किस मदरसे को कब-कब एवं नहीं, तो क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) जी नहीं, यह सही नहीं है कि सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में एक हजार से अधिक

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

मदरसों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। परन्तु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से प्राप्त डेटा कैप्चर की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे मदरसे जो अस्तित्वहीन एवं संचालित नहीं थे, ऐसे 729 मदरसों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था। एक मदरर्से का रजिस्ट्रेशन स्वयं संचालक के निवेदन पर रद्द किया गया था।

(2) मदरसा बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए 729 मदरसों का इस कार्यालय के पत्र क्रमांक क्रमश: 5150-82 दिनांक 21.08.2015, 11207-239 दिनांक 08.09.2015 एवं 13592-625 दिनांक 15.12.2015 के द्वारा सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से जांच करवाई गई है। जांच प्रतिवेदन (भौतिक सत्यापन) की प्रति परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।

(3) हां। इन मदरसों का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के माध्यम से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक क्रमश: 5150-82 दिनांक 21.08.2015, 11207-239 दिनांक 08.09.2015 एवं 13592-625 दिनांक 15.12.2015 द्वारा करवाया गया है। भौतिक सत्यापन की प्रति परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। जिन मदरसों का पंजीयन मदरसा बोर्ड द्वारा निरस्त किया गया था, ऐसे मदरसे मौके पर संचालित होने सम्बन्धित तथ्य की जानकारी होने पर मदरसा बोर्ड के पत्र क्रमांक 15737 से 16498 दिनांक 03.02.2016 के माध्यम से मदरसों के सदर/सचिव को मदरसा चालू होने के सम्बन्ध में परिवेदना प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 13509 दिनांक 09.12.2015 के द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग की अध्यक्षता में परिवेदना समिति का गठन किया है। 09 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त 94 परिवेदनाओं में से परिवेदना समिति द्वारा 56 मदरसों की परिवेदनाओं का निस्तारण किया गया है।

(5) हां, सरकार द्वारा मदरसों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सूचना समस्त मदरसों तथा समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस कार्यालय के पत्रांक 13136 दिनांक 01.12.2015 द्वारा लिखित में देने के साथ-साथ राजस्थान मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई थी। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'बी' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता था उससे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इन्होंने पैरा नम्बर 5 का जो जवाब दिया है, इन्होंने बताया है कि मदरसों की संख्या जिनको निरस्त किया गया है, उनको मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सरकार जानती है, मंत्रीजी जानते हैं कि माइनोरिटी की लिट्रेसी रेट क्या है? वह इस वेबसाइट पर जाएंगे क्या? आपको उन मदरसों को कैंसिल करना था, आपको निरस्त करना था तो आप मदरसे तक इन्फोर्म करते, नोटिस देते कि हम आपके मदरसे को बंद कर रहे हैं। इसका जवाब आप दे नहीं पाये। आपके लैपटाप पर कम्प्यूटर पर बैठकर, आफिस में बैठकर यह डाटा बेस इकट्ठा कर लिया तो यह आपका जवाब आपके अधिकारियों से दिलवायें और दूसरा मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यह है कि आपके रजिस्ट्रेशन रद्द करने के बाद भी कई मदरसों में बड़ी संख्या में छात्रों का पंजीयन होना सिद्ध हुआ। ऐसे में जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों द्वारा गलत रिपोर्ट दी, उन पर आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? पहले तो यह बतायें, फिर उसके बाद में मैं दूसरा करूंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करने का हक है आपका।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य को मैं निवेदन करूंगा कि एक बार क्रम संख्या-5 को दोबारा पढ़ लें। मैं पढ़ देता हूं इसको।

श्री रमेश (सपोटरा): हां, आप पढ़ दो।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हां, सरकार द्वारा मदरसों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सूचना समस्त मदरसों तथा समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस कार्यालय के पत्रांक 13136 दिनांक 01.12.2015 द्वारा लिखित में देने के साथ-साथ, उनको भी सूचना दी है और वेबसाइट पर भी...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: साथ-साथ दी है।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं मैं बता रहा हूं आपको।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं जवाब पूरा कर लूं। और दूसरा वेबसाइट भी पब्लिक नोटिस होता है, हमने वह भी किया और उसके बाद भी पूरी चीज इनको दी है। दूसरी बात, जहां तक आपने

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

कही है हमने इनको पूरा अवसर हमेशा समय-समय पर देते रहे। जब शुरू में 2013 में फाइनेंस डिपार्टमेंट, कि इसका डाटा कलक्शन किया जाए, उस डाटा कलक्शन के बाद हमने शुरू किया। उसमें कहा कि इन-इन आधारों पर डाटा कलक्शन किया जाए। वित्त विभाग ने कहा कि प्राथमिक विभाग के शिक्षा सहयोगियों के मूल अनुबन्ध मदरसे एवं वर्तमान कार्य स्तर मदरसों का इकजाई डाटा बेस तथा पंजीकृत मदरसों में नामांकित छात्रों की संख्या एवं आनुपातिक रूप से कार्यरत शिक्षा सहयोगियों के डाटा कैप्चर की बतायी गयी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान व्यवस्था को निम्न शर्तों के आधार पर तीन माह के लिये बढ़ाये जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति प्रदान की जाती है। इन्होंने कहा कि डाटा कलेक्ट करने की बात है। हमने डाटा कलेक्ट करने हेतु जुलाई, 2014 में उनको एक नोटिस निकाल दिया और नोटिस सबको भेजा गया। इसमें बोर्ड में पंजीकृत मदरसों, बोर्ड की ओर से कार्यरत शिक्षा सहयोगियों का सर्वे करवाकर डाटा कैप्चर का कार्य निम्न बिन्दुओं पर कराया जाएगा। यह पूरा करने के बाद जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में 902 मदरसे माने गये, जो उक्त क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 902 को रिपोर्ट आने के बाद वैसे तो हम समय-समय पर नोटिस देते रहे, 902 में लिखा। फिर हमने जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों को कहा।

यह 5.6.2015 को, डाटा-कैप्चर से प्राप्त रिपोर्ट जो मदरसे नोट-ट्रेसेबल संख्या 148 मदरसे, शून्य बच्चों की संख्या वाले 507 मदरसे एवं 20 से भी कम संख्या वाले 247 मदरसे हैं। उक्त मदरसे मदरसा पंजीयन नीति के अनुसार डी-रजिस्टर्ड किये जाने योग्य हैं। आगे हमने लिखा, अतः उक्त मदरसों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से पूर्व सर्वप्रथम उक्त मदरसों को अपना पक्ष रखने/स्पष्टीकरण हेतु मदरसा बोर्ड स्तर से नोटिस जारी किये जाएं। निर्धारित संख्या से कम होने के कारण सम्बन्धित मदरसों से ज्ञात किया जाय। मदरसा सदर/सचिव द्वारा अपना पक्ष नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से मदरसा बोर्ड को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

हमने तय करने से पहले जो 902 हुए, फिर नोटिस दिया कि कोई किसी तरह की गफलत नहीं रहे, हमारे जिला अल्पसंख्यक अधिकारी पहले उनको नोटिस दें, जवाब आ जाए उसके बाद ही इसको मदरसा बोर्ड को रैफर करें।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

इसको करने के बाद भी हमने कहा कि एक बार और अपार्चुनिटी, यह सारे जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों को 11.08 को एक लैटर लिखा, जिसका मैंने उल्लेख आपके उसमें किया है जिसको एनेक्स्चर सात लगाया है। 8, 9 को किया फिर हमने 15.12.2015 को फिर किया।

यह सारी प्रक्रिया करने के बाद 729 मदरसे जो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते थे नीति के हिसाब से और एक मदरसा जिसने खुद ने कहा कि मैं अपने को चलाना नहीं चाहता, 730 को किया और इसमें भी जो कम्प्लैंट आयी हैं वो केवल 94 की आयी हैं। कुल मदरसे 3841 थे। पूरी अपार्चुनिटी देकर, सबको पूरा अवसर देने के बाद इस पर कार्यवाही की। फिर भी हमने कहा कि एक बार, 1.12 को जिस दिन डी-रजिस्टर्ड किया 9.12 को ही, मैंने कहा कि एक बार इसके लिए कोई भी व्यक्ति, जिनको हमने 729 को डी-रजिस्टर्ड किया है उनको नैचुरल जस्टिस के तहत एक बार और अपार्चुनिटी मिलनी चाहिए।

अगर किसी प्रकार की हमारी डाटा-कैप्चर में कमी रही है, कोई सूचना गलत है तो निश्चित रूप से वहां जाकर के उनको अपना प्रतिवेदन कोई भी दे दें, अपनी कम्प्लैंट दें, उस कम्प्लैंट का भी हम फिजिकल वैरिफिकेशन करायेंगे और कराने के बाद जो सही होगा उसको री-स्टोर करेंगे।

ऐसे करते हुए 94 आयीं, केवल 9 जिलों से आयी हैं पूरे 3841 में से 94 कम्प्लैंट्स आयीं, 56 का हमने डिस्पोजल कर दिया, बाकी की प्रक्रिया जारी है, उनको भी नियमानुसार करते हुए पूरा करने की बात है।

तीसरी चीज, हमारे इसमें मदरसों का जरूरी नहीं है कोई भी मदरसा रजिस्ट्रेशन कराये या नहीं कराये, जो चाहे वो रजिस्ट्रेशन कराये। जो कराता है उसको हमने 'ए' और 'बी' केटेगिरी बना रखी हैं। 'ए' केटेगिरी को अलग इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी और 'बी' केटेगिरी के मदरसों को यह सुविधाएं मिलेंगी जो सरकार के द्वारा अलग-अलग अनुदान दिये जाते हैं। आज भी जिनका डी-रजिस्ट्रेशन किया है कल अगर वो क्वालिफिकेशंस को, पंजीयन की पात्रताओं को पूरा करते हैं तो दोबारा एप्लाई कर सकते हैं, कर के दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

जहां तक गलत सूचना के आधार पर कार्यवाही की बात है, विशुद्ध रूप से हम इसकी पूरी जांच करा लेंगे। सारी जो हमने प्रक्रिया तय की थी उस प्रक्रिया में किसी अधिकारी ने कोई कमी छोड़ी है, उनको नोटिस नहीं दिया जो

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

15 दिन का था 7 दिन था, कोई अगर कमी छोड़ी है तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले बता दूं। पूरक नहीं, पहले तो उसी को पूरा करने दो, साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं- नहीं। पहला आप पूछ चुके, अब पूरक प्रश्न।

श्री रमेश (सपोटरा): पूरक नहीं, जो क्वेश्चन है, जिसका इन्होंने जवाब दिया है असत्य जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप दूसरा पूरक प्रश्न कीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): असत्य जवाब दिया है। क्यों दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं। पहले मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं। आप दूसरा पूरक प्रश्न कीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): पहले यह बताना चाहता हूं कि जब आरोप सिद्ध हो गया कि जिन मदरसों का इन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया कहीं 400 स्टूडेंट की स्ट्रैंथ की थी कहीं 50 की थी कहीं 100 की थी और उनका नाम भी बता दूं, मोहल्ला महावतान, जयपुर का मदरसा, तालिमउल कुरान जिसमें 400 विद्यार्थी पढ़ते हैं, भारत कालोनी, जोधपुर का मदरसा फैज ए जिलानी कायमखानी हास्टल में 40 से अधिक बच्चे रहते हैं और काफी ऐसे मदरसा हैं जहां पर पैराटीचर्स लड़के थे, उनकी नौकरी लग गयी या कुछ लड़कियां थीं, शादी होकर चली गयीं लेकिन सरकार ने उन मदरसों की जांच तक नहीं की। इनका भौतिक सत्यापन इन लोगों ने नहीं किया। यह नहीं कर पाये और झूठी रिपोर्ट दी है और जो मुझे इन्होंने झूठी रिपोर्ट दी है तो कहीं तो इन्होंने बैंक का अकाउंट बताया है इस रिपोर्ट में कि मदरसे का बैंक का अकाउंट यह है, कहीं बताया है नोट-वर्किंग में है, स्कूलों को नाम नहीं है। तो एक्चुअल में इन्होंने फर्जी यह जो दस्तावेज, रिपोर्ट तैयार की है बिलकुल असत्य है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यह है कि आपने इसमें जो पद दे रखे हैं 8619 में से मात्र 6154 पद हैं, 2455 रिक्त पद हैं पैराटीचर के। 3000 कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी, उनमें से मात्र 349, 2651 पद रिक्त हैं, क्या सरकार इनको भरने का प्रयास करेगी? या पैराटीचर को नहीं रख कर के मदरसा बोर्ड में देने का प्रयास है? बतायें कि आपकी, सरकार की मंशा क्या है?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी प्रक्रिया के बाद भी, माननीय सदस्य, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी हमने नैचुरल जस्टिस के सारे जितने भी इन्ग्रेडिएंट्स होते हैं उन सब को फॉलो किया, करने के बाद हमने किया है।

जहां तक इसकी बात है, हमने तो इतना किया कि हमारे पंजीयन के नियम यह कहते हैं कि 35 विद्यार्थी एक मदरसे में होंगे उसका रजिस्ट्रेशन किया जायेगा और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां 20 विद्यार्थी होंगे उनको किया जायेगा, हम और लिबरल रखते हुए इसको दस की संख्या पर लेकर आ गये। दस भी किसी मदरसे में अगर विद्यार्थी हैं तो उनको डी-रजिस्टर नहीं करेंगे। कहीं हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि मदरसों को बंद करना, हम चाहते हैं कि वहां क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, वातावरण ठीक हो। इस कारण से जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं करते और जहां एक भी बच्चा नहीं है, उस बच्चे को भी सरकार अनुदान देती रहे, अगर यह नीति आपकी है और आपकी सरकार उस नीति पर चलती रही तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी रूप में, जिसमें जीरो विद्यार्थी होंगे (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूं वो भी सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सदस्य, आप सुनने का माद्दा भी रखिये। आप सुनने का माद्दा भी रखिये। जब आप बात करते हैं तो सुनने का माद्दा भी रखिये।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मेरा निवेदन है कि जब आप बात करते हैं तो सुनने का माद्दा भी रखिये। आप उसको सुनने का माद्दा भी रखिये। (व्यवधान) आप पूरा जवाब सुनिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, माननीय विधायक। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक ...(व्यवधान) माननीय विधायक रमेश जी। अंकित नहीं हो। इनका एक भी शब्द अंकित नहीं हो। (व्यवधान) एक भी शब्द अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अब आप पूरा सुनिये उसके बाद खड़े हों। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: विधायक रमेश का एक भी शब्द अंकित नहीं हो। एक भी शब्द अंकित नहीं हो।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप जवाब सुनिये, आपने क्या किया वो बताते हैं अभी आपको।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अब आप जवाब सुनिये।

श्री अध्यक्ष: विधायक रमेश का एक भी शब्द अंकित नहीं हो, दो-तीन मिनट में जितना भी यह बोले हैं मेरी बिना अनुमति के वो ड्राप कर दिया जाए। हां, माननीय मंत्री जी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जो इन्होंने कहा है पैराटीचर्स के अनुपात का विषय, जो वेकेंसीज की बात की है, हमने डाटा-कैप्चर किया है और जहां जितने विद्यार्थी थे उसका पूरा एक इंडैक्स बनाया है कि कितने विद्यार्थियों के ऊपर एक पैराटीचर देंगे, कितने पर दो देंगे संख्या के हिसाब से। अब इस सब के बाद जहां कुछ सरप्लस होंगे उन सब को हम जहां आवश्यकता हो वहां भेजेंगे और इसको पूरा समानीकरण करने के बाद फिर भी अगर पैराटीचर्स की कमी होती तो प्रक्रिया पूरी करते हुए वित्त विभाग की अनुमति लेकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री जोगाराम पटेल। पूरक प्रश्न, श्री जोगाराम पटेल।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार यह बताने का श्रम करेगी कि जोधपुर शहर और उसके आस-पास कितने रजिस्टर मदरसे हैं तथा कितने अन-रजिस्टर मदरसे कार्यरत हैं? सरकार अनधिकृत, अन-रजिस्टर्ड मदरसों के विरुद्ध जहां अनधिकृत गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? मदरसों के रजिस्ट्रेशन के मुख्य-मुख्य क्या आधार हैं?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, पहली बात तो कोई भी मदरसा अनधिकृत नहीं होता। इसमें कोई भी मदरसा खोल सकता है लेकिन हमारे पास जो पंजीयन के लिये आयेगा, पंजीयन के हमने नियम बना रखे हैं उन नियमों के तहत जिनका पंजीयन हो सकता है उनको हम पंजीयन करते हैं और उसको सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। इसलिए अनधिकृत कोई भी मदरसा नहीं है।

दूसरा, जोधपुर जिले का आपने पूछा है तो कितने हैं, यह जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं उपलब्ध करा दूंगा लेकिन कुल जो निरस्त किये गये मदरसे हैं वो 43 हैं। जो मदरसे निरस्त किये गये वो 43 हैं, कुल कितने थे, यह जानकारी मैं आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। श्रीमती अनीता। अनीता नगर, अनीता दो-तीन हैं, नगर।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्रीजी ने बताया कि मदरसे दो प्रकार के होते हैं रजिस्टर और अन-रजिस्टर्ड। जो रजिस्टर और अन-रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनमें हमारे भरतपुर क्षेत्र में नगर और कामां में ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं जिन्होंने सरकारी भूमि अधिग्रहण कर के वहां मदरसे बना दिये। बहुत सारी जो भूमि हमने किसी और चीज के लिए अलाट करी थी और जब वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर अनधिकृत रूप से उन्होंने कर के और एकाध-दो कमरे बना कर और मदरसे का बोर्ड लगा दिया। क्या ऐसे मदरसे जो रजिस्टर्ड तो मेरे ख्याल से होंगे ही नहीं, उनके खिलाफ मंत्री जी कोई काम करेंगे?

दूसरा, यह कि जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं भरतपुर में उनमें आपने कौन-कौनसे मदरसों में क्या-क्या अनुदान और कम्प्यूटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं, कृपया बताएं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। जवाब तैयारी है नहीं तो आप लिख कर भेज देना।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो जहां-जहां सरकारी जमीन के ऊपर कब्जे का विषय है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उसको तो सम्बन्धित वहां नगर निकाय और पंचायत को शिकायत कर के, किसी ने किया है, उसका प्रोसेस है

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

उसके प्रोसेस के आधार पर दूर करने की बात हो। जो सुविधाएं देने की बात है, इनको अलग-अलग जो 'ए' कैटेगिरी के मदरसे हैं उसमें इसकी पूरी एक नियम की प्रक्रिया बनी हुई है जिसमें हम केवल भवन के लिए पैसे, जो 'ए' कैटेगिरी के हैं, उनका अपना भवन होना चाहिए।

श्रीमती अनीता (नगर): आप उसको जब रजिस्टर्ड करते हो तब उसकी भूमि, जमीन को देखते हो कि खरीदी है या क्या दिया है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बिलकुल।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी का उत्तर सुनिये। बीच में हस्तक्षेप मत कीजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): रजिस्ट्रेशन की पूरी एक प्रक्रिया है और उसमें हम कई चीजें देखते हैं जिसमें पंजीयन प्रक्रिया में पंजीयन हेतु मदरसे बोर्ड द्वारा कौन-कौनसे इनग्रेडिएंट पूरे होने चाहिए। जमीन उसकी होनी चाहिए या उसका एरिया कितना होना चाहिए, इसके पूरे नियम हैं। उन नियमों की जो पूर्ति करता है उसी का हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हीं को हम 'ए' और 'बी' कैटेगरी में देने की बात करते हैं। जहां तक आपने यह बात कही है तो इसको भी मैं एक बार एग्जामिन करा लूंगा कि कोई सरकारी जमीन के ऊपर कब्जेशुदा, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले नियम दूसरे थे जब शिक्षा विभाग मदरसों का संचालन करते थे। जब से मदरसा बोर्ड बना है, 2014 में जो हमने नियम बनाये हैं, उसमें यह है कि रजिस्ट्रेशन उसी का होगा जिस मदरसा या मदरसा की इंतजामिया समिति या प्रबंध समिति के नाम से जमीन के कागजात होंगे या कुछ बोर्ड्स का है कि उनके नाम से होंगे, उन्हीं को दिया जायेगा। इसलिए अब यह दिक्कत नहीं आयेगी कि कोई कब्जेशुदा जमीन होगी, टाइटल क्लियर नहीं होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: गोविन्द सिंह डोटासरा। तीसरा पूरक प्रश्न। तीसरा है यह, बस।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो 729 मदरसों का पंजीयन निरस्त किया है उनमें से कितने 'ए' कैटेगरी और कितने 'बी' कैटेगरी के हैं और उनमें पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में क्या-क्या सुविधाएं दी थी? एक बात और बताने का कष्ट करें कि इनमें कितने पैरा टीचर पिछली

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सरकार ने लगाये थे, उनमें से कितनों को बेराजगार होना पड़ा इनके रजिस्ट्रेशन निरस्त करने से? यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा वह विस्तृत प्रश्न है और उसका डाटा अपने आपमें पूरा है। यह सूचना तो मैं इनको अलग से उपलब्ध करा दूंगा। जहां तक बेरोजगारी का विषय है, इसमें हमने अभी तक तो किसी को भी सरप्लस करते हुए नहीं निकाला है। प्रक्रिया है, इसका डाटा कैप्चर कर लिया है। डाटा कैप्चर के बाद एक नियम बना दिये हैं कि किस मदरसे में कितने-कितने बच्चे होंगे, उसके आधार पर एक पैरा टीचर, दो या तीन, उसको हम कैटेगराइज्ड करेंगे और जो सरप्लस होंगे क्योंकि हमारे पास वैकेन्सीज हैं, हम मदरसों में सबको यहीं एडजस्ट कर देंगे। मुझे लगता नहीं कि किसी को निकालने की बात होगी। अभी तक पूरा डाटा और कितने निकलते हैं, यह नहीं आया है। स्पष्ट नहीं कह सकता। लेकिन डाटा कैप्चर के बाद एक बार सारा टेबल आ जायेगी, तब पता चल पायेगा। वैकेन्सी हैं, मुझे सम्भावना कम लगती है कि किसी को बाहर निकाला जाये।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। सुशील कटारा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन 729 के रजिस्ट्रेशन ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आ गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन 729 के रजिस्ट्रेशन रद्द होने से कितने पैरा टीचरों पर असर पड़ेगा। यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अभी नहीं है उनके पास।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जो पहली बात जहां है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां। माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मदरसों पर बहुत आवश्यक ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, नो-नो ...(व्यवधान) ज्ञानदेवजी बैठिये ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मदरसों पर बहुत आवश्यक ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आवश्यक सब चीजें हैं ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर के मदरसों में पढ़ाया जाता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ज्ञानदेवजी का एक भी शब्द अंकित नहीं होगा। मेरी बिना परमिशन के आप नहीं बोल सकते। बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

डूंगरपुर जिले में उचित मूल्य की नवीन दुकानें खोले जाने की योजना

81.श्री सुशील कटारा (चौरासी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में उचित मूल्य की दुकानें खोलने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी? यदि हां, तो कब तथा कितनी दुकानों की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त उचित मूल्यों की दुकानों को खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार नई राशन की दुकानों हेतु दोबारा विज्ञप्ति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां के लिए व नहीं तो क्यों?

(4) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां संचालित हैं? दुकानदार के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री हेमसिंह भड़ाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) खण्ड 'क'- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 03.03.2015 को सम्पूर्ण प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें जिला डूंगरपुर शहरी क्षेत्र हेतु 03 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 86 कुल 89 उचित मूल्य की दुकानें सम्मिलित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) खण्ड 'ख'- नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार नवसृजित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में सार्वजनिक विज्ञप्ति दिनांक

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

03.03.2015 को जारी की जा चुकी है, जिसके तहत राशन डीलर नियुक्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।

(3) खण्ड 'ग'- उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश दिनांक 09.02.2015 वर्तमान में संशोधन की प्रक्रिया में है। संशोधन पश्चात नवीन दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे। नवीन दिशा-निर्देशों के तहत यदि आवश्यक होगा तो दोबारा विज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।

(4) खण्ड 'घ'- विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वर्तमान में 130 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। दुकानदार के नाम सहित सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, नम्बर एक।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि विभाग द्वारा दिनांक 03.03.2015 को सम्पूर्ण प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी। आज एक वर्ष पूरा हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि विभाग किस दिनांक तक या किस माह तक नये राशन डीलरों की नियुक्ति कर देगा? इनकी नियुक्ति के सरकार ने क्या-क्या मापदंड रखे हैं नये राशन डीलरों के, जो आपने विज्ञप्ति जारी की है। उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय बतायें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौरासी से आने वाले विधायक ने सही बताया है कि 03.03.2015 को नई दुकानों की विज्ञप्ति हमने जारी की थी, 4226 दुकानें राशन की, पीडीएस की विज्ञप्ति में थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के स्थगन आदेश 14.05.2015 के आने के बाद प्रक्रिया बाधित हुई। अब दिसम्बर, 2015 में इस रिट याचिका का निस्तारण हो गया है। जल्दी ही इसमें प्रक्रिया के अनुसार काम चालू करवाया जायेगा।

दूसरा पूरक प्रश्न, वह यह पूछना चाह रहे हैं कि इनकी किस प्रक्रिया के तहत किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुकान आबंटन की एक प्रक्रिया है। जिसमें जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष और कोपरेटिव, सहकारी

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

समिति से जिले के एक अधिकारी, महिला अधिकारी विभाग से एक अधिकारी, 3 सामाजिक कार्यकर्ता यह तो शहरी क्षेत्र में हैं।

कालूलालजी आप सुनो, बीच में बात कर रहे हो।

ग्रामीण क्षेत्र में जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम का सरपंच, महिला अधिकार समिति का जिले का एक प्रतिनिधि, कोआपरेटिव का एक जिला प्रतिनिधि।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने उनका हक मारा है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप बिराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केबिनेट मंत्री हैं, आपकी कैसे सुनेंगे।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वह हमारा आंतरिक मामला है ...(व्यवधान) 3 सामाजिक कार्यकर्ता राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत। इसकी एक चयन प्रक्रिया होती है उससे आबंटन होता है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि नये राशन डीलर जो टीएसपी क्षेत्र में नियुक्त करने हैं, उनको क्या विशेष छूट प्रदान कर रहे हैं। टीएसपी क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं और बिखरी हुई आबादी है, मकान दूर-दूर हैं। माननीय मंत्री महोदय को अच्छी तरह से पता है कि पहाड़ियों में अलग-अलग मकान एक-एक, दो-दो किलोमीटर दूर लोग रहते हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय, नये दिशा-निर्देश या नये राशन डीलरों की जब विज्ञप्ति जारी करें तो उसमें कुछ विशेष छूट टीएसपी क्षेत्र में देना चाहते हैं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीडीएस की दुकान खोलने का एक क्राइटेरिया है। 500 राशन कार्ड या 2 हजार यूनिट पर एक नई राशन की दुकान का आबंटन होता है। जो मैंने पूरी प्रक्रिया बताई, उस प्रक्रिया के तहत उसका चयन होता है। सम्माननीय विधायक ने जो बात पूछी है, निश्चित रूप से इनके ट्राइबल एरिया में भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, दूरियां हैं। इनकी आज बात आई है, उस पर सकारात्मक विचार रखते हुए जो विभाग कर सकेगा वह करेंगे।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी अपनी जगह जाइये। श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रश्न काल है तो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह डूंगरपुर से सम्बन्धित है, आप बैठो। आदिवासी एरिये से सम्बन्धित है, इसलिए मैं देवेन्द्र कटारा को बुला रहा हूं।

श्री गोपी चन्द मीणा (आसपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रहा था आपके माध्यम से कि हमारे आसपुर विधान सभा क्षेत्र में...

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि ट्राइबल क्षेत्र में...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, देवेन्द्र कटारा को बुलाया है मैंने।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): देवेन्द्र कटारा बोल रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: बोलिये, बोलिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक प्रावधानों के तहत टीएसपी एक विशेष क्षेत्र है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि ट्राइबल क्षेत्र में जितनी भी उचित मूल्य की दुकानें खोली जा रही हैं उसके लिए विशेष प्रावधान, विशेष दूरी और विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दुकानें खोलने के प्रावधान पर विचार करते हुए निर्णय लिया जाये। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्या इस सम्बन्ध में आप अलग से समिति गठित कर नियम और मापदंड तय करने का प्रयास करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। यह बहुत वैलिड सवाल है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक जो दुकानें आबंटन की प्रक्रिया है, समस्त राजस्थान में एकमुश्त है कि 500 राशन कार्डों पर एक नया पीडीएस सिस्टम खुलेगा।

विधायकों ने जो ट्राइबल एरिया के हैं उन्होंने जो अपनी बात भौगोलिक दूरी की और दूर की रखी है उसके अन्दर अभी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जो सम्भव हो सकता है वह करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा। पूरक प्रश्न अनिता कटारा। ...(व्यवधान)...नाम आया है यहां। पूरक प्रश्न शकुन्तला रावत। पूरक प्रश्न, शकुंतला रावत, आपने बटन दबाया है।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: वह बोल रही हैं, पहले उनको।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या टीएसपी क्षेत्र में डीलरों को स्थाई करने की प्रक्रिया चल रही है?

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 'स्थाई' या 'अस्थाई'? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): स्थाई करने की।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ऐसा है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जितने भी पीडीएस के डीलर होते हैं इनको प्राधिकार पत्र दिया जाता है और यह प्राधिकार पत्र परमानेंट होता है और अब नए नियमों में हमने 60 साल की जरूर उम्र की है लेकिन जो पिछले चल रहे हैं, अगर उनकी कहीं अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं बाकी सतत प्रक्रिया है कि अपने प्राधिकार पत्र के अनुसार अपनी प्रक्रिया को चालू रखे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। शकुन्तला रावत, आदिवासियों की मदद कीजिये इसमें, आदिवासियों का है, डूंगरपुर और चौरासी का है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से पूछना चाहती हूं कि माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें जो राशन डीलर की दुकान पर जितने खाद्य पदार्थ पहुंच रहे हैं उसमें से आधे पहुंच रहे हैं, कहीं तो एकदम से दस क्विंटल कम कर दिया जाता है, कई-कई महीने तो चीनी ही नहीं पहुंचती है और फरवरी माह में लेने जा रहा है आदमी तो उसमें जनवरी की भी एंट्री कर रहे हैं, ऐसी गड़बड़ क्यों हो रही है?

श्री अध्यक्ष: बिराजिये। यह तीसरा हो गया। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भाषण का हिस्सा है। न तो इन्होंने कोई तथ्य बताए हैं, बिराजिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): भाषण का हिस्सा नहीं है आपको प्रूफ दे देंगे।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): दो न।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एंट्री कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा में से आधे नाम काट दिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): भाषण दे रहे हैं, आपके कहने से क्या होता है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जिनके आगे पीछे कोई नहीं है और औरतें विधवा हैं और गरीब हैं उनके नाम काट दिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप बैठ जाओ, मैं बताता हूं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां भी जो भी शिकायत मिलती है पीडीएस डीलर की, उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं, टर्मिनेशन करते हैं, सस्पेंशन करते हैं, माननीय विधायक महोदय को कोई आपत्ति हो तो किसी पर्टिकूलर दुकान का नाम बताएं, किसी व्यक्ति का नाम बताएं, महीने का नाम बताएं, बाद में और कोई जानकारी लेना हो तो चैम्बर में आकर मिल लेना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल, अगला प्रश्न।

पैक्स डवलपमेंट फण्ड से सहकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता

82. **श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश एवं जिला स्तर के बैंकों में पैक्स डवलपमेंट फण्ड में कितनी राशि जमा है?

(2) गत दो वर्षों में सरकार द्वारा इस फण्ड का कहां-कहां उपयोग किया गया?

(3) क्या सरकार इस फण्ड के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से कमजोर सहकारी संस्थाओं को आर्थिक मदद देने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा कितनी सहकारी संस्थाओं को इस फण्ड से आर्थिक सहायता प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री अजय सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) प्रदेश एवं जिला स्तर पर पैक्स डवलपमेंट फण्ड में क्रमशः 727.98 लाख एवं 2763.19 लाख रुपए जमा हैं।

(2) विगत दो वर्षों में इस फण्ड का उपयोग ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम मरम्मत, कम्प्यूटराइजेशन, स्टेशनरी, मिनी बैंक में फर्नीचर, काउन्टर तथा वैद्रनाथन पैकेज में अपात्र रही समितियों की आर्थिक सहायता आदि हेतु किया गया है।

(3) पैक्स डवलपमेंट फण्ड के नियमों की परिधि में आने वाली आर्थिक दृष्टि से कमजोर पैक्स/लैम्प्स को सम्बन्धित बैंक द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।

शीर्ष बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2013-14 में 431, 2014 -15 में 281 तथा चालू वित्तीय वर्ष में 248 सहकारी संस्थाओं यथा पैक्स/लैम्प्स को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि खंड दो में तो आप कह रहे हैं कि विगत दो वर्षों में इस फण्ड का उपयोग ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम मरम्मत, कम्प्यूटराइजेशन, स्टेशनरी, मिनी बैंक में फर्नीचर और काउन्टर के लिए दिया, खण्ड तीन में आप कह रहे हैं पैक्स डवलपमेंट फण्ड के नियमों की परिधि में आने वाली आर्थिक दृष्टि से कमजोर समितियां, मेरा कहना यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी को फर्नीचर देने से वह आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं होती है। राज्य सरकार के पास इस बात की जानकारी है या नहीं कि राजस्थान की कितनी पैक्स सोसायटीज अवसायन में जा रही है? अगर वह अवसायन में, लिक्विडेशन में है तो इस फण्ड का उपयोग उन्हें इससे बाहर निकालने के लिए किन-किन संस्थाओं के लिए किया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कोटा की रिपोर्ट सूचना के अधिकार से ले रहा हूं, 31 मार्च, 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक 129 लाख 51 हजार रुपए कोटा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक में जमा है और लगातार कई वर्षों से यह निल, एक भी सोसायटी को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न करने के लिए मदद नहीं दी जा रही है। वैद्यनाथन समिति ने भारत सरकार से मदद दिलाकर समितियों को आत्मनिर्भर कर दिया और आज यह कोटा जिले की पांच सोसायटीज हैं, कुम्भ

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कोट, अरलई खेड़ा, रूद्र विनायका और इस तरह से पांच हैं। लिक्विडेशन में आ गई, ऐसी कितनी सोसायटी हैं, कमजोर को आर्थिक मदद का प्रोविजन है, आप कह रहे हैं कि हमने उनमें फर्नीचर दे दिया, फर्नीचर से कमजोर सोसायटी आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं होगी और यह फण्ड पड़ा है बीसों सालों से अपेक्स बैंक ने एक रुपया नहीं दिया और सेंट्रल बैंक में इस फण्ड को इसका ब्याज जो आता है उसी को भी ये लेकर बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सवाल ही कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने फण्ड का बताया कि फण्ड का उपयोग ढंग से नहीं किया जा रहा है। कोटा का आपने बताया कि एक करोड़ उनतीस लाख रुपये हमारे सीसीबी कोटा के पास में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह फण्ड दो स्तर पर होता है, एक प्रदेश स्तर पर अपेक्स बैंक के द्वारा और नीचे जो सीसीबी होती हैं उनके द्वारा। यह जो फण्ड है यह उनकी निजी आय का फण्ड है और हमारी जो भी बैंक्स हैं वह एक स्वायत्त यूनिट हैं और वह अपने स्तर पर इसका निर्णय करती हैं कि कहां पर पैसा देना है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि यह पैसा बिलकुल आकस्मिक जहां आवश्यकता होती है वहीं पर खर्च किया जाता है। आपने जो अभी हवाला दिया कि पांच जो समितियां हैं तोरण, बोरखण्डी, मंडावर, न्योताड़ा, राजोपा, इनके प्रस्ताव वहां पर पेंडिंग है काफी समय से 4 लाख 82 हजार के, इससे पहले मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि कोटा में आपके केवल तीन समितियां ऐसी हैं ग्राम सेवा सहकारी समितियां जहां पर कि गोदाम नहीं है और उसमें भी एक इसी बजट में हमने उसकी स्वीकृति दे दी है बोराबास की इनके रामगंज मंडी और हिंगी दो है वह भी भूमि नहीं होने के कारण से हैं। इन्होंने बताया कि ये हानि में चल रही है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कोई भी लैम्प्स या पैक्स अगर हानि में चल रही है तो हम उसको बार-बार हमारा यह प्रयास रहता है कि वह विभिन्न तरह का व्यापार करे और इस तरह से अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करे कि वह लाभ में रहे और इसके लिए आपने यह

(श्री अजय सिंह)

बताया है कि जहां तक 4 लाख 82 हजार रुपए इनके कार्य कराना चाहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यद्यपि वह स्वतंत्र निकाय है फिर भी उसको निर्देशित कर दिया गया है कि एक सप्ताह में इनका सकारात्मक संवेदनशीलता के साथ में निस्तारण कर दे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि पांच सोसायटी लिक्विडेशन में है और हजारों किसान उनसे जुड़े हुए हैं और उनको खाद बीज के लिए दूसरी सोसायटी से अटैच कर दिया और हर बार जितना लोन बांटा जाता है .05 प्रतिशत पैसा इस मद में डाल दिया जाता है केवल इस चालू वित्तीय वर्ष का 25 लाख रुपए इकट्ठा है, क्या सरकार यह तय करने वाली है कि इस पैसे को जो लिक्विडेशन में सोसायटीज है उनको आत्मनिर्भर करने के लिए दे दिया जाए तो कम से कम जो उपभोक्ता, किसान हैं वह तो परेशान नहीं होगा, आपने राजोपा को उठाकर खातोली में जोड़ दिया, खातोली को उठाकर पीपल्दा में जोड़ दिया, वहां जो लोकल किसान के सामने परेशानी हो रही है, केवल मात्र सरकार को नीतिगत निर्णय लेकर डाइरेक्शन देने हैं कि जो लिक्विडेशन में है आर्थिक दृष्टि से सम्बल करने के लिए खड़ा किया जाए, क्या कहना है माननीय मंत्रीजी का?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पांच समितियों के बारे में जो बताया है कि 4 लाख 82 हजार रुपए मांग रहे हैं इसके लिए मैंने आपको बता दिया है, आपको निवेदन कर दिया है कि इसके बारे में उनको कह दिया गया है कि सकारात्मक होकर के कर दें और मैं यह भी आश्वस्त करता हूं इसको इनको करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक, श्री हनुमान बेनीवाल। ...(व्यवधान) हनुमान बेनीवाल, आपने पूरक प्रश्न के लिए बटन दबाया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं दबाया है।

श्री अध्यक्ष: नहीं दबाया है।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): तैयारी करके नहीं आए।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा। (व्यवधान) इधर आया है आपका नाम, बटन दबाया है आपने।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जो क्रय विक्रय सहकारी समिति कोटा के हैं और जो आपके क्रय विक्रय सहकारी समिति से ऋण लेते हैं, रोटेशन से होता यह है कि पांच सौ सदस्यों में से डेढ़ सौ को आप ऋण देते हो और 28-29 मार्च तक उनको डेढ़ सौ सदस्य पैसा जमा कराते हैं और दो-तीन अप्रैल के आस-पास वापस निकालते हैं। क्या आप सभी सदस्यों को ऋण वितरण करने का विचार रखते हैं?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में अप्रैल से हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि हर व्यक्ति जो भी हमारा सदस्य है उस जीएसएस का वह बैंक के अन्दर ब्रांच में खाता खुलवा ले और उसके खाते में ही पैसा डाला जाए और लगातार हम यह प्रयास कर रहे हैं और इस वर्ष भी हमने प्रयास किया और लगभग 2 लाख 73 हजार नए किसानों को हमने यह ब्याज मुक्त ऋण दिया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, चन्द्रकांताजी।

पूरक प्रश्न कर लीजिए चन्द्रकान्ताजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी....

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत आय सीमा के मौजूदा प्रावधान को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री भजनलाल जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर में बंद किए गये स्कूलों को पुनः प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

3. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से खींवसर की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

4. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से सीकर जिले में कृषि

(श्री अध्यक्ष)

कार्यों हेतु नये ट्यूबवैल स्वीकृत नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

1. श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से करसा राजपूत, खखड, चंदाना, ऊठड, परमार, कडेचा, तलादरा, दिया गुल, दषाणा समाज के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने के बावजूद प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित कर दूं कि एक तारीख को जिन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी, प्राप्त हो चुकी है, इस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

1. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के पद पर आर.ए.एस. अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने से नर्सिंग कर्मचारी संगठनों एवं छात्र संगठनों में भारी रोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में बजरी परिवहन पर लगी रोक को हटवाये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्रीमती शकुन्तला रावत, प्रदेश में सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत नर्सिंगकर्मियों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण किए जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री धीरज गुर्जर, म. रणधीर सिंह भीण्डर एवं श्रीमती शकुन्तला रावत को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में खैरवा जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली समस्त सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री कंवर लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में नवीन उप कारागृह भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री गोतम कुमार, सदस्य की ओर से जाखम बांध से पेयजल सप्लाई हेतु बनाई गई योजना को शीघ्र चालू किये जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जालौर जिले में नर्मदा नहर के निर्माण के सम्बन्ध में।

5. श्री मान सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के किसानों द्वारा ट्रैक्टर ट्रोली से अन्य कार्य करने पर लगने वाले टैक्स को कम करने के सम्बन्ध में।

6. श्रीमती कामिनी जिन्दल, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर के राजकीय चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से केन्द्र सरकार द्वारा रेल बजट में किशनगढ़ से परबतसर तक नवीन रेल मार्ग हेतु की गई घोषणा में राज्य की सहभागिता राशि का बजट में प्रावधान करने के सम्बन्ध में।

8. श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में सूखे हुए नलकूपों के स्थान पर नवीन नलकूप खुदवाने के सम्बन्ध में।

9. श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य की ओर से कोटा शहर में कोटा बैराज से 130 एमएलडी पेयजल योजना का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात भी पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री सुशील कटारा, सदस्य की ओर से नर्स ग्रेड द्वितीय एवं एएनएम भर्ती 2013 के पदों को बढ़ाकर नियुक्ति से वंचित रहे अभ्यर्थियों की द्वितीय सूची जारी करने के सम्बन्ध में।

11. श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के बाहर बिना परमिट वाली खड़ी एम्बुलेंसों को सीज करने के सम्बन्ध में।

12. श्री गोरधन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद में सड़कों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 4 मार्च, 2016 को शून्यकाल में बोलने हेतु 51 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें श्लाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री भंवर सिंह भाटी, कोलायत विधान सभा क्षेत्र में विद्युत समस्याओं के सम्बन्ध में।

2. श्री हमीर सिंह भायल, जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

3. श्री रामहेत सिंह यादव, विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़वास के दर्जनों गांवों में ट्यूबवेल सूख जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री रामचन्द्र, चम्बल एवं गागरीन कैचमेंट के कारण सिंचाई परियोजनाओं में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में।

श्री धीरज गुर्जर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां महाविद्यालय का मामला है। दो मिनट का समय स्थगन पर दे दें। दो-दो मिनट का है।

श्री अध्यक्ष: तीन से ज्यादा नहीं। व्यवस्था हो चुकी है। आप आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल देना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह तो मेरा कल हो गया। दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इस विधान सभा में प्रत्येक सदस्य जो भी विषय उठाता है वह विषय महत्वपूर्ण होता है। उसमें कोई कहीं भी किसी तरह की कमी नहीं होती। इस वजह से यह कहना कि मेरा ही महत्वपूर्ण है इसको मैं नहीं मानता हूं और जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था के हिसाब से चलूंगा। आज तीन मिनट बोलने का अधिकार दिया है। श्री धीरज गुर्जर। (व्यवधान) हनुमान बेनीवाल जो बोले अंकित नहीं हो।

(श्री अध्यक्ष)

हनुमानजी बेनीवाल जो बोले एक भी शब्द अंकित न हो। श्री धीरज गुर्जर। बोलिए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के रजिस्ट्रार पद पर आरएएस अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में की गयी गंभीर अनियमितता की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें आल इण्डिया नर्सिंग कौंसिल के स्पष्ट आदेश और निर्देशों की अवहेलना करके राजस्थान में रजिस्ट्रार, नर्सिंग कौंसिल जो केवल नर्सिंगकर्मी ही लग सकता है, उसकी अवहेलना करके, धज्जियां उड़ाकर राजस्थान सरकार ने, इनके अधिकारियों ने एक आरएएस अधिकारी को इसका चार्ज दिया है जो कि एक गंभीर अनियमितता है। इनके द्वारा इस गंभीर चूक के कारण आज राजस्थान में एसएमएस के बाहर सैकड़ों नर्सिंगकर्मी आंदोलन कर रहे हैं और यह कैसा न्याय है कि जब आल इण्डिया की नर्सिंग कौंसिल यह कहती है कि जो नर्सिंगकर्मी होगा और प्रदेश में 3 लाख नर्सिंगकर्मी हैं। क्या इस सरकार को 3 लाख नर्सिंगकर्मियों में एक भी नर्सिंगकर्मी ऐसा नहीं मिला जिसको रजिस्ट्रार का चार्ज दे सकें। लेकिन इस सरकार ने अपनी बदनीयति के कारण, अधिकारियों ने सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए ऐसा गलत निर्णय किया है जिसके कारण राजस्थान में एएनएम और जीएनएम की परीक्षाएं भी निरस्त करनी पड़ीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान नर्सिंग कौंसिल 1964 से प्रदेश में संचालित है। इसका कार्य प्रदेश के नर्सिंगकर्मियों के रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग की एएनएम, जीएनएम संस्थाओं की परीक्षा, परिणाम और प्रदेश में कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रों में नर्सिंगकर्मियों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करना है। आरएनसी के गठन से ही इसके रजिस्ट्रार पद पर नर्सिंगकर्मी को ही अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता रहा है। पहली बार इस पद पर आरएएस अधिकारी को कार्यभार दिया गया है। इस बात को लेकर प्रदेश के नर्सिंग कर्मचारी संगठनों एवं छात्र संगठनों में भारी रोष है, प्रदेश में आक्रोश फैला हुआ है और आज 4 मार्च को पहले से चेतावनी देकर सैकड़ों छात्र एसएमएस के बाहर अपना आंदोलन कर रहे हैं। मैं मंत्रीजी से यह भी पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्षः अब आप पढ़ लीजिए। ध्यान खींच लिया आपने। तीन मिनट हो चुके हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आरएनसी के अन्तर्गत कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, कौन-कौनसे कैडर के हैं, आरएनसी के क्या-क्या काम होते हैं और इनके कर्मचारियों का संधारण किसके द्वारा किया जाता है? क्या सरकार एमसीआई, डीएसआई, फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया, आईएनसी द्वारा जारी निर्देशों की पालना करती है या नहीं करती है? फिर रजिस्ट्रार की नियुक्ति किन नियमों के तहत की गयी है? इसके अन्दर जो दोषी अधिकारी है, जिसने गलत आदेश निकाला उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है।

श्री अध्यक्षः एक मिनट, एक मिनट। शकुन्तला जी रावत का भी इसी सम्बन्ध में है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे भी अपनी बात कह दें, फिर आप जवाब दे देना। शकुन्तला जी रावत।

प्रदेश में सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव। प्रदेश में राजस्थान नर्सिंग कौंसिल सन् 1964 से संचालित है। इसका कार्य प्रदेश के नर्सिंगकर्मियों के रजिस्ट्रेशन एवं नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम संस्थाओं की परीक्षा एवं परिणाम के कार्य, प्रदेश में कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत नर्सिंगकर्मियों के रजिस्ट्रेशनों का नवीनीकरण करना होता है। आरएनसी के गठन से ही इसके रजिस्ट्रार पद पर नर्सिंगकर्मी को ही अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है। पहली बार प्रदेश में इस तरह का हुआ है कि आरएएस अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

इस बात को लेकर प्रदेश के नर्सिंगकर्मियों, संगठनों और छात्र संगठनों में भारी रोष है। प्रदेश भर में आक्रोश है जिससे प्रदेश की चिकित्सा सेवाएं बाधित हो सकती हैं। राजस्थान मेडिकल कौन्सिल, राजस्थान फार्मेसी कौन्सिल, आयुर्वेदिक कौन्सिल आदि में भी इन क्षेत्रों के अनुभवी व्यक्तियों को ही रजिस्ट्रार पद पर लगाया जाता है। भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली के भी प्रदेश की कौन्सिलों में नर्सिंगकर्मियों को ही रजिस्ट्रार लगाने के निर्देश दिये गये हैं। राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल को ही कौन्सिल में रजिस्ट्रार, अन्य कर्मियों, कार्मिकों की नियुक्ति का अधिकार है। इसलिए सदन में बताएं कि कौन्सिल में

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति रजिस्ट्रार पद पर किस नियम और किस धारा के तहत की गई है?

अतः यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, कृपया सदन की कार्यवाही स्थगित करके इसमें बताने का कष्ट करें। अगर आईएनसी के दिशा-निर्देश पर आरएनसी नहीं चलती है और नर्सेज के रजिस्ट्रेशन पर आरएएस अधिकारी के हस्ताक्षर हुए हैं तो वो किस नियम के तहत हुए हैं? छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके लिए कौन दोषी है? राजस्थान में आरएएस को आरएनसी लगाने के विरोध में पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, इसमें परेशानी हो रही है इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल एक्ट बना 1964 में और यह नर्सिंग कौन्सिल, इण्डियन नर्सिंग कौन्सिल एक्ट, 1947 के तहत संचालित होती है। इण्डियन नर्सिंग कौन्सिल, यह रेगुलेटरी बाडी है अध्यक्ष महोदय। इसी 29 जनवरी को जो रजिस्ट्रार, नर्सिंग कौन्सिल थीं मैडम विमलेश फैड्रिक, ये सेवानिवृत्त हुईं तो तदर्थ रूप से एक आरएएस अधिकारी शाहीन अली को एक बार चार्ज दिया गया है। अभी जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि नर्सिंग कौन्सिल क्या करता है। अध्यक्ष महोदय, नर्सिंग कौन्सिल का काम है एएनएम, जीएनएम और निजी संस्थाओं के अन्दर परीक्षा करवाना, डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट जारी करना और इनको मान्यता प्रदान करना। राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल के अन्तर्गत राजस्थान में 2 लाख 44 हजार अलग अलग नर्सिंगकर्मी रजिस्टर्ड हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया भी बनी हुई है, डीसीआई और फार्मेसी कौन्सिल भी बनी हुई है और इनके सबके एक्ट और रैगुलेटरी बाडी है। नर्सिंग कौन्सिल आफ इण्डिया ने 26.2.2000 को दिशा-निर्देश दिये थे जिसके अन्दर उन्होंने यह निर्धारित किया था कि रजिस्ट्रार के पद के लिए हमारे यहां जो राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल में रजिस्ट्रार का पद है उसके लिए जो अनुभव और योग्यता है उस योग्यता के अनुसार एमसीआई, राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल के साथ-साथ इनके पास पी.जी. की डिग्री होनी चाहिए और 10 साल का इनका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर पूरे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान में और जयपुर में आज भी इसके लिए कुछ नर्सिंगकर्मी आंदोलनरत हैं पर कतई इस सरकार का इरादा नहीं है कि हम किसी आरएएस अधिकारी को इसमें लगायें। तदर्थ रूप से हमने लगाया है और हम इन्हीं 15 दिन में नर्सिंग कौन्सिल के अन्तर्गत जो वरिष्ठतम हमारे योग्यताधारी नर्सिंगकर्मी होंगे उनका पैनल बनाकर उन्हीं में से किसी को तय करके रजिस्ट्रार लगायेंगे और इसमें सरकार का कतई इरादा नहीं है। इनके रजिस्ट्रेशन के और अन्य सब काम पैण्डिंग थे इसलिए तदर्थ रूप से एक बार आरएएस अधिकारी को लगाया है और निश्चित तौर पर जल्दी ही नर्सिंगकर्मी को इसमें लगायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं वो अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: वो आ गया, जवाब आ गया। श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। मैंने रणधीर सिंहजी को पुकारा है। अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, सवाल वो नहीं है, मैं व्यवस्था से चल रहा हूं। अंकित नहीं हो। श्री रणधीर सिंह भीण्डर। नहीं, बिलकुल नहीं। आप प्रक्रिया के अधीन आइये।

उदयपुर जिले में बजरी खनन पर रोक

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले की गोमती, झामरी और रूपारेल नदियों से सदियों से बजरी परिवहन होता आया है। इस बजरी के कार्य में कई छोटे-मोटे ट्रांसपोर्टर, कई मजदूर, कई कारीगर लगे हुए हैं और यह बजरी परिवहन कई सालों से हो रहा है लेकिन बीच में कुछ राज्यों में बजरी की कमी होने के कारण वहां से बजरी परिवहन अन्य राज्यों में होने लगा जिससे खनन माफिया भी वहां पर आकर एक्टिव हो गया और बड़ी-बड़ी मशीनें और बजरी लोड करने के अन्य सामान सहित आकर वहां से अन्य राज्यों में परिवहन किया जाने लगा। इससे वहां के लोगों

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

ने सोचा कि बजरी यहां समाप्त हो जाएगी इसलिए कुछ लोग हाई कोर्ट में गये और उन खनन माफियाओं पर रोक लगी। लेकिन उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर रोक लगा दी। केवल उदयपुर जिले पर बजरी परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है जिससे बजरी परिवहन बिल्कुल खतम-सा हो गया है। अगर कोई बजरी परिवहन ट्रक से करता है तो दो लाख रुपये का जुर्माना उसे भरना पड़ता है, ट्रैक्टर से करता है तो 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। हम लोग यह मानते हैं कि खनन माफिया पर जो रोक लगी है वो स्वागत योग्य है लेकिन अब आज उदयपुर जिले में सम्पूर्ण निर्माण के काम रुक गये हैं क्योंकि बजरी आना बिल्कुल बन्द हो गई है। जो छोटे-मोटे ट्रांसपोर्टर वहां पर लगे हुए थे उनके वाहन बिक गये हैं या बैंक वाले उनको जब्त करके ले गये हैं और कारीगर व मजदूर हैंड टू माउथ हो गये हैं। ऐसे में बजरी परिवहन अगर नहीं होगा तो अन्य जगहों से लाना पड़ रहा है और जो 1000-1200 रुपये में बजरी का ट्रैक्टर मिलता था वो आज साढ़े चार हजार, पांच हजार में मिल रहा है जिससे निर्माण भी महंगे होते जा रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह जो एनजीटी में बैन लगा हुआ है उसमें अच्छी तरह से पैरवी करें और पैरवी करके इस बैन को हटवायें और फिर वहां पर भी ठेका दिया जाए ताकि रायल्टी देकर के वहां से कोई भी बजरी ले जा सके लेकिन रोक पूरी लगी हुई है इसलिए वहां पर सभी निर्माण कार्य रुक गये हैं। इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कोई रेस्पोंड करेंगे? चलो नहीं। 295 के अन्तर्गत सूचनाएं। श्री ललित कुमार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि आज चूंकि 4 बजे सदन की नेता का रिप्लाई होना है तो अगर ये 295 के प्रस्ताव पढ़े हुए मान लिये जाएं तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। कई माननीय सदस्य जो अभिभाषण पर बोलना चाहेंगे उनको इससे अवसर मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: अगर सदन की यही राय है तो मुझे क्या एतराज है। 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गयीं।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

(श्री अध्यक्ष)

मैं इसके साथ यह भी निवेदन कर दूं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप कितना समय लेंगे? नहीं-नहीं आपका भाषण होगा न। मैं ठीक चार बजे मुख्य मंत्री वसुंधरा जी को, क्योंकि यह कार्य सलाहकार समिति में निर्णय हुआ था कि वो चार बजे भाषण देंगी तो चार बजे उनका भाषण चालू हो जाएगा और इसके पहले आप बोलेंगे। आप चाहे एक घंटा बोलना चाहें तो तीन बजे आप बोलना चालू कर दीजिये। उस समय चाहे कोई सूची हो, आपकी हो या आपकी हो, मैं उस सूची को समाप्त कर दूंगा। तो तीन बजे प्रतिपक्ष के नेता का भाषण होगा और उसके पहले जो भी सूची आई है उसमें से बोलेंगे और जो रह गये वो रह गये, जरूरी नहीं है कि सब बोलें। इसलिए तीन बजे प्रतिपक्ष के नेता का भाषण होगा, चार बजे माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण होगा। यह मैं आपकी सबकी सूचना के लिए निवेदन कर रहा हूं। पर्ची के माध्यम से, श्री भंवर सिंह भाटी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

कोलायत में व्याप्त विद्युत समस्या

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत और बीकानेर जिले की समस्याओं से सम्बन्धित ऊर्जा मंत्री के सामने कुछ सवाल और समस्याएं रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, सुराज संकल्प पत्र, 2013 को प्रकाशित हुए आज ढाई साल हो गये। उसमें राजस्थान के किसानों से यह वायदा किया गया था कि 2013 तक के जो बूंद-बूंद श्रेणी के कनेक्शन हैं, जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा दिये गये हैं उन सभी बूंद-बूंद श्रेणी के कनेक्शनों को हम सामान्य श्रेणी में तब्दील कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बूंद-बूंद श्रेणी का कनेक्शन, जिसमें किसान को प्रतिमाह 12 से 15 हजार रुपये का बिल भरना पड़ता है और किसान की हालत ओलावृष्टि से, महंगाई से, फसलों के भाव नहीं मिलने की वजह से खराब होती जा रही है तो क्या मंत्री महोदय सुराज संकल्प पत्र के अनुसार किसानों से किये गये इस सबसे बड़े वायदे को निभाना चाहते हैं? क्या इस बजट में बूंद -बूंद सिंचाई योजना के तहत दिये गये कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में तब्दील करने का विचार रखते हैं?

अध्यक्ष महोदय, एक ओर निवेदन करना चाहूंगा कि 2013 में ढाणियों

(श्री भंवरसिंह)

में रहने वाले राजस्थान के जो लोग हैं उनको घरेलू कनेक्शन देने के लिए मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना के फार्म भराये गये। मेरे जिले और मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी 10 हजार से ज्यादा आवेदन ढाणियों में रहने वाले लोगों के आज ढाई साल बाद भी लम्बित पड़े हैं, वो कार्यालयों में धूल फांक रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई इस योजना में पांच के समूह में जिन लोगों ने ढाणियों के कनेक्शन के लिए आवेदन किये थे...

उन आवेदकों को सरकार आज तक क्यों नहीं कनेक्शन दे रही है? इसका स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा और यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार इन लोगों को, ढाणियों में रहने वाले किसानों को, आम परिवार को बिजली देने का, उनके बच्चों को रोशनी प्राप्त करने का अधिकार देना चाहती है?

इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नहर आने की वजह से नहर के आसपास के क्षेत्र में लम्बे समय से सेम की समस्या हो गई है और वहां भूमिगत पानी काफी ऊपर आ गया है। हमारी यह मांग रहेगी कि जो नहरी क्षेत्र के किसान हैं, वह अपने खेत में रहते हैं। उन्होंने घरेलू कनेक्शन ले रखा है और जल स्तर चूंकि इतना ऊपर है आठ से दस फीट, कि वह घरेलू कनेक्शन से दो से तीन एचपी की मोटर चला सकते हैं जिससे किसान अपनी खेती भी कर सकते हैं। क्या सरकार किसानों को...

श्री अध्यक्षः ये देखिये, आपका विद्युत तक था लेकिन एक विषय आपने और ले लिया है, मैंने एतराज नहीं किया। अब तीसरा विषय नहीं लिया जाएगा।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक-दो पाइंट मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः हां, दो मिनट। हां, दो मिनट।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मार्च के महीने में किसानों के ट्रांसमीटर उतारे जा रहे हैं। लोगों को आठ घंटे घरेलू बिजली दी जा रही है अध्यक्ष महोदय, सिर्फ आठ घंटे। 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था लेकिन हमारे बज्जू क्षेत्र में, कोलायत क्षेत्र में सुबह चार घंटे, शाम को चार घंटे। घरेलू उपभोक्ताओं को क्या 24 घंटे बिजली लेने का अधिकार नहीं है अध्यक्ष महोदय? सिर्फ आठ घंटे बिजली दी जा रही है।

(श्री भंवरसिंह)

अध्यक्ष महोदय, एक मुख्य मुद्दा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान की सरकार और ऊर्जा मंत्रीजी ने एक ऐसा आदेश निकाला है प्रतिभूति राशि जमा कराने का, जिसमें जनवरी, 2015 में बीकानेर जिले में प्रतिभूति राशि सिक्योरिटी के मांग-पत्र आम उपभोक्ता और किसानों के घर भेजे गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ मांग-पत्र मेरे साथ लेकर आया हूं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा निकाले गये हैं जो 11.1.2016 को बीकानेर एईएन, कोलायत एईएन के द्वारा निकाले गये हैं और उसमें जो प्रतिभूति राशि लिखी गई है, उसमें एक में 18,514/- है, दूसरे मांग-पत्र में 1,49,697/- है, तीसरा एक मांग-पत्र मैं लेकर आया हूं, जिसमें बिल के अतिरिक्त 1,94,000/- की प्रतिभूति राशि जमा कराने का कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का समय और लूंगा। इसमें इन्होंने लिखा है...

श्री अध्यक्ष: आप दो-दो मिनट करके, कितना ले लेंगे? आप पहले ही समय ले चुके हैं। अच्छा, एक मिनट।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, यह लास्ट पाइंट है। इस नोटिस में लिखा गया है कि "उक्त जमा प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी डिपोजिट) पर प्रचलित बैंक दर से 9 परसेंट वार्षिक की दर से आपको ब्याज भी प्राप्त होगा। अत: आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस में वर्णित तिथि को निम्न प्रतिभूति राशि इस कार्यालय में जमा करायें अन्यथा आपका विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जायेगा।" अध्यक्ष महोदय, चार साल पहले जब इस किसान ने कृषि कनेक्शन लिया था तो उसने 24,000/- सिक्योरिटी डिपोजिट जमा की थी। चार साल तक वह लगातार बिल भरता रहा और आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि चार साल के बाद में उस रैगुलर बिल के अलावा 1,94,000/- का सिक्योरिटी डिपोजिट जमा कराने का नोटिस भेज दिया गया? अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार किसानों से पैसा लेकर, किसानों को उस पैसे पर नौ परसेंट ब्याज देने की बात करके, किसानों से बिजली कम्पनियों का घाटा पूरा करना चाहती है? अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का किसान, बीकानेर जिले का किसान यह सिक्योरिटी डिपोजिट कभी नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष: बिराजिये। बिराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिए कि इस

(श्री भंवरसिंह)

प्रकार के आदेश को वापस लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जवाब चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: वह चाहेंगे तो देंगे। मैं कम्पेल नहीं कर सकता। मंत्री महोदय आप जवाब दे रहे हैं? यस, रेस्पोंड कर रहे हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से 12 सवाल हमारे सामने रखे हैं। एक तो इन्होंने बूंद-बूंद योजना को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए कहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि बूंद-बूंद योजना एक स्पेशल केटेगिरी योजना है जहां किसान आज फाइल लगाता है तो उसको आउट आफ कंसीडरेशन...

श्री अध्यक्ष: आपसी चर्चा नहीं करें। आपसी चर्चा नहीं। भिण्डा साहब, अपनी सीट पर जाइये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ...आउट आफ प्रायोरिटी उसको कनेक्शन मिलता है और उसकी पूरी सामग्री का खर्चा भी वह स्वयं खुद डिमांड नोटिस के माध्यम से भरता है और सामान्य श्रेणी में जहां 90 पैसे की विद्युत दर है, वह 2.10 रुपये में इसकी विद्युत दर है। निश्चित रूप से जिस दिन इसकी जनरल केटेगिरी की फाइल आती है। जैसे अगर आपने 2014 में फाइल भरी है स्पेशल केटेगिरी में, जिस दिन जनरल केटेगिरी की फाइल 2014 की जब आएगी, तभी वह कनेक्शन आपका सामान्य होता है। फिर भी आपने जो बात कही कि यह बीजेपी के घोषणा-पत्र में है। यह सरकार में अभी भी विचाराधीन है। निश्चित रूप से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में आपकी भावनाओं के अनुरूप हम यह काम करेंगे।

दूसरी बात, इन्होंने यह कहा है कि मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना के तहत इनकी कोलायत विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी फाइल हैं, जिसमें इस योजना के तहत 5-5 के ग्रुप में हमने फाइल भरी थीं, उसको हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना के तहत सम्मिलित कर दी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे पास 2,819 करोड़ रुपये पूरे राजस्थान में हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना के तहत जो स्वीकृत हुए हैं, उसको इसमें पांच के ग्रुप को मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना के तहत हमने सम्मिलित कर दिया है। जब भी इसका टेण्डर प्रोसेस खतम हो जाएगा, बहुत जल्दी ही कनेक्शन आपको जारी हो जायेंगे।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मंत्री महोदय, डीपीआर में शामिल नहीं की गई स्थानीय अधिकारियों के द्वारा वहां पर। आप उनको निर्देशित करायें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितनी भी फाइलें हैं...

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, आप इनका जवाब सुनिये। जवाब सुनिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): जितनी भी फाइलें हैं, उन पांच के ग्रुप में मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना के तहत जो आपकी फाइलें जमा थीं, जिनमें दो रुपये की रसीद कटी है, जिसका डिमांड नोट जमा कराया है, उन सभी फाइलों को हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए सम्मिलित किया है।

मैं माननीय विधायक महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसका क्राइटेरिया पढ़ लें कि 2003 में जो 100 से कम वाली आइडेंटिफाइड ढाणियां हैं, जो चयनित ढाणियां हैं, उन्हीं को हम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना से जोड़ेंगे। आप अगर चाहो कि हम कहीं भी पांच के ग्रुप में बैठे हैं जो आइडेंटीफाइड ढाणी नहीं है, 2003 के ग्रुप में आइडेंटीफाइड ढाणी है, इसके नियम आप पढ़ें। मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना जो आपके कार्यकाल में थी, हमारे कार्यकाल में भी यह योजना लाई गई थी और आपने जाते-जाते अपने कार्यकाल में यह योजना स्वीकृत की थी। उसकी आप गाइडलाइन्स पढ़ लें। उसमें यह लिखा हुआ है कि 2003 की जो आइडेंटीफाइड ढाणियां हैं, जो 100 से कम आबादी वाली ढाणियां हैं, उन्हीं को हमको जोड़ना है। उसके तहत जो भी पांच के ग्रुप में फाइल सब्मिट हैं, जिसके डिमांड नोट जमा है, उसको हम इसमें सम्मिलित करेंगे।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): छूट दी गई थी मंत्री महोदय। आप नहीं जोड़ना चाहें तो अलग बात है। 2008 से 2013 में आइडेंटीफाइड ढाणियों के अलावा जो ढाणियां थीं, उनको छूट दी गई है। आपको शायद गलत जानकारी दी गई है मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये। आपको जवाब मिल रहा है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, आप विराजिये। ये बार-बार डिस्टर्ब करते हैं। अब जवाब देने की जरूरत नहीं है। श्री हमीरसिंह भायल।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) यह नहीं हो सकता। नहीं बैठिये आप। जब जवाब आ रहा था तो आप बार-बार-बार...,

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, प्लीज।

श्री अध्यक्ष: नो-नो। नो प्लीज। बैठिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे पर जवाब दें अध्यक्ष महोदय, प्लीज।

श्री अध्यक्ष: डिस्टर्ब आपने किया है, इसलिए जवाब नहीं मिलेगा। हां भायल साहब। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सरकार की भावना तो पता चलनी चाहिए अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। हां, आप बोलिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

जंगली जानवरों से किसानों के नुकसान की रोकथाम

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जंगली जानवर और आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसलों में हो रहे नुकसान को रोकने के लिए स्थाई समाधान हेतु मेरा निवेदन है कि जंगली जानवर, रोजड़ा, सूअर, आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसलों में इतना आतंक हो गया है कि किसानों को मजबूर होकर खेती बंद करनी पड़ रही है जिससे बेरोजगारी की समस्या पैदा होती जा रही है। इसके लिए किसानों द्वारा खेतों की सुरक्षा के लिए तारबंदी हेतु सरकार से अनुदान की मांग की जाती है। यह जरूरी है कि किसानों को अनुदान देना चाहिए। यह घोषणा-पत्र में भी था लेकिन तारबंदी इस समस्या का समाधान नहीं है। कालान्तर में तारबंदी खुर्द-बुर्द होती रहेगी। बार-बार पुनः अनुदान की आवश्यकता भी रहेगी। माननीय अध्यक्षजी, इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु हमारे गोचर भूमि, ओरण भूमि, सम्पूर्ण विकास किया जाये तो निश्चित रूप से इस समस्या का स्थाई समाधान हो सकता है।

इस हेतु मेरा सुझाव यह रहेगा कि लगभग पूरे राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में चरागाह भूमि उपलब्ध है। इन चरागाह भूमि में अंग्रेज़ी बबूल के

(श्री हमीरसिंह भायल)

अत्यधिक उग जाने के कारण सम्पूर्ण भूमि में स्थानीय वनस्पति, पोषित घास, सेवण, धामण इत्यादि पूर्णतया नष्ट हो गए हैं। इस कारण भूमि की उर्वरक शक्ति पूर्णतया समाप्त होकर बेकार होती जा रही है। जिससे चरागाह भूमि में न तो हमारे पशु चर पाते हैं और न ही जंगली जानवर रोजड़ा, सूअर इसके कारण सभी अपना पेट भरने के लिए किसानों के खेतों में भारी तबाही मचा रहे हैं। इनमें अंग्रेज़ी बबूल को जड़ मूल से नष्ट कर गो-चर चारागाह भूमि में स्थानीय वनस्पति पोषक घास उगाने की योजना नरेगा के तहत बनाई जाए तो एक स्थाई परिसम्पत्ति बन जाएगी। इसके लिए जन जाग्रति पैदा कर इसको अभियान के रूप में पूरे राजस्थान में चलाया जाए जिससे आवारा पशु, जंगली जानवर, रोजड़े, सूअर इत्यादि का स्थाई निवास ही चरागाह ओरण में रहेगा। जिससे किसानों की फ़सलें नष्ट नहीं हो इसका स्थाई समाधान हो सकेगा।

मेरा माननीय कृषि मंत्रीजी, आदरणीया मुख्य मंत्री महोदया से, पंचायती राज मंत्री से अनुरोध रहेगा कि राजस्थान में ओरण के साथ चरागाह को जोड़ते हुए ओरण-चरागाह विकास बोर्ड का गठन किया जाए एवं आवारा बछड़ों, बैलों के लिए पशु अभयारण्य प्रत्येक जिले में बनाया जाए। सभी जिलों में चरागाह भूमि उपलब्ध है तथा आवारा पशुओं से प्राप्त गो-मूत्र, गोबर से दवाइयां, गोबर गैस, जैविक खाद बनाकर बिक्री भी की जा सके और गौ-शालाएं आत्मनिर्भर भी हो सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का जो एरिया है भाखल्ड़ा एरिया कहलाता है जिसमें पहाड़ियां ही पहाड़िया स्थित हैं। इसमें किसानों की उपजाऊ जमीन छोटे-मोटे पहाड़ियों से नाले में जो बरसात, बाड़मेर जिले में औसतन पूरे राजस्थान में सबसे कम होती है और थोड़ी बहुत बारिश भी होती है तो वह पहाड़ियों से पानी उतरकर किसानों की जमीन को नष्ट करता हुआ छोटे-मोटे नदी नालों में बह जाता है। मेरा कृषि मंत्री से निवेदन रहेगा कि पूरे विधान सभा क्षेत्र में अरावली के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें छोटे मोटे चेक-डैम बनाने की आवश्यकता रहेगी। इसकी डीपीआर बनाकर पूरे क्षेत्र का जल संसाधन विभाग द्वारा सर्वे करवाकर गुढ़ानाल, सिणेर, धारणा, कांकी, कुण्डल, सेलाधीरा, भागवा, मौकलसर, देवंदी दंताला, देवड़ा मैली, गोयणा भाकर आदि क्षेत्रों में बांध एनीकट बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही पुराने बांधों की मरम्मत जैसे मैली बांध, नानारी बांध, गुढा डायवर्जन की ऊंचाई कम करना आदि काम जल संसाधन विभाग से किए जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): मेरा निवेदन है कि इस बजट में भी राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने हर जिलेवार जन प्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ में बैठक करके राजस्थान की विकास की गति को आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूज हो गया है इधर में पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री हैं...

श्री अध्यक्ष: आपका ध्यान इधर रहना चाहिए विधान सभा में जब हैं, इनके चक्कर में मत आइए, देखिए।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): यह मेरे पास गया प्रश्न। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य की चिंता बहुत सही है। तीन तरह से जीवनयापन होता है कृषि से, व्यापार से और सर्विस से। कृषि को सबसे श्रेष्ठ जीवनयापन के लिए माना गया है।

श्री अध्यक्ष: आजकल नहीं रही है।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): मैं खुद किसान हूं। मैं जानता हूं, मेरी मां की जिस दिन मृत्यु हुई उसके पहले दिन वह खेत पर जाकर आई। मैं डेली जाता था और शारदीय नवरात्रा एक बार मैंने खेत में किया था। तब मैंने देखा रात-भर आवाज़ें आ रही थीं मैंने बाहर निकलकर देखा कि क्या कारण है, तो किसान बैटरियां लिए रात भर पहरा दे रहे थे। चार महीने हम लोगों की जो मानसून की फसल होती है इतना बड़ा नुकसान वो लोग करते हैं। कहते हैं कि हरी खेती जब तक आ नहीं जाए घर तब तक उसका विश्वास नहीं किया जाता है। ये जो पशु हैं इसको पशुधन भी कहते हैं, ये किसानों के मित्र भी हैं और किसानों के दुश्मन भी हैं। यह आदिकाल से ही जो समस्या है वह चली आ रही है। अब हम लोग इसके लिए गांवों के अन्दर में तीन-तीन, चार-चार ग्राम मिलकर एक बाड़ा बनाते हैं और उस बाड़ा बनाकर चंदा कर उसके अन्दर ग्वाले रखते हैं। रात को तो वे गायों को, बछड़ों को इन सबको उन बाड़ों में रखते हैं और सुबह उसको गो-चर में, चारागाह में चराकर लाते हैं इस तरह की व्यवस्था वहां चल रही है। अभी सम्माननीय सदस्य ने रोजड़ों की, जंगली सूअरों की बात भी बताई तो उसके लिए अभी जो नरेगा के

(श्री राज कुमार रिणवां)

अन्दर योजना आई है इंडिविजुअल किसानों के लिए उन्होंने फैंसिंग, बाड़ और खाई कराने की व्यवस्था को भी उसके अन्दर जोड़ा गया है। इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और जो सबसे बड़ी बात सम्माननीय सदस्य ने की है और यह हमारी भी बराबर मांग चलती आ रही है कि यह जो गौ-चर और चरागाह हर जगह है उसका सदुपयोग नहीं होगा तब तक यह जंगली जानवरों, आवारा जानवरों की जो समस्या है वह मिटेगी नहीं। उसके लिए हमने हमारी सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया कि आप चारागाह के अन्दर सेवण घास लगाने का आदेश दीजिए तो उन्होंने आदेश दिए कि जितना जल्दी शुरू कर सके इसको करो। वन मंत्रालय मेरे पास होने से सम्माननीय केन्द्रीय प्रकाश जी जावड़ेकर साहब के पास मैं दो बार व्यक्तिगत मिलकर आया हूं। दो तीन बार मैंने निवेदन भी उनसे किया है कि यह जो फोरेस्ट की जमीन है इस पर भी यदि हम कुछ पेड़ लगायें और सेवण घास और अदर घास लगाएं तो इन सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन भी दिया है तो निश्चित रूप से वन का उनका जब भी आदेश आएगा घास लगाने का, उस समय शुरू करेंगे। परन्तु यह गोचर का जो चरागाह की भूमि है उसमें सेवण घास लगाने का काम जल्दी से जल्दी शुरू होने वाला है, वह शुरू हो जाएगा। उसके बाद में एक बहुत बड़ा नियंत्रण हम उन पर कर सकेंगे यही हमारा निवेदन है। बाकी फैंसिंग हैं, खाई है वह किसानों के द्वारा नरेगा के अन्दर व्यक्तिगत में तीन लाख का जो निर्णय लिया है वह बढ़ि रहेगा।

श्री अध्यक्ष: नसबंदी का भी तो कोई प्रस्ताव है, नसबंदी का भी कोई प्रस्ताव है इस बारे में आपने दिल्ली भेज रखा है।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): ऐसा सम्भव नहीं है।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन था कि जैसे चरागाह से लगाकर वन विभाग में भी बबूल एक ऐसी चीज है उसको जड़ से नहीं निकालेंगे तो घास भी नहीं उगेगा।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा, माननीय सदस्य ने कहा, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्दर बीपीएल, लघु और सीमांत काश्तकार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति और

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

सरकारी जमीन चाहे चरागाह हो, सिवाय चक हो, चाहे वन क्षेत्र हो, चाहे विकलांग कुटुम्ब वाले परिवार हैं, भूमि सुधार के फायदा के हो, इंदिरा आवास योजना के अधीन फायदाकारी हैं उन सबके लिए मतलब खाई फैंसिंग करने का, थोर फैंसिंग करने का, ड्राईंग स्ट्रांग वाल फैंसिंग करने का इस नरेगा में प्रावधान है। इसलिए आप लोग जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए इस प्रकार की फैंसिंग करवा सकते हो, उसके लिए हमने व्यक्तिगत लाभ में तीन लाख रुपये तक देने का प्रावधान किया है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय मंत्रीजी, बीपीएल और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग तो शामिल हो गए लेकिन सामान्य श्रेणी के लोग वंचित हैं इसमें, उसको शामिल करने का प्रयास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव, आप बोलिए।

किशनगढ़ बास के दर्जनों गांवों में सूखे ट्यूबवैल

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर जिला एनसीआर में आता है लेकिन पीने के पानी की जो दिक्कत है वह भयावह स्थिति है। कांग्रेस का राज पांच साल तक चला, हमको चम्बल से पानी लाने का आश्वासन पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री देते रहे। आज तक चम्बल का पानी एक बूंद भी अलवर जिले को नहीं मिला है। बरसों से हमारी मांग रही है कि यमुना में हमारा हिस्सा है। राजस्थान की सरकार और हरियाणा के बीच में समझौता नहीं हो पाया, यमुना का पानी भी हमको नहीं मिला और गत पांच साल में जो कांग्रेस का राज रहा उसने पीने की पानी की जो योजना बनाई उस पर सही ढंग से तकनीकी रूप से उसका परीक्षण नहीं किया। जहां पर भी बोरिंग कराए या पेयजल योजना जो की, उसमें या तो टंकी नहीं बनाई या जो बोरिंग सैंक्शन किए, वह कम किए।

मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि जहां एनसीआर से 2013 में पेयजल के 278 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए जिसका आज तक भी काम प्रारम्भ नहीं हुआ और उसमें भी मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की खैरथल नगरपालिका जो अरबन एरिया के लिए थी उसको भी छोड़ा गया और यही नहीं उसके बाद जब मैंने राजस्थान की विधान सभा में रखा तो मेरे यहां पर घासौली, बंबोरा आदि दो-तीन जगह जो चार हजार से ज्यादा की आबादी के गांव थे वहां पर पेयजल योजना बनाई। पेयजल योजना तो बनाई लेकिन

(श्री रामहेत सिंह यादव)

उसमें घासौली में 5 बोरिंग सैंक्शन किये जिनमें से 2 बोरिंग ड्राई हो गये। इसी तरह से बंबोरा में भी 3 बोरिंग में 2 बोरिंग ड्राई हो गये। इसी तरह से बहरमपुर में 2 में से 1 बोरिंग ड्राई हो गया। इसी तरह से मोटूका में और उसके कारण आज मेरे क्षेत्र की ऐसी हालत है कि पीने के पानी की दिक्कत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 350 हैंडपम्प जो ड्राई हो गये, सूख गये, अबडंड हो गये और यही नहीं पंचायत समिति किशनगढ़ बास में जो सिंगल फेस के 19 बोरिंग थे वो फेल हो गये और कोटकासिम में 11 इस तरह से 30 सिंगल फेस के बोरिंग फेल हो गये। इसी तरह से किशनगढ़ बास पंचायत समिति के 19 बोरिंग फेल हैं और कोटकासिम के 10 बोरिंग फेल हैं इस तरह से 29 बोरिंग और मेरे यहां कुल मिलाकर 60 बोरिंग हैं जो फेल हो गये। आज पानी की दिक्कत है। यही नहीं मेरे क्षेत्र में किशनगढ़ बास कस्बा हो, चाहे खैरथल हो, चाहे राताखुर्द हो, चाहे राताकलां हो, जीलोता हो, श्यामाका हो, पाटनमेवान हो, बंबोरा हो, घासोली, वल्लभ ग्राम, तहनोली, इस्माइलपुर, नंगली खलील, संपेरा बस्ती, मोटूका, महरमपुर, शेखपुर, खानपुर मेवान, खौरा पीपली, कौलगांव, नरवास, चोखी, कोटकासिम, अहिरवासना, नंगली पठान, नंगली जाटान, बालनबसई, सिवाना, दादरहेड़ा, झिरंडिया, नंगला डूंगर, सिवाणा, निम्बेड़ा और भगाना ये बड़े गांव हैं उनमें भी आज ऐसी स्थिति है कि पीने का पानी नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो पेयजल योजना है जहां पर हमने टंकी बनवा दी। ओवरहैड टंकी है लेकिन उसमें पानी नहीं जाएगा तो पूरे गांव को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि जहां-जहां पेयजल की स्कीम है उनको सैंक्शन करें।

मैं एक बात की बधाई देता हूं माननीय पीएचईडी मिनिस्टर को कि उन्होंने जनता जल योजना स्कीम जो हमारी पड़ी हुई थी, कांग्रेस के राज में जिनको बंद कर दिया गया था उसके सुधार के लिए उनको चालू करने के लिए, उनकी मोटर ठीक करने के लिए आपने पैसे सैंक्शन कर दिये और आने वाले समय में उसका तो फायदा मिलेगा। उन गांवों में जहां जनता जल योजना की स्कीम है वहां तो ठीक हो जाएंगे लेकिन बाकी योजनाएं हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि हमारे अलवर जिले में जो ओवरफ्लो पानी है यमुना का उसको एनसीआर से लोन लेकर के, ताकि हमारे जिले का वाटर लेवल ऊंचा आ जाए और पेयजल समस्या खतम हो जाए। यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पीएचईडी मंत्रीजी, रेस्पांड करेंगीं?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से किशनगढ़ बास से आने वाले माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहती हूं कि उनके सूखे हुए हैंडपम्प, ट्यूबवैल्स, सिंगल फेस, थ्री फेस जितने भी हैं जिनकी सूची उन्होंने मुझे दी है और उस सूची के अनुसार मैं इसका पूरा वर्क करवा लूंगी जो भी हम लोग जितना भी उपलब्ध करा सकते हैं उतना करने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि बंबोरा के दो नलकूप हम लोगों ने स्वीकृत कर दिये, घासौली के दो नलकूप स्वीकृत कर दिये। किशनगढ़ बास का एक नलकूप और मोतूका जो चारों पंचायत इन्होंने कही उन चारों पंचायत के नलकूल तो कल ही स्वीकृत कर दिये क्योंकि कल ही आपने मुझे यह सूची दी थी। इसके अलावा जो 29 हम लोगों ने आपके यहां पर जनता जल योजना स्वीकृत की है उन 29 जनता जल योजनाओं में जहां-कहीं भी नलकूप सूखे थे वो भी स्वीकृत हुए। कहीं पाइपलाइन भी डली है, कहीं और भी, कुएं भी गहरे करने थे वो भी काम हुए हैं। आग्मेंटेशन के काम हुए हैं इनके विधान सभा क्षेत्र में और लगभग साढ़े छह करोड़ सत्तइस लाख के काम हम लोगों ने 2015 -16 में स्वीकृत किये हैं। जिसमें हैंडपम्प भी हैं। अभी आने वाले समय में आरओ और सोलर भी लगेंगे और ट्यूबवैल भी सैंक्शन हैं और 29 जनता जल योजना भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं सदन में कि जल स्तर जिस तरीके से गिरता जा रहा है यह समस्या ऐसी है जो अनवरत है और यह आती है जब हम एक ट्यूबवैल आज करते हैं, हो सकता है 6 महीने बाद वह ट्यूबवैल फिर सूख जाता है, क्योंकि 133 परसेंट पानी का तो दोहन हो रहा है लेकिन रीचार्ज हमारा हो नहीं रहा है पानी और यही कारण है कि ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जो है यह बहुत ही उपयोगी होगी जब इस योजना का लाभ हमें आने वाले सालों में मिलेगा तो इस तरीके से जो ट्यूबवैल सूख रहे हैं वो सूखने कम होंगे। धन्यवाद।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और है।

श्री अध्यक्ष: आप बाद में बात कर लेना। श्री रामचन्द्र।

चम्बल एवं गागरीन कैचमेंट के कारण सिंचाई परियोजनाओं में विलम्ब

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने की इजाजत दी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, झालवाड़ जिला वर्षा की दृष्टि से राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है और झालावाड़ जिले में डग विधान सभा क्षेत्र की गंदार तहसील में छोटी कालीसिंध, चम्बल और शिप्रा नदी है। चूंकि वहां पर गांधीसागर का शुरू से 120 डाउनस्ट्रीम में गांधीसागर स्थित है उस वजह से वहां पर पिछली सरकार ने जून, 2012 में कैचमेंट के चक्कर में वहां जितने भी चैकडैम, माइक्रोडैम, स्टापडैम बनने थे वो बंद हो गये। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उस विधान सभा क्षेत्र में सात एनिकट बनाये। मध्य प्रदेश सरकार अनवरत वहां पर चैकडैम, माइक्रोडैम, स्टापडैम बना रही है और वहां पर इतनी जलराशि इकट्ठी हो रही है कि पूरा मध्य प्रदेश खाद्यान्न की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम प्रदेश हो रहा है और हमारे क्षेत्र में वो पूरी जल राशि प्राकृतिक जलस्रोत है जिसमें बड़ी-बड़ी नदियां हैं। तीन बड़ी नदियां शिप्रा है, छोटी कालीसिंध है, चम्बल है और उसके साथ में आस-पास की छोटी-छोटी सैकड़ों नदियां और हजारों नाले वहां पर बहते हैं। हर गांव के पास कहीं न कहीं नाला है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का, माननीय सिंचाई मंत्रीजी का और नदी बेसिन अथोरिटी के माननीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने अभी 19 माइक्रो डैम और वाटर कंसेप्ट बनाये, लेकिन वो गंदार तहसील का क्षेत्र जो मैं बता रहा हूं इस गांधी सागर कैचमेंट की वजह से वहां पर कोई भी आप निर्माण नहीं कर पा रहे हैं पिछले तीन-चार साल से, तो वहां पर डार्कजोन जैसी स्थिति है। पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। नलकूप, कुएं, जितने भी हैंडपम्प हैं, सब सूख गये हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि जून, 2012 में जो पिछली सरकार ने एक गांधीसागर कैचमेंट का वहां प्रतिबंध लगाया वो अब सरकार इसको हटाये और वहां पर जितनी भी बड़ी-बड़ी नदियां हैं उन पर चैकडैम, स्टापडैम बनाये, ताकि वहां अथाह जलराशि इकट्ठी हो सके। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि वाटर कंसेप्ट के अन्दर जितने भी आपके चैकडैम बने हैं, मैं उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी वेस्ट वियर है वो इतनी नीचे है कि पूरा पानी बह कर निकल जाता है। उनके साथ-साथ उसमें आपने नहरें भी बनाई हैं। मेरा निवेदन है कि वो वेस्ट वियर थोड़ी सी ऊपर कर दें तो पानी बहुत इकट्ठा हो सकता है। मैं

(श्री रामचन्द्र)

सरकार का, माननीय मंत्री महोदय का और माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि यह सुलभता हमें प्रदान करें ताकि अथाह जलराशि इकट्ठी हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: रेस्पोंड करेंगें? अभी हमारा जीरो आवर चल रहा है इस जीरो आवर के दौरान एक दुखद समाचार आया है। दुखद समाचार यह है कि संगमा जी जो पूर्व लोक सभा अध्यक्ष थे, उनका स्वर्गवास हो गया, तो मैं सोचता हूं कि लोक सभा में भी उनको श्रद्धांजलि दे दी गयी है और चूंकि अपने यहां यह सूचना आ गयी है तो अपन भी उनको शोकाभिव्यक्ति कर दें उसके बाद आगे बढ़े क्योंकि जीरो आवर ही चल रहा है।

शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

पी.ए. संगमा, श्री, पूर्व लोक सभा अध्यक्ष

माननीय सदस्यगण शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री पी.ए. संगमा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री पी.ए. संगमा का जन्म 1 सितम्बर, 1947 को मेघालय के चम्पाहारी गांव में हुआ। आपने एम.ए. तथा एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री पी.ए. संगमा 6ठीं से 8वीं, 10वीं से 14वीं एवं वर्तमान 16वीं लोक सभा के सदस्य रहे। आप 11वीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1996 से 1998 तक लोक सभा के अध्यक्ष रहे। इस दौरान आपने विभिन्न देशों में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सहित अनेक संस्थाओं के सम्मेलनों एवं सेमीनार्स में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कुशल प्रशासक रहे श्री संगमा केन्द्रीय सरकार में उप मंत्री, राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री भी रहे। सुदीर्घ संसदीय अनुभव वाले श्री संगमा लोक सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य तथा सभापति रहे। मेघालय विधान सभा के दो बार सदस्य रहे श्री संगमा वर्ष 1988 से 1990 तक मेघालय के मुख्य मंत्री पद पर आसीन रहे। अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे श्री संगमा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री संगमा की 'इण्डिया इन आई.एल.ओ.' 'इनटू द थर्ड मिलेनियम-ए स्पीकर्स पर्सपैक्टिव्स सभापति महोदय,' तथा 'ए लाइफ इन पालिटिक्स' शीर्षक से पुस्तकें प्रकाशित

(श्री अध्यक्ष)

हुईं। साहित्य तथा संस्कृति के पोषक श्री संगमा 'चंदम्वेनी कुरंग' दैनिक के सम्पादक भी थे।

श्री पी.ए. संगमा का दिनांक 4 मार्च, 2016 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री संगमा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खडे रहकर दिवंगत की आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की)

अब मैं नियमित बिजनस ले रहा हूं। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.24(6)वित्त/कर/2016-181 दिनांक 3.3.2016 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म 'नीरजा' के प्रदर्शन को दिनांक 4.3.2016 से 3.3.2017 तक सशर्त मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है ; सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह शेखावत।

प्रतिवेदन एवं लेखे

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का प्रतिवेदन एवं लेखे

वर्ष 2014-15

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-15 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-15

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3)(एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 50वां प्रतिवेदन वर्ष 2014-15

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रिणवां।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का प्रतिवेदन वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जल अधिनियम, 1974 की धारा-39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

समिति प्रतिवेदन

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 2015-16 (क्रम संख्या 2)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 2015-16 समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर लाल शर्मा।

याचिका

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

दौसा के प्राचीन किले का जीर्णोद्धार

1- दौसा शहर स्थित प्राचीन किले का जीर्णोद्धार करने बाबत् ।

दौसा की प्राचीन बावड़ियों का जीर्णोद्धार

2- विधान सभा क्षेत्र दौसा नगर परिषद क्षेत्र स्थित प्राचीन बावड़ियों के जीर्णोद्धार बाबत्।

श्री अध्यक्ष: श्री रामपाल।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो अधिसूचनाओं का उपस्थापन करता हूं:-

बारां के परवन पिक-अप वियर व नहरों की मरम्मत

1- विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के परवन पिक-अप वियर व उसकी नहरों की मरम्मत का कार्य करवाये जाने बाबत् ।

बारां में पशु चिकित्सालय

2- ग्राम किशनपुरा, ग्राम पंचायत किशनपुरा, तहसील अटरू, जिला-बारां में पशु चिकित्सालय खोलने बाबत् ।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा (दक्षिण) के विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर में सीवरेज कार्य के तृतीय चरण की स्वीकृति

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री मेवाराम जैन)

अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार बाड़मेर शहर में सीवरेज कार्य के तृतीय चरण को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृता मेघवाल।

जालौर के किले तक सड़क निर्माण

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र जालौर के किले (दुर्ग) तक सड़क बनवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित कुमार।

बारां में दिलोद विरान एनिकट की स्वीकृति

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा, तहसील किशनगंज, जिला बारां में दिलोद विरान एनिकट स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत (अनुपस्थित) श्रीमती संजना आगरी (अनुपस्थित)

दो नाम कांग्रेस की ओर से हैं और एक डा. राजकुमार शर्मा, नन्दकिशोर महरिया और आठ नाम बीजेपी की ओर से हैं। मैं चाहूंगा 10-10 मिनट में अपनी बात समाप्त करें, 3 बजे प्रतिपक्ष के नेता का भाषण होगा और 4 बजे मुख्य मंत्रीजी का जवाब होगा, यह मेरा आपसे निवेदन है। तब तक जितने भी बोल पाये उसके बाद कोई नहीं बोल पायेगा, यह मेरा विनम्र निवेदन है। मानिक जी, आज आप बोलेंगे?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, 295 ।

श्री अध्यक्ष: वह पढ़े हुए मान लिये। आज सबको पढ़ा हुआ मान लिया क्योंकि आज बिजनस ज्यादा है। डा. राजकुमार शर्मा, बोलिए आप 10 मिनट के लिये।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रखना चाह रहा हूं

(डा. राजकुमार शर्मा)

और जो बचपन से हम लोग आत्मा से, दिल से एक नारा लगाते आये हैं, सदन में उसी से शुरूआत करना चाहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यह जय मैंने इसलिए बुलवाई है कि मेरा भाषण समाप्त होने के बाद कहीं मैं भी देशद्रोही की श्रेणी में नहीं आ जाऊं इसलिए पहले से आत्मा में यह अपने आपमें बिठा लें कि नहीं, हम भी देश भक्त हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज संसद से लेकर विधान सभा तक पूरे देश में चाहे समाचार पत्र हो, चाहे टीवी चैनल हों, सबमें एक ही चर्चा चल रही है कि कौन देश भक्त है और कौन देशद्रोही है। इस सदन में मैं यह बात इसलिए रखना चाहता हूं कि सदन के दो विद्वान सदस्य पूरे देश में इस चर्चा में जुडे हुए हैं। एक सदस्य ने जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर खुलेआम एक बात कही कि इनको गोली से उड़ा देना चाहिये। इनकी देश भक्ति उस समय, बायतू से आने वाले हमारे माननीय सदस्य हैं वह बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं लेकिन इन्होंने भावुकतावश एक स्टेटमेंट दे दिया कि राहुल गांधी जी को गोली से उड़ा देना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जेएनयू में कैम्पस में गये और उन्होंने मात्र छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया के बारे में यह कहा कि कन्हैया निर्दोष है, जिसने भी वहां देश के खिलाफ नारे लगाये हैं उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करे, कानून कार्यवाही करे। इन्होंने उस गम्भीरता को नहीं लिया और सिर्फ देश भक्ति का एक जज्बा इनके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि इन्होंने यह स्टेटमेंट दे दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं भी यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ का अध्यक्ष रहा हूं, माननीय राजेन्द्र सिंह राठौड़ साहब, कालीचरण सराफ और कई ऐसे माननीय सदस्य हैं यहां पर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं। हमने खूब आंदोलन किये हैं, उन आंदोलनों के दौरान सैंकड़ों छात्र, छात्राएं इकट्ठी होती हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ, कुलपति और सरकार के खिलाफ कई बार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। हम लोग उस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और आंदोलन का नेतृत्व करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर वहां पर ऐसी कोई बात होती है तो उसको हम रोकें। कन्हैया नहीं रोक पाया, जेल गये, जेल से माननीय न्यायालय ने उनको जमानत दी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर तीन-चार लोगों ने सिर्फ नारे लगाये और आपके माननीय सदस्य का खून खौल उठा और आपने गोली मारने की बात कह दी। आपने भारतीय जनता पार्टी ने उस पार्टी के साथ पी.डी.पी. के साथ

(डा. राजकुमार शर्मा)

कश्मीर के अन्दर सरकार बनाने के लिए समझौता कर लिया, तब आपकी देशभक्ति क्यों नहीं जगी?

(13.00 बजे)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): देशप्रेमियों को अभिव्यक्ति की आजादी की छूट होगी यों।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आपने बोला मैंने कुछ नहीं कहा।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आप भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सदस्य, आपने बोला मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि पी.डी.पी. जम्मू-कश्मीर के अन्दर एक ऐसा अलगाववादी संगठन है जिसने अफजल गुरु जो संसद हमले का दोषी था उस व्यक्ति को शहीद मानने का दर्जा शहीद का दर्जा पी.डी.पी. ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी, पी.डी.पी. के साथ सत्ता के अन्दर वो शामिल हुई है और अब भी उसके पीछे-पीछे चाहे आर.एस.एस. के लोग हों चाहे बी.जे.पी. के लोग हों। महबूबा मुफ्ती के घर डेली जाकर कहते हैं कि हमें सरकार में शामिल करो, सरकार में शामिल करो। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको कम से कम देशभक्ति का इतना भी ...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, यह राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा थी। बड़े दु:ख की बात है कि चार दिन से राज्यपाल के अभिभाषण की बजाय राहुल के ...(व्यवधान) सदन के पूरे समय को चढ़ा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग इस सदन के अन्दर इस राजस्थान की जनता की चिंता करने के लिए बैठे हैं कि राहुल गांधी की चिंता करने के लिए बैठे हैं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं उसी बात पर आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष जी जब सीट पर थे तो माननीय सदस्य ने पूछा था आमेर से आने वाले ने कि अभिभाषण का...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, पी.डी.पी. के साथ गुलाम नबी आजाद क्या करने गए थे? पूरा बात बताओ ना आप।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं कह रहा हूं हमने तो किया क्योंकि देशभक्ति की बात करने वाले, नारेबाजी के ऊपर गोली से उड़ा देने वाले। मैंने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया है माननीय वरिष्ठ सदस्य साहब और उसके आगे देखिए आप। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य इन्होंने तो हद ही कर दी राजस्थान को पूरे देश में शर्मसार किया। इन्होंने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय जहां पर हमारी बहन-बेटियां पढ़ती हैं। एक सोशल मीडिया पर इनके मोबाइल पर एक मेसेज क्या आ गया। मूंछों को ताव दे के पूरे समाचार पत्रों के अन्दर और टी.वी. के ऊपर +++ लग गए। आपको सोचना चाहिए था कि वहां पर बहन-बेटियां पढ़ती हैं।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीच सचिव): असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें आप। अध्यक्ष महोदय, उस शब्द को वापस लेना चाहिए। माननीय सदस्य के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया।

श्री अध्यक्ष: असभ्य शब्द जो हैं ड्राप किया जाए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैंने कोई गलत नहीं बोला है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि वहां मेरे भी एक बड़े भाई हैं वहां पर प्रोफेसर हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें क्या गलत बोले, इन्होंने आरोप लगा दिया।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपको क्या हो गया है आप तो बैठे रहो। क्यों स्प्रिंग लग रही है आपके? आप तो शांति से बैठे रहो। नेता प्रतिपक्ष बार-बार खड़े हो जाते हैं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): छोटे राठौड़ साहब, हुकम बड़े राठौड़ ने तो माफ कर दिया। आप भी सुन लेने दो थोड़ी बहुत। निर्दलियों को बड़ी मेहरबानी है स्पीकर महोदय की जो बोलने का मौका दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात इसलिए रखी है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग इस तरह आपकी फोटो के साथ मेरी फोटो जोड़ देंगे। नीचे महिला की फोटो ऊपर आदमी की लगा देंगे। जन सुनवाई के अन्दर एक बुजुर्ग माताजी आके और मेरे यहां पे हाथ रखकर कहने लग गयीं कि बेटा मेरे को रोटी की व्यवस्था कराओ, मेरा बेटा रोटी नहीं देता और रोते-रोते उन्होंने मेरे यहां पर हाथ डाल के खींच लिया नीचे। नीचे खींचते किसी ने फोटो खींच ली और उस पे किसी ने जैसा आहूजा साहब को भेजा वैसे लिखकर भेजा दिया कि देखो एक महिला ने राजकुमार जी के बटन तोड़ दिए। आजकल क्योंकि इतनी

(डा. राजकुमार शर्मा)

एडवांस टेक्नोलाजी है और साइंस एंड टेक्नोलाजी का मैं मिनिस्टर भी रहा हूं इसलिए मुझे पता है कि कोई भी आदमी अर्थ का अनर्थ कर सकता है। इसलिए जिन्होंने देश के खिलाफ बयानबाजी की उनको कानून सज़ा देगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में क्या हो रहा है, देशद्रोही कौन है, देशभक्त कौन है? होना तो यह चाहिए था कि बहस होती भुखमरी पर, बहस होती उन बेरोजगार युवा साथियों के लिए जो लोग रोजगार के लिए अवसाद में हैं, डिप्रेशन के अन्दर हैं। बहस होनी चाहिए थी राष्ट्रीय सुरक्षा पर, बहस होनी चाहिए थी अनियंत्रित होती जनसंख्या पर, बहस होनी चाहिए थी बेलगाम महंगाई के ऊपर, बहस होनी चाहिए थी असंतुलित होते पर्यावरण पर, बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर और रोजाना सड़क दुर्घटना में दम तोड़ने वाले हमारे युवा साथी, उनकी जान बचाने के लिए सड़क सुरक्षा पर। बहस होनी चाहिए थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए अच्छे दिनों का वादा तो कर दिया, रोजगार देने का वादा भी कर दिया और पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का वादा भी कर दिया, उसके बाद भी। सर अभी पांच मिनट हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: सात मिनट हो चुके हैं। मैं देख रहा हूं ना घड़ी। घड़ी है मेरे सामने।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं इतना ही कह सकता हूं प्रधानमंत्रीजी से हमें भी उम्मीद थी। पठानकोट से आतंकवादी आए, खूनी खेल खेला और खूनी खेल खेलने के बाद दिन में समाचार पत्रों में, रात को टेलीविज़न में चला कि अन्तरराष्ट्रीय दबाव की वजह से, मोदीजी के दबाव की वजह से जैश-ए-मोहम्मद का जो चीफ है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और सुबह वापस आया कि वो तो सिर्फ विश्वासघात कर दिया पाकिस्तान ने हमारे साथ भी। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, और जाओ वहां पे बिरयानी खाने के लिए और भेजो वहां पे गुजरात के आम, और भेजो वहां।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपके पास सब्जैक्ट नहीं है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): गलत क्या बोल दिया राठौड़ साहब और क्या बोल दिया। जब कांग्रेस के राज के अन्दर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से अगर कांग्रेस का इस देश का प्रधानमंत्री बात करता था, तब आप लोग क्यों डरते थे? उस समय आप लोग तो कहते थे और मैं कह रहा हूं चुनाव से पहले माननीय मोदी से कहा था कि मेरी सरकार आने दो एक सर कटने के बदले

(डा. राजकुमार शर्मा)

दस सर काटकर लाऊंगा और पाकिस्तान को घर में घुस के मारूंगा। यह बात नहीं कही हो तो बता दो। (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मारा है और मारेंगे देशद्रोहियों को घर में घुसकर मारेंगे।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): ठीक है आप सुनना नहीं चाहते।

श्री सुरेश सिंह रावत (संसदीय सचिव): अरे। अभी तो एक साल हुए हैं। चार साल बाकी हैं। देश के गद्दारों को ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कांग्रेस ने किया वो हमने नहीं किया। आज भी विश्वास से कहते हैं कि एक सिर के बदले दस सिर काटेंगे।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों का साथ देते हो और यहां पर बात करते हो। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों को देश में कोई जगह नहीं।

श्री सुरेश सिंह रावत (संसदीच सचिव): कांग्रेस का झूठा गुणगान करने से कोई फायदा नहीं है राजकुमारजी आपको। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने नर्सेज की भर्ती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दस मिनट हो गए आपके। जसवंत यादव आप बोलिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): लास्ट दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, दस मिनट हो गए आपके। दस मिनट से ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि तीन बजे मुझे बिजनस खतम करना है और जितने में सब बोल लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्रीजी शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। उन्होंने यह भी आदेश निकाला कि भारत सरकार के जितने भी खाने होते हैं। बिरयानी शब्द हटाइये।

श्री अध्यक्ष: अरे आप बैठिये, प्रधान मंत्रीजी को छोड़िये आप।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): बिरयानी वेज भी होती है महाराज। वेज होती वेज बिरयानी, महाराज।

श्री अध्यक्ष: श्री जसवंत यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया और वो भी अभिभाषण के पक्ष में मैं बोलने जा रहा हूं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): और आप क्या...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं हमारी पार्टी का टाइम है। इसमें कौनसा एहसान है। संख्या में ही इतने हैं। अब आप संख्या में मुट्ठीभर हो तो हमारा क्या दोष है ? संख्या बढ़ाते समय बढ़ जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर तीन दिन से बहस चल रही है आज चौथा दिन है अभिभाषण पर और यह सत्य है कि सभी ने कहा है कि अभिभाषण एक सरकार का अपना आइना होता है, प्रतिबिंब होता है,

(13.08 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और जो सरकार ने किया उसका संक्षिप्त रूप में लेखा-जोखा होता है अब हमारे भाई तरह-तरह की बातें कर रहे थे। अभी तो हमारे शर्माजी बहुत अच्छी बात कह रहे थे देशभक्ति की और उसकी, लेकिन हम तो एक ऐसे राष्ट्र में पैदा हुए हैं जिस राष्ट्र के अन्दर जब-जब राक्षसों ने सिर उठाया, जब-जब भ्रष्टाचार बढ़ा, जब-जब अराजकता बढ़ी तो कोई-न-कोई देव लोक से देवता आया है। चाहे वो रामजी के समय में आया, रामजी आए, कृष्णजी आए और अब मोदी के रूप में एक देव लोक का प्राणी इस राक्षसों का संहार करने के लिए आया है।

इसी तरह शक्ति के रूप में जब-जब इस तरह का हुआ तो उनका सहयोग करने के लिए दुर्गा मां के रूप में आईं तो हमारे यहां वसुंधरा जी उतरकर आईं, तब राक्षसों का तो अंत होना है। +++

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): डा. साहब सुनो, आज आपने सबके पीछे छोड़ दिया। नम्बर एक पर आ गए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपका संहार तो होकर रहेगा। आप अपने आपको बचाओ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह ताज्जुब करता हूं कि जब वसुंधराजी की सरकार थी, और हम विपक्ष में आए थे, तो जनता का मन नहीं था कि वसुंधराजी विपक्ष में बैठे, कुछ गलतियां हुईं और कांग्रेस ने खैर अपनी सरकार बना ली। हमारी गलतियों से हम लोग रह गए लेकिन संख्या

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

बल क्या था। आपकी नीतियां अच्छी होतीं, आपके कर्म अच्छे होते, आपके सिद्धान्त अच्छे होते तो, हमको राजनीति वाले लोगों को तो परिणाम ही बताता है कि हमारा लेखा-जोखा किस तरह का है। इतनी बड़ी दुर्दशा केन्द्र में की, इतनी बुरी दुर्दशा आपकी राजस्थान में हुई कि आप कहां सिमट गए फिर भी आपमें बोलने की हिम्मत है। आपकी दाद देनी पड़ेगी। जब आप इतने अच्छे थे तो फिर 21 की संख्या में ही आए, अब तीन और जीत गए 24 हो गए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और हम क्या हैं ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप तो बाई चांस हो, कि कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में कहीं बचा गए अपने आप को। पर आप एक बात सीख लीजिए कि माननीय मोदीजी को सचमुच में दैवीय शक्ति प्राप्त है। माननीय वसुंधराजी सचमुच में देवी का रूप है। यह फालतू बोलना बंद कर दो नहीं आगे आपका नामो निशान ही नहीं मिलेगा, ढूंढते फिरोगे। गरीबों की बात कर रहे हो, अभी कह रहे हैं कि अच्छा होता सरकार गरीबो के लिए बहस करती । आपने तो गरीबों का खून चूसा, आप किन गरीबों की बात करना चाहते हो। आज धन्यवाद दो, अगर थोड़ा भी पढ़ लो, विपक्ष अगर संख्या में अच्छा हो तो विपक्ष का प्रभाव होता है, या कम संख्या में हो तो विपक्ष अपनी तैयारी करके आए, यहां तो दोनों का ही टोटा है। ना तो संख्या, ना विपक्ष को ज्ञान, ना विपक्ष पढ़ना चाहता है, ना विपक्ष सीखना चाहता है। गरीबी की बात करते हो। सबसे पहले मैं यहीं बात करता हूं। हमारे श्रम मंत्रीजी बैठे हुए हैं, यह वसुंधरा जी की गरीबों के प्रति सोच है, आज तक आप लोगों ने नहीं किया जो हमारे श्रम मंत्रीजी ने, हमारी वसुंधरा जी की सरकार ने, हमारे मंत्रिमण्डल ने कर दिया है, पांच साल के लिए श्रम कार्ड बन गए। किसी के दुर्घटना हो गई, दस लाख रुपये मिल गए। हर तरह का मजदूर सुरक्षित हो गया। आप गरीबों की क्या बात करना चाहते हो। आपने गरीबों के लिए किया क्या है। उनकी मकान की सुविधा का इंतजाम हो गया। उनके डिसेबिलिटी की सुविधा का हो गया। जो खेत में काम कर रहा है वह भी अगर श्रम कार्ड बना लिया, जो नरेगा में काम कर रहा है उसका भी भविष्य सुरक्षित हो गया, क्या यह कभी आप लोगों ने सोचा। कभी आप लोगों में सोचने की शक्ति थी। हल्ला मचाना, +++ के नाम पर टिकट तो ले सकते हो पर वोट नहीं मिलने वाले। हम नहीं कह रहे, पूरा देश, पूरी दुनिया कह रही है। पहले +++ को लोग खिलौना मानते थे, अब आपके

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

+++ को लोगों ने खिलौना मान लिया है। सचमुच में, आप चाहते हो कि +++ के नाम पर वोट मिल जाएंगे, टिकट मिलेगा। (व्यवधान)

श्री भजन लाल जाटव (वैर): +++ ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है साहब ...(व्यवधान) उसी +++ ने बिहार के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराया है, ध्यान कीजिए साहब।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप यूपी में समझौता मत करना।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): याद मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपको नकार दिया, उप चुनाव में जनता ने आपको नकार दिया। (व्यवधान)

श्री भजन लाल जाटव (वैर): चार में से तीन सीटें कांग्रेस जीतकर आई सरकार के खिलाफ। (व्यवधान) जल्दी ग्राफ इस सरकार का गिर गया, मात्र 9 महीने के अन्दर।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कांग्रेस को नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री भजन लाल जाटव (वैर): यह सरकार असफल रही। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप बैठिए, बैठिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप मोदी जी को देवता कह रहे हो +++ (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपको क्या पता ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मुझे पता है ना। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपको क्या पता ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): +++ (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपने उनके बारे में....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): +++ ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सम्मानीय सदस्य, आप विराज जाएं। आप विराज जाएं और एक काम....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्रीजी का नाम लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई, हमारे रूल्स आफ बिजनस में इस सम्बन्ध में लिखा है कि जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती, मेरा आपसे आग्रह है एक्सपंज करें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या गलत किया साहब ...(व्यवधान) +++ भी सदस्य नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके नाम से जो टिप्पणी की गई है वह समस्त टिप्पणियां अपलिखित की जाएं और माननीय सदस्य आप भी विराज जाएं। उप सचेतक महोदय, एक बात तय कर लें कि हमें अभिव्यक्ति के माध्यम से डिबेट करनी है या आपस में टोका टोकी करनी है, तो मैं एक बार सदस्य को बिठा देता हूं, पूरा का पूरा समय आप टोका टोकी करिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। बिलकुल, अभिव्यक्ति का जो अधिकार आपके संरक्षण में मिला है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशों की पालना करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी सूची आई है उप सचेतक महोदय Yesterday there was a name in your Soochi. The member was present in the House and the Aasan was told that the member is absent. I will not tolerate these things. Otherwise, I will do away with the entire list.

आदरणीय सदस्य, आपसे भी निवेदन है कि अगर आपको किसी की आलोचना करनी है तो पदनाम से कर दीजिए लेकिन आलोचना सत्य होनी चाहिए, मिथ्या नहीं होनी चाहिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, आपका सजेशन सही है पर आपके आने से पहले ही यह बहुत कुछ उलटा सुलटा बोल चुके थे, इनका जवाब देना जरूरी था।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे अगर आप यह काम आसन पर छोड़ दें तो बेहतर होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ठीक है साहब, आपकी बात सर माथे।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इस प्रकार की की हुई सदस्य की टिप्पणी को अपलिखित किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपके रौद्र रूप का कारण मेरे को समझ में नहीं आया। यह सौम्य रूप रौद्र रूप में कैसे बदल गया।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे समय में इनक्लूड मत करना।

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, समय रहते यह भी समझा दिया जाएगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन के आदेश की पालना सब लोग करते हैं लेकिन आसन ये यह अपेक्षा भी की जाती है कि सबके समझ में आ जाए, ऐसी बात हो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य मंत्रीजी जिस तरीके से गरीबों के प्रति, वह चाहती हैं कि गांव का गरीब जो ढ़ाणी में बैठा हुआ है, कुंए पर बैठा हुआ है, उसको भी न्याय मिले, उसको भी प्रगति मिले, उसको भी विकास मिले। उन्होंने जो प्रशासनिक सुधार के कार्यक्रम किए, न्याय आपके द्वार, बहुत लम्बे समय से लोग भटक रहे थे, राजस्व कैम्पों के अन्दर निर्णय हुआ, उनको अपना हक मिला। इसी तरह सरकार आपके द्वार, कभी आज तक पूर्ववर्ती सरकार ने तो नहीं किया, कांग्रेस के समय तो ऐसा नहीं हुआ। हमारी मुख्य मंत्रीजी 50 डिग्री टैम्परेचर के अन्दर, उनका पूरा मंत्रिमण्डल, एक-एक गांव, ढ़ाणी में जाकर उनकी समस्या को सुना, उनको न्याय दिया, उनका काम किया, उनका उद्धार किया, उनकी जरूरतों की पूर्ति की, अपने आप में एक मुख्य मंत्री का इससे बड़ा साहसिक काम क्या हो सकता है। यह हमारे दोस्तों को नजर ही नहीं आ रहा है। हर जिले के अन्दर इसी तरह से। आज तक दुनिया में, पूरे देश में पहली बार हुआ है, जो काम इस बार हो रहे हैं वह सब पहली बार हो रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी का पूरी सरकार के साथ एक-एक घर में, एक-एक जिले में, एक-एक गांव में जाना, न्याय देना, यह शायद हमारे साथियों को नजर ही नहीं आ रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन, हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी का। अटल बिहारी वाजपेयीजी ने यह महसूस किया कि जब तक गांव को सड़कों से नहीं जोड़ेंगे तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता। हमारे प्रधानमंत्री मोदीजी ने, यह

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

आम प्रधानमंत्री नहीं सोच सकता, उन्होंने जो सोचा कि स्वच्छ भारत होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो ही, स्वच्छता का नारा दिया। आज हमारी सरकार ने उस चीज को पूरे भारत में नम्बर वन स्थान लिया और 14 लाख 93 हजार टारगेट मिला, 15 लाख 25 हजार शौचालयों का निर्माण कर दिया। यह केवल इसलिए कि लोगों को स्वच्छ वातावरण मिले। माताओं-बहनों की इज्जत सुरक्षित रहे और देश आगे बढ़े। तो इतना बड़ा मिशन है यह इनको समझ नहीं आ रहा।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन के बारे में कल हमारे कांग्रेसी भाई कह रहे थे कि वसुंधराजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी भीख मांग रही है। राजस्थान को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, अगर आज कोई सबसे बड़ा संकट है तो जल पर है। जल स्वावलम्बन योजना और उसके लिये सब की भागीदारी लेना, सारे विधायक, सांसद और भामाशाह, सबके योगदान देने को ये भीख मानते हैं, क्योंकि इन्होंने तो कभी दूसरे के बारे में सोचा ही नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं, न इनकी फ्यूचर के बारे में सोचने की शक्ति है। यह इनको नजर नहीं आ रहा है कि कितनी जरूरत है। क्या क्रिटिकल पोजिशन हो गई है कि हमारे ब्लाक क्रिटिकल स्टेज पर आ गये हैं। सब जगह डार्क जोन होता जा रहा है। आगे हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारा राजस्थान कैसे सुरक्षित रहेगा। पर कह रहे हैं, साहब, कि भीख मांग रही हैं। किसके लिये। आपको बचाने के लिये। इस राजस्थान को बचाने के लिये। यह धन्यवाद दो मुख्य मंत्रीजी को कि वह आपकी सुरक्षा के लिये, आपके बच्चों के भविष्य के लिये, इस राजस्थान के भविष्य के लिये अगर भीख भी मांग रही हैं तो इससे बड़ा शायद उनका कोई योगदान हो नहीं सकता। पर सोचने की शक्ति ही नहीं है, हम तो अपने भाषण दे रहे हैं।

इसी तरह बहुत चिल्ला रहे हैं ऊर्जा के बारे में। विद्युत मंत्रीजी ने सारे राजस्थान के अन्दर, पहले रोज, आये दिन हंगामें होते थे, आपने कभी देखा, थ्री-फेस बिजली किसान को पहले आप लोगों के जमाने में दो-ढाई घण्टे मिलती थी, रोजाना रास्ते जाम होते थे। पर दो साल में तो रास्ते जाम नहीं हुए। साढ़े छह घण्टे-सात घण्टे से आज तक बिजली कम मिली नहीं। किसान तो इस बात से दु:खी है नहीं। आप दु:खी हो। इसलिये दु:खी हो कि आपका भविष्य आगे खतरे में पड़ता जा रहा है, कोई भविष्य नहीं है। यह मुंगेरी लाल के

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

सपने देखना छोड़ दो। पांच साल के लिये जनता ने सरकार दी है, इतना बड़ा मेन्डेट दिया है। फिर आपकी हिम्मत देखो कि 24 की संख्या में होकर रोजाना सपने सजाने लग गये। पहले कुछ सूत, न कपास, लट्ठमलट्ठा। पहले जनता आपको तिरस्कृत कर चुकी है और आप अपने मुख्य मंत्री की बात सोच रहे हो। मैं बनूंगा, वह बनेगा, यह बनेगा। बनोगे किस बात के लिये। आप 21 से 11 रह जाओ, यह गनीमत समझो। मेरे ख्याल से 11 भी नहीं रह पाओगे अगर इस तरह की सोच रखी तो। धन्यवाद दो मुख्य मंत्रीजी को, जो राजस्थान को, जहां अराजकता का माहौल मिला, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट थी, राज नाम की कोई चीज नहीं थी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जनता ने इसी बात की ही आपको सज़ा दी कि केवल भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्य मंत्री के अन्दर देखा कि यही इस राजस्थान को बचा सकती हैं, तब आपकी यह दुर्गति हुई थी। फिर भी आप लोगों को कोई सोच नहीं है। ऐसी हालत में हम लोग भी चिन्तित थे कि हमारी मुख्य मंत्रीजी किस तरह राजस्थान को प्रगति की राह पर ले जाएंगी। पर देखिये उनकी कार्यकुशलता, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, हर ढाणी में काम हो रहा है। हर आदमी संतुष्ट है। आपके अलावा। आप जगह-जगह शोर मचाते हो। चार कांधी आपको खड़े मिलते हैं। पांचवां आदमी आपके पास इकट्ठा नहीं होता। (व्यवधान) हां संतुष्ट हैं। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। इतिहास में ऐसे काम नहीं हुए। जब किसान को साढ़े छह घण्टे, सात घण्टे बिजली मिल जाए। गांव को सिंगल फेस 22 घण्टे से 24 घण्टे बिजली मिले। यह ऐतिहासिक कदम नहीं हैं? जब 70 हजार करोड़ रुपये आपने कर्जा छोड़ा, तब आप यह हालत देखिये। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, उसके अन्दर 2819.40 करोड़ रुपये मंजूर कर दिये। हर ढाणी, हर कुएं के ऊपर बिजली जगमगाएगी। यह बहुत बड़ा काम नहीं है, ऐतिहासिक काम नहीं है? जब काम हो रहे हैं तो उसके बारे में तो धन्यवाद कह सकते हो। किसानों को कृषि कनेक्शन दिये। आप सत्यापन करो। विपक्ष जब कम संख्या में हो तो उनका काम होता है कि जाकर स्टडी करे, ला के दे। गवर्नमेंट कह रही है कि 80668 हमने कनेक्शन किसानों को दिये। आप इसका सत्यापन करते कि आप गलत कह रहे हो। आपने इतने नहीं दिये, इतने दिये हैं। आपको तो बिजली मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहिए, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहिए। इतनी बुरी हालत में छोड़ गये कि आपका तो यह सपना था कि आने वाली सरकार बल्ब भी नहीं जला पाएगी।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

फिर इनकी कार्यशैली देखिये, कुशलता, यह कुशल नेतृत्व की कहानी है। इसी तरह से फव्वारा योजना में, डिग्गी योजना में 4675 कनेक्शन दिये। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह होगी कि ऐसे हालात में इन्होंने 200 के.वी. के 15 बना दिये। 132 के.वी. के 27 और 33 के.वी. के 581 ग्रिड स्टेशन बना दिये। सौर ऊर्जा में हिन्दुस्तान में पहला नम्बर ले आये। हर घर के अन्दर जब चौपाल आई विद्युत की तो 2 लाख 30 हजार लोगों को कनेक्शन जारी कर दिये। शिक्षा के अन्दर एक मिनट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, मुख्य मंत्रीजी की सोच देखिये और आप अपनी सोच देखिये। मुख्य मंत्री की सोच है कि जब तक गांव का बच्चा पढ़ेगा नहीं, जब तक गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस इच्छा को पूरा करने के लिये मुख्य मंत्रीजी का कौशल देखिये, मंत्रिमण्डल का कार्य देखिये कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर घोषणा कर दी कि हम आदर्श सीनियर माध्यमिक विद्यालय बनाएंगे। काफी खुल गये हैं, काफी इस बार खुल जाएंगे। तीन साल में एक भी नहीं बचेगा, एक भी पंचायत हैड-क्वार्टर। सबमें साइंस सब्जेक्ट दे दिया। वह आपको नजर नहीं आ रहा है। सौ प्रतिशत माध्यमिक स्कूलों को इलेक्ट्रिफाइड करा दिया, वह आपको नजर नहीं आ रहा है। पहले आपके समय में न बिजली थी, न पंखा था, न मास्टर थे, न स्कूल थे तो बच्चे पढ़ते कहां से। सौ प्रतिशत स्कूल इलेक्ट्रिफाइड हैं। (व्यवधान) आदर्श इतने खुले हैं, आपको यह ज्ञान होना चाहिए, माननीय सदस्या कि स्कूल खुलता है तो उसके अन्दर शिक्षक भर्ती करने में, कार्य संचालन में समय लगता है। (व्यवधान) आपका कोई स्थान ही नहीं है। आपके बारे में क्या चर्चा करें। आपको समझ में आनी भी नहीं, 290 विद्यालयों में व्यावसायिक कोर्स शुरू कर दिये जिससे बच्चों को रोजगार मिलेगा, आगे पढ़कर जाएंगे। 71 स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल, जिनके अन्दर शुरू से लेकर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, सब सब्जैक्ट पढ़ाये जाते हैं। जो लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ दौड़ रहे थे, वे भी बंद हो गये। पांच लाख बच्चियों को साइकिल वितरित कर दी। आपने क्यों नहीं कीं? सड़ रही थीं पड़ी-पड़ी, 70 प्रतिशत जिन बच्चों के नम्बर आये, उनको लैपटाप वितरित कर दिया, आज के आधुनिक युग को देखते हुए। आप धन्यवाद दो हमारी शिक्षा मंत्रीजी का, हमारी मुख्य मंत्रीजी का, जो वाकई में कह रही हैं कि मैं महिला सशक्तिकरण करूंगी। इतनी बच्चियों को साइकिल दे देना। जय -जय राजस्थान और जय-जय हिन्दुस्तान, और जय-जय वसुंधरास्थान।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

सुराज संकल्प यात्रा में घोषणा की थी कि हम एक परीक्षा कराएंगे। वह करा के दिखा दी। आप शोर मचाते थे। नई भर्तियां शुरू हो गयीं। इसी तरह 16-16 नये कालेज खोल दिये। आज खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, हमेशा हर उसमें घेरते थे, आपके ऐसा कोई मंत्री नहीं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा हो। देखिये सच, प्रशासन, सुशासन। एक भी मंत्री पर एक रुपये का दाग नहीं लगा पाये हो। यह है वसुंधराजी का नेतृत्व। आज खाद्य एवं सुरक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता था तो इस पर अंकुश लगाने के लिये पाइण्ट आफ सेल, वहां मशीन लगा दी बायोमेट्रिक। अब एक रुपये की भी आप बेईमानी नहीं कर सकते। अन्नपूर्णा भण्डार खोल दिये। जो गांव का आदमी पूरे दिन में सौदा लेकर आता था और अपना समय खराब करता था, अपना किराया-भाड़ा खर्च करता था, आज उसको वहीं राशन की दुकान पर, अन्नपूर्णा भण्डार में सवा तीन सौ चीजें तो मिलने लग गयीं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अन्दर, अब आपको हर चीज का वह बना रहे हैं भामाशाह कार्ड बनने से। एक आप में से कल कह रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारगर्भित कैसे बहस होगी, कि फलां प्राइवेट हास्पिटल के अन्दर कार्ड असेप्ट नहीं किया। उन्हें पता ही नहीं है कि जब शुरूआत होती है तो सारे हास्पिटल एक साथ पैनल से नहीं जुड़ते हैं। जो हास्पिटल अपने आपको सम्मिलित कराते हैं इंश्योरेंस के अन्दर, जिनके अन्दर अपना एनरालमेंट करते हैं, उनके अन्दर वह कार्ड लागू होता है और धीरे-धीरे उन सब में शुरू हो जाएंगे। तो वह हो गया। इसी तरह से भामाशाह, स्वास्थ्य बीमा, आरोग्य मिशन, यह सब आपकी समझ से बाहर हैं। महिलाओं के लिये भामाशाह कार्ड, तो इससे क्या महिलाओं की इज्जत नहीं बढ़ी? क्या घर की मुखिया नहीं बनीं। क्या 2000 रुपये महीने के उनको ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है कि कितने रुपये, अब तक 10 लाख 59 हजार परिवारों के खाते में 208 करोड़ रुपये जा चुके हैं। आपको अभी तक कुछ पता ही नहीं है। रोजगार एवं नियुक्तियां, आप अभी तक यह पूछ रहे हो, कितने हुए। आप तथ्यात्मक रिपोर्ट लो ना। आजकल तो आर.टी.आई. से भी ले सकते हो, 80465 लोगों को रोजगार मिला है। जिसमें से रैगुलर नौकरी 75954 और जो अनुकम्पा के आधार पर हैं, वे 4861 हैं।

अब आप कहते हो रिसर्जेंट राजस्थान। मुख्य मंत्रीजी यह चाहती हैं

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

कि रिसर्जेंट राजस्थान का मतलब यह नहीं है कि जो आ गया उसी ने पैसा लगा दिया। वातावरण बनाना चाहती हैं, उस वातावरण को बिगाड़ो मत। आपके लिए कर रही हैं। आपके विकास के लिए कर रही हैं। इस राजस्थान को बचाने के लिए, रिसर्जेंट राजस्थान में उद्योगपतियों को बुलाया, उनको कहा कि हमारे यहां पर यह-यह सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने एम.ओ.यू. किये तो एक सार्थक प्रयास किया, उसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहिए। केवल विपक्ष में आ गये, चार बैठ गये विपक्ष में आकर और हां-हू कर दिया, उससे काम नहीं चलने वाला है राजस्थान का।

कौशल विकास के अन्दर भी, अभी भिवाड़ी के अन्दर 200 करोड़ रुपये का भारत सरकार के साथ स्टार्ट हुआ है। जिसमें हर बच्चे को नौकरी मिलेगी, जो वहां से उसको मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चूंकि, बार-बार वह कह रहे हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग में, दो-तीन लोग कह रहे थे सड़कों की बात। गौरव पथ, गांव में घुसते ही गांव की गौरव गाथा शुरू हो जाती है। अब एक कह रहे हैं माननीय सदस्य कि मेरे नाली नहीं बनी है, ऐसा गौरव पथ किस बात का? पहले आप यह तो देख लो कि उसकी सी.सी. जारी हो गयी कि नहीं हो गयी? उसको पूरा पेमेंट हो गया कि नहीं हो गया। एक बार में जब इतने गौरव पथ बनेंगे, ठेकेदार अगर एक होगा तो पहले फील्ड में वह सड़क बनाता है, उसके बाद फिर नाली देता है। पर यह क्या कह रहे हो आप? आपको गौरव पथ का पता नहीं। विकास के नाम का आपको पता नहीं। क्या विकास होता है? विकास किया नहीं। जनता ने आपकी बुरी हालत कर दी और फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे हो। गौरव पथ की बात कह रहे हो। मिसिंग लिंक बन रहे हैं, गौरव पथ बन रहे हैं। सड़कें जो आज तक नहीं सुधरीं, ऐसी सड़कें कभी देखने को मिलीं? राष्ट्रीय राजमार्ग अपने राजस्थान में बन रहे हैं। सारी सड़कों का हैडक्वार्टर, जो जुड़ रही हैं, उनका हो रहा है।

इसी तरह से पानी के लिए कितने प्लांट लग गये? फ्लोराइडमुक्त पानी देने की हमारी सरकार ने योजना बना ली कि हम फ्लोराइडमुक्त देंगे। आर.ओ. प्लांट लग रहे हैं।

सौर ऊर्जा आधारित भी हो रहे हैं। दुनियाभर के लगा दिये। इन कामों

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

की, अब बजट आ रहा है, इस अभिभाषण को लेकर जाओ अपने साथ और इसमें जो लिख रखा है, एक भी बात असत्य सिद्ध करते हो तो कम से कम बजट भाषण में बोलना वरना केवल हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा।

मुख्य मंत्रीजी जिस तरह का काम कर रही हैं, गरीब से लेकर, ढाणी से लेकर, झोंपड़ी से लेकर, मजदूर से लेकर, नौजवान के भविष्य के लिए, बुजुर्गों के भविष्य के लिए, व्यापारियों के लिए, नौकरशाहों के लिए, सबको जो राजस्थान में आगे लेकर चल रही हैं, जिनका सपना केवल वोट नहीं है, उनका सपना यह है कि राजस्थान किस तरह से समस्या-रहित हो जाए, किस तरह राजस्थान का गौरव पूरे देश में बढ़े, पूरे देश में अग्रणी हो जाए, ऐसी मुख्य मंत्रीजी की जय-जयकार करना आप भी सीख लो, यह गलत नहीं होगा। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन से महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, 166 पेज का यह अभिभाषण महामहिम ने पढ़कर सुनाया, कुछ अधूरा भी छोड़ दिया।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): 166 पेज का नहीं है, 166 बिंदुओं का है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चार दिन में सिवाय, देश-भक्त बैठे हैं, कोई समाज-भक्त, कोई देश-भक्त, आज अभी भाई साहब कह रहे थे कि राजस्थान को स्वर्ग बना रहे हैं। आप देखिए, स्वर्ग तो बना देंगे लेकिन बनाएगी कौन? कांग्रेस बनाएगी।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): सपना देखो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पहले भी स्वर्ग बनाया था। बीच में जनता गलती से झांसे में आ गयी, मोदीजी के चक्कर में आ गयी, मोदीजी कहते थे कि 15 लाख रुपये एक बूढ़े के खाते में आएंगे तो बूढ़ा आदमी बदल गया, 125 करोड़ आदमियों को नौकरी देंगे तो नौकरी के चक्कर में आ गये। राजस्थान में वसुन्धराजी ने कहा कि 15 लाख व्यक्तियों को नौकरी देंगे, उसके चक्कर में आ गये। चक्कर बहुत बुरा होता है।

श्री भैराराम चौधरी (संसदीय सचिव): आप तो नहीं आए?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैंने तो आप लोगों को डाला चक्कर में, मैं नहीं पड़ा। मैंने तो आपको ही डाला है। मैं खुद नहीं पड़ा।

आप देखिए कि बिजली की बात सबसे जरूरी, महत्वपूर्ण आवश्यकता बिजली की है। बिजली के हालात यह हैं कि फीडर सुधार योजना चली, उसमें कितना सामान, अब यह हमेशा एक ही बात कहते हैं कि बिजली एक लाख करोड़ रुपये के घाटे में है। यह बात सही है कि घाटे में है पर इसका कारण तो आप लोगों ने ढूंढा नहीं अभी तक कि इसका फेल होने का, इसके नुकसान का कारण क्या है?

हमारे मंत्रीजी बैठे हैं, इनको एक बात पूछ लूं कि कितने वायर आपके आए थे, कितने मीटर उतार लिए और कितने मीटर बकाया हैं और कितने खम्भे आपके बकाया हैं? केवल लगा दिया उनकी संख्या तो उनके पास है पर उतार लिया उनकी संख्या इनके पास नहीं है। हजारों करोड़ रुपये का घाटा सामान में हुआ है। यह प्रैक्टिकल बात है, इसमें कोई कांग्रेस और बी.जे.पी. की बात नहीं है। यह बी.जे.पी. का भार या कांग्रेस का भार किस पर पड़ता है? जनता पर पड़ता है। पिछली बार फीडर सुधार योजना चली और अब भी वही बात है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोग कहते हैं कि बिजली, बिजली में सी.एल.आर.सी. रेट के ऊपर कनेक्शन देते थे और उसके बाद में वह कनेक्शन बंद करने जा रहे हैं। ठेकेदारों के माध्यम से काम करवाते थे, सामान बच जाता था, वह जमा हो जाता था और सामान भी हमारे ए.ईएन. आफिस से जाया करता था। अब नई स्कीम ले आए हैं कि ठेकेदार ही सामान लेकर आएगा और ठेकेदार ही लगाएगा।

जिस दिन से ठेकेदार सामान लगाने लग जाएगा न, उस दिन के बाद में यह 2 लाख करोड़ घाटे में जाएगी क्योंकि पानी की हालत यह हुई है कि पानी ठेकेदार को दे दिया और ठेकेदार ने कुएं में वह पाइप लगाए हैं जो छह महीने में ही कट जाते हैं। यह प्रैक्टिकल बातें हैं, इसको आप अदरवाइज नहीं लें। आज कुओं की हालत यह है कि पांच साल की गारंटी है और डेढ़ साल में ही पाइप गल जाते हैं, मोटर जल जाती है और पानी सूख जाता है और जब ठेकेदार के पास कहते हैं, वह ए.ईएन. कहता है कि अब मैं क्या करूं? यह पानी, बिजली के, इस समय जो हालात खराब है, यह पूरे राजस्थान की जनता जानती है। अभी नई स्कीम लेकर आएगी कि बिजली का कनेक्शन, छह हजार बता रहे थे अभी, चार हजार कितने बता रहे थे? पर चार हजार तो छोड़ो

(श्री श्रवण कुमार)

2009 के बाद में तो कोई कनेक्शन तो किया ही नहीं। 2009 के बाद की फाइलें पड़ी हैं पहले की, उसके बाद में, 2009 की फाइलें तो आफिस के अन्दर पड़ी हैं, उनका अभी डिमांड नोटिस ही नहीं निकाला।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): वह आप लोगों ने किया था।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वह हमने किया या आपने किया, हमने किया तो भुगत लिया। आप भी यही करोगे क्या? हमने अगर गलती भी की, हमने कोई गलती की होगी तो 23 आए न, आप 11 ही आना चाहते हो क्या? सही बात, सुधार तो सकते ही नहीं।

अभी कल पी.एच.ई.डी. की बात कर रहे थे। पी.एच.ई.डी. के आज हालात यह है कि गांवों के अन्दर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। कुंभाराम लिफ्ट योजना का पानी खेतड़ी में आने की बात कही। सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे क्षेत्र सूरजगढ़ में है। अब हालात तो इस तरह के हो गये कि पानी नहीं है, सड़क पर कांकरी नहीं है, तारों में बिजली नहीं है, टंकी में पानी नहीं है और केवल मात्र जय-जय राजस्थान। जय-जय राजस्थान। तुम लोग इतनी +++ क्यों करते हो? तुम पहले तो थे मंदिर भक्त। जब 1993 में मंदिर ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, +++ क्या वर्ड है यह? अपने संवैधानिक नहीं है यह।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अच्छा, +++ नहीं कर रहे हो क्या?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): वह जो +++ शब्द है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस +++ शब्द को एक्सपंज कर दीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कुछ काम तो आसन पर भी छोड़ो, आप ही फैसला मत लो। अब उसके बाद में आपने ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, इस शब्द को अपलोपित कर दिया जाए?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं, हटा दो।

श्री उपाध्यक्ष: हटा दिया जाए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने राजस्थान में, पहले चुनाव हुए 1993 में, तीन साल में मंदिर की ईंट तोड़ कर आ गये और विधान सभा भंग

(श्री श्रवण कुमार)

हो गयी। फिर आप गायों के पीछे लगे तो गायों की दशा तो आप सब लोगों ने बता ही दी कि क्या हालत है। अब आप पूरे हिन्दुस्तान पर लगे हुए हो। हिन्दुस्तान हमारा है। गांधीजी को तुमने मार ही दिया। अब किसको मारोगे पता नहीं, तुम्हारे को मालूम तो है नहीं कि राजस्थान किसका है, हिन्दुस्तान किसका है? तुम्हें केवल ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): क्या बोल रहे हैं यह?

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): किसने मारा गांधीजी को? आप बताओ। किसने मारा गांधीजी को? आप बताओ खुद। हर किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप कैसे कह सकते हो कि हम लोगों ने गांधीजी को मारा? मर्जी आए जैसे कैसे बोलेंगे आप? मर्जी आए वैसे बोल नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह कुर्ता पहनकर खड़े हो गये न, यह बाबा लोग खड़े हो गये न। (व्यवधान)

श्री भैराराम चौधरी (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं, आप उसकी बात सुन रहे हैं पूरा सदन...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हिन्दुस्तान के, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता था। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): ऐसी भाषा बोल रहे हैं। यह शब्द वापस लिये जाएं। (व्यवधान) किसने मारा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। अगर वक्तव्य में इस प्रकार का प्रसंग आया और आसन यह महसूस करे और करता भी है कि बगैर किसी वजह से आप उत्तेजना फैलाएंगे तो आसन मजबूर होगा कि दूसरा नाम पुकार लेगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों की बात है, सड़कों की आज हालत यह है कि 2 साल 4 महीने में कहीं भी सड़कों का काम नहीं किया। जब श्री युनुस खानजी जाते हैं झुन्झुनूं में 5 करोड़ घोषित कर देते हैं और अबकी बार करके आए है 128, अब बढ़ाएंगे, यह तो मालूम नहीं, घोषणा बहुत अच्छी है।

यही हालात पानी के हैं, ड्राई ट्यूबवैल को ठीक करवाएंगे? आज मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपको 9 महीने हो गये आर.सी. किये हुए। राठौड़

(श्री श्रवण कुमार)

साहब हमारे प्रभारी मंत्री हैं, यह झुन्झुनूं गये थे, झुन्झुनूं में यह कहकर आये थे कि 15 दिन बाद, यह दीपावली की बात है यह, दीपावली अक्टूबर में आती है न, अब होली आ गयी है। अभी तक एक भी कुआं नहीं खुदा और इन्होंने एक बात कही थी मिलावट की बात आई तो, मैंने कहा मिलावट वालों पर तो कुछ कंट्रोल करो। इन्होंने कहा था कल से इंस्पेक्टर लग जाएंगे। आज तक तो कोई इंस्पेक्टर आया नहीं। एक भी काम ऐसा बताओ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कल तो आ गया क्या? कल लगने के लिये कहा है न, तो कल तो आ गया क्या?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इनका कल आयेगा ही नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो tomorrow never comes.

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यही तो रोना है। अब आप देखिये, मिलावट की हालत आज यह है अभी थोड़ी देर पहले यह भाषण दे रहे थे कि मिलावट में बड़ी कमी आई है। आज मिलावट में इतनी भारी वृद्धि हुई है कि पाम आयल को सरसों के तेल में मिलाकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। उसका इफेक्ट न बीजेपी पर पड़ता है, न कांग्रेस पर, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति पर जाता है यह। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिये कि आज झुन्झुनूं जिले के अन्दर, देश की बात तो मैं नहीं कहूंगा पर जिले की बात कह सकता हूं कि इंस्पेक्टर एक है, वह इंस्पेक्टर जाता है, अपनी मंथली लेकर वापस आ जाता है। भ्रष्टाचार में सौ गुणा वृद्धि हुई है, आपके ढाई साल में भ्रष्टाचार में सौ गुणा वृद्धि हुई है। कोई इंस्पेक्टर ही नहीं जाता। पहले 100 रुपया लेता था, अब एक हजार लेने गया तो सौ गुणा हो गयी न।

श्री भैराराम चौधरी (संसदीय सचिव): पहले कितनी थी, अब कितनी हो गयी?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पहले भी थी, मैं यह नहीं कहूंगा कि राम-राज्य नहीं था, पर अब जो हालात है, उसको तो आप सोच भी नहीं सकते।

एक माननीय सदस्य: आंकड़े बताओ कितने थे?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पहले दस परसेंट थी, अब सौ परसेंट है। दस से सौ परसेंट हो गयी तो नब्बे परसेंट बढ़ गयी ना। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): आंकड़े किताब पढ़ने वाले बताते हैं, यहां खड़े होने से पहले किताब पढ़ते तो आंकड़े बताते ना। किताब का पेज

(श्री शुभकरण चौधरी)

खोला नहीं, अभिभाषण को एक आंख देखा नहीं, बोलते जा रहे हैं कि झुन्झुनूं में यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। झुन्झुनूं का पता किसी चीज का है नहीं और बोलते जा रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आज यह बातें कर रहे हैं न, यह गांव में जाकर बोल नहीं सकेंगे। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): एक इंस्पेक्टर नहीं है, झुन्झुनूं में तीन-तीन इंस्पेक्टर लगे हैं, सैकड़ों कुएं खुदे हैं, बातें करते हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): गांव में जाकर बोल नहीं सकेंगे, यहां भाषण कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय सदस्य, आपको व्याख्याता किसने नियुक्त कर दिया?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको बुलाया है क्या? मैं बिजली की बात करना चाह रहा था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युत कनेक्शनों के बारे में पूरे छह महीने से चर्चा चल रही है। अभी तो यह किया नहीं। आज हालात यह हैं कि बिजली की बात आयेगी तो बिजली एकदम जीरो पर आकर रूक गयी। नया कनेक्शन कोई हो नहीं रहा है। यह झांसा देकर, लोगों को प्रलोभन देकर कि आपको घर-घर में कनेक्शन देंगे 24 घण्टे, खाली 6 घण्टे बिजली आ रही है। पानी की बात आई कि पानी घर-घर में देंगे, पानी का कहीं जिक्र नहीं है। शिक्षा की बात पर आओ, शिक्षा की हालत यह है कि स्कूलें खोल दीं, मास्टर नहीं हैं। साइंस सब्जेक्ट के सैक्शन खोल दिये, लेबोरेट्री नहीं है। यह जो हालात हैं, यह हर आदमी को पीड़ा देने वाले हैं, यह कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। आप गांवों में जाकर देखो, आपने 17 हजार स्कूलें बंद कर दीं, मास्टर हैं नहीं। जो इस तरह की स्थिति है, इसको आप सुधारना चाहते हो या आप केवल वाहवाही लूटकर 15-20 दिन में घर जाना चाहते हो। आपके बिजली मंत्रीजी से मैं मिला भी था, इस समय गांवों में केवल काम है वी.सी.आर., यह वी.सी.आर. इतने बुरे तरीके से भरे जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है। सबको भर रहे हैं। बीस-बीस टीम लगा रखी हैं। पहले भी वी.सी.आर. भरते थे, पहले नहीं था क्या वी.सी.आर.। पहले दो हजार में सुलट जाता था, अब कम से कम 11 हजार और ऊपर डेढ़ लाख भी हो जाता है। (व्यवधान) चित्तौड़ में नहीं कर रहे हैं ना? मालूम हो जाएगा। तीन साल बाद

(श्री श्रवण कुमार)

जाओगे तो मालूम हो जाएगा कि चोरी होती है कि नहीं होती। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं ज्यादा नहीं कहूंगा कि इनकी बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और सड़क, ये पांच मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पांचों आवश्यकताएं इस समय जो दिशा है, वह जीरो पर है और कोई काम नहीं हो रहा है। अभी माहेश्वरीजी एक बात कह रही थीं डी.पी.आर. बनवा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: दिल पर हाथ रखकर कहो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दिल से ही कह रहा हूं। डी.पी.आर. बनवा रहे हैं। अब ढाई साल में डी.पी.आर. बनेंगे, ढाई साल में उसको पास करेंगे तो काम कौन करेगा? यह कांग्रेस ही करेगी न काम तो।

एक माननीय सदस्य: आएगी क्या कांगेस?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आएगी ही नहीं बहुमत में आएगी। यह बात आप छोड़ दो कि जनता के अन्दर जाओगे तब मालूम होगा। अब तो चारदीवारी में बैठे हो, यहां कोई देखने के लिये नहीं आता है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं मंत्रीजी को, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, हास्पिटलों के अन्दर डाक्टर नहीं है, कम्पाउंडर नहीं है, नर्स नहीं है, ...(व्यवधान) कब लगाएंगे? यह बात मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं कि गांव का पटवारी, गांव का डाक्टर न अपने हैड क्वार्टर पर रहता है, रात को अगर कोई बीमार हो जाए तो डाक्टर के लिये शहर में जाना पड़ेगा, वह पीएचसी और सीएचसी पर नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था कौन करेगा? हो सकता है कांग्रेस ने गलती की होगी, उसी गलती का भुगतान हमें हो गया, पर आप लोग क्या चाहते हो? आप भी यही चाहते हो क्या कि हमारी हालत ऐसी हो। हो गयी न और क्या? आपने देख लिया कि जो हालात इस समय राजस्थान में है, वह इस तरह के हालात हैं कि यह पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 166 या 270 पेजों का बनाकर भेज दोगे तो इससे काम नहीं चलेगा। मंत्रियों की हालत यह है कि वह डेली कहते हैं कि मेरी बात सैक्रेटरी नहीं मानते हैं। अगर सैक्रेटरी नहीं मानता है तो कहो न वसुन्धरा जी को, कि थैला सम्भालो तुम्हारा। जब कोई मानता ही नहीं तो बेकार गाड़ी के अन्दर क्यों घूमो? गाड़ी तो 60 हजार में आती है, किराये की लेलो। हालात मंत्रियों के खिलाफ है, एक भी मंत्री है नहीं। एक-दो बैठे हैं। नन्द लालजी बैठे हैं। नन्द लालजी को तो वैसे ही कम सुनाई देता है। पर आप हालात देखिये, कोई भी मंत्री हो चाहे पी एच ई डी का हो,

(श्री श्रवण कुमार)

चाहे पी डब्ल्यू डी हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, सब नदारद हैं। इस तरह विधान सभा चलती है क्या? इस तरह जनता की समस्याओं का समाधान होता है क्या? (व्यवधान)

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपके कितने हैं?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम तो 21 हैं या 24 हैं, हमारे तो यही रहेंगे। हमारे तो बाहर भी बैठे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। रहना तो आपका है ना। हमारा तो केवल मात्र बैठना नहीं है, हम तो आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आपने इस तरह से जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान करने से काम नहीं चलेगा। आप अपने आप में सुधार करें। राजस्थान में त्राहि-त्राहि मची हुई है। पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, आपने क्या किया? बोतल में पानी पैक कर दिया, दूध थैली में पैक कर दिया, भ्रष्टाचार आपके खून में पैक हो गया और विकास कम्प्यूटर में फीड हो गया। अब कुछ हो नहीं रहा है न। जमीन पर तो कुछ नहीं हो रहा, केवल बातें हो रही हैं। अन्तरआत्मा से आप सब लोग चाहते हो कि श्रवण कुमारजी जो कह रहे हैं, वह सही कह रहे हैं। पर आप यहां बोल नहीं सकते, पाबन्द हो, कई तो मंत्री बनने के चक्कर में है। अभी 6 मंत्रियों की कमी हैं न, तो मंत्री बनने के चक्कर में लोग पागल हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो आपने महामहिम का अभिभाषण लिखवाया है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं और जनता के लिये आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिये ढाई साल में आप काम करो। जनता आपको कम से कम धन्यवाद तो देगी कि कुछ किया है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया, हमारी बात सुनी, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती कामिनी जिन्दल।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिये मुझे जो समय दिया गया है, उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। इस अभिभाषण पर मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया के लिये दो पंक्तियां कहना चाहूंगी-

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

'आवाज तो है तेरी, पर कहता कोई और है,

झूठी तेरी बातें, झूठा तेरा ठौर है।।

महोदय, जिस सुराज की परिकल्पना को सरकार द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया है, सभी का ध्यान सुराज संकल्प यात्रा के दौरान की गयी घोषणाओं की ओर लाना चाहूंगी, उन्होंने बड़े गर्व से राजस्थान सरकार का नीति पत्र घोषित भी किया परन्तु उसे लागू करने की आज तक नीयत दिखाई नहीं दी। सरकार के कार्यक्रम 'न्याय आपके द्वार' अन्याय की भेंट चढ़ गये हैं। श्रीगंगानगर जिले में हजारों फाइलें, आवेदन जिला कलक्टर कार्यालयों के गोदामों की आज भी शोभा बढ़ा रहे हैं। मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की शुरूआत गलत हुई। जनता में जागरुकता जगाने के नाम पर, आर्थिक सहायता के नाम पर झोली फैलाये नेता घूम रहे हैं, जिसका कहीं भी कोई हिसाब-किताब नहीं है और अभी से उसमें भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। यह जल स्वावलम्बन है या वसुन्धरा सरकार का अपना स्वावलम्बन है, यह समझ से परे है। भामाशाह योजना को राजस्थान सरकार द्वारा ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह क्या कह रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम कुछ कहेंगे तो आपकी डांट लगेगी। कुछ बोलेंगे तो आपकी डांट पड़ेगी। कुछ बोलेंगे तो आप डांटते हो। क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान) कहां जा रहे हैं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है? प्लीज इसका नाम बतायें। (व्यवधान)

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): राजस्थान सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना बताकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इसका राइटर कौन है? (व्यवधान)

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): इससे आमजन को लाभ मिलने के बजाय...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): कितने आवेदनों का निस्तारण हुआ, यह तो बता दीजिए। इसका भी गुणगान कर लीजिए कि इतने जो आवेदन आये, इतनी एप्लीकेशंस आयीं उनका निस्तारण हुआ। इनका भी तो हवाला दे दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय ने आपको बोलने के लिए नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजें। आप विराज जाएं। हमारे वरिष्ठ सदस्य कुछ फरमाना चाहते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि यह सदन बहस के लिए है। माननीय सदस्य उस पक्ष के या इस पक्ष के, कोई भी बात कहें और उससे सत्ता पक्ष के व्यक्ति कोई बात कहें और विपक्ष असहमत हो तो बीच में तत्काल खड़ा होना मैं समझता हूं संसदीय परम्पराओं में यह उचित नहीं है।

माननीय सदस्या बोल रही हैं, जल स्वावलम्बन के लिए कोई आलोचना भी होगी तो कुछ तो बर्दाश्त करिये। आप पार्लियामेंट्री मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): बिलकुल। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): लांछन नहीं लगाना चाहिए। सुरानाजी, लांछन थोड़ी लगा सकते हैं, वो लांछन लगा रहे हैं। बोलो, आलोचना यह थोड़ी होती है। व्यक्तिगत लांछन कैसे लगा सकते हो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं अर्ज करना चाहता हूं। (व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य के एक-एक वक्तव्य को कोई आपत्ति, पांच आदमी खड़े हो जाएं तो भाषण क्या होगा।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): पर व्यक्तिगत लांछन तो नहीं लगा सकते।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): कोई अनर्गल बात, वाद-विवाद नहीं करें (व्यवधान) सुरानाजी, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय टीटी साहब, संसदीय परम्पराओं की बात कह रहा हूं, मैं बहस की बात कह रहा हूं। कुछ तो टोलरेंस होनी चाहिए लोकतंत्र में अन्यथा बहस क्या होगी। हम किसी की भी कितनी ही बात से असहमत हो सकते हैं, हमारा नम्बर आये तब बोलिये। सत्ता पक्ष के 160 सदस्य हैं, कोई भी बोल लेंगे, कोई भी उसका खण्डन कर देंगे, दिक्कत क्या है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही मेरा निवेदन है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सुराना साहब, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह एक-एक वक्तव्य पर पांच लोगों का खड़ा होना उचित नहीं है चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों।

श्री उपाध्यक्ष: अगर किसी सदस्य के वक्तव्य में कोई शब्द आपत्ति-जनक हो तो वो अपलिखित हो जायेगा। अब आप विराज जाएं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति बोले, इनका हर चीज में खड़ा होना जरूरी है क्या? जो भी बोलता है उसकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। एक महिला सदस्य होने के नाते उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी पार्टी के दो विधायक हैं या किसी पार्टी के बीस विधायक हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उनकी आवाज दबाई जाए। यह आवाज कैसे ही नहीं रुकेगी, हम दबने नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आसन पांवों पर है, विराज जाओ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप भी विराजें। अब आप यह बताइये, इस सदन को आसन चलायेगा या आप चलाओगे? तो फिर आप विराजे रहो न। सम्माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ...(व्यवधान) सुराना साहब की बात सही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन्होंने संसदीय परम्पराओं की बात की है।

श्री उपाध्यक्ष: अब यह भी संसदीय परम्परा नहीं है कि आसन पांव पर हो और आप खड़े हो जाएं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साहब, सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात भी गम्भीर है और वरिष्ठ सदस्य का कहा हुआ कथन भी ठीक है। मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। सत्यता पर आप परख कर अपना वक्तव्य दें तो निष्ठापूर्वक पूरा सदन भी सुनेगा। इसलिए आप सब को आसन की तरफ से यह विनम्र निवेदन है। अब आप सब विराज जाएं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साहब, लिखित थोड़ी बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आसन चाहे तो लिखित भी बुलवा सकता है और लिखा हुआ ले भी सकता है और रिकार्ड पर भी ला सकता है। अब विराज जाओ।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): ठीक साहब, ठीक, धन्यवाद।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): किसी भी सामाजिक योजना का लाभ लेना हो तो लाएं भामाशाह कार्ड, राजकीय चिकित्सालय में दवाइयां लेनी हों तो लाएं भामाशाह कार्ड। यह भामाशाह कार्ड कहां से लाएं? आज भी यह

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

कार्ड लोगों को मिले नहीं हैं और अगर मिले हैं तो 70 प्रतिशत से भी ज्यादा कार्ड सीडिंग के माध्यम से लम्बित हैं।

रिसर्जेंट राजस्थान का भी राजनीतिकरण किया गया। जिस कम्पनी अथवा व्यक्ति से किसी भी प्रकार के निजी हित साबित हुए वहां से एम.ओ.यू. कर लिया गया। दूसरी तरफ प्रदेश में कितने ही समाजसेवी, कितने ही भामाशाह द्वारा प्रदेश के विकास में ...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या-क्या बोल रहे हैं।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): उपाध्यक्ष महोदय, आसन द्वारा यह बार-बार कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की असभ्य तरह की भाषा का प्रयोग न करें। दूसरे लोगों के द्वारा बार-बार आरोप लगाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: Let us speak…(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): यह असभ्य बात है क्या? (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क दवाई में कहीं पर भी भामाशाह कार्ड और ...(व्यवधान) नहीं मांगते।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): उपाध्यक्ष महोदय, बारबार आरोप लगाये जा रहे हैं।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): तो दस घंटे आप खुद भी बोले थे। (व्यवधान) आप तो दस घंटे ...(व्यवधान) बैठ जाइये।

एक माननीय सदस्य: इसको आसन तय करेगा।

श्री रामचन्द्र (डग): यह झूठी और अनर्गल बातें करके इस सदन को भ्रमित कर रहे हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपका हर चीज में बोलना जरूरी है? आसन तय करेगा।

श्री उपाध्यक्ष: आसन आप से निवेदन कर रहा है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे इस सदन में उत्तेजना ना फैले।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): सर, मैं तो जो भी बोल रही हूं उससे उत्तेजित ही हो रहे हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): कम से कम कुछ तो सच हो उसके अन्दर।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): आपका सब झूठ ही है तो सच क्या बोलूं।

भामाशाह योजना के तहत मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना, बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल., अन्नपूर्णा आदि योजनाओं की राशि का हस्तान्तरण सीधे बैंक खातों में करवाने का दावा भी खोखला है क्योंकि अभी तक भामाशाह कार्ड पूरी तरह मिल नहीं पाये हैं। दूसरी ओर जो महिलाओं के खाते के अन्दर पैसे जाने की बात है तो कई महिलाएं ऐसी हैं, मैं स्वयं भी मिली हूं, जिनके बैंक खाते ही नहीं हैं, उनको जानकारी ही नहीं है बैंक खाते कैसे बनते हैं तो यह राशि कहां जा रही है, यह पता नहीं चल पा रहा।

नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने, राज्य राजमार्गों को क्रमोन्नत करने की घोषणा श्रेय लेने मात्र रह गयी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का स्टेट हाई-वे नम्बर 62 श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ आज भी खून के आंसू रो रहा है। गत विधान सभा सत्र के दौरान जब मैंने इस पर ध्यान आकर्षण लगाया तो जरूर इस पर पैच वर्क किया गया पर जैसे ही विधान सभा सत्र खतम हुआ यह सड़क भी टूटती हुई नजर आयी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): लुक की जगह थूक लगाया।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सभी आंकड़े बड़े आकर्षक प्रस्तुत किये गये हैं। कई गांव आज भी सड़क से महरूम हैं, यह सच्चाई है। आज भी वहां लोगों को धूल के गुबारों के बीच से जाना पड़ रहा है। तो यह सड़क का जाल कहां बिछाया गया है, यह जरा बताएं।

गौरव पथ योजना केवल भा.ज.पा. मंत्रीगण, विधायक अथवा पूर्व विधायकों के शिलान्यास पट्टिका पर नाम छपवाने और फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह गये हैं। गंगानगर के कई गौरव पथ तो धूल-मिट्टी की गाथा खुद ही स्वयं बयान कर रहे हैं परन्तु उसके पास में लगी शिलान्यास पट्टिका पर पूर्व विधायकों के नाम जरूर चमक रहे हैं।

मिसिंग लिंक सड़कों के लिए माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री ने सभी विधायकों के प्रस्ताव लेने की घोषणा की। क्या ऐसे प्रस्ताव लिये भी गये या ऐसी अगर स्वीकृति दी गयी तो कौन से कमरे में दी गयी, यह हमें ज्ञात नहीं।

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

उपाध्यक्ष महोदय, डिग्गी से संचालित पेयजल योजनाओं के दुरुस्तीकरण की घोषणा की गयी लेकिन बजट के अभाव में इनकी डी-सिल्टिंग और सफाई इत्यादि का कार्य सम्भव नहीं हो पाया।

जनता जल योजना पहले से ही दम तोड़ती नजर आ रही है फिर भी सरकार आंकड़ों का खेल खेलकर कौन सी वाहवाही बटोर रही है?

राजकीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में बनाने की बात है। आदर्श विद्यालय क्या ऐसा होता है जहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर ना हो, जहां पर स्टाफ ना हो, जहां पर बच्चे आज भी पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, यह कैसा आदर्श विद्यालय है?

राजकीय महाविद्यालयों में युवाओं को रोजगार की जानकारी देने के लिए रोजगार प्रकोष्ठों की स्थापना केवल कागजी कार्यवाही है। गंगानगर जिले में महाविद्यालय में आज तक लैक्चरर पद रिक्त हैं और आज भी वहां पर बच्चे अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर रोजगार की बातें थोथी कल्पना ही है।

कुपोषण की समस्या, इसके लिए हमारी सरकार ने पोषण कार्यक्रम चलाया लेकिन मैं गंगानगर की स्थिति बताऊं, वहां पर इसके लिए यह जो कमरा बनाया गया है वो हमेशा खाली रहता है। वहां पर न संसाधन है, न मशीनरी है, न मरीज है, मरीज जानते ही नहीं कि कुपोषण है क्या। तो इसका भविष्य भी गर्भ में ही नजर आता है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशाओं से अनेक तरह के कार्य करवाये जाते हैं लेकिन उनके मानदेय के मामले में श्रम कानूनों के न्यूनतम वेतन की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क जांच योजना के लिए प्रशिक्षित स्टाफ ही नहीं है। यहां तक कि गंगानगर के अन्दर चिकित्सालय में जो भी मशीनें हैं एंडोस्कोपी की, टीएमटी की, सीटी स्कैन की लाखों की मशीनें धूल फांक रही हैं।

देश में आयुष का सबसे बड़ा आधारभूत ढांचा राजस्थान में होने का दावा किया जा रहा है परन्तु असल बात यह है कि आयुर्वेद की हालत सबसे ज्यादा खराब है। आयुर्वेद के जितने भी चिकित्सा अधिकारी हैं उनके पास बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है, वाहन तक नहीं है और ना ही उचित संसाधन

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

हैं और ना ही उसके लिए अलग से काउंटर है। उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने बड़े गर्व से पंजीकृत गऊ शालाओं के अनुदान की बात की परन्तु गंगानगर-हनुमानगढ़ के क्षेत्र में पिछले दो सालों से किसी को भी अनुदान नहीं दिया गया और आज वे ही आन्दोलन की राह पर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी भी समय है, आगे बजट सत्र आना है और मैं यह चाहती हूं कि गंगानगर के साथ अभी तक जितना भी सौतेला व्यवहार आपने किया है, संभल जाएं और यह आशा करती हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोरधन।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री गोरधन (धोद): ×××

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): ×××

(14.00 बजे)

श्री गोरधन (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आसन की बगैर अनुमति से जो भी टिप्पणियां हुई हैं या वक्तव्य आये हैं, वह अंकित नहीं होंगे।

श्री गोरधन (धोद): माननीय सदस्या ने जिस प्रकार से अभी कहा, ना तो उन्होंने कांग्रेस की तरफ से बखान किया है और पता नहीं कौनसी पार्टी से वह बिलोंग करते हैं। यह असत्य से असत्य आंकड़े लाकर के यहां पर पेश किये गये हैं। उनको यह भी पता नहीं है कि भामाशाह योजना क्या है, गौरव पथ क्या है। उनको यह भी पता नहीं कि रिसर्जेंट राजस्थान में कितने क्या एमओयू हुए हैं। मैं माननीय सदस्या को और सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हमारी पूरी कैबीनेट और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक गण मिलकर के इस राजस्थान के विकास में योगदान कर रहे हैं।

(श्री गोरधन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान को पिछले 5 साल में कांग्रेस ने जिस प्रकार से एक बीमारु राज्य की श्रेणी में लाकर के खड़ा कर दिया था। वहां से इन 2 सालों की उपलब्धियों के सम्बन्ध में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमान संभाली है राजस्थान ने भारत के नक्शे में एक अलग पहचान बनायी है। मैं सोचता हूं कि पूरे भारत में राजस्थान को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए हमारे सभी माननीय मंत्री गण और माननीय वसुंधरा जी प्रयत्नशील हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि रिसर्जेंट राजस्थान जब हुआ और देश के उद्योगपतियों, बाहर के उद्योगपतियों और राजस्थान के प्रवासी उद्योगपतियों ने राजस्थान में आकर यहां उद्योग लगाने के लिए आशा जाहिर की थी। रिसर्जेंट राजस्थान में 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं। अब सुनने की क्षमता भी नहीं है आपमें। सही बात कहते हैं तो आपको वैसे ही बुरी लगेगी। जिस प्रकार से आप अभी बखान करके गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुराज संकल्प यात्रा माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में निकली थी। उसके दौरान हमारे राजस्थान के विभिन्न गांवों में, विभिन्न तहसीलों और विभिन्न जिलों में समस्याएं माननीय वसुंधराजी को देखने को मिलीं। जब हमारी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कमान सौंपी तो उन सब वादों को, उन सब समस्याओं का निराकरण करने के लिए माननीय वसुंधराजी ने जिस गति से काम किया है उसके लिए वह वास्तव में धन्यवाद की पात्र हैं। मैं मेरी ओर से और मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद की ओर से माननीय वसुंधराजी को शुभकामनाएं और हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस दूरदर्शी सरकार ने चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे खनन हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे निवेश हो, चाहे प्रोत्साहन हो, सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप सहित अनेक नीतियां जारी की हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा न्याय आपके द्वार, यहां पर माननीय अजय सिंह किलक बैठे हैं, हमारे सीकर जिले के प्रभारी हैं, मैं और किलक साहब लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र की एक पंचायत में गये। वहां पर एक व्यक्ति जो 40 साल से सेना में था, वह जब रिटायर होकर अपने गांव आया, उसका नाम था मोहम्मद रजाक, उसके नाम पर उसकी जमीन का स्वामित्व नहीं था। जब न्याय आपके द्वार कार्यक्रम

(श्री गोरधन)

में उसको स्वामित्व दिया गया तो वह इतना खुश था कि बार-बार वसुंधराजी की बड़ाई कर रहा था। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ाई कर रहा था।

मैं सोचता हूं कि माननीय वसुंधराजी द्वारा गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी राजस्थान में जो भी वर्ग रहता है, उन सभी वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने का जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, वह वास्तव में देखने लायक है। यहां पर हमारे माननीय टीटी साहब बैठे हैं। उनकी एक ऐसी योजना है, श्रम विभाग द्वारा, उसमें जब गरीब की बच्ची स्कूल में जाती है तो 6 से लेकर के 9वीं तक पढ़ाई पर उसको 9 हजार रुपये की सहायता शिक्षा के लिए दी जाती है। यदि 9 से 12 में पढ़ती है तो उसमें बच्ची को 16 हजार और बच्चे को 15 हजार रुपये की सहायता दी जाती है।

मैं सोचता हूं कि यदि एक गरीब का बच्चा, एक कर्मकार का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, डाक्टर बनना चाहता है, यदि वह वैज्ञानिक बनना चाहता है, यदि वह अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए प्रयास करता है और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करता है, चाहे आईआईएम करता है, तो उसको सरकार के द्वारा, श्रम विभाग के द्वारा 25 हजार रुपये की प्रति ईयर सहायता दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि उस मजदूर को जो कि हाथ का काम करता है, जो कि श्रम विभाग में रजिस्टर्ड है, क्योंकि पहले यह रजिस्ट्रेशन केवल जिले में होता था, जिले के श्रम विभाग में होता था और आज यह रजिस्ट्रेशन उस ग्राम पंचायत में, उस गांव में ग्राम सेवक के द्वारा भी किया जाता है। यह एक इतनी बड़ी योजना है जिसमें उस मजदूर की यदि कहीं आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो सरकार की ओर से 10 लाख रुपये दिये जाते हैं। मैं सोचता हूं कि यह अपने आप में कम बात नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राठौड़ साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो जीएनएम की भर्ती की है, यह भारत की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। आज तक स्वास्थ्य विभाग में 12 हजार की भर्ती किसी ने एक साथ नहीं की है। उन्होंने चाहे डाक्टर्स की भर्ती हो, चाहे एनआरएचएम के द्वारा जीएनएम की भर्ती हो, इतना ही नहीं उन्होंने चाहे चिकित्सक हो, चाहे चिकित्सा कर्मी हों जो दुर्गम क्षेत्रों में लगे हैं, उनके लिए भी 10 हजार से लेकर

(श्री गोरधन)

30 हजार तक का विशेष पैकेज देने की भी योजना है। हमारी राजस्थान सरकार में ऐसे मंत्री विराजमान हैं तो मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई हिला नहीं सकता है।

चाहे हमारे माननीय युनुस खानजी हों, उन्होंने सड़कों के रूप में पूरे राजस्थान में जाल बिछाया है। चाहे नेशनल हाई-वे हों, चाहे स्टेट हाई-वे हो, चाहे जिला सम्पर्क सड़कें हों और चाहे ग्रामीण गौरव पथ हों, इन्होंने सड़कों के क्षेत्र में काम किया है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान में ऐसा काम या तो पहले वसुंधराजी के समय हुआ था या माननीय भैरोंसिंहजी के समय हुआ था। बाकी समय में कुछ नहीं हुआ।

मेरा क्षेत्र पिछले 20 साल से कम्युनिस्टों के चंगुल में था। कम्युनिस्टों के चंगुल से निकलने के बाद इन 2 सालों में धोद के लोगों को आशा बंधी है। उसी आशा पर मैं और हमारी सरकार प्रयत्नशील हैं कि उस क्षेत्र में जितना हम काम करें तो वह कम है। वह बहुत बड़ा क्षेत्र है और 20 साल से वह उपेक्षित क्षेत्र रहा है। तो इसलिए मैं यह सोचता हूं कि उस क्षेत्र पर विशेष ध्यान हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धरा राजेजी और माननीय सभी मंत्रीगण उसका रखेंगे।

मैं आपको, माननीय उपाध्यक्ष महोदय बताना चाहूंगा कि जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी का जल स्वावलम्बन अभियान, मैं सोचता हूं कि इस अभियान की जब शुरूआत हुई थी तो इसमें कोई एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, हो सकता है कि क्योंकि कांग्रेस को तो बुराई करना या उसको तो यह कहना ही है कि यह अच्छा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से यह जल स्वावलम्बन अभियान है इसमें प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह साधु संत हो, चाहे पीठाधीश्वर हो, चाहे अधिकारी, कर्मचारी हो या जन जनप्रतिनिधि हो, सब लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और आने वाले उस कल की चिंता की है। तो मैं माननीय वसुन्धराजी को भी इस कार्यक्रम के लिए क्योंकि वैसे तो वह हमारी नेता हैं, इसलिए सभी कार्यक्रमों का मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरी ओर आप इशारा कर रहे हैं तो मैं दो मिनट का समय चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे चाहे ऊर्जा विभाग हो, ऊर्जा विभाग में माननीय ऊर्जा मंत्रीजी के द्वारा 74 लाख एलईडी लाइट दी

(श्री गोरधन)

गई है क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सौ वाट का वल्ब या तीन या पांच वॉट की एलईडी जलती है तो मैं सोचता हूं कि दस एलईडी लाइट और एक बल्व बराबर होता है तो कितनी इस राजस्थान की बिजली की बचत हो रही है।

जिस प्रकार से बिजली के क्षेत्र में प्रयास किए गए हैं तो मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यह दो साल में जिस प्रकार का माननीय मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी के नेतृत्व में काम किया है, चाहे किसान हो चाहे युवा हो चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे हमारे कृषि एवं पशुपालन मंत्री के द्वारा हो, जिस प्रकार का काम किया गया है तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान को एक नई दिशा मिलेगी और भारत में यह राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में होगा।

मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द। वन्दे मातरम।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ललित कुमार। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि दस मिनट का अगर आप समय लेंगे तो हमारे पास जितनी सूची है उसको एक घंटे में पूरी कर लेंगे, अन्यथा बाकी माननीय सदस्य बोलने से रह जाएंगे।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

हम पिछले तीन दिन से उनके अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि उनका अभिभाषण सरकार के पिछले दो साल के कार्यकाल का बहुत बड़ा प्रतिबिम्ब है। इसको प्रदेश और पूरे भारत में देखते हुए, मैं यह कहूंगा कि पिछले सवा दो साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र और राजस्थान में जो काम हुए, वे वास्तव में अविस्मरणीय हैं।

मैं आपको यह कहूंगा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सरकार ने हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैम्प लगाकर न्याय के लिए आपसी झगड़ों के समझौतों में समझाइश करवाई, उन मुकदमों में हम खुद जनप्रतिनिधि गये। कई कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार और आम जन को न्याय आपके द्वार कार्यक्रम से बहुत बड़ा फायदा मिला।

भामाशाह योजना, भामाशाह स्वास्थ्य योजना, सम्पर्क पोर्टल, ये ऐसे माध्यम हैं जिनसे आम जन को, राजस्थान की त्रस्त जनता को बहुत बड़ा

(श्री ललित कुमार)

फायदा मिला है। मैं यह कहूंगा कि भामाशाह योजना के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी की दूरदर्शी सोच है। उसमें महिला को परिवार का मुखिया बनाया है और कई बीपीएल खातों में दो-दो हजार रुपए तक खातों में भामाशाह योजना में आए हैं।

वहीं मैं यह कहूंगा कि मेरे क्षेत्र की जलदाय विभाग की पीएचईडी की कम से कम पिछले सवा दो साल में नौ एसएलआर टंकियां बनी हैं जिनके माध्यम से आज पेयजल की बहुत बड़ी व्यवस्था मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुई है। मेरा विधान सभा क्षेत्र एक आदिवासी सहरिया क्षेत्र है। मैं यह कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा दीगोद वीरान एक मेरा एनीकट पार्वती नदी पर पड़ता है बारां जिले में उसमें 50 गांवों को पेयजल की व्यवस्था हेतु स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए मैं पीएचईडी मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

वहीं मैं चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि सात नए मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए भारत सरकार से एमओयू हुआ है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है कि आगामी आने वाले समय में हमको बीमारियों के लिए जो डाक्टर्स चाहिए वह हमारे मेडिकल कालेज से ही पढ़कर निकलेंगे। आरोग्य राजस्थान, के माध्यम से परिवार के सभी व्यक्तियों का हैल्थ कार्ड बनाया जाएगा जिसमें पूरा ब्यौरा उस परिवार के उस व्यक्ति का होगा।

वहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमारे पीएचसी समरानिया और नाहरगढ़ में, आदिवासी सहरिया क्षेत्र होने के कारण चिकित्सा व्यवस्था हेतु मेरा चिकित्सा मंत्री महोदय से बहुत बड़ा अनुरोध है कि इसको क्रमोन्नत करते हुए सीएचसी करें। एमटीसी केन्द्र मेरे विधान सभा क्षेत्र में चलते हैं, सहरिया बच्चे और आदिवासी कुपोषित बच्चों के पोषण की व्यवस्था के लिए जो एमटीसी केन्द्र चलते हैं उनमें सरकार द्वारा 165 रुपये पर डे दिया जाता है ताकि बच्चे इलाज करवा सकें और हमारे सहरिया परिवारों का उत्थान हो सके।

मैं यह कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में विद्युत, हमारे यहां पर बैठे हुए प्रतिपक्ष के भाई कहते हैं कि विद्युत के क्षेत्र में क्या हुआ, तो मैं यह कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस राजस्थान में पिछले आठ साल से

(श्री ललित कुमार)

लम्बित पड़े हुए 132 जीएसएस के स्टेशनों का काम वर्तमान में चालू हुआ है, मेरे 132 किशनगंज अभी वर्तमान में कार्यरत है और 132 मामोनी मेरा चालू हो चुका है, वहीं 33 केवी के चार स्टेशन सवा दो साल में कार्यरत कर जनता को समर्पित कर दिए हैं।

इसी के साथ पिछले साठ साल में जो आदिवासी सहरिया क्षेत्र में काम नहीं हुए, पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं यह कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गौरव पथ के साथ-साथ मिसिंग लिंक जैसवा और गड़वा, ऐसा मिसिंग लिंक जिससे 24 गांव और 16 गांवों को मिसिंग लिंक से जोड़ते हुए पूरे गांवों को बहुत बड़ा फायदा मिला है। पिछले साठ सालों में जो काम नहीं हुए, मेरे आठ पुलियाएं ऐसी थीं जिसके लिए मैंने हमारी सरकार आते ही माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी से आग्रह किया था कि 22 करोड़ 75 लाख रुपए उन आठ पुलियाओं के लिए स्वीकृत किए। हमारे यहां बारां जिले में कांग्रेस के सरकार में पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, 2009-10-11 के कार्यकाल में जब इनकी सरकार थी, एक रोड, एक पुलिया नहीं बनी पर वर्तमान में माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 22 करोड़ 75 लाख रुपये स्वीकृत करते हुए मेरे क्षेत्र को विशेष तवज्जोह दी।

मैं यह कहूंगा कि मेरे किशनगंज शाहबाद में फोरेस्ट का एक बहुत बड़ा एरिया पड़ता है, पूरे बारां जिले में 26 रोड फोरेस्ट के कारण अटके हुए थे। आज वर्तमान में हमारी केन्द्र में सरकार बनने के बाद और राज्य में हमारी सरकार होने के बाद 26 में से 23 रोडों की अभी एक डेढ़ महीने पहले ही स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह भी मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है।

वहीं मैं यह कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से गोपालपुरा जो हमारा 35 साल पुराना स्टेट टाइम का डैम है उसमें पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 20 करोड़ की बहुत बड़ी घोषणा की थी। आज वर्तमान में उस गोपालपुरा डैम की नहरों के जीर्णोद्धार के लिए कार्य प्रगति पर है। इसके लिए मैं सिंचाई मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। आमदी सिंचाई परियोजना जो मेरे फोरेस्ट के कारण अटकी हुई थी, उसकी क्लीयरेंस 2014 में मिलकर आज वर्तमान में वह कार्यरत है। 2003 से 2008 के कार्यकाल में जो किशनगंज-शाहबाद में हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी के

(श्री ललित कुमार)

कार्यकाल में काम हुए, उसमें हमारा नारायण खेड़ा से सेमली फाटक और हमारे कून् एमपी से सटा हुआ मेरे विधान सभा क्षेत्र में कून् नदी एक बहुत बड़ी नदी है, यह जो आठ पुल बनेंगे यह उसी नदी पर बनते हुए 162 गांवों को जोड़ेंगे और उसी कून् नदी पर आठ चैक डैम बने हैं वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी मैं यह कहूंगा कि इसी के अलावा बिलासी मध्यम सिंचाई परियोजना जिसके लिए मैं सिंचाई मंत्रीजी से बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको जापानी जायका परियोजना में डीपीआर बनाकर प्रस्ताव हेतु भिजवाया है।

वहीं एग्रीकल्चर के किसान पथ के लिए हमारे कृषि मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगा कि कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से आज मेरे 32 गांवों में किसान पथ बनकर तैयार हो चुके हैं।

केन्द्र सरकार के हमारे प्रधान मंत्रीजी के नेतृत्व में आपदा प्रबन्धन, पिछले साल बहुत बड़ी त्रासदी हुई। मैं यह कहूंगा कि फसल बीमा योजना में हमारे किसान को जो फायदा मिलना चाहिए और जो मिल रहा है उसमें प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने संशोधन करते हुए किसान का कितना ध्यान रखा है।

पंचायती राज के अन्तर्गत मैं यह कहूंगा कि पंचायती राज का पुनर्गठन हुआ है। पूरे राजस्थान में 1423 ग्राम पंचायतें बनीं। वहीं पूरे बारां जिले में 7 ग्राम पंचायतों में से 6 मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनीं। आज उन 6 ग्राम पंचायतों में टीएफसी, अनटाइड फण्ड के माध्यम से, एसएसबी फण्ड के माध्यम से अलग से फण्ड आ रहा है। आज वे पंचायतें बनी हैं तो उनके विकास के लिए भी अलग से फण्ड आ रहा है। इसका स्थानीय और मेरे क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा मिला है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन पंचायती राज और नगरपालिका चुनावों में हमारे जन-प्रतिनिधियों के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दसवीं पास क्वालिफिकेशन रखी। वास्तव में नये नौजवान, आगे आने वाले पढ़े-लिखे आएं इसलिए पूरे भारत में यह बहुत बड़ा काम किया है।

मैं यह कहूंगा कि रिसर्जेंट राजस्थान का पूरे राजस्थान में इण्डस्ट्रीज को बुलाने के लिए बहुत बड़ा आयोजन किया, 19 से 20 नवम्बर, 2015 को। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं यह कहूंगा कि मेरे शाहबाद आदिवासी अंचल

(श्री ललित कुमार)

में 800 करोड़ की लागत का एक इण्डस्ट्रियल एरिया मुख्य मंत्रीजी ने घोषित किया है और 90 करोड़ की बाटलिंग प्लांट की एक इण्डस्ट्री भी वर्तमान में आ गयी है और उसका कार्य वर्तमान में चालू कर दिया है।

मैं एजुकेशन के क्षेत्र में कहूंगा, हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां विराज रहे हैं 138 तहसीलों में बीएड कालेज खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र राजस्थान सरकार ने जारी किया है, यह भी अपने आपमें बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से, टेट को बंद करके रीट का एग्जाम मुख्य मंत्रीजी ने कराया।

मैं कहना चाहूंगा हमारे नगरपालिका क्षेत्र में अमृत योजना के माध्यम से 29 शहरों को केन्द्र सरकार ने 1919 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को दिये हैं। इनमें हमारे बारां शहर मुख्यालय को लिया गया है।

जनजाति मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगा कि मेरे यहां 22500 सहरिया परिवारों को दो किलो दाल, दो किलो तेल और एक लीटर घी नि:शुल्क दिया जाता है। वर्तमान में इसको बढ़ाते हुए दोबारा सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे के परिणामस्वरूप लगभग 29600 परिवार आ चुके हैं।

इसके अलावा मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: अगर आपने दो मिनट और ले लिये तो जो आपके बाद बोलेगा उसके 7 मिनट कम हो जाएंगे।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि कल हमारे माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि हमारे प्रधान मंत्री ने यह किया, हमारे प्रधानमंत्री ने वो किया, मैं यह कहूंगा कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री, यूपीए गवर्नमेंट के आपके प्रधानमंत्री का तो 2जी, कोयला घोटाले में नाम तक आ गया है लेकिन आप यह देख लीजिए, हमने अगर कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं कि दो-चार दिन से हमने कुछ नहीं किया, हम मान लेते हैं, लेकिन आपका कामनवैल्थ घोटाला, आपका तेलगी घोटाला, बोफोर्स, और घोटाले आपके सामने हैं, मैं यह कहूंगा कि इस सदन के पूर्व सदस्य, पिछले कार्यकाल के वर्तमान में जेल में हैं। ऐसी चरित्रहीनता और ऐसे कारनामे तो हमने नहीं किये। आज हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो काम करके दिखाये वे आपके सामने हैं।

(श्री ललित कुमार)

वहीं मैं एक और चीज कहूंगा। यूपीए सरकार के दामाद, हरियाणा घोटाले में आज उनका कोर्ट में केस चल रहा है। मैं यह कहूंगा कि आप अपना चरित्र देखिए। आप अपनी एक अनुशंसा कीजिए कि आपने क्या किया।

यह कहते हुए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कंवर लाल।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

कांग्रेस की सरकार दो वर्ष पूर्व बीमारू प्रदेश छोड़कर गयी थी। सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने कुशल प्रबंधन, जनता के आशीर्वाद से राजस्थान को विकासरूपी पटरी पर ला खड़ा किया। अब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से राजस्थान विकास की ओर दौड़ता हुआ नजर आता है।

राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी की कमी आती है। राजस्थान का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में समझ आती है कि रेगिस्तान। जमीन में पानी पूरा हो और राजस्थान में पूरे क्षेत्र में पानी मिले, इसको पूरा करने के लिए राजस्थान की सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फार वाटर कंसेप्ट योजना को लागू किया। सिंचाई मंत्रीजी बैठे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इधर महारानी साहिबा ने धार्मिक स्थान से यात्रा शुरू की और साथ-साथ में जो टीम है, फार वाटर कंसेप्ट को सर्वे करने के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने सर्वे किया। जैसे ही राजस्थान की सरकार बनी, फार वाटर कंसेप्ट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग-लगभग 30-40 माइक्रो डैम बने। मैं सिंचाई मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि डैम के साथ-साथ नहरें भी बनाइए। उससे डैम में कितना पानी रुकेगा, कितने जंगली जानवर पानी पिएंगे, कितने पालतू जानवर पानी पिएंगे। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अभी मेरी छोटी बहन, माननीय सदस्या कामिनी जिन्दलजी बोल रही थीं जल स्वावलम्बन में कुछ नहीं हुआ है, भीख मांगने जैसी बात कह रही थीं। वे यहां सदन में नहीं हैं, टीवी के माध्यम से देख रही होंगी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन और फार वाटर कंसेप्ट को अगर देखना है तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं। आप एक बार आकर देखिए।

(श्री कंवर लाल)

इसके माध्यम से जनता को, किसानों को और सब लोगों को कितना फायदा होने वाला है।

माननीय डा. राजकुमारजी कह रहे थे, ये पूर्व में चिकित्सा राज्यमंत्री रहे हैं, मैं इनसे अपेक्षा करता था कि ये चिकित्सा के बारे में बात करेंगे और चिकित्सा के बारे में जो कमी रही है, भामाशाह कार्ड, स्वास्थ्य बीमा योजना में, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन्होंने चिकित्सा के बारे में, चिकित्सा राज्यमंत्री होने के बाद भी चिकित्सा के बारे में एक भी सवाल-जवाब, पाइंट नहीं रखा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने 7 मेडिकल कालेज खोलने के साथ-साथ स्वास्थ्य बीमा योजना में राजस्थान की गरीब जनता को जो फायदा दिया है, जो सम्मान दिया है, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं राजकुमारजी को बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य बीमा योजना में जब वह कार्ड लेकर अस्पताल में जाता है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, वह जाकर भर्ती होता है, भर्ती होने के बाद उसको पैकेज कोड के माध्यम से प्रत्येक बीमारी में पैसा अपने आप कार्ड से कट जाता है और उसका इलाज होता है। इस योजना के माध्यम से हमारी सीएचसी, पीएचसी है उसमें भी जो कमेटी बनी हुई है, यह पैसा उसमें आएगा बीमा योजना का, हमारी सीएचसी, पीएचसी भी अच्छी बढ़ेगी और उसमें जो पैसा आएगा उसमें मशीनें लाकर जो बीमार आते हैं उनका इलाज किया जाएगा। जो प्राइवेट अस्पताल इसमें नामित किये हैं, 320 प्राइवेट अस्पताल इसमें नामित किये हैं, 67 परसेंट जनता इसमें लाभ ले सकती है, 13 दिसम्बर को इस योजना को लागू किया गया है, 1715 बीमारियों को इसमें कवर किया गया है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में दो बीमारी प्रमुख होती हैं उनको इससे वंचित रखा गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अपेंडिक्स और महिलाओं में स्ट्रेक्टमी का आपरेशन इससे वंचित किया गया है। इनको भी जोड़कर जनता को लाभ दिया जाय।

मैं श्रम मंत्री माननीय टीटी साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो गरीब मजदूर हैं, रोड पर रहते हैं, टापरी, छप्पर बनाकर रहते हैं और मकान बनाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनको मजबूत करने के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई हो, उसका रजिस्ट्रेशन पहले जिला लेवल पर होता था अब उस रजिस्ट्रेशन को इतना सरल कर दिया है, पंचायत लेवल पर ग्राम सेवक रजिस्ट्रेशन कर सकता है, डिपार्टमेंट में उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है

(श्री कंवर लाल)

और उसके माध्यम से उनको इतना लाभ मिलने वाला है। मैं सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय और टीटी साहब को धन्यवाद देता हूं कि जो मजदूरी करता है, मात्र 90 दिन उसने किसी के पास काम किया है, ठेकेदार के पास काम किया है, पीडब्ल्यूडी में काम किया है, इर्रिगेशन में काम किया है या किसी के मकान बनाने में भी काम किया है, तो उसको भी पात्र माना है। पात्र बनाने के लिए इतना सरल तरीका बनाया है कि एक फार्म को भरना है, तीन फोटो लगाने हैं और साइन कराकर 90 दिन के सर्टिफिकेट के साथ उसको जमा कराना है। उसके साथ 85 रुपये जमा कराने हैं और श्रम कार्ड बनाना है और उसमें मिलने वाला फायदा इतना है कि अगर उस गरीब की बच्ची, उसका बच्चा अगर पढ़ता है तो उसको छात्रवृत्ति भी मिलेगी। उसके बाद अगर वो अच्छे अंकों से पास होता है तो उसको उसका फायदा भी अलग मिलेगा। अगर उसकी बच्ची 18 साल की होती है तो उसको 55 हजार रुपये शादी करने के लिए भी मिलेंगे और अगर उसके परिवार में मकान नहीं है तो मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये का अनुदान इस योजना में रखा गया है। इसके अलावा भगवान न करे कि उनके साथ कोई घटना घट जाए, अंग भंग हो जाए तो तीन-साढ़े तीन लाख रुपये का फायदा मिलता है और अगर वो व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाता है तो 10 लाख रुपये का इसमें प्रावधान रखा गया है। मैं इस योजना को लागू करने में और इसके रजिस्ट्रेशन को और सरल बनाने में और जो माननीय टीटी साहब ने इस योजना को लागू किया, उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि पूरे राजस्थान में गौरव पथ बनाकर जन-साधारण का गौरव बढ़ाया है। दो वर्षों में 1143 किलोमीटर सड़क बनाकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में चारों रोड की स्वीकृति के साथ-साथ एक पुलिया का निर्माण उन्होंने करवाया जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कालेज खोला है और कालेज उसी साल चालू हो गया। पंचायत स्तर पर राजकीय विद्यालय को 12वीं तक क्रमोन्नत करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(श्री कंवर लाल)

न्याय विभाग की मेरे से पूर्व सदस्यों ने चर्चा की है कि यह मात्र खानापूर्ति की गई है। मैं सबको बता देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदया ने न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में 21 लाख प्रकरणों का निस्तारण करके एक बहुत बड़ा काम किया है। किसी के दादाजी ने केस को लगाया था और पोते ने उस जमीन को प्राप्त किया है, उस निस्तारण को हाथ में लिया है, उस कागज को हाथ में लिया है जिसके लिए उन्होंने बहुत-बहुत धन्यवाद सम्माननीय वसुंधराजी को दिये हैं कि यह न्याय आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर निस्तारण किया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने राजस्थान की सभी पंचायत समितियों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे निस्तारण करने का जो तरीका निकाला है वह बहुत अच्छा है। आने-जाने में कितना खर्च होता है, कितना समय उनका बर्बाद होता है जिससे इस योजना को लागू करके जनता को लाभ दिया है।

राजस्थान सुगम पोर्टल के माध्यम से समस्या के निस्तारण की योजना लागू की है। कोई व्यक्ति एसडीएम साहब या कले(क्टर साहब के पास आवेदन कर देता है, उस आवेदन का जब तक निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक वो जारी रहता है। उसको निस्तारण करने के लिए कर्मचारी उसके घर पर जाता है, साइन कराता है, उसका फोटो खींचता है कि आपका यह काम होने जा रहा है। मैं इस समस्या निस्तारण के लिए इस पोर्टल के राजस्थान सरकार को, माननीय वसुंधराजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

राजस्थान आजीविका मिशन, शहर के बच्चों का कौशल विकास, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे, जो बच्चे निराश हो चुके थे, जो कुछ न करने की स्थिति में आ गये थे, उनको वापस छांटकर, वापस प्रशिक्षण देकर उनको वापस सम्मान देने का जो काम किया है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवीन पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर मेरी पार्टी की तरफ से मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी पार्टी के 20 मिनट मुकर्रर हैं उन्हें 21 ही रहने दीजिये, उन्हें कम मत करियेगा यह मैं आपसे गुजारिश करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार तीन दिन से....

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी का तो पूरा समय ले लिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): चालू करने से पहले, चार सदस्य हैं और उनकी तरफ से अकेला बोल रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन से बड़ी जद्दोजहद हो रही है, बड़ी तगड़ी बहस कई मुद्दों को लेकर हो रही है लेकिन मैं अपनी बात चालू करना चाहता हूं वो इस सदन में जो एक नई परम्परा हुई, उससे चालू करना चाहता हूं। बड़ा अच्छा लगा, मैं बड़ा कायल हूं नई चीज के लिए और बहुत सुन्दर लगा जिस तरीके से महामहिम राज्यपाल को मुख्य मंत्री महोदया सदन में लेकर के आईं और तूती बजी। बिगुल का बहुत महत्व है, सेना में, पुलिस में और पहले जो रण होते थे उनमें बिगुल बजती थी। उसके अलावा एक बहुत सुन्दर नजारा मुझे देखने को मिला, वो पहली दफा यह मिला कि आसन अनेक फूलों से सज़ा पड़ा था। मान लीजिये जैसे कि श्रीनगर का शालीमार बाग़ यहां उतर आया था, लेकिन मैं अचम्भा करता रहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले दिन अचम्भा किया, कोई सुगन्ध नहीं आई। दूसरे दिन मैंने मेरे और साथी भाइयों से पूछा कि आपको कोई खुशबू आ रही है क्या तो उन्होंने कहा कि साहब, हमारे को भी खुशबू नहीं आ रही। आप तो वहां विराजे होंगे, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको भी कोई महक और खुशबू आई थी क्या उन फूलों की? मैं इस पर नहीं जाता हूं।

बात, प्रसंग यह है कि वो बहुत अच्छे फूल थे, I was seeing, lilies were there, orchids were there. शायद अगर रजनीगंधा लगी हुई होती तो वो महक एक महीने तक इस सदन से नहीं जाती माननीय उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं कि यह जो अभिभाषण है, इसमें हर विभाग का उल्लेख है, उपलब्धियां हैं, सैकड़ों काम हैं, हजारों करोड़ के काम हैं लेकिन क्या बात है उपाध्यक्ष महोदय कि प्रदेश की जनता को सरकार की खुशबू नहीं आ रही है, वो महक नहीं आ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि ये लोग क्या समझते हैं लेकिन गांव-ढाणी में बैठे हुए किसान को कोई खुशबू नहीं आ रही है इस सरकार की, यह बड़े अचम्भे की बात है।

मैं उजागर करना चाहूंगा थोड़ी-थोड़ी चीजें इसी तरीके से करके कि महक क्यों नहीं आती है। लेकिन उससे पहले मैं मजबूर हो रहा हूं, मैं नहीं जाना चाहता था इस जेएनयू वाले विवाद पर लेकिन इस सदन में जब भी

(श्री नवीन पिलानिया)

बात आई है सत्ता पक्ष की तरफ से तो तकरीबन हर व्यक्ति ने राष्ट्रीयता को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर बहस की है, चर्चा की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महान देश है, शहीद-ए-आजम भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान ने, राजगुरू, बट्ट केशरदत्त ने ऐसे ही फांसी नहीं खाई थी। अशफाक उल्लाह खान कुरान को चूम कर फांसी के फंदे पर चढ़ा था और उसने कहा था, – 'कोई आरजू नहीं, अगर आरजू है बस कि रख दे एक मुट्ठी वतन-ए-खाक मेरे कफन में।' इस तरीके की मिसाल थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात से अवगत कराना चाहता हूं। शहीद-ए-आजम भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने जो नारा दिया था – अरे पगड़ी सम्भाल जट्टा, अरे पगड़ी सम्भाल ओये, मलवे दे शोर नाल और बलवे दे जोर नाल। 'कदियो नीं हारनो, कदियो नीं हारनो' इस नारे को लेकर के लाहौर और पेशावर, पानीपत और दिल्ली से लेकर, मेरठ और लखनऊ तक अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिल गई थीं। मैं उस राष्ट्रवाद की आज बात करता हूं। मैं उस तरीके के नेशनलिज्म की आज बात करता हूं।

मैं गर्व करता हूं इस महान देश पर, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का आता है, मैं दंग रह गया जब यह बात निकलकर आई, इस देश की अखण्डता और सम्प्रभुत्ता के लिए या किसी भी आतंकवाद के सपोर्ट करने के लिए या देश को बांटने के लिए कहीं पर भी कोई भी आवाज उठाता है तो सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन जेएनयू विवाद खड़ा हो गया। मैंने कुछ दिन चैनलों पर देखा, मैं दंग रह गया। जेएनयू एक बड़ा प्रेस्टीजिय इंस्टीट्यूट है, उसका प्रेसीडेंट इस तरीके की बात कैसे कर सकता है, मुझे अचम्भा आया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कन्हैया कुमार को कोर्ट ने छह महीने की बेल पर रिहा कर दिया और कल वो रिहा हुए। पुलिस के पास साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, इस कारण से उन्हें जमानत मिल गई। कल वह जेएनयू पहुंचे।

मैं यह पूछना चाहता हूं, भुखमरी से आजादी, सामंतवाद से आजादी, संघवाद से आजादी, पूंजीवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। तुम कुछ भी कर लो, आजादी है हक हमारा। यह वीडियो था, यह ओरिजिनल क्लिपिंग थी, यह सभी जेएनयू के छात्रों के पास थी। पुलिस विभाग क्या कर रहा था? पुलिस विभाग में जो डाक्टर्ड वीडियो आया, क्या इतनी इंटेलीजेंस भी नहीं है पुलिस विभाग की?

(श्री नवीन पिलानिया)

और केन्द्र सरकार, केन्द्र का गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? इस सच्चाई तक वह क्यों नहीं पहुंच सकता था कि डाक्टर्ड वीडियो, जो वीडियो दिखाया जा रहा था, वह असलियत में वीडियो नहीं था, वह डाक्टर्ड वीडियो था। घोर अचम्भे की बात है और इसी कारण से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेएनयू ही नहीं, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली के अन्दर अब उन छात्रों को सरकार की कैसे सुगन्ध आ सकती है?

(14.41 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

पूरे देश में यही हाल है और इसी के साथ में यह हुआ।

एक और अजीबो गरीब वाकया हुआ। एक दलित रिसर्च स्कालर रोहित वेमुला का, उसने आत्महत्या की। यह पहली आत्महत्या नहीं है इन केन्द्रीय संस्थानों में, जिनमें दलित छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। अनेकों हुई हैं। उसके ऊपर मंत्री महोदया सदन में बयान देती है कि यह दलित नहीं है। यह गलत बयान देते हैं कि उसके पास किसी डाक्टर को पहुंचने नहीं दिया घंटों तक। वह सारी चीज निकलकर आ चुकी हैं।

मैं अचम्भा करता हूं, यह किस तरीके की राजनीति हो रही है और किस तरीके का माहौल हो रहा है? चारों तरफ देश में जो छात्र हैं, वे उद्वेलित हैं। अब जरा बताइयेगा, सभापति महोदय, मैं अपने आप में मग्न हो गया था, माफी चाहता हूं। माफी चाहता हूं सर। अब आप मुझे बताइयेगा कैसे करके दलित वर्ग में सरकार की खुशबू आएगी? कैसे आएगी, जरा मुझे समझाइयेगा।

इसी के साथ-साथ में मैं एक और बात बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, पिछले दो वर्षों से मेक इन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्टार्ट-अप इण्डिया, स्टैण्ड-अप इण्डिया, सभी तरीके की चीजें हुईं। दो साल बीत जाने के बाद में दिल्ली में और उसके बाद में बिहार में डीएनए की बात कही गई। क्या एक ही डीएनए सही है? ये बाकी सारे डीएनए बेकार हैं? ये सारे डीएनए खराब हैं?

फिर उसके बाद में अब की बार केन्द्र में जो बजट आया है, उसके बारे में यह कहा गया कि यह गरीब और किसान के लिए समर्पित बजट है। बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी आशा हुई। मैं जानता हूं किसान के क्या हालात हैं

(श्री नवीन पिलानिया)

राजस्थान में। घोर, बहुत विकट स्थिति है। उन्होंने यह कहा, पांच साल के अन्दर किसान की आमदनी दोगुनी हो जायेगी।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप विधान सभा में हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय, मैं इसी विधान सभा में हूं और मैंने ही सबसे पहले आसन से पूछा था कि जो चीज इस अभिभाषण में नहीं है, उस पर चर्चा होनी चाहिए क्या? उन्होंने फैसला दिया कि इसका दायरा बहुत व्यापक है और उसके बाद में लगातार चर्चा हुई है। मैं था जिसने टोका था कि यह मत होने दीजिएगा।

किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। मुझे अचम्भा आता है। हर मंच से प्रधान मंत्री महोदय ने भी कहा और केन्द्रीय गृह मंत्री ने भी कहा था, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। किसान को उसकी लागत का डेढ़ गुना पैसा मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करेंगे। इस बजट में कहां है सभापति महोदय? कोरा कहने से दोगुना हो जाएगा? अब किसान को कैसे खुशबू आएगी सरकार की?

मैं आ रहा हूं साहब, यहीं पर आ गया, राज्य पर आ गया।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह बजट भी नहीं है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मुझे बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है। मैंने कोई गलत शब्द नहीं बोला है। कोई गलत शब्द हो तो वह उसमें से हटा सकते हैं। वह व्यवस्था दी जायेगी।

मैं यहीं पर आता हूं, अब यहां के किसान का हाल देख लीजिए। उस बजट से तो निराश होकर बैठ गये। उस बजट में भी सब्सिडी बढ़ाने की कोई बात नहीं थी। अभी माननीय सदस्य पधार गये हैं। इन्होंने कल सारे आंकड़े बताये थे, मैं वह आंकड़े नहीं बताता लेकिन किसान की बूंद-बूंद सिंचाई की सब्सिडी घटा लो, स्प्रिंकलर की घटा लो, फार्म पौण्ड की घटा लो, सोलर पम्पसैट की घटा लो, तो क्या किसान आपको दुआ देगा? आत्महत्या कर चुके। अब इस रिपोर्ट का आंकड़ा पढ़कर आपको बताऊं? नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात को सीमित करें अब आप।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): हैं जी? माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको पता है कि आज सदन की नेता को...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सभापति महोदय, आप यह अन्याय मेरे साथ नहीं कर सकते। मेरी पार्टी के चार सदस्य हैं, बीस मिनट का समय मुकर्रर किया गया है। उसे आप 21 कर सकते हैं, आप उसे 19 नहीं कर सकते।

श्री सभापति: जो समय मुकर्रर किया गया है, उससे ज्यादा आप बोल रहे हैं अब।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैंने कितने बजे चालू किया है?

श्री सभापति: जो आसन द्वारा समय मुकर्रर किया गया है, वह समय आपका पूरा हो गया। आप एक मिनट में अपनी बात कहें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आप कमाल की बात करते हैं। मेरी पार्टी को बीस मिनट का समय है और चार सदस्य हैं हमारे।

श्री सभापति: आज माननीय सदन की नेता रिप्लाई देंगी, इसलिए समय निर्धारित किया है आसन ने।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं, निर्धारित किया हो तो बात अलग है। बाकी को क्यों आपने फालतू समय दिया?

माननीय सभापित महोदय, इसी अभिभाषण में उल्लेख है 58 नम्बर पर, ''रबी 2014-15 में राज्य के 21 जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कर 24 लाख कृषकों को 564 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम्स का भुगतान कर लाभान्वित किया गया।'' ध्यान दीजिएगा और उसके बाद में ''रबी 2014-15 में राज्य के 12 जिलों में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपका समय तो पूरा हो चुका है।

श्री सभापति: आप बैठिये। किसको कितना समय देंगे, यह आसन तय करेगा। आप लोग तय नहीं करोगे। आप कौन होते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, फिर वह कौन होते हैं? नहीं, वह क्यों हैं?

श्री सभापति: आप बैठो ना। आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दें, बस। आपका समय हो गया है और आज माननीय सदन की नेता को बोलना है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): सभापति महोदय, मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? यह सरासर अन्याय है। आपने बसपा को जो समय दिया...

श्री सभापति: आपका जो समय निर्धारित है, उससे ज्यादा आप बोल चुके हो माननीय सदस्य। इसलिए आसन आपसे कहता है कि आप अपनी बात को जल्दी समाप्त कर दें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मेरी एक विनती तो सुनिये। (व्यवधान) पहले मेरी एक विनती सुनिये। आपने बसपा को 15 मिनट का समय दिया, उनके तीन सदस्य हैं, राजपा के चार सदस्य हैं, मैं अकेला उस पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, 20 मिनट मेरा हक बनता है, मेरा हक छीनने का आपको अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

उसी चीज में मैं आपको बताता हूं। आपके ही आंकड़े हैं, इसी में पड़े हुए हैं। मेरी बात तो सुन लीजिएगा। 12 जिलों में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई, पांच लाख 46 हजार कृषकों को 190 करोड़ रुपये दिये गये। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें मौसम बीमा योजना लागू की गई थी, उसमें औसतन किसान को 2,350 रुपये मिला और जिसमें संशोधित बीमा थी, उसमें औसतन एक किसान को 3,480 रुपये मिले। एक किसान को 1,130 रुपये का घाटा हुआ जो मिलाकर 271 करोड़ रुपये पहुंचता है। यह केवल रबी का आंकड़ा है। ये आपके आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं।

अभी मैं खरीफ का भी पढ़कर बताता हूं। यह इसी में लिखा हुआ है, 59 नम्बर पर लिखा हुआ है। "खरीफ 2015 में राज्य के 20 जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के 33 लाख कृषकों को 569 करोड़ रुपये दिये गये और 13 जिलों में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वालों को 11 लाख से अधिक किसानों को 297 करोड़ रुपये दिये गये। इसमें जिनको मौसम बीमा मिला, उनका औसत आया 1,724 रुपये और जहां संशोधित बीमा योजना लागू थी जिलों में, वहां औसत एक किसान को 2,700 रुपये आया, यानी 976 रुपये एक कृषक को नुकसान हुआ, जो मिलकर 322 करोड़ रुपये पहुंचता है। टोटल मिलाकर 593 करोड़ रुपये का घाटा राजस्थान के किसान को इसलिए हो गया क्योंकि कृषि विभाग ने सब जगह संशोधित बीमा योजना लागू नहीं की थी।

यह इसमें लिखा हुआ है मेरा आंकड़ा नहीं है। मुझे अचम्भा होता है कि अब कैसे खुशबू आएगी?

(श्री नवीन पिलानिया)

माननीय सभापति महोदय, पानी से सस्ता दूध और सब्जी से महंगा चारा है। यह स्थिति है। गाय का दूध 17 रुपये लीटर है और बिसलरी की बोतल भी इसी कीमत में मिलती है। यह हालात हैं।

सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मुझे कहने दीजिएगा क्योंकि यह बड़ा गम्भीर विषय है। मेरे यहां अभी आपको बताना चाहता हूं रिंग रोड, रिंग रोड के एक्विजिशन के पिलर्स खड़ी फसल के अन्दर लगे हैं। अचम्भा है यह रिंग रोड के लिए जमीन अवाप्त की गई थी सभी अख़बारों में आया हुआ है वहां काम ठप्प पड़ा है और वह फ़र्म पैसे जमा नहीं करा रही है और मेरे यहां अधिग्रहण की तैयारी की जा रही है। लेंगे वहीं 360 मीटर, 90 मीटर में भी सड़क नहीं बनाएंगे लेकिन लेंगे 360 मीटर।

मैं आपको सरकार का एक आदेश है वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि इनकी नीयत क्या है, उससे समझ में आएगा। यह गजट का है, अधिसूचना, जयपुर 16 अक्टूबर, 2014 । मुख्य बात इसमें यह आई है कि जो 2013 का केन्द्रीय अधिनियम कानून था उसकी संख्या-3 को बदलते हुए ग्रामीण क्षेत्र की दिशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर ये मापदण्ड तय किए गए हैं और नीचे यह लिखा जाता है स्पष्टीकरण- जयपुर, जोधपुर व अजमेर के लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा तक के क्षेत्र तथा विकास प्राधिकरणों से भिन्न शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका सीमा तक के क्षेत्र जिसमें ये उक्त ये आते हैं, को शहरी क्षेत्र सीमा माना जाएगा। हद नहीं हो गई? मतलब केन्द्र का कानून है और ये बोलते हैं कि जेडीए का क्षेत्र उसको शहरी सीमा मान लेंगे, क्योंकि सारी रिंग रोड जो है जेडीए के क्षेत्र से आती है। मेरे यहां के 150 गांव वो शहरी सीमा हो गई? जहां हज़ारों-हज़ारों हैक्टेयर में काश्त होती है, जहां कितनी पंचायतें हैं, कितने सरपंच हैं, कितने वार्ड पंच हैं, कितने कृषि कनेक्शन हैं, यह नीयत है सरकार की? अब गौरव पथ और सौरव पथ की सुगंध ले सकेगा क्या ये किसान, जरा बताइए? क्या तरीका है?

एक और बात, पिछली दफा स्टेट हाइवे आथोरिटी बनाई। स्टेट हाइवे आथारिटी के फंक्शंस में लिखा गया है. Functions of the Authority. 60. Para 6. "The Authority may acquire the land for the development of such industrial estates, commercial complexes, townships or habitations as if such acquisition is for the purpose of the Highway." क्या है, सभापति महोदय, यह क्या मजाक

(श्री नवीन पिलानिया)

है? यह सम्भव है क्या? मतलब किसी भी तरीके से आप किसान की जमीन को नहीं छोड़ेंगे? स्टेट हाइवे आथोरिटी का क्या मतलब है? कामर्शियल काम्पलैक्स के लिए ले लेगी, इण्डस्ट्रियल स्टेट के लिए ले लेगी, टाउनशिप के लिए ले लेगी, हैबिटेशन के लिए ले लेगी। कहां से खुशबू आएगी? यह घोर अन्याय है, ऐसा कब तक चलेगा?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आसन आपको दो बार कह चुका है। आप अपनी बात को समाप्त करें वरना आपका वक्तव्य अंकित नहीं होगा। आप समाप्त करें अब।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): एक सैकिण्ड, इसमें उल्लेख है माननीय सभापति महोदय, यहां विराजमान हैं हमारे राजस्व मंत्रीजी। इसमें उल्लेख है सभी जगह राजस्व अदालतें लगाकर के लाखों काम निपटाये। बहुत बढ़िया किया साहब, मैं धन्यवाद देता हूं आपको...

श्री सभापतिः अब आप समाप्त करें। धन्यवाद दे दिया है आपने, अब आप समाप्त करें। श्री कन्हैयालाल। अब आपका अंकित नहीं होगा।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री सभापतिः अब आपका कोई भी बोला हुआ वाक्य अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप बैठें? माननीय सदस्य आप बैठे। अब आपका अंकित नहीं होगा।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है, अब आप उनको बोलने दें। आप बैठिये।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्थान के चहुंमुखी विकास हेतु गत दो वर्षों में हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और जनता को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किए हैं। सभापति महोदय, जिस तरह से पिछले दो वर्षों में हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने दोनों ने जय जवान, जय किसान और मज़दूरों के कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं ऐसा पिछले 68 सालों में भी नहीं हुआ जैसा अभी दो वर्षों में हुआ है।

(श्री कन्हैयालाल)

जिस तरह से अभी राजकुमारजी कह रहे थे कि वो एक काटेंगे तो हम उनके दस काटेंगे। बाकी पहली बार हमारे प्रधान मंत्रीजी ने पहली दीवाली हमारे सेना के जवानों के साथ में कश्मीर में मनाई और उनका मनोबल बढ़ाया। आज हमारी सेना में इतना मनोबल है कि वह दुश्मन के दांत अच्छी तरह से खट्टे कर सकती है। आज जिस तरह से विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे प्रधान मंत्रीजी हमारा सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं।

जिस तरह से किसानों के लिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने साइल हैल्थ कार्ड से लेकर के प्रधान मंत्री सिंचाई योजना, ड्रिप इर्रिगेशन और जिस तरह हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी का सपना था कि नदियों को जोड़ना जो अधूरा रह गया था। आज उसको जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार ने जगह-जगह से चाहे ब्राह्मणी नदी को बनास में जोड़ना हो, साबरमती को माही में जोड़ना हो, काली सिंध-पारबती और चम्बल को जोड़ना हो, इन सबकी डीपीआर बनाकर भेज दी है और बहुत जल्दी इनके ऊपर कार्य शुरू करने की हमारी सरकार की योजना है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हमारे किसानों का भला होगा और जिस तरह से किसानों के लिए नए-नए नवाचार हमारे कृषि मंत्रीजी और हमारी मुख्य मंत्रीजी जो कर रहे हैं, जिससे पहली बार हमारे यहां ज़ैतून की खेती हो रही है और ज़ैतून की खेती की वजह से हमारे लूणकरणसर में ज़ैतून के तेल की रिफाइनरी लगी है। इसके कारण एक तरह से पूरे देश में राजस्थान पहले नम्बर पर आ रहा है, यह भी हमारे मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी की देन है।

जैविक खेती के अन्दर भी जिस तरह से आने वाले समय में पेस्टीसाइड का जो ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहा है जिसकी वजह से कैंसर और अनेक बीमारियां होती हैं, उसके लिए आने वाले टाइम में जगह-जगह जैविक खेती में भी हमारी मुख्य मंत्रीजी का काफी योगदान है और धीरे-धीरे हमारे किसान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं।

जिस तरह से किसानों के लिए पहले खेत में काम करते हुए आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी तो पचास हजार रुपये देते थे, आज हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उसे बढ़ाकर दो लाख रुपये किया यह भी हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है।

किसान कहीं पर भी पैदावारी करता है तो उसके लिए ई-आक्शन के थ्रू

(श्री कन्हैयालाल)

वह अपना माल बेच सकता है। यह भी प्रधान मंत्रीजी और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किया है जिससे हमारे किसान को लागत का पूरा मूल्य मिल सके।

जिस तरह से फसल बीमा के लिए पहले बारिश नहीं होती थी और किसान को कोई फायदा नहीं मिलता था। आज बारिश नहीं होती है और कहीं फसल नहीं बो सकता और किसान अगर बीमा कराता है तो डेढ़ परसेंट, ढाई परसेंट तक भी अगर वो पैसा लेने के बाद में पूरा बीमा का पैसा उसको क्लेम देने के लिए हमारे प्रधान मंत्रीजी ने एक नई योजना चालू की है। आने वाले जुलाई या जून के महीने में जो भी हमारी ख़रीफ़ की फसल आएगी इसमें हमें बेनिफिट होगा। यह किसानों के लिए बहुत अच्छी सोच लेकर हमारी सरकार चल रही है।

जो अंग्रेज़ों का कानून था, कहीं पर नुकसान हो जाता था, पहली बार हमारी सरकार ने अंग्रेज़ों का कानून बदलकर के 33 परसेंट तक मुआवजा किया। उससे आज पूरे राजस्थान में लगभग 2471 करोड़ रुपये का मुआवजा हमारी सरकार ने दिया है और अकेले मेरे विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में 130 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला है। यह भी पहली बार हुआ है वरना किसान को कहीं पर सौ रुपये, दौ सौ रुपये मुआवज़े के रूप में मिलते थे। यह किसानों के लिए बहुत बड़ा योगदान है जो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने आज अच्छी सोच के साथ किसानों को आगे बढ़ाया है।

इसी तरह से किसानों के लिए सहकारी ऋण भी 13 हजार करोड़ रुपये फ़सली ऋण हमारी सरकार दे रही है। यह भी हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में नए नवाचार में पहली बार नारियल के पौधे, पिंड-खजूर, सुपारी के पौधे लगाने के लिए भी हमने पिछले बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है इसके लिए भी मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और हमारे कृषि मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं और इसे राजस्थान में नवाचार के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं।

(15.00 बजे)

राजस्व कैम्प के तहत जिस तरह से गरीब किसान अपने नामांतरण के लिए, तकासमा के लिए वकीलों के पीछे घूमते रहते थे और कई बार दिन भर साधन लेकर घूमता रहता था और किसी वकील को पांच-पांच हजार रुपये फीस देने के बाद भी उसका काम नहीं होता था, साल-दो साल लग जाते थे।

(श्री कन्हैयालाल)

पहली बार राजस्व कैम्प लगाकर हमारे किसानों के लिए, लगभग साढ़े इक्कीस लाख लोगों का राजस्व कैम्प लगाकर हमारी सरकार ने भला किया, यह भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और हमारे राजस्व मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद है इन्होंने हमारे किसानों के लिए एक अच्छी शुरुआत की है।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से आने वाले समय में ऊर्जा में भी राजस्थान आज बीमारू से निकलकर अग्रसर जा रहा है और सौर ऊर्जा में जिस तरह से हमारा राज्य पूरे देश में आगे बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में ऊर्जा में भी हम खुद आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, इसमें हमारी सरकार के दो साल में जो मेहनत हमारी मुख्य मंत्रीजी ने की उसका बहुत-बड़ा योगदान रहा है।

माननीय सभापति महोदय, रोड्स में देखते हैं तो पहले केन्द्रीय सड़क निधि में ढाई सौ करोड़ रुपये से ज्यादा कभी नहीं आते थे। पहली बार हमारे मुख्य मंत्रीजी के प्रयास से और हमारे मंत्री जी के प्रयास से सत्रह सौ करोड़ रुपये के टैण्डर केन्द्रीय सड़क निधि से लगे हैं। इससे आने वाले समय में जो भी मेन रोड्स काफी क्षतिग्रस्त हो गयी थीं पूरे राजस्थान में वो आने वाले साल भर में सही हो जाएंगी। दूसरा, पहली बार गौरवपथ के रूप में जहां पहले हर ग्राम पंचायत में जाते थे तो कीचड़ भरा रहता था, आज गौरवपथ में उसमें सुधार हो रहा है। साथ ही मिसिंग लिंक में कई गांव ऐसे थे जिनको जोड़ने की वजह से दस-बीस किलोमीटर की दूरियां आपस के गांवों की कम हुईं। हमारी सरकार ने मिसिंग लिंक में ढाई हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखकर हमारी मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने की योजना बनाई है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की तब तक तरक्की नहीं हो सकती जब तक हमारे जल की व्यवस्था ठीक नहीं हो। जल ही जीवन है। एक परसेंट सतही जल है। उसके लिए पहली बार हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से महाराष्ट्र पैटर्न पर जल स्वावलम्बन योजना चालू की इसमें जन जागरूकता लाते हुए आज जगह-जगह फार्म पोंड, एनिकट्स और सारे तालाबों की मेड़बंदी करते हुए इतना जबरदस्त अभियान चल रहा है जिसमें पूरी जनता पूरे जोश से इस काम में लगी हुई है और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा बैनिफिट राजस्थान की जनता को मिलने वाला है। यह भी हमारी मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है।

(श्री कन्हैयालाल)

माननीय सभापति महोदय, रिसर्जेंट राजस्थान में जिस तरह से 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का एमओयू हुआ है इससे आने वाले समय में जितनी भी इंडस्ट्री लगेंगी उससे हमारी गरीब जनता को, मजदूरों को इतना बैनिफिट मिलेगा कि रोजगार के लिए जो राजस्थान से बाहर जाते थे, साउथ में जाते थे तो यहीं पर हमारे मजदूरों का, हमारे किसानों का, हमारे जो भी बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिलेगा। यह एक अच्छी शुरुआत हमारी सरकार ने की है।

माननीय सभापति महोदय, टूरिज्म के लिए भी जिस तरह से हमारे सारे मंदिरों के नवनिर्माण के लिए इन्होंने डीपीआर बनाई और जिस तरह से साम्भर के अन्दर भी साठ करोड़ रुपये का टूरिज्म डवलपमेंट के लिए प्रावधान किया है उसी तरह से आने वाले समय में साम्भर, बीसलपुर, सवाई माधोपुर और डिग्गी होते हुए एक नयी शुरुआत करने के लिए जो हमने प्लान बनाकर हमारे मुख्य मंत्रीजी को दिया है उम्मीद है कि वो भी हमारा जल्दी ही मूर्त रूप लेगा।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी कहते थे कि 15 परसेंट पैसा ही नीचे आता है। उस समय 85 परसेंट पैसा ऊपर चला जाता था।

(15.03 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

आज हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पिछले दो साल में जिस तरह से भामाशाह कार्ड बनाया इसकी बदौलत गरीब का पैसा ...।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, 3.00 बजे आपका भाषण होना था, 4.00 बजे सदन की नेता का भाषण होगा एक घंटा आपके पास है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पिछले तीन दिनों से जो चर्चा चल रही है गवर्नर के अभिभाषण पर उस पर बोलना चाहता हूं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर आरम्भ में दो बात कहना चाहता हूं। हमारे सदन के सांगानेर से आने वाले वरिष्ठ माननीय सदस्य ने श्रीमती इन्दिरा गांधीजी की

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

बात की, महात्मा गांधीजी की बात की, सरदार पटेल की बात की। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जब इन महापुरुषों की, महात्मा गांधीजी, सरदार पटेल की बात आती है तो इस देश की आजादी के महान संघर्ष में कांग्रेस की शहादत से कांग्रेस का आजादी से नाम जुड़ा होता है। कांग्रेस के इस देश की आजादी में योगदान में खाली महात्मा गांधी, सरदार पटेल नहीं उनके साथ में नाम पण्डित जवाहर लाल नेहरू का, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डा. राजेन्द्र प्रसादजी कई ऐसे महापुरुषों के नाम जुड़े हैं जिन्होंने कांग्रेस के झंडे तले इस देश की आजादी में बहुत-बड़ा योगदान दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने जिन मूल्यों को लेकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, श्रीमती इन्दिरा गांधीजी और राजीव गांधीजी ने उन्हीं मूल्यों के लिए बलिदान दिया। पिछले कुछ दिनों से सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा और इनके ही माननीय सदस्यों द्वारा जिस तरह से उस परिवार के, जो गांधी परिवार है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधीजी उन राहुल गांधीजी पर जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी जो इन्होंने की और उस परिवार ने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी शहादत दी, बलिदान दिया। देश की आजादी के लिए उन्होंने बलिदान दिया उस परिवार का आदर करना चाहिए। राहुल गांधी उसी परिवार के सदस्य हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, घनश्याम तिवाड़ीजी ने श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की बात की। उन्होंने उनकी लिखित पुस्तक को पढ़ा। और वह पुस्तक हमें भी बताई, लेकिन उस पुस्तक में जिस तरह से इन्दिरा गांधीजी के दिखाये हुए रास्ते थे, हम उन्हीं रास्तों के सिपाही हैं। एक बहुत ही महान समाज सुधारक महात्मा कबीरजी ने लिखा है, 'तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखन देखी।' इसलिए तिवाड़ीजी ने इन्दिरा जी की बातों को तो पढ़ा लेकिन उन्हें अपनाने में कुछ कमी रखी है लेकिन हमने कांग्रेस से त्याग, तपस्या और बलिदान के रास्ते की प्रेरणा ली है और इसलिए कांग्रेस किसान, मजदूर और गरीबों की पार्टी कहलाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस गांव की, उस गरीब की झोंपड़ी जो ठेठ ढाणी में है जहां हमारा गरीब परिवार रहता है उसकी सुध लेने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस सदन में हम बैठे

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

हैं यह एक महान सदन है, यहां के सदस्यों को यह याद रखना चाहिए कि सदन को आदरणीय जयनारायण व्यासजी ने, टीकारामजी पालीवाल साहब ने, मोहन लालजी सुखाड़ियाजी ने, हरिदेव जोशीजी ने, बरकतुल्लाह साहब ही नहीं सत्ता पक्ष की विचारधारा के अनेक महान सदस्यों ने इसको गौरवान्वित किया है। इसमें आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत हैं जो एक प्रमुख नेता, एक प्रमुख विचारक थे। इन महान नेताओं ने राजस्थान की विधान सभा में कुछ महान परम्पराओं का भी संदेश दिया है, परम्पराएं स्थापित भी की हैं, लेकिन सदन के भीतर कुछ सदस्य जैसा आचरण दिखाते हैं, मैं समझता हूं कि उन नेताओं का आचरण इन्होंने लिया नहीं। मैं सीधे अभिभाषण के बिन्दु पर आना चाह रहा हूं। अभी मैंने आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत का नाम लिया, वे एक प्रमुख नेता थे, महापुरुष थे।

उन्होंने इसी सदन में 14 अप्रैल, 1991 को दिये अपने एक संबोधन में कहा था कि मुख्य मंत्री को अपने राजधर्म का पालन करना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की नेता से अनुरोध करना चाहूंगा कि आदरणीय शेखावत साहब की इस बात से प्रेरणा लें और उसका अनुसरण करें। मैं माननीय सदन की नेता को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि आप यदि हमारे नेताओं के महान आदर्शों का अनुसरण नहीं करें तो कम से कम भैरोंसिंह शेखावतजी की बात को याद रखें। उन्होंने कहा था कि मुख्य मंत्री का यह राजधर्म है। पिछले दो सालों से जिस तरीके से राजस्थान में अराजकता का माहौल पैदा हुआ है, इसी सत्ता पक्ष के द्वारा पूरे राजस्थान में अराजकता का माहौल पैदा किया गया। पिछले दो सालों में कोई राजधर्म का पालन नहीं हुआ। यह आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। इस दो साल में आज राजस्थान का किसान दुःखी है, राजस्थान का मजदूर दुःखी है ...(व्यवधान) यह आपके भैरोंसिंहजी शेखावत साहब का कहा हुआ है। भैरोंसिंहजी शेखावत साहब का ही कहा हुआ है कि मुख्य मंत्री का धर्म राजधर्म है।

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्रीजी हस्तक्षेप न करें, इधर से आप सभी हस्तक्षेप नहीं करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से इस राजस्थान का गरीब दुःखी, इस राजस्थान का किसान दुःखी, इस राजस्थान का युवा दुःखी और राजस्थान का आमजन दुःखी। पीछे

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

विधान सभा के चुनाव थे, दो साल पहले विधान सभा चुनाव में आप गये थे, आपके नेता गये थे और इस राजस्थान की भोली भाली प्रजा के बीच आपने अपना घोषणा पत्र लिखित में दिया था और इस राजस्थान की जनता से वादा किया कि यदि राजस्थान की जनता हमें राजस्थान की सत्ता सौंपती है तो इस लिखित घोषणा पत्र के अनुरूप हम एक एक वादे को समय रहते निभाने का काम करेंगे। बड़ा दुख होता है, आपने उस राजस्थान की भोली भाली प्रजा को ठगने का काम किया। आज तक लिखित घोषणा पत्र के अनुरूप, तीन दिनों से अपन बहुत लम्बी चौड़ी बात कर रहे थे, सत्ता पक्ष अपनी बात रख रहा था, हमारा काम आप जो बात रख रहे थे, जो झूठे वादे किये, जिस तरीके से आपने अभिभाषण में लिखा उन बातों की हम सच्चाई बता रहे थे कि इस अभिभाषण में सच्चाई क्या है। यह एक बिलकुल +++ का पुलिंदा है, असत्य का। बिन्दुवार यदि हम चर्चा करें, मैंने कई बार इस अभिभाषण को पढ़ा मुझे कहीं कोई सच्चाई नहीं लगी, चाहे बिजली की बात करो, चाहे पीने के पानी की बात करो, चाहे आप नागौर की बात कर लो। आपने उसमें लिखा कि हमने सैकिण्ड फेज का काम चालू कर दिया, हमने इतने गांव जोड़ दिये, हमने इतनी हजारों ढाणियां जोड़ दीं...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, +++ असंसदीय शब्द है उसको एक्सपंज करा दें।

श्री अध्यक्ष: हां वह हो जायेगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने वापस असत्य बोल दिया, राठौड़ साहब आपका कोई ज्यादा उठने का मन है या आप सदन की नेता के आगे नम्बर बढ़ाना चाहते हो।

श्री अध्यक्ष: आप भाषण चालू रखिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी आदत सुधारनी चाहिये, यह भी आसन की जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष: अपने आप सुधर जायेगी, आप भाषण चालू रखिए। (व्यवधान) आप बैठो, बैठो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की नेता से, मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि यदि आप राजधर्म का पालन करतीं तो राजस्थान में दो सालों में

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। हम पांच साल सत्ता में रहे, हमने उस झोंपड़ी, उस गांव की चौपाल में जाकर लोगों की जनभावनाएं लीं, हमारे गांव की ग्रामीण जनता क्या चाह रही है, उनके सामने क्या दिक्कत और समस्या है, वह दिक्कत, वह समस्या और उनकी भावना की कद्र करते हुए हम प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास की योजनाएं लेकर आ रहे हैं। यदि मुख्य मंत्रीजी राजधर्म का पालन करतीं तो उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का काम नहीं करतीं। सही मायने में राजधर्म का पालन तब होता जब हमारी कांग्रेस की चलाई हुई जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो विकास के काम थे उन विकास के कामों को और जन कल्याणकारी योजनाओं को और आगे बढ़ाते तब सही मायने में राजधर्म का पालन होता, आपने कोई राजधर्म का पालन नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं किस तरीके से राजस्थान में, राजस्थान के पूरे इतिहास में सबसे बड़ा जो निवेश होने जा रहा था वह बाड़मेर रिफाइनरी का, उसमें 40 हजार करोड़ रुपये निवेश होने थे और यदि उस बाड़मेर रिफाइनरी में आप सही तरीके से काम करते, उस बाड़मेर रिफाइनरी को आप लगाते तो लाखों पढ़े लिखे युवाओं को उसमें रोजगार मिलता।

आपके अभिभाषण में रिफाइनरी की कहीं कोई चर्चा नहीं। इसमें वहां पैट्रो कैमिकल्स इंडस्ट्री आती। राजस्थान में सबसे ज्यादा तेल, आपके अभिभाषण में लिखा हुआ है पौने दो लाख बैरल तेल पैदा होता है, राजस्थान में तेल के उत्पादन का केन्द्र बाड़मेर है और बाड़मेर में रिफाइनरी आ रही है। हमने आपको यह निवेदन भी किया था कि इसको ठंडे बस्ते में मत डालाना। आपने पहले बजट सत्र में ही दोनों प्रोजेक्ट, बाड़मेर रिफाइनरी का और दूसरा जयपुर का मैट्रो, दोनों प्रोजेक्ट को अनवायबल बताया था कि यह दोनों अनवायबल हैं।

आपने रिसर्जेंट राजस्थान का प्रोग्राम किया, एक साल लगा दिया आपने रिसर्जेंट राजस्थान के समिट को। अपने को क्या मिला? मैं उस रिसर्जेंट राजस्थान में गया था। देश के बड़े-बड़े उद्योगपति आये हुए थे। उनको हमने बुलाया, प्रोग्राम करना चाहिये, मैं इस प्रोग्राम के खिलाफ नहीं हूं लेकिन उस प्रोग्राम से इनको मिला कुछ नहीं। यहां से क्या संदेश लेकर वह गये, उस

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

रिसर्जेंट राजस्थान के प्रोग्राम में एक साल से जो हम कोशिश कर रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री उस प्रोग्राम में नहीं आये। मैं उनके चेहरे देख रहा था जो निवेश करने आये थे। मैंने उनसे बात की, मैं उस दिन दिल्ली जा रहा था, एयरपोर्ट पर मिले मैंने उनसे बात की, उनकी बातों से और उनके विचारों से मुझे लगा, वह क्या संदेश लेकर गये थे यह भी कोई आपसे छुपी हुई नहीं है। वह संदेश लेकर गये कि प्रदेश में और केन्द्र में, मोदीजी के और हमारी सदन की नेता मुख्य मंत्रीजी के आपस में बनती नहीं है, आपस में कहीं न कहीं टकराव है, यह संदेश लेकर गये, यह संदेश लेकर गये ...(व्यवधान) यह संदेश लेकर गये। मैंने उनसे बात की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उनके बीच में बैठकर बात की है, वह संदेश लेकर गये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इनको टोकना तो नहीं चाहता, रिकार्ड पर बात जा रही है, इन्होंने किस किस से बात की है रिकार्ड पर सारी बात सामने आ जाये। यह बात रिकार्ड पर जा रही है, बरसों तक लोग इस बात को पढ़ेंगे, इन्होंने किस-किस उद्योगपति से बात की, यह रिकार्ड पर आ जाये, अच्छा रहेगा, हमें भी मालूम पड़ जायेगा।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से राठौड़ साहब कह रहे हैं इसमें आपके दिमाग में, सोच में जो है, मेरे से कुछ छुपी हुई नहीं है। हम एक ही माटी-चाटी के हैं। वो संदेश ले के गए हैं, तीन लाख इक्कीस हजार करोड़ के एम.ओ.यू. का। पर्यटन विभाग, नगर विकास विभाग पूरे जोर शोर से लगे हुए थे, उनके भी विकास के लिए एम.ओ.यू. हुआ। पर्यटन की अगर अपन बात करें, तीन लाख इक्कीस हजार करोड़ के एम.ओ.यू. की बात कर रहा हूं। आपने एम.ओ.यू. कर लिए। एक तरफ बाड़मेर रिफाइनरी के चालीस हजार करोड़ रुपए जो निवेश होने थे और दूसरी तरफ प्रोग्राम करके हम चाहते हैं कि उसमें निवेश आए, लेकिन आपके ही दूसरे दिन मंत्री ने यह बयान दिया कि तीन लाख इक्कीस हजार करोड़ के जो एम.ओ.यू. हैं उसमें आधे भी आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। हम इस बात का क्या अर्थ लगाएं ? जो उन्होंने मीडिया को कहा उसका हम क्या अर्थ लगाएं ? हम जनता के बीच बैठते हैं तो वो अर्थ एक ही लगाती है। गांव का आदमी भी आज इस बात को सोचता है बैठा-बैठा, आपके काम का आकलन करता है। आपसे हिसाब लेगा वो और वो आकलन यही करता है कि एक साल

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

जो यह लगा हुआ ये पूरा, पूरी सरकार लगी हुई इस रिसर्जेंट राजस्थान में। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई थी, उस गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाने का काम किया और गांव का ग्रामीण सोचता है कि सब ये झूठ-मूठ के एम.ओ.यू. हैं। आए तो पांच साल हम यहीं बैठे हैं। पांच साल आप सत्ता में हो, एम.ओ.यू. आएंगे। निवेश करने वाले आएंगे, जिन्होंने एम.ओ.यू. किया है उसका भी पता लग जाएगा। वो डरते हैं क्योंकि आपने, पर्यटन विभाग ने एक माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लोगो एक स्लोगन दिया है। आपने देखा होगा टी.वी. के अन्दर देखते हैं जगह-जगह बोर्ड लगा हुआ है। ये क्या है कि 'राजस्थान में जाने क्या दिख जाए' जाने क्या दिख जाए। मुझे लगता है किसी डरावनी पिक्चर का शीर्षक कि 'जाने क्या दिख जाए' आपने राजस्थान में सिर्फ डर पैदा करने का काम किया है, डर पैदा करने का। स्लोगन ही ऐसा है आपका। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं आपके टी.वी. और एडवरटाइजमेंट में। उस डर की वजह से जो आपने स्लोगन दिया है, उस शीर्षक की वजह से राजस्थान में स्थिति आपने दो सालों के अन्दर इस तरह की पैदा कर दी है कि बाहर वाला निवेश वाला चाहे किसी बड़े घराने को ले आओ आप, एक पैसा यहां देने वाला नहीं। क्योंकि उसको डर है कि केन्द्र और राज्य के अन्दर आपस में सामंजस्य नहीं है। आपने दस हजार करोड़ रुपए प्राकृतिक आपदा के लिए नहीं मांगे । क्या आपको मिले दस हजार करोड़ रुपए? सिर्फ आपको ग्यारह सौ करोड़ रुपए दिए गए, ग्यारह सौ करोड़ और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो कि अपने 29,49,000 किसान आइडेंटीफाई करे पिछले साल ओलावृष्टि के अन्दर। ओलावृष्टि की वजह से उस राजस्थान के किसान की फसलें नष्ट हो गईं, 29,49,000 जो भी आपने आइडेंटीफाई करा है क्या उनको मुआवजा आपने दे दिया? हम तीन दिनों से यही चर्चा कर रहे हैं सदन के अन्दर बैठ के।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने.... (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आप बैठ जाओ आपका नाम तो कट गया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो हम सबका दायित्व बनता है इस राजस्थान के विकास में, उस राजस्थान के आम लोगों के दुखों और तकलीफों में हमारा फर्ज नहीं बनता। हमें भी जनता ने चुनकर भेजा है। हम सब का दायित्व बनता है। हम सब मिलकर आपस में

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

इस राजस्थान प्रदेश की आम जनता की दु:ख और दर्द को देखकर उसका समय रहते निवारण करने का यह फर्ज और कर्तव्य है चाहे हम विपक्ष में बैठे हैं, चाहे आप सत्ता में बैठे हो। हम बात करें उस किसान की। आज राजस्थान का किसान कितना दु:खी है। राजस्थान का वो भोला-भाला किसान आपकी तरफ देख रहा है। उन दस हजार करोड़ रुपए की तरफ देख रहा है कि हमारे लिए सरकार दस हजार करोड़ रुपए लाएगी और हमें मुआवजा देगी। आज वो त्राहि-त्राहि कर रहा है। आपको पैसे केंद्र सरकार दे नहीं रही है हर योजना में, हर स्कीम में। चाहे बिजली की है, चाहे पानी की है, चाहे शिक्षा, चिकित्सा, सड़क। मतलब, उसके अन्दर जो केन्द्र से जो पैसा, केन्द्र को जो सहायता प्रदेश को देनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो आपको भी नहीं मिल रही। तो हमें लगता है प्रदेश की जनता को लगता है कि प्रदेश में प्रदेश की सरकार और केन्द्र सरकार में आपस में सामंजस्य नहीं है। आपको बनाना चाहिए। कितने प्रचंड बहुमत के साथ में आपको सत्ता सौंपी है। आप बार-बार कह रहे हो आप इक्कीस आए, इक्कीस आए। तो हमने अच्छी तरह जनता की भावनाओं की कद्र नहीं की होगी। हम जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरे होंगे। उसमें कहां दिक्कत हो गई? कहां दिक्कत हो गई उसमें? तब हमें 21 पर लाकर छोड़ दिया। आप भी 21 वाली श्रेणी में नहीं हो अभी आप दस वाली श्रेणी में हो। इस तरीके से जो काम कर रहे हो। आपकी स्थिति यही होनी है। इन दो साल के अन्दर आप राहुल गांधीजी की बात करे हो, राहुल गांधी जी उन किसानों के बीच में भी गए थे। राहुल गांधीजी की बात कर रहे थे, उनके खिलाफ अपन टिप्पणी कर रहे थे। हनुमानगढ़ के अभी माननीय सदस्य बैठे हैं, गंगानगर के। आज हनुमानगढ़-गंगानगर जिले की क्या स्थिति है? उस गंगानगर-हनुमानगढ़ जिले की जो स्थिति...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बहुत अच्छे (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राजेंद्रजी आप तो सिंह रायसर से माइनर बनवा लो तो हो जाएगा आपका भला और सिंह रायसर माइनर नहीं बना तो आपकी भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि हमने हमारे वक्त में सिंह रायसर माइनर की घोषणा करी थी, हमने बजट दिया था, पैसा दिया था। मैं अभी पीछे गया। माननीय सदन की नेताजी से।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने घोषणा का ही काम किया।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आपने रिफाइनरी की घोषणा ही की थी, पैसा नहीं दिया था।

एक माननीय सदस्य: दस साल तक आपने रिफाइनरी क्यों नहीं लगाई यह तो बता दो? आपके टाइम में पांच साल निकले पूरे पांच साल। पांच साल में आपने रिफाइनरी क्यों नहीं लगाई यह तो बता दो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): पांच साल में आपने रिफानरी क्यों नहीं लगाई यह तो बता दो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाइए, वरना नेता की स्पीच का भी यही हाल होगा। ऐसा थोड़े ही होता है। हमारे नेता को नहीं बोलने दे रहे हो। यह बात नहीं है हाउस को आर्डर में लाइए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए बिल्कुल हाउस आर्डर में है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहां है?

श्री अध्यक्ष: बिल्कुल हाउस आर्डर में है आपको नहीं दिख रहा तो इसका मैं क्या करूं। इसलिए आप बैठिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन उस हनुमानगढ़-गंगानगर जिले के किसानों के लिए करना चाह रहा हूं। आज गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का किसान इतना दुःखी है। आज उस इंदिरा गांधी नहर की बात करो, चाहे भाखड़ा सिस्टम की बाते करो, चाहे गंग कैनाल सिस्टम की बात करो। इस इंदिरा गांधी नहर की स्थिति माननीय अध्यक्ष महोदय इतनी खराब है कि पंजाब में जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है और वो किसान कैंसर की महामारी से पीड़ित हो रहा है। हमारे एक बीकानेर में भटिंडा-बीकानेर ट्रेन चलती है, बीकानेर के अन्दर कैंसर हास्पीटल है। उस ट्रेन का नाम माननीय अध्यक्ष महोदय, कैंसर ट्रेन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कब से है?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं राठौड़ साहब से निवेदन करना चाहूंगा। हमने नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: आप तो मुझे निवेदन करिए। इधर निवेदन करो, उधर नहीं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन करना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि जो बात कह रहे हैं लम्बे समय से। मैं यह नहीं कह रहा कि दो साल से आई है। प्रजा ने जिस तरीके से आपको प्रचंड बहुमत दिया 163, आपका दायित्व बनता है इन दो सालों के अन्दर क्योंकि पंजाब के अन्दर आपकी सहमति से सरकार है, दिल्ली के अन्दर आपकी सरकार केन्द्र में, प्रदेश के अन्दर आपकी और हरियाणा के अन्दर आपकी। ऐसा समीकरण कभी बना नहीं और अबकी बार बना है। अबकी बार बना है तो आपका यह, आप कर सकते हो उसमें। आप पंजाब से बात करो। आज दो साल तक बीवीएमबी बोर्ड के अन्दर अपना प्रतिनिधि नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हरियाणा में तो जाटों पर गोलियां चलवाई आपकी सरकार ने। वहां सैकड़ों जाटों का मरवा दिया

श्री अध्यक्ष: बैठिए। बेनीवाल साहब बैठिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इन्होंने राजस्थान की सत्ता पर आपको बिठाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आनंदपाल को भगाया आपकी सरकार ने। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह सही कह रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बेनीवाल साहब बैठिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सबसे बड़ा काम किया जो आपने नहीं किया। आनन्दपाल को भगाया आप लोगों ने।

श्री अध्यक्ष: इनका एक भी शब्द अंकित नहीं हो। हनुमान बेनीवाल का एक भी शब्द अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: बेनीवाल साहब बैठिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): हमारी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी बात कर आईं ...(व्यवधान) सारी बात आपको मालूम है नेता प्रतिपक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जिस तरीके से लाठी और गोली से सरकार चलाई वही लाठी और गोली की सरकार आप प्रदेश में चला रहे हो। कोई बोल नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष: पूरी इजाजत है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अन्दर जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही इसमें आ सकता है, आम जन को अलाउ नहीं किया। सरकार किस पार्टी की है, मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, यह हमारे भी मुख्य मंत्री हैं, पूरे प्रदेश की जनता के मुख्य मंत्री हैं। (व्यवधान) आप राज़ी हो रहे हो, जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अन्दर आप जन सुनवाई कर रहे हो, आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप खुले में जाकर, चौपाल के अन्दर जाकर जन सुनवाई करो। (व्यवधान) कार्यकर्ता से लिखवाकर लाओ, माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी का पदाधिकारी लिखकर देगा कि यह अपनी पार्टी का कार्यकर्ता है, उस पर्ची पर लिखे हुए कार्यकर्ता को अन्दर जाने देते हैं। आम आदमी नहीं बैठ सकता, जा नहीं सकता, अपनी समस्याएं बता नहीं सकता। लास्ट में आपका क्या हुआ, दो महीने के बाद आदमी ने आना छोड़ दिया, आपके खुद के कार्यकर्ता। हमने जन सुनवाई का प्रोगाम रखा, हजारों की तादाद में आए और आपके कार्यकर्ता भी आए थे कि साहब हम पार्टी कार्यालय में जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर हमारा ज्ञापन, हमारी एप्लीकेशन देकर आए थे, उसका काम नहीं हुआ। जन सुनवाई का प्रोग्राम सरकार आपके द्वार, यह प्रोग्राम नहीं रखा, फिर क्या हुआ, मंत्रियों के पास, मंत्री बैठे-बैठे चाय पीते रहे कहीं कोई मतलब नहीं । कोई नहीं आता आपके, आपका कार्यालय सूना पड़ा है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): काम पूरे हो गए फिर क्या करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बिलकुल सही फरमा रहे हैं, इनका दो साल के अन्दर ही काम पूरा हो गया। आपका काम दस महीने के अन्दर पूरा हो गया था । राजस्थान के अन्दर विधान सभा के चार बाई इलेक्शन हुए थे, उन चार बाई इलेक्शन के अन्दर, आज तक राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ, इतने प्रचण्ड बहुमत में आने के बावजूद उन चार में से तीन, हम 21 से 24 हुए, यह किसकी नाकामी है। (व्यवधान) उस प्रदेश की जनता ने दस महीनों के अन्दर आपको नकार कर छोड़ दिया। आप समझो, आपने

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

दस महीने के अन्दर ऐसा कर दिया। दस महीने में जनता उस बात का आकलन कर लेती है। आज प्रदेश के अन्दर सरकार आपके द्वार गई, रिसर्जेंट राजस्थान की बात अपन ने पूरी कर ली, इससे ज्यादा मैं आगे कहना भी नहीं चाहता क्योंकि आपको भी इसका पता लग गया होगा।

मैंने इंदिरा गांधी नहर की बात बीच में छोड़ दी थी। दो साल से बीवीएमबी के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय अपने राजस्थान का प्रतिनिधि नहीं।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): वह तो पहले भी नहीं था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्रजी, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): गलत बात नहीं, अगर पहले था तो बताएं।

श्री अध्यक्ष: अनुशासन ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): पहले था तो आप बताएं कब था, आज से पहले, उदाहरण दें इस बात का। (व्यवधान) नहीं था पहले।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह बिलकुल ठीक है। कई सालों से नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। इस वजह से नहीं है कि पंजाब के अन्दर हमारी सरकार नहीं थी। सरकारें आपस में एक दूसरे से अलग-अलग रहती हैं। अब की बार तो मौका है। पंजाब में आपकी, हरियाणा में आपकी, दिल्ली में आपकी और यहां प्रदेश के अन्दर आपकी। आप अब भी नहीं कर पाओगे तो कब कर पाओंगे। आप कर सकते हो। आप बीवीएमबी क्या आपका प्रतिनिधि नहीं भेज सकते, चंडीगढ़ के अन्दर और पंजाब के अन्दर पूरा जहरीला पानी और कैमिकल युक्त पानी उस इंदिरा गांधी नहर में डाला जा रहा है और आप बैठे-बैठे देख रहे हो। यह है इनका दो साल का काम। आज उस टेल एंड एरिया का किसान, वह सिंचाई के पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है। यहां तक कि उसको पीने का पानी भी पूरा नहीं मिल रहा है। अपन बात कर रहे हैं सिंचाई के पानी की। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): आंकड़े लाओ ...(व्यवधान) असत्य ही बोले जा रहे हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सरदारजी, हम टेल पर गए हैं, उस नहर के पटड़े पर बैठकर उस किसान से बात करी है कि आपके पानी की क्या स्थिति है । (व्यवधान) टेल एंड एरिया की।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय नेता प्रतिपक्ष इस बार जितना रबी में पानी मिला है, हम नहीं मानते इस बात को।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष):आप बैठो, आप सुन लो।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): आप चाहे जो और बात कर लो ...(व्यवधान) इस बार रबी के अन्दर जितना इंदिरा गांधी नहर, भांखड़ा और गंग कैनाल के अन्दर सिंचाई के लिए पानी मिला है वह आपको ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): असत्य नहीं बोलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): रिकार्ड है हमारे पास, प्रमाण है ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): टेल एंड एरिया के किसान के बीच में गए नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): पूरा पानी मिल रहा है सिंचाई के लिए। एक भी ऐसा नहीं है जहां पानी नहीं मिल रहा।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): टेल एंड एरिया के किसान के बीच जाते नहीं...(व्यवधान) और यहां बैठकर आप बात कर रहे हो, क्योंकि हम सबका दायित्व है।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): पानी का रिकार्ड देखो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अब आपको मंत्री भी बना देंगे, नम्बर आ रहा है आपका।

श्री अध्यक्ष: आप सिफारिश कर दीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं वहां टेल एंड एरिया के किसान को फीड करने की जरूरत है। उस किसान को पानी देने की जरूरत है। उसकी भी आप पर बहुत बड़ी आस है। आज चाहे इंदिरा गांधी नहर की बात करो चाहे नर्मदा की बात करो, सांचौर के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, सांचौर के उस किसान को टेल पर पानी नहीं मिल रहा। बाड़मेर और जालौर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप शांत रहें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बाड़मेर और जालौर की अपन बात करें, आज दो साल के अन्दर बाड़मेर और जालौर को पानी नहीं मिल रहा ...(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत जानकारी दे रहे हैं, जालौर में पानी इतना है कि लूणी नदी में व्यर्थ पानी जा रहा है ...(व्यवधान)

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): जालौर को पानी मिल चुका है नर्मदा का। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): प्रतिपक्ष के नेता गलत जानकारी दे रहे हैं। जालौर में पानी आ रहा है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बाड़मेर और जालौर को पानी नहीं मिल रहा। इनको कभी पानी मिलना चाहिए था...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बैठ जाओ, यह क्या बात हुई, आप हमें डिस्टर्ब करोगे तो हम आपको नहीं करेंगे क्या, हम गार मिट्टी के बने हैं क्या? (व्यवधान) डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज कोटा के अन्दर, आप चम्बल की बात करो, चाहे बासंवाड़ा के माही की बात करो, माननीय अध्यक्ष महोदय टेल एंड एरिया का किसान सिंचाई के पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है। आज अपन राजस्थान के किसान की बात करें ...(व्यवधान) ओलावृष्टि की वजह से मुआवजे की बात करी थी, राजस्थान की राजनीति के इतिहास में 60 किसानों ने पहली बार आत्महत्या की है, 60 किसान मर गये। फसलें खराब, उन फसलो को देखकर, उसके सामने फसले चौपट हो गईं, सरकार ने उनको मुआवजा नहीं दिया, 60 किसानों ने आत्महत्या कर ली। प्राकृतिक आपदा मंत्रीजी बैठे हैं, इसी सदन के अन्दर चर्चा चली और आपने कहा कि कोई किसान पेड़ से लटक कर मर जाए उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका बहुत बड़ा दायित्व है, आपको जनता ने सत्ता सौंपी है। आज वह किसान आत्महत्या कर रहा है, आप उनसे मिलने तक नहीं गये। उसकी सहायता की तो दूर की बात है। किसान के चाहे समर्थन मूल्य की बात करो चाहे खाद, बीज चाहे यूरिया की बात करो, उस किसान को ना तो कोई असली बीज मिल रहा है, ना असली खाद मिल रही है और ना उसको असली यूरिया मिल रहा है, माननीय कृषि मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): खाद भी नकली होती है ?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भी एक वक्तव्य दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बाद में आ जाएगा जवाब ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इनके खेत के अन्दर भी नकली बीज चले गए। राजस्थान प्रदेश के कृषि मंत्री के खेत के अन्दर नकली बीज, नकली खाद, फिर आम किसान है वह सुरक्षित रह सकता है क्या इससे, वह बच सकता है क्या माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसी स्थिति है प्रदेश के अन्दर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारे प्रदेश के अन्दर आप सत्ता में आये थे, 15 लाख नौकरियां देंगे, यह आपके घोषणा-पत्र में लिखा हुआ है। आज प्रदेश का हमारा युवा सबसे बड़ा दु:खी है, उसको ठग कर, बरगला कर, और जिस तरीके से उनको नौकरी का झांसा देकर ठगने का काम किया, उधर तो मोदीजी ने कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हम देश के दो करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। काला धन सौ दिन के अन्दर लाकर हम एक-एक भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपये भेजने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार एक मिनट में ही खतम करेंगे। भ्रष्टाचार का तो टाइम ही नहीं, बस हम आये और खतम। राजस्थान प्रदेश की अपन बात करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 लाख नौकरियां तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में साढ़े 17 हजार स्कूल बंद कर उनमें 26 हजार से ऊपर जो विद्यार्थी मित्र के रूप में काम कर रहे थे, हमने उनको रोजगार दिया था। आते ही साढ़े 17 हजार स्कूल बंद कर उनके पेट पर लात मारकर घर भेजने का काम भी आप लोगों ने किया था, 4 हजार स्कूल और बंद कर रहे हो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 9 लाख नामांकन बढ़ा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आप शांत रहिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कागजों में बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी सही फरमा रहे हैं। आज उन गांवों, ढाणियों के स्कूल, जो हमने, हम सत्ता के अन्दर थे, हमने उस सोच के साथ में खोले थे कि उस गांव, ढाणी और आखिरी छोर की ढाणी का बच्चा भी अनपढ़ न रहे, उसको शिक्षा मिले। उसको शिक्षा का अच्छा मन्दिर मिले। उस सोच से हमने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली थीं। आप सत्ता में आये, सत्ता में आते ही

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

आपने उनका नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया। अब उन स्कूलों को, एकीकरण के नाम पर साढ़े सत्रह हजार स्कूल बंद कर दिये, माननीय अध्यक्ष महोदय। उन साढ़े सत्रह हजार स्कूलों के अन्दर जो बच्चे उन ढाणियों के पढ़ रहे थे, जिनके आस-पास कोई स्कूल नहीं था, उन स्कूलों को बंद कर उन बच्चों को अशिक्षित रखने का आपने काम किया कि उस ढाणी और गांव का बच्चा शिक्षित न हो जाए। यह सोच है इनकी। वो ही पांच हजार स्कूल बंद करने जा रहे हो। आप क्या चाहते हो, राजस्थान के उस ग्रामीण से, ग्रामीण योजनाएं सारी बंद कर दीं।

ऊर्जा की अपन बात करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब समय मेरा भी थोड़ा ही रहा है। 43 मिनट हो गये। सदन की मान मर्यादा, क्योंकि सदन की नेता बोलेंगी। (व्यवधान) क्योंकि सदन में गलत बोलने का ठेका सिर्फ आप लोगों ने ले रखा है। हम तो सही बोलते हैं। ठेका आपका है, यह तो आपके नाम ऊपर वाले ने छोड़ रखा है।

श्री अध्यक्ष: आप क्यों उकसा रहे हैं। उकसाने वाली बात मत कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मैं उकसाने वाली कहां, ये +++ ही बोलते हैं, +++ के पुलिन्दे हैं सारे।

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द ड्राप किया जाए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): असत्य, मेरा वह शब्द निकाल दिया जाए +++ का।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की ऊर्जा की बात करूं। ऊर्जा के क्षेत्र के अन्दर आपने जो बहुत बड़े वादे किये थे, किसान को हम 8 घण्टे से ज्यादा बिजली देंगे और गांव के अन्दर हम 24 घण्टे बिजली देंगे। आज क्या हालत है, गांव की, और जो किसान है, उसके खेत के अन्दर ट्यूबवैल बना हुआ है। उसको चार घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती। ये कागजों में बताते हैं 6 घण्टे, 4 घण्टे ही बिजली मिलती है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: साढ़े छह और सात घण्टे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके ट्यूबवैल हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप ही सभी बता दोगे, फिर

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

हमारे सदन की नेता क्या बताएंगी। चार घण्टे से ज्यादा लाइट नहीं मिलती, 24 घण्टे की जो आप गांव की बात कर रहे थे, अभी आपके डिपार्टमेंट ने आदेश निकाला कि जिस फीडर के अन्दर 40 प्रतिशत से ज्यादा लीकेज होती है, उसमें हम उस ढाणी और गांव को बिजली नहीं देंगे। (व्यवधान) चोरी और लीकेज, यह आपका दायित्व है, आपको रोकना चाहिये। आपको उसमें सख्त कदम उठाने चाहिए। एक तरफ हम इसको रोक नहीं सकते हैं और दूसरी तरफ जो टाइमली बिल भर रहा है, उसको हम बिजली दे नहीं रहे हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य पर्ची के माध्यम से बता रहे थे कि उन्होंने जो अभी बिल भेजा है उस किसान को, जो ठण्ड में और दिन में किस तरीके से खेती करता है, किसी के तो इन्होंने सिक्योरिटी के नाम पर, क्योंकि जब वह कनेक्शन लेता है, उस टाइम वह सिक्योरिटी लेते हैं। लेकिन अब उन्होंने एक नया फण्डा जारी किया है। उस किसान को भेजा है कि आपको यह सिक्योरिटी इतने रुपये जमा करानी पड़ेगी। आप नहीं कराओगे तो आपका विद्युत विच्छेद कर दिया जाएगा। हमने पूछा कि यह काहे का पैसा है, तो साहब, हम सिक्योरिटी ले रहे हैं। हम नौ प्रतिशत उसमें ब्याज देंगे। उस सिक्योरिटी पर 9 प्रतिशत ब्याज देंगे। उस किसान के पास कहां तो 2 लाख रुपये आयेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से कोलायत के हमारे माननीय सदस्य ने बताया था तो उसकी भी माननीय मंत्रीजी जांच करवाएं। किसान के पास पैसा नहीं है, 2 लाख रुपये कहां हैं अब, 9 प्रतिशत ब्याज पर वह रखेगा। यह भी कम्पनियों के घाटे को उबारने का जिस तरह से रास्ता अख्तियार किया है, यह बहुत गलत है। आज कम्पनियों के घाटे की हम बात करें। आप कह रहे थे कि इतने हजार करोड़ रुपये कम्पनियों को घाटे में डाल दिया। (व्यवधान) हमारे टाइम में भी घाटा हुआ था। हम कोई मना थोड़े ही कर रहे हैं। हमने उस घाटे को कण्ट्रोल कर रखा था, हमने पांच साल तक बिजली की कोई रेट नहीं बढ़ाई। हमारा घाटा होने का कारण है। आप सत्ता छोड़कर गये 2008 में, उस टाइम 36 हजार करोड़ रुपये कम्पनियां घाटे में छोड़कर गये थे, 36 हजार करोड़ रुपये। हम पांच साल के अन्दर, 72 हजार करोड़ था। आप 36 हजार करोड़, 72 में से 36 निकालोगे, कितना होगा 36 हजार करोड़, 5 साल के अन्दर 36 हजार करोड़, इन्होंने 2013 में सत्ता सम्भाली, उस टाइम 72 हजार करोड़ रुपये उन कम्पनियों का घाटा था। इन दो साल के अन्दर एक लाख 06 हजार करोड़ रुपये उन कम्पनियों में घाटा कर दिया आपने, एक लाख छह

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

हजार करोड़। कितना बढ़ा दिया घाटा आपने। 34 हजार करोड़ दो साल के अन्दर बढ़ा दिया। हमने पांच साल के अन्दर 36 हजार करोड़। आपने 2 साल के अन्दर 36 हजार करोड़ और बढ़ा दिये। (व्यवधान) आंकड़ा देख लेना आप। आपके कौनसे आंकड़े सही हैं। सिर्फ आंकड़ों के मायाजाल में काम कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें। शांत रहें। व्यवधान न डालें। प्रतिपक्ष के नेता के भाषण में व्यवधान न डालें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बिजली की बात अपन करें। रिसर्जेण्ट राजस्थान का आपने किया। उससे एक साल पहले, माननीय सदन की नेता, मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही कि राजस्थान को हम सोलर हब बनाना चाहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, माननीय अध्यक्षजी, क्योंकि राजस्थान में सम्भावनाएं हैं सोलर हब बनने की। फिर बुलाया देश-विदेश के लोगों को, एम.ओ.यू. कर लिया 26 हजार मेगावाट का, 26 हजार मेगावाट का एम.ओ.यू. होने के बाद एक मेगावाट बिजली नहीं मिली, एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई। दूसरी तरफ आप कालीसिंध जो जनता की सम्पत्ति है, उसको आप बेच रहे हो। मैं पार्लियामेंट के अन्दर मैम्बर था, सांसद था 13वीं लोक सभा के अन्दर। अटल बिहारी वाजपेयीजी प्रधान मंत्री थे। उस टाइम भी 13वीं लोक सभा के अन्दर मैं था मौजूद, एक डिस्इंवेस्टमेंट का अलग मंत्रालय बनाया आपने।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीया मुख्य मंत्रीजी भी थे उस वक्त।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप भी थे उसमें। हां, सदन की नेता भी थीं वहां। एक डिस्इंवेस्टमेंट का अलग से मंत्रालय बनाया। देश को बेचने का काम किया आपने। वाल्को लो, चाहे नाल्को लो, चाहे हिन्दुस्तान जिंक लो, कितने हजारों करोड़ रुपये की प्रोपर्टी थी, उसको मात्र चार सौ, साढ़े चार सौ करोड़ रुपये में आपने बेच दिया और यही स्थिति आप प्रदेश में करना चाह रहे हो। आज जनता की सम्पत्ति को आप बेचना चाह रहे हो कौड़ियों में। आप भी एक डिस्इंवेस्टमेंट का मंत्रालय बना लो। कौन मना करेगा आपको? आपके पास प्रचंड बहुमत है। आप सत्ता के मद में चूर हो। कौन मना करेगा आपको? जनता ने पांच साल के लिए सौंपी है आपको। आज उस यूनिट को, उस कारखाने को

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

आप लगाओ तो राजस्थान की जनता के सात हजार करोड़ रुपये लगे हुए हैं। यह बेच रहे हैं हजार और बारह सौ करोड़ रुपये में।

आज आपके कोटा के थर्मल पावर की बात कर लो, चार यूनिट, माननीय अध्यक्ष महोदय, बंद पड़ी हैं वहां कोटा की, छबड़ा की। इन सबका निजीकरण करना चाहते हैं। यह कतई हो नहीं सकता।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): यह भी सरकारी उपक्रम है। आपको पता नहीं है?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या? सरकारी उपक्रम क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सरकारी उपक्रम को ही तो बेचना चाह रहे हो। एक तरफ तो नए एम.ओ.यू. कर रहे हैं सोलर एनर्जी के लिए, एक साल में एक मेगावाट बिजली आपने बनाई नहीं अपितु, हमें यह लगता है, सरकार पर हमें संदेह है कि जो भी कम्पनी, जो बाहर के बड़े कारपोरेट घराने आए हैं, जिनके साथ एम.ओ.यू. हुआ है, उन गरीब किसानों की, उन गांव वालों से औनें-पौने दामों में जमीन छीनकर उन कारपोरेट घरानों को देना चाहते हैं, आपकी यह मंशा है।

आपकी मंशा बिजली पैदा करने की नहीं है। आपकी मंशा राजस्थान की गाढ़ी कमाई, जो राजस्थान की जनता की सम्पत्ति है, उस सम्पत्ति का आप निजीकरण करना चाह रहे हो, उनको बेचना चाह रहे हो।

आज बिजली की स्थिति, आर्डर निकाल दिया कम्पनी ने कि जो एग्रीकल्चर फीडर है, जिस गांव का, किसान का जो खेत है, उसमें उसका ट्यूबवैल बना हुआ है, उसमें उसकी ढाणी बनी हुई है, उसी में उसके बच्चे रहते हैं और आपने एक आर्डर निकाल दिया कि एग्रीकल्चर फीडर सिर्फ चार घंटे चलेगा, उसमें चाहे उसकी ढाणी का कनेक्शन हो, उस ढाणी को, माननीय अध्यक्ष महोदय, लाइट नहीं मिलती। पढ़ाई के वक्त चार घंटे जो बिजली आप दे रहे हो, उसमें 24 घंटा बिजली देने की आपने बात की है। उसको सिंगल फेस दो कनेक्शन, उसका कनेक्शन लिया हुआ है, ढाणी के अन्दर उसको लाइट नहीं दे रहे हो। आप यह काम कर रहे हैं। तो आपका कहां मेनिफेस्टो, कहां आपको विचार, कहां सोच? उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा सदन की नेता से

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

कि इसको भी आप अच्छी तरह से देखें। उसको सिंगल फेस लाइन दीजिए, उसको 24 घंटे नहीं तो कम से कम 10 घंटे तो बिजली दो। उसको 10 घंटे भी बिजली पूरी मिलती नहीं है।

मैं पीने के पानी के बारे में आना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पीने के पानी की स्थिति इतनी खराब है कि गांव का एक ट्यूबवैल भी खराब हो जाए तो उसको चार महीने तक ठीक करने वाला कोई नहीं है, चार महीने तक। आधा फुट पाइप खरीद नहीं सकता आपका एक्स.ईएन., आपका एस.ई., उसको पावर नहीं दे रखी। मोटर पम्प खराब हो जाए तो आपके पास में स्टैंड बाई पम्प नहीं है कि हमारे टैंडर हुआ है, वहां से जयपुर से खरीदेंगे। आप वहां भी जो है, नीचे ए.ईएन., एक्स.ईएन., आपका एस.ई., एडिशनल चीफ जो जिला लेवल पर बैठता है, उसको भी आप पावर दीजिए। कोई एक फुट पाइप तो खरीद सकें। मोटर पम्प, उसको ठीक तो करवा सकें। इनके पास में न कोई मोटर पम्प है, न कोई पाइप। आपने सिर्फ कांग्रेस की चलाई हुई, मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 450 करोड़ की स्कीम थी, पूरा फ्लोराइडयुक्त इलाका है और टोटल आधा नोखा ढाणियों में रहता है, ढाणियों में बसता है। हमने 450 करोड़ रुपये की पूरी स्कीम का, पूरा इंदिरा गांधी नहर का जो पानी है, वह उन ढाणियों में देने की बात की। उनकी डी.पी.आर. बन गयी। उनके टैंडर हो गये। इन्होंने डिपार्टमेंट लगा दिया, उसमें ए.ईएन., एक्स.ईएन., एस.ई., बाबू-साबू, गाड़ी-घोड़े सब दे दिये आपने। इनका डिपार्टमेंट लग गया। टैंडर हो गये। टैंडर होने के बाद में, यह हमारे वक्त की बात कर रहा हूं मैं। रेट ज्यादा आई, री-टैंडरिंग हुआ। हम चले गये, आप आ गये। दोबारा टैंडर करने की बजाए इन्होंने, मैं बता रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैंने निवेदन किया था कि यह राज धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं।

इन्होंने तो शुरू में आते ही कांग्रेस की चलाई हुई जो योजनाएं, जो प्रोजेक्ट थे, उनको सिर्फ ठंडे बस्ते में डालने का और बंद करने के अलावा कोई काम ही नहीं किया और उसी चपेट के अन्दर यह प्रोजैक्ट भी आया। आपका यह तो बहुत है, उसको दोबारा टैंडर करने के बजाय उसकी फाइनैंशियल स्वीकृति आपने कैंसिल कर दी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री तो अच्छी हैं लेकिन सिस्टम खराब है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): और डिपार्टमेंट आपका बैठा है। उसकी फाइनैंशियल स्वीकृति कैंसिल कर दी और डिपार्टमेंट आपका जैसे का तैसा है। आपको पता होगा, मंत्रीजी, यह स्थिति है।

नागौर की आप बात करो, पीने के पानी की। हमने शुरू में 2003 में सोनिया गांधीजी ने शिलान्यास किया था, आपके नागौर में नहर का, इंदिरा गांधी नहर का पानी लाने का, 2200 करोड़ रुपये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सोनिया गांधीजी ने जो किया था, उसका बजट था क्या उसमें? भाटा लगाकर चले गये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 2200 करोड़ रुपया हम देकर गये थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): भाटा लगाकर चले गये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम 2200 करोड़ रुपये का उसमें प्रावधान करके गये थे। 2200 करोड़ रुपये का प्रावधान करके गये। हमारी सरकार के आने के बाद ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह इतना असत्य बोल रहे हैं इस सदन में। यह इतना गरिमा (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी सरकार आने के बाद हम उसमें 2200 करोड़ रुपये उस वक्त में छोड़कर गये और इनकी सरकार आने के बाद में चार साल आपने निकाल दिये। ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपने एक पैसा नहीं दिया। आप नागौर की बात कर रहे हैं, नागौर के अन्दर अब जाकर यह पूरा नागौर जिला लिया है। आपने तो ऐसे चूज किया कि एक गांव को छोड़ा और एक गांव को पानी दिया। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे बीच में कैसे बोल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं हुआ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, यह शोभा नहीं देता मंत्रीजी आपको।

श्री अध्यक्ष: बैठिए-बैठिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपको

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

भी नहीं देता है, यहां पर असत्य बोलना आपको भी शोभा नहीं देता है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं। फिर मुख्य मंत्रीजी पर भरोसा नहीं है क्या आपको? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप असत्य क्यों बोल रहे हो? यह सदन की परम्परा के लिए ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप यहां पर असत्य बोलते जाएंगे और हम लोग सुनते जाएंगे क्या? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य मंत्रीजी पर भरोसा नहीं है? आप बीच में बोल रही हैं। आपको मुख्य मंत्रीजी पर भरोसा नहीं है क्या? वह दे देंगी न उत्तर, सदन की नेता। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): कुछ भी बोले जा रहे हो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन में कहेंगे नहीं क्या हम? सही बोल रहे हैं। सही है वही बोलेंगे। सही बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपको यह पता ही नहीं है कि क्या पावर दिया, क्या नहीं दिया, आप चाहे कुछ भी बोले जा रहे हो। हमसे असत्य नहीं सहा जाएगा। जो कुछ बोलना है, यह पढ़ो यहां पर, यह क्या लिखा है? सत्य बोलो, वरना मत आओ इस हाउस में। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): असत्य नहीं बोल रहे हैं। सत्य बोल रहे हैं। आपको मुख्य मंत्रीजी से जवाब दिलवाना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज भी नागौर जिले में लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी नादौती में एक हजार से 1500 रुपये में टैंकर खरीदा जा रहा है, जनता पानी के लिए त्राहि-त्राहि मचा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

(16.00 बजे)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं माननीय सदन की नेता से मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा, आपने वह पैसे कैंसिल किये कि नहीं किये?

फाइनेंस से स्वीकृति निकली कि नहीं? उसके टैण्डर हो गये थे, डिपार्टमेंट अभी लगा हुआ है। (व्यवधान) वह पता लग जाएगा, आपका थोड़ी है यह डिपार्टमेंट। आप क्यों पूछ रहे हो? आपका डिपार्टमेंट है क्या? उसमें फाइनेंशियल स्वीकृति कैंसिल कर दी। इसका भी आप जवाब दे दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणाओं की अपन बात करें। पिछले 2014-15 और 2015-16, दो बजट आपने पेश किये। क्या बजट में आपने जो पेश किये वह सारे के सारे काम कर दिये आपने? मैं उसमें गिनाने लगूं तो और लम्बा समय लगेगा। मैं यह कह रहा हूं माननीय अध्यक्षजी, उसको भी हम टेबल कर देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रिकार्ड पर आ जाएगा, टेबल कर दो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): उसमें भी आज तक दोनों बजट के अन्दर बहुत सी ऐसी घोषणाएं की हुई थीं, बजट में लिया हुआ है, वह काम आज भी पूरे नहीं हुए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

आज अपन नौकरियों की बात करें। आप मुश्किल से तो नौकरियां निकालते हो थोड़ी-थोड़ी, और उन नौकरियों के लिये लाखों की तादाद में बच्चे परीक्षा देने आते हैं। माननीय अध्यक्षजी, वेकेन्सी निकलती है वह जाकर कोचिंग करता है, शहर में रहता है, कोचिंग जाता है, भूखा रहता है और कई लड़के अपनी धर्मपत्नी का मंगलसूत्र बेचकर उससे पैसा लाकर कोचिंग करते हैं, फिर वह पेपर देने जाता है और पेपर देने के बाद बाहर आता है, तब उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर क्या बीतती होगी। (व्यवधान)..

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आर.पी.एस.सी. के चेयरमैन भी बंद हैं, आपके टाइम में हुआ था, आप भूल गये। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने मजाक बनाकर रख दिया। जिस तरह से आये दिन पेपर लीक होते हैं। अभी आज भी मीडिया के अन्दर था कि सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी के एग्जाम चालू हो गये हैं और उनके पेपर आउट हो गये।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): एक भी पेपर आउट नहीं हुआ है, गलत मत बोलो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जेल प्रहरी का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने सुबह-सुबह अख़बार में उठते ही देखा। पेपर के अन्दर देखा माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जेल प्रहरी का पर्चा आउट नहीं हुआ क्या?

एक माननीय सदस्य: वह पेपर ही नहीं था। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जेल प्रहरी की बात करें, आपने कोई व्यवस्था नहीं की और हजारों की तादाद में बूंदी में गये थे, कितना बड़ा बस हादसा हुआ? एक बस के अन्दर माननीय अध्यक्षजी, पेपर देकर लड़के बाहर निकले और पता चला कि पेपर आउट हो गया। जैसे-तैसे पड़ते बस में चढ़े। उस बस के अन्दर 150 से ज्यादा हमारे युवा साथी थे, बस पलट गयी और उसमें 6 से ज्यादा लोग मर गये। उन मां-बाप पर क्या गुजरी होगी? आपका यह धर्म है? आप पूरी बस नहीं लगा सकते, पूरी व्यवस्था नहीं कर सकते। एक बस के अन्दर 150-150 विद्यार्थी और बाहर आते ही पता चले कि पेपर आउट। आर.पी.एस.सी. संस्था पर भी प्रश्न चिह्न लग गया। माननीय अध्यक्षजी, ऐसी संस्थाओं पर प्रश्न चिह्न लगना अच्छी बात नहीं है।

विद्यार्थी मित्रों की बात आई, इन्होंने कहा कि हम निस्तारण करेंगे, 40 हजार शिक्षक, जो थर्ड ग्रेड के हैं, 2012 के अन्दर जो भर्तियां हुई थीं उनका अभी तक नियमितिकरण नहीं किया गया। दो साल से ऊपर हो गये और उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया।

कुपोषण की बात करें, यह तो मानने को तैयार ही नहीं हैं। सैकड़ों बच्चे राजस्थान के अन्दर, बाड़मेर के अन्दर कुपोषण से मर गये। आज तक बाड़मेर के अन्दर कुपोषण से नहीं मरा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड पर क्या चीज जा रही है, कुछ तो गम्भीरता से बोलें। मैं चुनौती दे रहा हूं कि अगर एक बच्चे की मौत बता दें तो यह, बहस करो न इस पर। आप क्वेश्चन लगा दीजिये, बहस कर लीजिये, उत्तर दे देंगे हम। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ग्यारह बच्चे बाड़मेर के अन्दर कुपोषण से मरे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह जिस पद से बोल रहे हैं जहां भैरोंसिंह जी शेखावत बोला करते थे पहले। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी। बाड़मेर के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 बच्चे मर गये।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, अब कितना समय है आपका?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अब सहरिया की बात करो और प्रदेश के कोने-कोने की बात करो। सैकड़ों बच्चे कुपोषण से मर रहे है। आपके राशन देने की व्यवस्था नहीं है, उन परिवारों को सम्हालने की व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कितना समय आप बोलोगे?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने सवा तीन बजे चालू किया था। एक घंटा हुआ है। मैं मेरी बात दो मिनट में खतम करता हूं।

श्री अध्यक्ष: वैरी गुड, बहुत अच्छा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कुपोषण की बात कही मैंने। पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, इसी शिक्षा के क्षेत्र में आपने राजस्थान की बंद कर दी। सदन की माननीय नेता मध्य प्रदेश से आती हैं, इनका पीहर मध्य प्रदेश है। वहां मध्य प्रदेश के अन्दर भी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी 30 साल से चल रही है और राजस्थान के अन्दर दो साल से सही तरीके से जो यूनिवर्सिटी चल रही थी, हमारे गांव के युवा साथी उसमें अध्ययन कर रहे थे। लोकतंत्र में चौथा स्तम्भ पत्रकारिता का है, उसको आपने बंद कर दिया। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बंद कर दी। बीकानेर के अन्दर टैक्निकल यूनिवर्सिटी 9 माह से चल रही थी। गाड़ी-घोड़े, वी.सी. वगैरह सब लगे हुए हैं, उसको बंद कर दिया। आप बंद करने के अलावा कोई नई चीज खोलने की भी बात करते हो क्या? यह स्थिति इस सरकार की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूलों में शिक्षकों के पदों की बात करें तो अभी देवनानी जी खड़े हो जाएंगे कि मेरी तो स्कूलें बहुत बढ़िया चल रही हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन के अन्दर हैं ही नहीं, कहां से खड़े होंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): प्रतिबन्धित जिलों के अन्दर गांव और ढाणी का 500-700 किलोमीटर दूर जो लड़का बाड़मेर में लगा हुआ है, चाहे आपके उदयपुर में लगा हुआ है, चाहे कहीं लगा हुआ है, उसके मां-बाप

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

की दिक्कत है, वह कह रहा है कि मेरा ट्रांसफर करके नजदीक लगा दो, तब तो आप लगाते नहीं और आप पीछे दरवाजे से शिक्षण व्यवस्था में उनको ए.पी.ओ. कर रहे हैं। किस तरीके का मानस है, यह तो आप जानो, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों की अपन बात करें तो सड़कों के अन्दर भी पिछले बजट के अन्दर जो आपने घोषणाएं की थीं चाहे अनूपगढ़ से सूरतगढ़ की बात करो, चाहे नोखा से सीकर की बात करो। ऐसी छह सड़के हैं, वह आज तक चालू नहीं हुई हैं। अनूपगढ़ के माननीय सदस्य वहां बैठे हैं कोने में। सूरतगढ़ से आते हैं। मैं सूरतगढ़ जाता हूं, यह इतने दु:खी है। गौरव-पथ, गौरव-पथ लगा रखा है, आपने गांवों का सत्यानाश कर दिया इस गौरव पथ से। आपके ही सदस्य बोले थे, क्या स्थिति कर रखी है गौरव-पथ की, यह कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आप लोगों ने 60 साल में कीचड़ तैयार किया था, उसे खतम करके सत्यानाश कर दिया। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह कोई तरीका नहीं हुआ। गौरव पथ की बात करूं मैं, मेरा समय जा रहा है। माननीय सदन के नेता को भी बोलना है।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): गौरव पथ की चौड़ाई पहले 12 फीट थी, 14 फीट थी, उसको आपने समेटकर 10 फीट कर दिया।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): दो गाड़ियां नहीं निकल सकतीं। दो गाड़ियां नहीं निकलतीं। नालियां आपने बनाई नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें। अब यह समाप्त कर रहे हैं। माननीय, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): भ्रष्टाचार में, माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार इस कदर प्रदेश के अन्दर फैला है।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): खनन घोटाला 45 हजार करोड़ रुपये खा गये आप, राजस्थान की जनता की कमाई थी।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये। प्रतिपक्ष के नेता, अब आप समाप्त कीजिये। बहुत बोला जा सकता है लेकिन अब समाप्त कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): खनन घोटाले में 156 माइन्स अलाटमेंट की हैं, उसमें 45 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बात करें बहुत लम्बी-चौड़ी बातें हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, बहुत लम्बी-चौड़ी है, इसलिये तो बात समाप्त कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण आपका होता है, आपने विजन-2020, आपने इसमें राजस्थान का एक आइना दिखाने का काम किया है, यह आइना नहीं यह असत्य का पुलिन्दा है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आपके पास में ढाई साल बचे हैं, ढाई साल, इन ढाई सालों के अन्दर आप कोई अच्छा काम करोगे प्रदेश की जनता की सोच के अनुरूप, तो विपक्ष भी आपके साथ खड़ा नजर आएगा।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: सदन की नेता मुख्य मंत्रीजी बहस का जवाब देंगी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: यह क्या तरीका है? अंकित नहीं हो, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो, बैठ जाओ आप। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): बैठ जा, बैठ जा, कह दिया, कह दिया, बैठ जा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनका एक शब्द अंकित नहीं होगा। आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): बैठो, बठो। आपका काम बैठने का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) आप भी बैठ जाओ। एक शब्द इधर का अंकित नहीं होगा। यह क्या मतलब है? बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा इधर का एक शब्द भी। (व्यवधान) आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): फिर हमें भी बोलना आता है। यह क्या तरीका हुआ? अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका हुआ?

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह रवैया रहा तो हमें भी बोलना आता है ...(व्यवधान) अनर्गल बातें सुनी हैं। विपक्ष के नेता क्या बोल रहे थे ...(व्यवधान) एक घंटे अनर्गल बातें हमने सुनी हैं बैठकर। एक घंटे हमने इनकी बात सुनी।

श्री अध्यक्ष: प्लीज। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह फालतू का नाटक करते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप भी बैठो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय राठौड़ साहब, हमारा कहीं कोई नहीं है, हम बिलकुल नेता जी को सुनना चाह रहे हैं। आपके जो विरोध कर रहे हैं उसका बताओ आप, उनका जवाब दो।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो उन्होंने राज्य सरकार के एक वर्ष का लेखा-जोखा इस हाउस के सामने और जनता के सामने रखा, उनके लिए मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। हालांकि मुझे अफसोस है कि सदन की गरिमा और संसदीय परम्परा पर फिर से ध्यान नहीं दिया गया, यह पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था इस साल भी अपन ने ऐसा ही किया। कुछ ऐसी परम्परा होती हैं, हाउस की ऐसी परम्परा हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियां देखती हैं और मैं समझती हूं कि उनको स्वस्थ रखना, यह सिर्फ इस तरफ का नहीं, दोनों तरफ का काम है और मैं समझती हूं कि यह काम हम लोगों को करना चाहिए, इसलिए मुझे अफसोस है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आज माननीय एल.ओ.ओपी. के भाषण को सुना, आपके पीछे वो लिखा हुआ था उसको भी मैं उसी समय देख रही थी तो मैंने कहा मैं एक दफा उसको पढ़ दूं "One must not either enter an Assembly Hall or he must speak there with all the righteousness, for one who does not speak or one who speaks falsely does involve himself in the equal sin" उसका मुझे लगता है ट्रांसलेशन यहां है।

अपन जब इस हाउस के अन्दर आते हैं और अभिभाषण जैसी चीज के ऊपर और जनता के सामने पेश होते हैं तो यह जरूरी है कि जो बातें अपन करते हैं, हो सकता है कि हमें पसंद न आये और हम तो अपनी कमियां देखने को, समझने को पूरी तरह से तैयार हैं परन्तु कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो तो मजा आये। और मैं मानती हूं कि यह अभिभाषण जो चीज है उसको गहराई से समझने की जरूरत है, उसका अध्ययन करने की जरूरत है और उसको अपन दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल व्यू है कि उसको ट्रेडिशनल आप लोग देख लो और ट्रेडिशनल उसमें जो उपलब्धि हुई हैं या नहीं हुई हैं, उनके ऊपर हम लोग बहस कर लें परन्तु उसके ऊपर एक दूसरा भी नजरिया है और वो यह नजरिया है कि किस सोच से यह बनाया गया था, उस सोच की गहराई क्या है, भावना क्या है। जो योजना बनी है उस योजना को किसने और कैसे सोच कर उस योजना को सामने रखा है और इस तरीके से रखा है कि सरकारी तंत्र, वो ही सरकारी तंत्र, माने काम करने की शैली में जनहित की भावना को समझकर आ गया है। अध्यक्ष जी, मैं मानती हूं सत्तारूढ़ बदलता रहता है परन्तु प्रशासनिक व्यवस्था बदलती नहीं है और सरकारी प्रशासनिक ढांचे को जनता की आकांक्षा के हिसाब से अपने को ढालने की जरूरत है, उसको उसके अनुरूप अगर उनकी सेवा में लगाने की जरूरत है तो फिर उनको डाइरेक्शन देने की भी बहुत सख्त जरूरत होती है और तभी उनकी सोच में फिर परिवर्तन आता है।

दो वर्षों के अन्दर हम लोगों ने टीम राजस्थान के रूप में, चाहे वो पालिटिकल हो, चाहे वो आफिसर्स हों, चाहे वो जनता हो, सब लोगों की बात को सुनकर टीम के रूप में हम लोगों ने परखा, सोचा और उसके बाद प्लान्स बनाकर उनको क्रियान्वित करने के लिए आप सबके सामने रखा। पर मुझे लगता है कि कभी-कभी ऐसे प्रयास होते हैं, कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रयासों से भी अपना मुंह फेरने की कोशिश करते हैं, सच्चाई के सामने कतराते

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हैं, समझ में नहीं आता क्यों। क्योंकि उसको देखकर, उसको समझकर फिर उससे अपन आगे बढ़ें तो मैं समझती हूं कि कुछ फायदा है। पर मुझे यह विश्वास है कि जनता की कसौटी के ऊपर जब यह प्रयास, हमारे यह प्रयास उनके सामने आयेंगे तो वो जनता उसको नजरअंदाज नहीं करेगी क्योंकि वो जानती है कि हम लोगों ने क्या काम किया है। हम लोग लगातार उनके बीच में जाते हैं और उनकी बात को सुनकर सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं।

यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अन्दर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की एक बहुत बड़ी भूमिका है, है और रहेगी और जहां सरकार की नीति और कार्यक्रम और क्रियान्वयन की कमी बतलाने का, यह भी मैं समझती हूं कि आपका एक धर्म है, यह बताना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि इसमें गलती है, क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। हमें उसमें कोई प्राब्लम नहीं है परन्तु इसको निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करें तो मैं समझती हूं कि मजा आयेगा।

फिर मैं माननीय सदस्यों को सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप लोगों ने जो राज्यपाल महोदय ने भाषण में अपनी बात को रखा उसमें आप सब लोगों ने बहुत सारे अच्छे-अच्छे सुझाव दिये। मैं तो यहां देख रही हूं कि करीबन इसमें 57 माननीय सदस्यों ने लगभग 20 घंटे तक भाग लेकर बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा की। उसके लिए मैं उन सब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

मैं धन्यवाद उनका भी देती हूं कि राज्य सरकार के कार्यक्रम में आप लोगों ने जो नीतियों में कमी निकाली, मैं उन सब सुझावों को सकारात्मक रूप से लेकर उनको समावेश करने की कोशिश करके और उन कमियों को दूर करने की मैं कोशिश करूंगी जो कमी मैं समझती हूं और हम लोग सब समझते हैं कि जनता के सामने आती है वो ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह कहा था कि हमारी सोच, विचारधारा वो जनता से हमारे संवाद से निकलकर आयी है। हमारे कार्यक्रम और नीतियों को उससे तय किया गया है और मैं थोड़ा-सा आज सदन के सामने यही रखना चाहूंगी कि थोड़ा-सा लगता है कि फर्क है आपकी और हमारी सोच में। मैं उसको आपके सामने कुछ टिप्पणी करना चाहूंगी। आपकी सोच, पिछले कार्यकाल में आप लोगों ने पहले से ही हम लोगों को चिह्नित कर लिया था।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तय कर लिया था कि बदले की भावना के साथ आप पूरी तरह से खिलाफत करोगे। आपने यह इसलिए तय कर लिया था क्योंकि आपने यह सोचा कि सत्ता की लड़ाई में पांच साल बाद यह लोग फिर वापस आयेंगे तो उनको वहीं कुचल कर रख दो फिर लड़ाई में आ ही नहीं पायें, ऐसी उनकी परिस्थिति कर दो। मूल भावना क्या थी कि विपक्ष को गलत आरोपों में फंसाना, मनगढ़ंत बातें जनता के सामने लाने की कोशिश करना। व्यक्तिगत आरोप में कोई कमी नहीं छोड़ी। व्यक्तिगत आरोप लगाना और कोशिश यह करना कि किस तरीके से हमारा अपोजिशन बिलकुल ध्वस्त हो जाए। इसी सोच से प्रेरित होकर आप लोगों ने माथुर कमीशन को खड़ा किया। अंत में उसका क्या हश्र हुआ, वो आप सब जानते हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको, उस माथुर आयोग को खारिज कर दिया पर जो सोच आपकी थी वो स्पष्ट निकलकर हमारे ही सामने नहीं पूरी जनता के सामने आयी और इसलिए जो रिजल्ट था वो आप लोगों ने देख लिया।

हमारी सोच क्या थी, हमने कहा कि बदले की भावना से हम लोग किसी के खिलाफ काम नहीं करेंगे। जब मंत्रिमण्डल की मीटिंग हुई, हमारे बड़े अधिकारियों की मीटिंग हुई 20 दिसम्बर को तो मैंने जब प्रजेन्टेशन देते हुए उन लोगों के सबके सामने यह स्पष्ट किया कि जो भी प्रकरण हैं, जो भी शिकायत है उसके गुण ओर अवगुण को पहले देखा जाए, उसका परीक्षण किया जाए एंड दैन ओनली उसका एक्शन लिया जाए। माथुर आयोग जैसा कोई भी आयोग नहीं बनायेंगे, किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे। हमारा मकसद था कि किसी को हम परेशान नहीं करेंगे परन्तु हां, सच्चाई तक तो पहुंचने का काम हम करेंगे। और चुनाव के समय हमारी ओर से भी हमने बहुत सारे आरोप लगाये, कई आरोप लगाये, ब्लैक पेपर भी निकाला पर जीतने के बाद हमने आयोग नहीं बैठाया। बैठाने की हमको जरूरत ही नहीं थी। हमने यह तय किया कि जो भी प्रकरण हैं उनको मैरिट्स और डिमैरिट्स के ऊपर डिसाइड किया जायेगा।

अभी यह माइन्स की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहती हूं एग्जाम्पल के तौर पर यह गोटन लाइमस्टोन माइन्स के आबंटन का केस, जिसके ऊपर बहुत सारा हल्ला मचा था। इस केस को हमने मैरिट्स पर आर्ग्यू किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे स्टैंड को पूरी तरह से अप होल्ड किया। देर जरूर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हुई परन्तु केस हम जीते। इसीलिए इश्यूज तो हम लेंगे, पूर्वाग्रह से नहीं बल्कि मैरिट्स से लेंगे। यही माननीय लीडर आफ दी अपोजिशन, राज्य धर्म है। मैं यही आपको बताना चाहती हूं।

फिर आइये आप विजन पर, यह जरूरी है और शायद आप लोगों ने कभी किया ही नहीं इसलिए आप शायद उसको अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। परन्तु अगर कोई इकानामिक्स पढ़ता है और विदेशों में भी कोई सेमीनार होते हैं या यहां भी बातें होती हैं तो आप लोगों को समझ में आयेगी, जाओगे उसमें तो पता लगेगा कि लोंग टर्म विजन कितना जरूरी होता है। शार्ट टर्म में जो अपन नी-जर्क रिएक्शन करके काम करते हैं उसका नुकसान बहुत भारी होता है। एग्जाम्पल, 80 थाउजेंड करोड़ का जो भार आज आपकी विद्युत कंपनियों को वहन करना पड़ रहा है।

राजस्थान के लोंग टर्म विकास के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट जो हमारे राजस्थान का है उसके विकास के लिए, आपने तो अपनी सोच कभी स्पष्ट नहीं की और जो मैं आज सुन रही हूं उससे मालूम हो गया कि क्यों नहीं स्पष्ट हो रही है। क्योंकि है ही नहीं सोच उसमें। जब है ही नहीं सोच तो उसको स्पष्ट कैसे करेंगे। मीनमेख दूसरे के अन्दर निकालने की आदत है और वह बहुत आसान भी है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना मुश्किल काम है क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जब कोई आदमी करता है तो उसके बाद उसको उसका विकल्प भी, उसका उपाय भी देने की जरूरत है।

लम्बे अरसे से जिस पार्टी ने बागडोर संभाली है, आउट आफ 68 ईयर्स में से 53 ईयर्स तो इन्होंने ही चलाई है। जिस तरह से मैं सुन रही थी, उससे तो चमन बन गया होना चाहिए था आज तक, 53 साल लगातार एक ही पार्टी को मिलना, यह किस पार्टी को मिलता है और कब मिलता है, लेकिन एक पार्टी को मिला। सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यह अपने आपको मानते हैं और हम भी आपको आदर सहित देखते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है। पुरानी पार्टी है तो हम कुछ आपसे सीख भी सकेंगे। परन्तु क्या आपका विकास का सोच है वह आज दिन तक जनता के सामने नहीं आया है।

मैंने अपने प्रजेंटेशन में क्लियर डायरेक्शन देकर अपना रोड मैप क्लियर कर दिया। प्रशासनिक ढांचे से वह दिशा जो हमने दी है, वह क्लियर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हम लोगों ने सबके सामने रखी। ओरिएंटेशन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं है तो फिर कौनसे रास्ते पर जायेंगे। आर्थिक आधारभूत संरचना जिसमें बिजली, पानी और सड़क, सामाजिक आधारभूत संरचना जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, स्किल, रोजगार, इंडस्ट्री अदर्स महत्वपूर्ण हैं लेकिन इसके साथ-साथ जो जनता की रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलें हैं, उसके ऊपर भी समयबद्ध तरीके से किस तरह से निराकरण हो, वह भी बहुत ही आवश्यक है। एक साइड को करके दूसरे साइड को अवाइड करने का हमने कभी प्रयास नहीं किया। हमने यह कोशिश की कि दोनों चीजों को सामने रखें, ध्यान में रखें। उनको किस तरीके से आगे लाया जाये। वह हमने निरन्तर प्रयास किये हैं।

सरकार में आते ही सबसे पहले 'सरकार आपके द्वार' भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर के अन्दर हम गये। हमने कोशिश की और सरकार को लेकर गये। पूरे के पूरे, अफसर से लेकर के मंत्री, हम सब ने दिनों-दिनों वहां रहकर कोशिश की समझने की कि कहां प्राब्लम है। क्यों वो तबका, वो ढांचा सही तरीके से जैसा चलना चाहिए, नहीं चल रहा है। उसको समझने की हमने कोशिश की।

'राजस्थान सम्पर्क पोर्टल' के अन्दर 3 लाख से ज्यादा लोगों को राहत हमने दिलवायी और वह इसके साथ ही चला। 'अपना जिला, अपनी सरकार' सवाई माधोपुर, बाड़मेर, नागौर, झालावाड़ मालूम नहीं कोई कह रहे थे कि शायद उन्होंने इस प्रोग्राम को खतम कर दिया है। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि यह प्रोग्राम बिलकुल ही खतम नहीं है। यह तो आन गोइंग प्रोग्राम है। यह आने वाले तीनों साल के अन्दर चलता ही रहेगा क्योंकि ऐसे दौरे बहुत जरूरी हैं। इन्हीं दौरों के द्वारा हम लोगों को मालूम पड़ जाता है कि जनता की क्या स्थिति है। जनता चाहती क्या है और उसको किस तरीके से हम जमीन पर लायें। उसके लिए भी वहीं बातचीत हो जाती है। उस प्रोग्राम के अन्दर हमारा आकस्मिक भ्रमण हो जाता है कहीं न कहीं। अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हो जाती है। जन प्रतिनिधि और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठक लेते हैं। उनसे बातचीत करके वहां की बात समझने की कोशिश करते हैं।

जन सुनवाई सिर्फ बीजेपी आफिस में नहीं होती है, यह तो गलतफहमी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

है आपकी। हमने अपने कार्यकर्ताओं के लिए यह एक अलग से किया है। लेकिन जनता के बीच में जा-जाकर सुनते हैं, हजारों की तादाद में सुनते हैं, उनका निवारण करने की हम कोशिश करते हैं। अगर जनता के बीच में हम नहीं जायेंगे तो जनता के चुने हुए व्यक्ति हम लोग यहां बैठे हुए हैं, तो फिर हमारा क्या काम है। इसी काम के लिए तो हम यहां बैठे हुए हैं।

इसके साथ-साथ हमने यह तय कर लिया है कि कुछ-कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, जिनकी आज के जमाने में जरूरत ही नहीं है। इसलिए 61 प्रिंसिपल एक्ट्स एंड 187 अमेंडमेंट एक्ट्स को हम लोगों ने निरस्त किया। 1 जनवरी, 2015 को हमने तय किया कि शपथ-पत्र की अब अनिवार्यता नहीं है। उनको भी समाप्त कर दिया।

'न्याय आपके द्वार' का कार्यक्रम 2 महीने के लिए हमने चालू किया जो बहुत ही सक्सैसफुल रहा। जिसके अन्दर 21 लाख 45 हजार प्रकरण निस्तारित हुए। 61 पंचायतें टोटल ही लिटिगेशन फ्री हुईं। इस कार्यक्रम को हम आने वाले तीनों सालों में चलाने वाले हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी ज्यादा पंचायतें लिटिगेशन फ्री हो जायें उससे वहां की जनता को फायदा होता है।

जयपुर छोड़ना भी जरूरी है, सरकारें सिर्फ यहां जयपुर में बैठे-बैठे नहीं चलती हैं। जाना पड़ेगा, इस एयरकंडीशन कमरे को छोड़कर वहां नीचे तक जाना पड़ेगा। यह देखना पड़ेगा, चाहे वह छोटे से छोटा गांव ही क्यों ना हो। वहां की परिस्थिति क्या है और उस परिस्थिति को हम किस तरीके से बदल सकते हैं। प्रशासनिक ढांचा वही है, कोई बदलाव नहीं है। वही लोग है, परन्तु उसे सही दिशा देने पर उसके कितने सार्थक परिणाम आने लगे हैं, वह आप मानो या नहीं मानो, सब दूसरे लोग मानते हैं, इसीलिए हमारा यह विजन स्टेटमेंट बिलकुल स्पष्ट है।

उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि सुखराम, माननीय विधायक, सांचौर जिला जालौर से, उन्होंने कहा था कि यह सम्भागों में क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जायेंगे, यहां नहीं बैठेंगे। काम ही है, हमारा तो काम ही है कि अगले 3 सालों के अन्दर हर सम्भाग को, हर डिस्ट्रिक्ट का विजिट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा जो विजन स्टेटमेंट है, वह कहता है कि "A Healthy, Educated, Gender Sensitive, Prosperous And Smiling

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

Rajasthan With A Well Developed Economic Infrastructure" उसको अगर आप सिम्पलीफाई कर दो तो 'सबका साथ, सबका विकास' यह हमारे प्रधानमंत्री जी की मूल भावना है और हम लोग भी इसी भावना को लेकर चल रहे हैं।

छतीस की छतीस कौमों को लेकर चलने का काम, सब लोगों को, पूरे राजस्थान को झगड़े से तोड़फोड़ करने का नहीं, परन्तु प्यार से सबको जोड़ने का काम, विजन स्टेटमेंट इसलिए बनाई गयी है कि आगे आने वाले समय के अन्दर राजस्थान को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाये। नये राजस्थान का किस तरह से हम निर्माण कर सकें और इसके सतत प्रयास हम लोग अभी भी कर रहे हैं।

इधर से थोड़ा सा फर्क है सोच में, यह सोच की बात मैं कर रही हूं। सोच में थोड़ा सा फर्क है। आपके और जनता के बीच में एक अजीब सा, अलग सा रिश्ता है। दाता और याचक, आप दाता और जनता याचक और इसी तरीके का व्यवहार होता है। आप कभी जाकर पूछते हो कि भाई, आपकी जरूरत क्या है। हमको क्या करने की जरूरत है। हम कहां लगायेंगे, क्या लगायेंगे। आपने तय कर लिया कि फलां एमएलए ने कह दिया या फलां राजनीतिक सोच यह कहता है और वहां आप लोगों ने बिना सोच के, चाहे वह नहर है, चाहे वह स्कूल है विदाउट थिंकिंग वह लग जाता है। हमने जनता को अपना दाता माना है और उनको सहभागी बनाकर के हमने अपना रोड मैप बनाया है।

आपने राजनीति तो सबसे ऊपर रख ली है। हमने यह तय किया है कि विकास में हम राजनीति नहीं करेंगे। आपने उस विकास के अन्दर राजनीति की। हम नहीं करेंगे। हम यह कहते हैं कि हमारी राजनीति जो है, वह विकास का एक माध्यम है, उसको हम यूज करेंगे विकास के लिए। लोगों के सपने जो हैं, उनको हम साकार करने की कोशिश करेंगे। उनकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशहाली लाने की कोशिश करेंगे। यह है हम लोगों का सपना और सेवा ही उसका माध्यम है, राज नहीं। हम जनता को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। मुझे तो यह लगता है और मुझे लगता है कि सब लोग मुझसे एग्री करेंगे कि जनता को सशक्त नहीं कमजोर बनाने का आपका सोच है This is the difference. जान कैनेडी अमेरिका के प्रेसीडेंट हुआ करते थे, उन्होंने कहा "America doesn't have great roads because it is a great Country. He said it is a great Country because it has great roads." यहां भी विजन की कमी,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जूलिया बर्ड एंड स्टीफन स्ट्रोब ने मई, 2014 के अन्दर एक एक्सपेरिमेंट किया "Its called the Brasília Experiment. And it is to do with Road Access and the Spatial pattern of long term local development in Brazil." And they say over the period roads are shown to account for half percent GDP growth and to spur a significant decrease in spatial a quality.

तो अगर अपन एस्यूम करते हैं कि 7 लाख 67 हजार करोड़ अपना जीडीपी है तो 0.5 परसेंट समझो उसका 4 हजार करोड़, 4 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। That is the difference इसीलिए इसके अन्दर भी आपको बहुत सोच की जरूरत है। सोच की यह जरूरत है कि हमारा यह प्रदेश है, हमारे इस प्रदेश की रोड्स को किस तरीके से बनाएं, ग्रामीण इकोनोमी को किस तरीके से स्टेट की इकोनोमी के साथ जोड़ें, एक कोने को दूसरे कोने से, तीसरे कोने को चौथे कोने से किस तरीके से जोड़ें और किस तरीके से कम्युनिकेशन की बैटर नैटवर्क को ठीक कराने की और तैयार करने की हम कोशिश करें। तो इसी दिशा में आपने देखा होगा कि पहले हमने नोर्थ साउथ मेगा हाइवे का निर्माण किया था, अब हम ईस्ट वेस्ट मेगा हाइवे का निर्माण करने जा रहे हैं और हमारा यह डिस्टिंक्ट सोच है कि किसी भी तरीके से प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण गौरव पथ, मिसिंग लिंक्स, ये हमारे रूरल इकोनोमी को किस तरीके से ओपन अप कर सकते हैं और इनको एक दूसरे से किस तरीके से जोड़ा जा सकता है ताकि They make a cohesive whole इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। साथ-साथ जरूरत पड़ी कि स्टेट हाइवे अथोरिटी का गठन होना चाहिए तो उसका भी गठन अब हो गया है।

अब छोटा सा मेरे पास एक टेबल है। उसे मैं देख रही थी, आप कह रहे थे कि आपने इतना सारा काम किया, आपके पांच वर्षों के अन्दर तो मैं भी देख रही थी कि आपको इतना समय मिला, पांच साल मिले तो आपने किया ही होगा। तो मैंने देखा कि राज्य राज मार्ग और जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के ऊपर जो व्यय हुआ है, आपके टाइम में वह दो वर्षों के अन्दर हजार करोड़ रुपया और हमारे दो वर्षों के अन्दर दो हजार नौ सौ करोड़ रुपया। राज्य मार्ग और जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण जो हुआ है किलोमीटर्स में है चार हजार करोड़ किलोमीटर तो हमने किए, आपने दो हजार करोड़ किए। धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल से आप सब लोग जुड़े हुए हैं तो आपने धार्मिक स्थल का कुछ तो किया ही होगा, हम देख रहे थे। धार्मिक स्थलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम हमने बारह सौ

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बियासी जोड़े, आपने अपने दो साल के अन्दर एक सौ चौहत्तर मुश्किल से जोड़े हैं और पांच साल के अन्दर बड़ी मुश्किल से धक्का देकर आपने पांच सौ तिरेसठ तो दो साल में हमने जितने बनाये हैं उतने यह समझकर चलिए आपने अपने पांच साल में भी नहीं बनाये।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सड़कें बनीं उसमें हमने इन दो साल के अन्दर छह हजार तीन सौ उन्नीस किए हैं, आपने एक हजार सात सौ ग्यारह अपने टाइम में किए हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों को गांव और ढाणी की आप बहुत चिंता कर रहे थे अभी तो ढाणियों को जोड़ने का जो काम था, उसे मैंने देखा तो बाइस सौ तो हमने दो साल के अन्दर कर लिए हैं आपने दो साल के अन्दर पांच सौ छब्बीस किए ढाणियों को और पूरे समय के अन्दर पांच साल के अन्दर सोलह सौ अड़तीस, माने हमारे दो साल से भी कम। ढाणी की बहुत चिंता कर रहे थे आप, यह क्या है? (व्यवधान)

इससे आप लोग सब अनुमान लगा सकते हैं ...(व्यवधान) कोई मतलब नहीं है। इससे आप सब लोग अनुमान लगा सकते हैं कि विजन, उसके साथ आरियन्टेशन, उसके साथ रोड मैप, इनको सबको तैयार करना कितना जरूरी है। क्योंकि हमको मालूम तो हो कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। बिना सोच के कोई भी काम नहीं हो सकता और प्रदेश तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है।

ग्रामीण विकास के अन्दर भी हम आपका सोच देख रहे थे, आपका सोच वहीं का वहीं। राजनीतिक नुकसान न हो इसलिए पंचायतों का पुनर्गठन अपने को करना ही नहीं। फिर प्रशासनिक इकाइयों का गठन भी नहीं करना क्योंकि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था देने की हमने सोची ही नहीं है तो जब लोग हमारे पास आए तो हमने सोचा कि यह तो इतने बड़े हो गए तो नए पंचायतों का करना ही है तो नए पंचायतों का पुनर्गठन किया, सैंतालीस नई पंचायत समिति बनीं और सात सौ तेइस नई ग्राम पंचायतें बनीं। आपने तो यह सोचा था कि गरीबी का ऊपर से किस तरह से लीपापोती करके, ट्रीटमेंट करके कर दें, खतम। हमारी सोच थी कि गरीबी का उन्मूलन हो, जड़ तक पहुंचकर उसको जो भी बुराइयां हैं, जो भी खराबियां हैं उनको जड़ से किस तरीके से उखाड़ा जाए, राजस्थान को किस तरीके से समृद्ध बनाया जाए ताकि सभी आदमियों को प्रगति का कुछ लाभ मिले। इस रास्ते पर हम लोग चल

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रहे थे। The idea here Sir, is to increase the size of the cake not to make smaller and smaller pieces of an already small cake. That was the whole idea. यही है सोच का फर्क। हमने बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी इसके अन्दर जोड़ा। मुझे लगता है कि इसमें भी शायद केस भी किया ना? केस भी हुआ, सब कुछ हुआ परन्तु अब कोर्ट ने तो उसको पूरी तरह से अपनी रूलिंग कर दी, बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को हमने चुनाव के साथ जोड़ा। इससे हमारी जो युवा शक्ति है उसको प्रोत्साहन मिला, यह हम सोचते हैं। प्रदेश में 9894 सरंपच बने उसमें से 63.43 परसेंट सरपंच 35 वर्ष या उससे कम के चुने गए। फोर द फर्स्ट टाइम। अगर अपन टोटल लें, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, तो करीबन 16981 मीनिंग 68.2 परसेंट, 68.2 परसेंट 35 वर्ष की आयु से कम। आप यह समझिए कि कितना बड़ा चेंज, कितना बड़ा सोच के अन्दर चेंज? यह इस चुनाव के द्वारा हम लोगों को देखने को मिला है।

देखिये इसको अपन दो किस्म से देख सकते हैं You can either look at it as a threat or you can look at it as an opportunity, आप लोगों ने इसको थ्रेट के रूप में देखा क्योंकि ढर्रा चला आ रहा है, यह अपने, अपन इनको जानते हैं, अपने काका, अपने चाचा, अपने दादा, ऐसे ही चलता आ रहा है। आपको चेंज नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप चेंज कराते हैं, कोई चेंज हो जाता है तो उस चेंज के अन्दर कांग्रेस की मतलब क्या सोच होगी उनके बारे में, वह उसके बारे में आपको चिंता है। नैचुरली आज फेसबुक से जुड़े हुए लोग, आज आपके कम्प्यूटर से जुड़े हुए लोग, नई सोच के साथ जुड़े हुए लोग वह थोड़े ही पुराने ढर्रे में रहेंगे तो इसीलिए I can understand. आपने क्यों उसको थ्रेट में देखा। परन्तु हमने उसको अपार्च्युनिटी के रूप में देखा। हो सकता है कि वह हमारे लिए भी थ्रेट हो पर वह प्रदेश के लिए अपार्च्युनिटी है इसलिए प्रदेश को पहले रखते हुए उस अपार्च्युनिटी को हमने सामने रखने की कोशिश की।

अब मैं आपको इसी में एक छोटी सी बात भी बता दूं। मैं जब फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ने जा रही थी, इन्फैक्ट लड़ चुकी थी, सैकंड टाइम जब जा रही थी तो लोगों के बीच में जब मैं गई तो मैं उनको पूछा करती थी उनके खाट पर बैठकर, उनके गांव में बैठकर कि कितने हैंड पम्प हैं, बिजली है या नहीं है। जो पुराने वहां के एमएलए थे वे मेरे पास आए, चाय पी मेरे साथ, हम लोग बातचीत करा करते थे। फिर उन्होंने मेरे से कहा कि आप यह सब

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बातें क्यों उठा रही हैं, यह कोई जरूरत ही नहीं है, यह आपको ही प्रोब्लम देगी, आगे चलकर, आपको चुनाव हारना पड़ेगा, यह सब चीजें अपने को उठानी ही नहीं है, जैसे ढर्रा चलता है चलने दो। यही है आइडिया, यही है सोच। हमने उस वक्त यह कहा कि नहीं इस क्षेत्र को मुझे आगे बढ़ाना है, I will take the risk हो सकता है मैं हार भी जाऊं परन्तु यह जरूरी है कि इस चीज को आगे बढ़ाने का काम हम करें। इस पुराने ढर्रे से हम चलते रहेंगे तो हम कभी इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे और हमने वह रिस्क लिया, हम हारे भी। पहले भैरोंसिंहजी को जिताया उसके बाद हारे भी परन्तु मैं कहना चाहती हूं कि उसके बाद उन लोगों के माइंड्स खुले और माइंड खुलने के बाद लोग आगे बढ़ने लगे और हम समझते हैं कि यही चीज हमारे राजस्थान प्रदेश के अन्दर होना है इसलिए यह चेंजेज इनएविटेबल तो हैं ही परन्तु हम लोगों को भी मिलकर उन लोगों को लाने की जरूरत है।

पंचायती राज के हर कैंडीडेट के ऊपर हमने यह कहा कि आपके एक कार्यशील स्वच्छ शौचालय की अनिवार्यता है। साथ में खुले में शौच नहीं करने की अनिवार्यता है, ये दोनों चीज आपके होना। यह सोच इसके पीछे था कि गांव स्वच्छ हो और स्वस्थ्य हो। रिजल्ट इसका यह हुआ कि बीकानेर जिला खुले शौच में पूरी तरह से मुक्त हुआ, फर्स्ट इन राजस्थान, एक पूरी कतार में खड़े हुए और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वह भी इस काम को कर लेंगे और स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण में राजस्थान देश भर में प्रथम आया तो मैं समझती हूं कि यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है।

आज अटल सेवा केन्द्र जो सब बंद पड़े हुए थे वे सब चल पड़े हैं। अब ई-मित्र उनके साथ उनके कियोस्क वहां लग गए हैं, माइक्रो एटीएम्स वहां चल रहे हैं। अटल सेवा केन्द्र को हम लोगों ने एक रूरल आईटी हब के अन्दर विकसित करने की कोशिश की है। Idea is to take the Rural India towards the knowledge economy. यह बहुत जरूरी है, यह डिवाइड जो है उस डिवाइड को ब्रिज करने का गैप यह आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है। हमारी सोच तो यह थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े और इसके लिए जब हमने स्टडीज को देखा तो स्टडीज ने बताया कि यह जरूर इन्टरेस्टिंग है कि फिक्स्ड टेलीफोन लाइन की जो डेंसिटी है उसमें टेन परसेंट अगर वृद्धि हो जाती है तो जीडीपी में 0.5 परसेंट वृद्धि होती है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अगर मोबाइल डेंसिटी, 10 परसेंट की उसकी वृद्धि होती है तो जीडीपी में .7 परसेंट वृद्धि होती है। ब्राडबैण्ड पेनेट्रेशन के अन्दर अगर 10 परसेंट वृद्धि होती है तो जीडीपी में 1.3 परसेंट वृद्धि का मतलब आलमोस्ट 10 हजार करोड़ जीडीपी बढ़ जाएगी। Just imagine the difference. यह जरूरी है कि इन सब चीजों के साथ सब लोगों को, खाली कुछ प्रिविलेज लोगों को नहीं, परन्तु सब लोगों को जोड़ने का काम अपने को करना चाहिए।

राजस्थान के अन्दर हम इस कोशिश में हैं कि इण्डिया और भारत के बीच की जो दूरी है उसको हम पूरी तरह से कम करें। यह हमारी सोच है।

अब आप पेयजल पर आ जाइये, उसके बारे में बहुत सुना है अभी। आपने कहा नारा था ''पानी बचाओ''। वह नारा ही नारा रह गया। जब हम कह रहे हैं ''पानी बचाओ तो उसके लिए अपने को कुछ करने की जरूरत है, खाली नारा शब्द दीवारों पर लिखकर, स्कूल बैग्स पर लिखकर, बसों के ऊपर लिखकर काम थोड़े ही हो जाता है। हमारी सोच थी कि पेयजल में हमारा प्रदेश पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाय। सतही जल का संग्रहण बढ़े, भूजल का स्तर ऊपर आये। पेयजल के दुरुपयोग के ऊपर अंकुश लगे और खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव के अन्दर रहे, ऐसी परिस्थिति हम कैसे ला सकते हैं यह हम सबका एक समग्र सोच था। इसको ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक रिवर बेसिन अथोरिटी बनायी फोर वाटर कांसेप्ट, एक नया कंसेप्ट। उसके अन्दर 351 माइक्रो इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स, 195 चैक डैम्स। यह भी आफ्टर प्रोपर सर्वे, इसका पूरा सर्वे करके उसकी इंजीनियरिंग आस्पेक्ट्स क्या थी उन सबको स्टडी करने के बाद हमने इनको पूरा किया। उसके बाद 32 वाटर बाडीज् का रिनोवेशन कराया। बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, पाली है, जोधपुर है, जालौर है, धौलपुर है, करौली है, बूंदी है, ये जो भी अचीवमेंट्स हैं ये ओवर एन अबव मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्दर हम लोगों ने किया उसके ओवर एन अबव।

पेयजल की योजनाओं पर, वही बात, कितना कुल व्यय हुआ? गत सरकार के टाइम में 3780 करोड़ और इन दो वर्षों के अन्दर 8560 करोड़ का काम हम लोगों ने किया, हमने इतना पैसा खर्च किया।

वृहत् परियोजनाओं से लाभान्वित Fir again I am in Dhaani 1370 तो हमने किये दो साल के अन्दर। आपने दो साल के अन्दर 290 किये और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आपने पूरे 5 साल के अन्दर 914 किये। यहां बैठकर आज इतना सब भाषण सुनने के बाद मेरे को लगा कि जरूरी है कि कभी-कभी अपने को सब किताबें पढ़कर पता कर लेना चाहिए कि सच्चाई क्या है? यह सब काम हमने वह किया है जब जर्जर हालत के अन्दर हमको यह अर्थव्यवस्था, जो आपने हमको सौंपी वह अर्थव्यवस्था मिली। जाते-जाते मजे में 20 हजार करोड़, 8 हजार करोड़, 10 हजार करोड़, आराम से ऐसी परियोजनाओं को बिना वित्तीय सैंक्शंस के आप लोग स्वीकृत करके आराम से निकल गये। बहुत आसान है। इलेक्शन के पहले यह सब करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको मालूम था हम वापस नहीं आएंगे। तो आप यह सब लोड हम लोगों के ऊपर छोड़ दो। मालूम होता कि वापस आने का शायद एक परसेंट चांस है तो शायद आप तब यह करते नहीं। पेट्रोलियम का पैसा आज 2 हजार करोड़ हमको मिलता है क्योंकि मंदी की वजह से जो 6 हजार करोड़ मिला करता था वह अब 2 हजार करोड़ हो गया है।

इन सबके बाद हम लोगों ने इतना सारा काम करके दो साल में दिया है। आपको भले ही दिखायी नहीं दे रहा है जनता को तो दिखायी देता है। याद रखें कि यह राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा भूभाग 10 परसेंट, सबसे कम पानी 1 परसेंट। इसके बारे में अगर हम खाली एनिकट लगाएं या बड़ा डैम बनाएं तो ये कोई काम आते नहीं हैं। इसीलिए जरूरी था कि एक अभियान के रूप में एक जल स्वावलम्बन योजना हम लोग छेड़ें। 27 जनवरी को हमने एक नई और अनूठी पहल सबके सामने रखी। मैं आपको यह बता दूं कि यह एक दिन का सोच नहीं था, 6 महीने इसके लिए हम लोगों ने प्रिपेयर किया। हमने दूसरे स्टेट्स से बात की, हमने विशेषज्ञों को बुलाया, हमने वहां जाकर कंटूरिंग देखा, वह सब करने के बाद उसकी इंजीनियरिंग पासिबिलिटीज देखी और उसके बाद विस्तृत उसकी परियोजना की रिपोर्ट के आधार पर फिर कार्यों की लिस्ट बनायी और उसके बाद लोगों से बातचीत की, एनजीओ से बातचीत की, मीडिया से बातचीत की, रिलीजस हैड से बातचीत की, ट्रस्ट से बातचीत की, इण्डस्ट्रीज से बातचीत की, सिविल सोसाइटी से बातचीत की और साथ में जनता से बातचीत की। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि जब हम लोगों ने इस काम को चालू किया, सब लोग बैठे हुए हैं कितने जोर-शोर से, कितनी खुशी से, कितने खुलकर जनता ने हम लोगों का साथ दिया और इतने छोटे से समय के अन्दर 27 जनवरी, आज 4^{th} of March, in this small period आप यह समझिए 3009 कार्य हमने पूर्ण कर लिये हैं। यह हमने नहीं किये,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सब लोगों ने मिलकर जो यह काम किया है, यह एक बहुत बड़ा काम है, हम इसका पूरा श्रेय नहीं ले सकते, सब लोगों ने मिलकर किया है, मैं उन सबको यहां धन्यवाद देना चाहती हूं। सब लोगों को, जिन्होंने नकद दिये, जिन्होंने सामग्री दी, जिन्होंने मशीनरी दी और जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय और सहयोग हम लोगों को प्रदान किया। यह भी उसी सोच का काम है कि सतही जल के मामले में हम लोग किस तरीके से आत्मनिर्भर बन जायं कि सुनियोजित रूप से हम कौन-कौनसे कार्य और कैसे-कैसे कार्य अपने हाथ में ले लें ताकि भूजल बढ़े, रिवर बेसिन्स एक-दूसरे के साथ जुड़ें। यहां हमने 8 रिवर बेसिन्स की बात की थी, वैसे और भी हैं, परन्तु 8 मेन हैं जहां से नदियां निकलती हैं, माही है, चम्बल है, लूनी है, बनास, वैस्ट बनास, सूकड़ी, गंभीर, पार्वती बेसिन्स, जहां से हमारी नदियां निकलती हैं। वे आगे चलकर किस तरीके से आपस में जुड़ जाएंगी। सूखे हुए नदी-नाले किस तरीके से पुनर्जीवित होंगे। आगे चलकर नदी से नदी किस तरीके से जुड़ेगी? यह सोच है। यह खाली वन आफ नहीं है कि यहां हो, वहां ले लो, वहां दे दो, जितने भी रिसोर्सेज थे उसका देखकर, उसका मूल्यांकन करके, दूसरों के रिसोर्सेज उसके साथ जोड़कर मैनडेज उसके साथ, मशीनरी उसके साथ जोड़कर, आइडियाज् उसके साथ लेकर 3500 गांवों की हम लोगों ने लिस्ट बनायी, जहां-जहां ये कार्य हो रहे हैं, अगले साल 6 हजार हो जाएंगे, उसके बाद 6 हजार हो जाएंगे, चार साल के अन्दर हम लोग 21 हजार ऐसे कामों को पूरा करना चाहते हैं और इसका जन आंदोलन आगे चलकर मैं समझती हूं कि हम सबके लिए एक वरदान साबित होगा।

सबसे अच्छी बात तो यह है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब लोगों ने साथ दिया। कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी मजहब का हो और कोई भी पार्टी का हो, मैं बार-बार कहती हूं, डिस्ट्रिक्ट्स में भी कहती हूं, माननीय सदस्य सब बैठे हुए हैं, मैं सबको कहना चाहती हूं यह हमारा प्रोग्राम नहीं है, हम सबका प्रोग्राम है, आप उससे जुड़ेंगे तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। आपको आना चाहिए क्योंकि आगे चलकर लोग आपको याद करेंगे और कहेंगे कि पार्टीज वगैरह सबको अलग करके हमारी कठिनाई को देखते हुए सब पार्टीज ने एक होकर इतना बड़ा काम किया और मैं समझती हूं कि राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। सरफेस वाटर को हम लोग संगृहीत कर लेंगे, ग्राउण्ड वाटर को हम रिचार्ज कर लेंगे, जो ब्लाक्स आज डार्क जोन कहलाते हैं और एक के बाद एक, एक के बाद एक डार्कजोन होते जा रहे

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हैं ये डार्क जोन से कल बाहर निकलकर आएंगे। इससे बड़ा काम, मैं समझती हूं कि इतना बड़ा पुण्य का काम आप लोग क्या करोगे? मैंने एक और चीज देखी है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक लम्बा जेस्टेशन पीरियड हो जाता है, फिर उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता है कितना पैसा क्या खर्च होता है। उसमें बहुत ही ज्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है। रिलीफ पहुंचने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है। स्माल प्रोजेक्ट्स लार्जर बेनेफिट्स हम लोगों को दे देते हैं। मैं देख ही रही थी कि इसमें क्या है, मैंने लिस्ट निकाली तो मैंने देखा कि भंवर-सेमला इर्रिगेशन प्रोजेक्ट 1985 में शुरू हुआ, 31 साल हो गये, 31 साल, 3 करोड़ से शुरू होकर आज 40 करोड़ पर आकर रुका हुआ है। आप यह समझिए कि क्या उधर हो रहा होगा। क्यों नहीं पहुंचा? अगर वह जनता को नहीं मिलने वाला है तो ऐसा प्रोजेक्ट बनाकर पैसा खर्च करके, वेस्ट करके क्या मतलब रहा? इस तरीके से अभी-अभी छापी का फर्स्ट फेज खतम हुआ है। छापी के अन्दर हम लोगों ने 1981 के अन्दर चालू किया, 24 साल हो गये, 5 करोड़ का काम था आज यह समझिए आलमोस्ट 300 करोड़ का एक हुआ है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी यह समझिए सैकण्ड फेज शुरू होना है। And the irrigation project वैसा इर्रिगेशन प्रोजेक्ट जोधपुर में 39 ईयर्स। यह क्या है? इस तरीके से अपन काम करेंगे तो पैसा लगता हुआ न आप देख पाओगे और न गांव के लोग हैं वे देखेंगे, उनकी पीढ़ियां नहीं देखेंगी, मैं तो समझती हूं कि थर्ड जनरेशन ने भी देखा नहीं होगा जिस तरीके से यहां काम चल रहा है।

एलिवेटेड रोड दुर्गापुरा का हमने....

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, समय बढ़वा दूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय सदन की नेता का वक्तव्य पूरा होने तक बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद प्रस्ताव पास होने तक।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): हां, धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक।

श्री अध्यक्ष: बढ़ाया जाता है समय।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): दुर्गापुरा एलिवेटेड रोड की बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। 2007 में शुरू हुआ था, आज करीबन 9 वर्ष हो गये हैं, 38 करोड़ की लागत से हमने उसको चालू किया था और आज 80 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगने जा रहा है और वो कम्पलीट हुआ तो हमारे समय में हुआ पर वो पहले भी हो जाता। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं और मेरा यह कहना है कि बड़े प्रोजेक्ट्स इसलिए अपने को हाथ में नहीं लेने चाहिए। अगर छोटे प्रोजेक्ट हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को फटाफट कर लेना चाहिए, उसका फायदा जनता को जल्दी मिलेगा।

एक और नई बात हम लोगों ने शुरू की है और वो है ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड, एक नोशनल ग्रिड है, इसको पूरे राजस्थान के ऊपर अगर अपन फैला देते हैं तो कम पैसे से जल्दी, पेयजल संकट से जो गांव ग्रसित हैं वहां तक पानी कैसे पहुंचाया जाता है वो सिस्टम से अपन पता कर सकते हैं। यह हमारी सोच है। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो यह सोच नहीं होगा और यह सोच नहीं होगा तो अपन काम नहीं कर पायेंगे और मैं समझती हूं कि यह हमारे सब के लिए जरूरी है।

अब ऊर्जा के अन्दर, मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे सामने बैठे हुए माननीय सदस्य किस तरीके से ऊर्जा के बारे में बोल भी सकते हैं क्योंकि इतना सारा भार इन ऊर्जा की कम्पनीज के ऊपर डालने के बाद, विद्युत का तहस-नहस करने के बाद कैसे हम लोगों से पूछते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता। यह तो सोच की कमी है कि विद्युत कम्पनियों के ऊपर कर्ज आज 15 हजार करोड़ से बढ़ाकर 80 हजार करोड़ तक पहुंचा दिया और हमसे पूछ रहे हैं कि अब तो यह 80 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा तो होने ही वाला है, वो तो धीरे-धीरे उसको कैसे नीचे लायेंगे, वो हमारे लिए कितना कठिन होगा वो अभी मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगी। विद्युत तंत्र के अन्दर कोई सुधार नहीं हुआ, छीजत कैसे रोका जाएगा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारा क्या सोचना है, हमने कहा कि इसके अन्दर, विद्युत क्षेत्र के अन्दर संस्थागत सुधार होना चाहिए। प्रदेशवासियों को किस तरीके से सुदृढ़ विद्युत तंत्र मिले उसके बारे में हमने सोचा, 24 घंटे बिजली किस तरीके से दे सकें

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उसके बारे में हमने सोचने की कोशिश की। सुधार हमने यह किया कि राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का गठन किया। इसके द्वारा सस्ती दरों पर बिजली खरीदने का विद्युत कम्पनी का बैटर को-आर्डिनेशन हो, उसके लिए उसको खड़ा किया। राजस्थान विद्युत वितरण वित निगम लिमिटेड का गठन किया कि बाजार से, आज तक तो ये कम्पनीज निर्भर हैं कम्पलीटली सरकार के ऊपर, अब उनको यह फ्रीडम देकर कि इफ यू वांट टू गो, बाजार में जाकर, बाजार में ऋण लेना, उनको अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। बार-बार सरकार के ऊपर आ जाते हैं, उससे कैसे बाजार तक जाएं उसके लिए राजस्थान विद्युत वितरण वित निगम लिमिटेड कम्पनी का हम लोगों ने गठन किया। अधिकारियों और कर्मचारियों की अच्छी मानीटरिंग, आफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी, की-परफार्मेंस इंडिकेटर्स, वो जरूरी हैं ताकि उससे मूल्यांकन हो सके। दोषियों के ऊपर कार्यवाही कैसे करना है, इसका काम करने के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट रेस्पोंसिबिलिटी आर्डिनेंस, यह हम लोगों ने खड़ा किया है। अब इतना सारा फाइनेंशियल स्ट्रेस होने के बावजूद हमने यह देखा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफर किया कि उदय प्रोग्राम को आप लेकर two thirds of this depth जो आपकी कम्पनीज के हैं उसको आप अपने बजट के ऊपर ले लीजिये। अब आप समझ सकते हो कि कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर कितना दुःखी होता है जब उसको 40 हजार करोड़ रुपया अपने बजट के ऊपर लेना पड़ता है तो कितना कम स्पेस रह जाता है दूसरे काम के लिए। बहुत ज्यादा लोगों के समझ में नहीं आयेगी शायद पर कुछ लोगों को मालूम है क्योंकि उन्होंने इसको चलाया है तो वो समझते हैं।

मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आप यह समझिये कि कितना स्पेस कम होने के बाद कितने करैज की जरूरत है कि कोई साहसी बनकर वो अपने हाथ में ले। पर हमने यह कहा कि राजस्थान के लिए हमें करना पड़ेगा। हम अपनी पापुलरिटी के लिए नहीं, राजस्थान के लिए यहां खड़े हैं और इसीलिए हो सकता है कि हमको कठिनाई देखनी पड़ेगी और हमें सुनना पड़ेगा यह सब क्योंकि इसके लिए बहुत अण्डरस्टेंडिंग की जरूरत है। कैसे क्या, कौनसी कम्पनीज कैसे वो जाती हैं, फील्ड के अन्दर क्या होता है, कैसे छीजत रोकना पड़ेगा, अगर छीजत नहीं रुकेगा तो पूरा का पूरा विद्युत तंत्र ही बैठ जायेगा। इन सब चीजों के ऊपर खाली एक जने को नहीं, हम सबको

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसमें पूरे राजस्थान का भला जुड़ा है। इसलिए मेरा यह कहना है कि उसके बावजूद भी हम लोगों ने साहस करके उस उदय के नीचे हमने 40 हजार करोड़ इस साल और अगले साल 20 हजार करोड़ अपने बजट के ऊपर लेने का साहस किया है। यह कमिटमेंट है जनता को और अगर मैं मानती हूं कि आप सबने एफ.आर.पी. ईमानदारी से लागू कर दी होती और वित्तीय संसाधन का अच्छा उपयोग किया होता तो शायद यह नौबत ही नहीं आती। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर अगर आप टेक्निकल फाल्ट्स जो कुछ आते हैं उनको छोड़ दीजिये तो 22 से 24 घंटे आपको घरेलू बिजली मिल रही है और 6 से 7 घंटे कृषि हेतु बिजली मिल रही है।

नई सौर ऊर्जा नीति, We are very proud of our Solar energy राजस्थान प्रीमियर स्टेट हो गया है आज पूरे हिन्दुस्तान में सौर ऊर्जा पर और लोग दूर-दूर से आ रहे हैं हम लोगों के साथ इसमें करार करने के लिए। 8 अक्टूबर, 2014 को हमारी नई सौर ऊर्जा नीति हुई और 1264 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के साथ-साथ हम आज देश में इस फील्ड में नम्बर वन हैं। ट्वेंटी फोर थाउजेंड मेगावाट्स के 5 सोलर प्लांट्स लग चुके हैं, इनके एमओयूज सम्पादित हो चुके हैं और 26 हजार मेगावाट के 4 सोलर पार्क खड़े हो रहे हैं और एक लाख एक हजार 700 कृषि कनेक्शन हमने दो साल के अन्दर जारी कर दिये हैं। अब वो तुलनात्मक विवरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। कुल उत्पादन क्षमता में जो वृद्धि हमारी हुई है, सरकार में आप दो साल में जब थे तो आपने 2290 और हमने 4280, इतना फर्क है। विद्युत कम्पनी को जो आर्थिक सहायता, अब आपने वहीं गड़बड़ किया है, नुकसान इसी सरकार के द्वारा हुआ और मदद आपकी तरफ से 4765 करोड़ रुपये तो आपने उनको दिये, हमारा नहीं है, यह तो हमको लैगेसी में मिला है और इतनी मुसीबत उस कम्पनी की है, उसको ठीक करने के लिए, उसको एक किस्म से बट्रेस करने के लिए 23637 करोड़ रुपये तो आलरेडी दो साल के अन्दर हमने उनको दिया है। आप समझ सकते हो कि How difficult it is for any Finance Minister or any one in Finance to get to the stage.

शिक्षा पर आ जाएं, बहुत सारी बातें सुनने को मिलीं। यहां कैनेडी साहब ने बोला था And this is very important "Our progress as a Nation can be no swifter then our progress in education. The human mind is our fundamental resource. शिक्षा की क्वालिटी पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और स्थानीय

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लोग क्या चाहते हैं शिक्षा के लिए, हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उनको सबको बिठाकर, सबसे बात करके जो वो चाहते हैं उनकी आवश्यकता पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर बेस्ट शैक्षणिक सुविधा उसको किस तरीके से उपलब्ध कराई जाए। बच्चों को हमने राजस्थान के भविष्य के रूप में देखा है और शैक्षणिक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर से राजस्थान को कैसे बैटर बनाया जाए उसकी तरफ हम लोगों ने ध्यान दिया है। इसलिए दिया है कि हमारे बच्चे आगे चलकर सिर्फ राजस्थान के अन्दर नहीं, परन्तु देश और विदेश के अन्दर भी जाकर काम कर सकें, एक ऐसी परिस्थिति बने, यह हमारा सोच था। आपकी सोच यह है कि बिना टीचर, बिना संसाधन, राजनैतिक आधार पर, उसने बोला वहां प्राइमरी चाहिए, उसने बोला वहां मिडल चाहिए, उसने बोला वहां सैकण्डरी चाहिए तो आराम से कर दो, कोई नहीं। राजनैतिक आधार पर अपन ने पदस्थापन कर दिये अध्यापकों के, न क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया, न स्थानीय लोगों की आवश्यकता पूछी। बच्चों का नहीं, अपने खुद का फायदा देखा कि हमने यहां स्कूल लगा दिया तो हमको ये वोट मिल जाएंगे। हमने तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती की एक परीक्षा का कहा था, रीट 2015 के द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक हमने उसका आयोजन करके उसकी परीक्षा पूरी कर ली है।

मुझे समझ में नहीं आता कि आठवीं परीक्षा नहीं होगी। आठवीं परीक्षा नहीं होगी तो आप तय कैसे करोगे कि आगे जाने वाले और वहां तक आने वाले बच्चे क्या अप-टू-मार्क हैं या नहीं। आठवीं कक्षा के लिए जब मैं टीएसपी एरिया में दौरे पर गई थी तो ट्राइबल लोगों ने मेरी गाड़ी को रोककर मेरे से कहा कि साहब, यह बताइये, हमको तो लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है हमको बैकवर्ड रखने की आठवीं की परीक्षा नहीं करवा रहे हैं। अब उनकी बात को सुनकर आठवीं कक्षा के लिए बोर्ड एग्जाम हम लोगों ने पुन: लागू कर दिया Because we believe merit must be rewarded. सोचकर के, अभी प्रधान मंत्रीजी से भी बात हुई थी इसमें तो प्रधान मंत्रीजी ने भी कहा कि अपने को यह कोशिश करनी है कि किस तरीके से स्कूल का स्तर बढ़ाया जाए। तो ग्राम पंचायत में वन टू ट्वेल्थ के आदर्श विद्यालय अगर विकसित हो जाते हैं और उसके अन्दर आपके प्रिंसिपल, All teachers, including teachers for computer, including teachers for games. अगर लग जाते हैं तो ऐसे 10 हजार स्कूल आपके कम्पलीट राजस्थान के अन्दर हर ग्राम पंचायत के अन्दर हो जाएंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हमने यहां कोई राजनीति नहीं की, हमने तो पूछा भी नहीं। हमने तो यूनिफार्म पालिसी लगाकर और सब 10 हजार के अन्दर यह तय कर लिया कि वन टू ट्वेल्थ की स्कूल हम खड़ा करेंगे ताकि जहां बच्चे स्कूल छोड़-छोड़कर बाहर जा रहे थे वो सब फिर वापस अपनी स्कूलों में आ जाएं और अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन हम उनको दे सकें। उसके साथ-साथ हमने यह भी कहा कि नई चीज भी लाना है तो 290 विद्यालय, अभी तो धीरे-धीरे हम उसको स्केल-अप करेंगे पर अभी 290 में प्रोफेशनल कोर्सेज का संचालन हमने प्रारम्भ कर दिया है So the road map is very clear. और विद्यार्थियों को प्रारम्भ से ही हमने कह दिया कि आईटी प्रोग्राम के साथ हम जोड़ें। खान एकेडमी, बड़ी फेमस एकेडमी है, आनलाइन एकेडमी है और हम लोगों ने उनके साथ प्रारम्भिक चर्चा चालू कर दी है। उनके कोर्सेज फ्री आफ कास्ट हम एक्सेस कर पायेंगे हिन्दी और इंग्लिश में, वह सिलिकन वैली से चलता है और मैं समझती हूं, उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा हमारे बच्चों को मिलेगा।

(17.00 बजे)

5.35 लाख बालिकाओं को साइकिल मिल गई है। कक्षा 9 से 12 तक 20,000 बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर्स मिल गये हैं। उच्च शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है और क्षेत्रीय आवश्यकता के अन्दर 16 नये राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ हुए हैं। 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्वीकृति हुई है। हर राजकीय महाविद्यालय में साइंस, आर्टस एण्ड कामर्स की 25 प्रतिशत सीटों को बढ़ाया है। फलस्वरूप 26,000 सीट्स की बढ़ोतरी हुई है। गवर्नमेंट में कालेजेज के अन्दर रोजगार की जानकारी देने के लिए रोजगार प्रकोष्ठ हमने तैयार किया है और स्किल डवलपमेंट के लिए spoken English tutorial project यह आईआईटी, मुम्बई के साथ हम लोगों ने एमओयू किया है। डिजिटल राजस्थान के अन्दर गवर्नमेंट कालेज को यूजीसी की ई-लाइब्रेरी के साथ जोड़ा है। 97,000 ई-बुक्स, 6,000 जर्नल्स, इनके अध्ययन की सुविधा उपलब्ध हुई है। यह जो कुछ उपलब्धि मैंने आपको गिनाई है, ये सब हमारी सोच दर्शाती है। हम विद्यार्थियों को सिर्फ बुक लर्निंग से नहीं खड़ा करना चाहते। हम चाहते हैं कि वह रोजगार और व्यवसाय के साथ जुड़ें। नये आईटी टैक्निक्स के साथ जुड़ें और इतने आत्मनिर्भर हो जायें कि दुनिया में वह कहीं भी चले जायें तो बेस्ट हों। इसको ध्यान में लेकर हम लोगों ने यह सब प्रोग्राम चालू किये हैं। आगे चलकर आदर्श छात्र बनें, इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अब राजकीय माध्यमिक विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन, हमने 5,000 किये हैं। टोटल 19,894 में से 8,430 ग्राम पंचायतों के अन्दर अपने स्कूल्स खड़े हो गये हैं। बचे हैं करीब 1,465, इनको आगे चलकर हम अगले दो साल के अन्दर कम्प्लीट करा देंगे। ये दो साल की उपलब्धि है, सर। पांच वर्ष की उपलब्धि, 310 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, वह भी कोई पालिसी के तहत नहीं। बस, पोलिटिकल कंसीडरेशन। जहां हैं, वह 310 ओनली। राजकीय विद्यालयों में नामांकन आज के दिन, आपके पांच वर्ष के अन्दर 4 लाख बच्चों की कमी हुई है और हमारे समय में 5.80 लाख की वृद्धि हुई है, यानी आलमोस्ट 10 लाख बच्चे हमारे स्कूल्स के अन्दर बढ़े हैं जो छोड़-छोड़कर चले गये थे, उन स्कूल्स के अन्दर बढ़ोतरियां हुई हैं।

चिकित्सा और स्वास्थ्य के अन्दर हमारी और आपकी सोच के अन्दर एक फंडामेंटल डिफरेंस है। आप सोचते हो कि बीमार हो तो दवा दें और हम सोचते हैं कि बीमार ही न हो। हम यह कोशिश में लगे हैं, In other words, we looked to see prevention is better than cure कैसे प्रिवेंट किया जा सके, उसके लिए हम काम करते हैं। आरोप लगा है कि नि:शुल्क दवाई रोक दी, नि:शुल्क जांच बंद कर दी। परन्तु सच्चाई यह है कि पिछले पांच वर्ष में सबसे ज्यादा खर्च इन दोनों के ऊपर इस साल हुआ है, 360 करोड़ रुपये, 360 crore on this आरोग्य राजस्थान। राजस्थान आरोग्य हो, यह हमारी सोच है कि कोई बीमार न हो और इसके लिए अभियान के तहत 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को घर-घर जाकर सर्वे करवाया है। यह छोटा-मोटा कार्यक्रम नहीं हुआ। यह कार्यक्रम एक अक्टूबर को शुरू हुआ, अभी भी चालू है और अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च में खतम होना है ना। यानी छह महीने का पूरे राजस्थान के घर-घर में ये जाकर कार्यक्रम चलेगा। प्रत्येक पंचायत स्तर पर मेडिकल कैम्प लगाकर बीमारी का निदान। 15 फरवरी तक 12.30 लाख व्यक्तियों को सामान्य उपचार, 89,000 का उच्च शिक्षा संस्थान में गम्भीर बीमारियों के कारण रैफर और उनके उपचार की भी व्यवस्था है। हमने खाली रैफर ही नहीं किया, उनके उपचार की व्यवस्था भी की। ई-हैल्थ कार्ड के 42 लाख परिवार, यानी उनके ई-हैल्थ कार्ड बने, उन 42 लाख फैमिलीज में 10 लाख फैमिली आलरेडी भामाशाह से लिंक हो चुके हैं।

कुपोषित बच्चों का चिह्नीकरण किया। यह पहले कभी नहीं हुआ। पहली दफा घर-घर जाकर कुपोषित बच्चे कितने हैं राजस्थान के अन्दर, विशेष ध्यान

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

दिया 10 जिलों के अन्दर, तीन उसमें जनजाति जिले भी थे। 10,000 कुपोषित बच्चों का चिह्नीकरण किया और हम लोगों ने यह तय किया कि कुपोषण प्रबन्धन का समुदाय आधारित चिकित्सा का प्रारम्भिक काम करें और हम लोगों ने वह काम चालू कर दिया है। यह कभी आज दिन तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उस डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इसका इतना बड़ा पूरे राजस्थान के अन्दर काम करके दिखा दिया कि हम आरोग्य राजस्थान चाहते हैं। हमारी जो एप्रोच है, वह प्रो-एक्टिव एप्रोच है और आपकी जो एप्रोच है, वह रीएक्टिव एप्रोच है।

पंचायत स्तर पर अब हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट छेड़ा है। "एएए" एएनएम, आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनी। ये तीन जन अलग-अलग प्रोग्राम आपके जमाने में किया करते थे और इसकी वजह से ये तीनों प्रोग्राम्स असफल हुआ करते थे। जरूरी यह है कि एक महिला कहीं जा रही है, अकेले जाती है तो वह सोचती है कि ऐसे टाइम में न जाऊं, मेरे साथ कुछ हो जाये तो जाती भी नहीं है। परन्तु तीन महिलाएं एक साथ प्रोग्राम में निकलती हैं तो साथ चली जाती हैं, गांव पहुंचती है, बच्चों को, महिलाओं को, उनका उपचार करती हैं। आईएमआर और एमएमआर को प्रभावी तरीके से संभालने की कोशिश करती हैं और तीन अगर ठान लेती हैं कि हम इसमें चेंज करेंगे तो वह चेंज लाकर छोड़ती हैं। there is then a conversion of functions and functionaries which is most important for everybody. तो तीनों तो पहले भी काम कर रहे थे। आज आप देख लीजिए कि उनके काम में कितना फर्क हुआ है। कम्युनिटीज को बैटर सर्विस मिल रही है और जहां हमने यह पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किये थे, उनको हम स्केल-अप करके अब राजस्थान के अन्दर ले जाना चाहते हैं।

मेडिकल कालेज में पीजी कोर्सेज में सीटों की वृद्धि हुई है। कालेज आफ फिजिशियन, क्योंकि सब दूर डाक्टर्स का हाहाकार मचा हुआ है। यह हमारे टाइम में ही नहीं हुआ है। यह पहले भी था परन्तु किसी ने प्रोएक्टिवली इसका काम नहीं किया पर हम लोगों ने कालेज आफ फिजिशियन, मुम्बई के साथ अनुबंध करके, दो साल के डिप्लोमा कोर्स को पीजी के साथ इक्वल किया। Specialist Doctors for CHC's, PHC's and district Hospitals के लिए हमको यह मिल जायेंगे। हमारे को जो जगह खाली मिल रही थीं, वह कई जगह के ऊपर हमको डाक्टर्स मिल जायेंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

छह नये मेडिकल कालेज चूरू, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर और पाली के अन्दर खड़े हो रहे हैं। उनका कार्य प्रगति पर है और मैं समझती हूं कि इनका कोर्स 30 दिसम्बर, 2017 के कोर्स के अन्दर शुरू हो जाएगा।

रिसर्जेन्ट राजस्थान के दौरान इस विभाग के अन्दर भी 51 एमओयू, यानी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, हर्बल, पंचकर्म, वैलनैस सेंटर, ड्रग टैस्टिंग लेबोरेटरीज को लेकर करीबन 51 ऐसे एमओयू हुए थे जो आगे चलकर हमको फायदा देंगे। अब जहां रोजगार और कौशल हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। आपकी सोच तो यह है कि किस तरीके से उनकी निर्भरता हम पर पड़े तो माई-बाप एप्रोच कि अगर हम खुला छोड़ दें तो वह तो हमको छोड़ेंगे, पूछेंगे नहीं पर माई-बाप एप्रोच है, वह निर्भर हम पर हो जायेंगे, हमसे पूछेंगे, बात करेंगे, पता करेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मिस्टर बेनीवाल, बैठिये। एक शब्द अंकित नहीं होगा बेनीवाल का। (व्यवधान) एक शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमेशा जब मर्जी आये, उठकर खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक शब्द अंकित नहीं होगा। बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

(श्री हनुमान बेनीवाल, माननीय सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: पधारिये आप यहां से। मुझे बोलना पड़ेगा कि इसको निकाल दिया जाये। (व्यवधान) इसको निकालो। क्या मतलब है यह? बार-बार खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) जाइये। निकालो इसको। (व्यवधान) धक्का नहीं। इनको निकाल दो। आप जाइये। आप जाइये, मैं कह रहा हूं आपको। नहीं तो मुझे दूसरा प्रस्ताव लाना पड़ेगा। मुझे दूसरा प्रस्ताव लाना पड़ेगा सस्पैंशन का। जाइये आप, नहीं तो मुझे सस्पैंशन का प्रस्ताव लाना पड़ेगा। (व्यवधान) हर समय बकवास कर देता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इसी के लायक थे वो।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आपकी सोच है यह माई-बाप के कल्चर को आगे ले जाना है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान आत्मनिर्भर हों और एक सम्मान की जिंदगी जीयें और चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हों। सरकारी क्षेत्र के अन्दर उनको नौकरी मिले या निजी क्षेत्र के अन्दर उनको नौकरी मिले और इसलिए हम लोगों ने लेबर एण्ड एम्प्लायमेंट डिपार्टमेंट का नाम बदलकर लेबर एण्ड स्किल एम्प्लायमेंट एण्ड एन्टरप्रन्योरशिप का नाम दिया। राजस्थान मिशन आन लाइवलीहुड तो हमारे समय से चल रहा था। आपके टाइम में भी था परन्तु उसके अन्दर कोई एडिशन नहीं हुआ और मैं यह कहना चाहती हूं कि आज यह बहुत की-डिपार्टमेंट है। नौजवान के भविष्य बनाने का डिपार्टमेंट है। कहां चार करोड़ रुपये का बजट हुआ करता था, आज वहां हजार करोड़ का बजट हो चुका है और बहुत बड़ा, लोगों की जिंदगी को बदलने का काम वह कर रहा है। आज निजी आईटीआई की संख्या की दृष्टि से राजस्थान नम्बर एक हो गया है और स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना बहुत ही जल्दी अब होने जा रही है I think that we are perhaps one of the first few States to have Skill University.

और ये स्किल यूनिवर्सिटी along with a center of eminence ये institute of leadership development के कोलेबोरेशन में चल रहा है। में लगेगा और रजिस्टर्ड सोसाइटी आलरेडी रजिस्टर्ड सोसाइटी है और इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन आफ इण्डिया की एक एंटीटी है। आफ्टर रिसर्जेंट राजस्थान का एमओयू आलरेडी केपीएमजी को कंस्ल्टेंट इंगेज किया और केपीएमजी ने जो छह फरवरी को आर्डर लेकर के और अपनी डीपीआर 75 दिन के अन्दर सबमिट करने का वादा किया है। डीपीआर हमारे पास अप्रैल के एंड तक आ जाएगा। इसमें कई अलग-अलग किस्म के स्कूल होंगे, प्लास्टिक्स, मेकोनोट्रोनिक्स, कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा एण्ड वन्स हमारी डीपीआर आ जाती है तो वह सेंटर आफ एक्सीलेंस काम में आ जाएगी। एक ग्लोबली रिनाउंड फ्रेंच कंपनी है स्नाइडर, उसने तय कर लिया है कि हम एक फैसिलिटी को Training of Trainer in electricals and RE में वो काम करेंगे। हमने काम चालू कर दिया है। हमारे ड्राफ़्ट बिल पर हमारा आर्डिनेंस जून में निकल चलेगा और जुलाई और अगस्त तक हम समझते हैं कि हमारा फर्स्ट बैच क्लास में आ जाएगा। इतने फास्ट मैं नहीं समझती हूं कि कभी भी इस किस्म का यूनिवर्सिटी कभी खड़ा हुआ है।

आज अगर आप देखेंगे तो प्रदेश में संचालित आईटीआईज को और आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए हमने अलग-अलग इण्डस्ट्रीज के साथ

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उनका पार्टनरशिप किया है। टोयोटा, सैमसंग, कैटरपिलर, केयर्न एनर्जी इन सबके साथ एमओयू करके उन्होंने काम चालू कर दिया है। आईटीईईएस सिंगापुर ने हास्पिटेलटी के क्षेत्र के अन्दर उदयपुर के अन्दर काम चालू कर दिया है। आईटीआई के पास बच्चों को बोर्ड, यानी जो पास करते हैं आईटीआई को वो यह समझिए जो बोर्ड पास करते हैं बच्चे, उनके बराबर का दर्जा उनको मिल जाएगा। प्रदेश में हर जिले में निजी कंपनियों ने किसी न किसी आईटीआईज के साथ साझेदारी की है और इसमें 1 लाख 9 हजार 700 युवा प्रशिक्षित होंगे। अभी मेरे को कह रहे थे कि 15 लाख का आपने अनाउंसमेंट किया था। आप चिंता बिलकुल मत करिए। क्योंकि 15 लाख का हमने अनाउंसमेंट किया तो 15 लाख ही हम पूरा करके जाएंगे और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगेंस्ट द 15 लाख सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के दोनों को मिलाकर के 6 लाख 3 हजार 490 नौकरियां आलरेडी हम लोग दे चुके हैं। मैं इसको नहीं लेना चाह रही थी परन्तु आपने, वह सूची मैं रख दूंगी ताकि आप उसको देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हो। हम तो इसमें राज़ी नहीं है, यह जो सच्चाई है वो सुन लो।

रिसर्जेंट राजस्थान को 2007 में हमने किया था। अगर आप लोगों ने उसको चलाया होता तो उसका फायदा आप लोगों को भी मिल जाता। परन्तु आपने उसके मोमेंटम को तोड़ा और नैचुरली जब आपने उसके मोमेंटम को तोड़ा तो जो इन्वेस्टमेंट को राजस्थान में आना था उसके लिए लायक सरकार की जरूरत है। जब सरकार ही नहीं आएगी उसकी मदद करने के लिए तो वो भी पीछे हट गए। लोगों ने यह बाद में कहा, आप इण्डस्ट्री ग्रुप से पूछ भी सकते हैं कि जब हमने देखा कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम लोग अपना-अपना काम छोड़कर चले गए। अब रिसर्जेंट राजस्थान 2016 के अन्दर वापिस आये। दो साल हमको लगे काम करने के लिए, क्योंकि ऐसे हाथ करके रिसर्जेंट राजस्थान नहीं होता है। रिसर्जेंट राजस्थान को अगर आपको करना है तो बहुत सारी चीजों को इन-प्लेस डालने की जरूरत है From taxes to infrastructure to everyting फिर जाकर के रोड शोज करके, लोग ऐसे ही फ्री में नहीं आ जाते हैं और इसीलिए जब आये और उन्होंने 3 लाख 35 हजार करोड़ के एमओयूज हमारे साथ किए हैं। 311 एमओयूज साइन हुए हैं 2016 के अन्दर और ओनली सीरियस एमओयूज हमारे साथ साइन हुए हैं। क्योंकि उनकी बड़ी स्क्रूटनी हुई है, हमने जो आया उसको यस करके साथ में नहीं ले लिया है। उसकी स्क्रूटनी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हुई, उसकी क्रेडिबिलिटी देखी और उसके बाद ही उनको साथ में लिया है। आज मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि Sixty percentage of MOU's that have been signed ने अपनी जमीन को आईडेंटिफाई कर लिया है in the short period of time जो बचे हैं वो भी आईडेन्टिफाई अपना कर लेंगे। यह खुशी है कि एडवांस स्टेट्स वो खाली 40 और 45 प्रतिशत एमओयूज साइन करके जमीन पर ला पाए हैं। हम लोग इसमें बहुत आगे चल चुके हैं और हमने एक फर्दर मानिटरिंग के लिए एक सैल का इंतजाम किया है। जिसके अन्दर हमारे आफिसर्स बैठेंगे, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स जिनके परमिशन मांगने की हमको जरूरत होती है वो लोग वहां बैठेंगे। उनको हम एम्पावर करेंगे ताकि उनको वहां वापिस आना जाना नहीं पड़ेगा और फाइल को इधर उधर चलने की जरूरत नहीं होगी, वहीं के वहीं हो जाएगा। इसलिए एक्चुअल सिंगल विंडों क्लियरेंस अगर आपको देखना है तो मैं समझती हूं कि इसमें आपको देखने को मिलेगा।

मुझे समझ में नहीं आता है मतलब सब लोगों को चाहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़े ताकि एम्प्लायमेंट का अमाउंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा यह तो सबको चाहना चाहिए। परंतु यह समझ में नहीं आता है कि उसके ऊपर अपन क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। अपन किस तरीके से उसको और सपोर्ट कर सके, वह देखने की जरूरत है। I think leader of the opposition should want our citizens to secure jobs.

Now कौन ने क्या कहा, मैं थोड़ा-सा पढ़ लूं। अरूण जेटली ने तो कहा है, आप कहोगे कि वो तो आपके मंत्री हैं वो तो कहेंगे ही कहेंगे, इसलिए उनका नहीं पढ़ती। पर मैं साइरस मिस्त्री, चेयरमैन टाटा उनका कह देती हूं Rajasthan is up the vanguard of the many changes the government of India implementing to enhance the growth rate. आनंद महिन्द्रा उनका भी नाम आपने सुना है Rajasthan is an easy place to do business because the leadership pursues you.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब आप हिंदी में बताओ तो लीडर आफ अपोजिशन को मालूम पड़ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): वो ट्रांसलेट ही करा देंगे। सुनीलकान्त गुंजाल हैड आफ हीरो वो कहते हैं कि Rajasthan is a very friendly state to invest in, work in, very healthy industrial relations अनिल अग्रवाल,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चेयरमैन वेदांता वो बोलते हैं Rajasthan can be the second Australia, second Canada in terms of resources. It can be the growth engine of India. अनिल अंबानी बोलते हैं All around bold reform initiatives undetaken by the government has laid the foundation for infinitely bigger, better, brighter future for the people of Rajasthan ऐसे और बहुत सारे हैं वो बोलने से कोई मतलब नहीं है पर मैं आपके ऊपर आना चाहूंगी थोड़ा-सा। पिछली सरकार ने दिसम्बर 2008-2013 में एक एमओयू साइन किया मुश्किल से 26 जुलाई, 2010 में इन्वेस्टमेंट थ्रू वीआईपी ये बेचारे विराट पावर एंड माइंस प्रा.लि. for setting up 4.5 MTPs Cement Plant within investment of two thousand crores. दिस इन्वेस्टमेंट आया नहीं and the file has been closed by BIP. One MOU बस इतना ही and then one MOU is signed with Honda Motorcycle and scooters on 5/11 eleven five for investment of 1100 crores. A part from that i.e. ये फैक्ट्स हैं, हमारी आदत नहीं है, मैं वह पढ़ रही हूं ना one must not either enter an assembly Hall or he must not speak there with all the righteousness. For one who does not speak or one who speaks falsely does involve himself in the equal sin. हम नहीं करने वाले हैं, लिखा हुआ है वहां। हम यह नहीं कहने वाले हैं, आप जाकर के पता कर सकते हैं, कोई भी पता कर सकता है। हमको इसमें नहीं, हमारी आदत नहीं है ये और ना हमको कोई यह करना है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सेंट गोबिन को जो है 2200 करोड़ रुपये का किसने एमओयू किया था और कहां किसने लगाई थी?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अब आप श्रम विभाग पर आइए। सोच क्या है? जैसा है चल रहा है, चलने दो। हमारी सोच यह है प्रदेश के और युवा पीढ़ी के हित में किस तरीके से निवेश बढ़ाया जाए और किस तरीके से नियम और कानून के अन्दर हम कुछ संशोधन कर सकें ताकि उनको हम मदद कर सकें। कैसे श्रमिकों का भी अहित न हो और निवेशकों को भी परेशानी न हो, ये सोचने के बाद Industrial Disputes Act, 1947, Contractual Labour Act, 1970, Factories and Boiler Act, 1948, Apprenticeship Act, 1961 में हमने आवश्यक संशोधन किए और वो खाली राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश ने सराहा और दुनिया ने सराहा।

सो, अब थोड़ा-सा अपन कृषि पर आ जाएं। आपकी सोच सरकारी अनुदान का उपयोग कर लो, जो आएगा उसको वहीं ऐसे ही यूज करा जाए।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सरकारी डिपार्टमेंट के रूप में उसका संचालन करो तो बिजनस एज युजअल चलता रहेगा, औपचारिक रूप से चलते रहे। हमने कहा कि नई इसके अन्दर अपने को टैक्नोलोजी को यूज करना है, टैक्नोलोजी को यूज करके treat it as business and see कि किस तरीके से ग्रामीणों को उनके साथ जोड़कर के उनके लाइवलीहुड को हम बढ़ा सकें। जैविक कृषि को बढ़ावा, इजराइल और अन्य देशों की टैक्निक्स का उपयोग कराना, हार्टिकल्चर में नए-नए चीजों को लाना, आलिव, हमारा फर्स्ट आलिव प्रेस हो गया है पूरी दुनिया ही सराह रही है। हमारे देश के लोग कितने सारे साइंटिस्ट आये हैं देखने के लिए कि हम इस आलिव को किस तरीके से दूसरे प्रदेशों में ले जाएं। First state to bring olives अनार की बहुत अच्छी फार्मिंग हो रही है, डेट्स की अच्छी फार्मिंग है वह भी इजराइल से हम लोग लाए थे, संतरा के अन्दर, ये चारों के अन्दर Centre of excellence किसानों के लिए एग्रो हमने सोचा कि एक पैकेज हो किसानों के लिए। एग्रो मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग आई.टी., ई-मण्डी इन सब चीजों को किस तरीके से जोड़ा जाए, कैसे किसान को समृद्ध और सशक्त किया जाये, कैसे उसकी आय बढ़ायी जाये, कैसे माडर्न टैक्निक्स के साथ उसको रूबरू कर दिया जाए, कैसे उसकी उत्पादकता बढ़े। इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है, तो हमने ये सब जो हो रहा था उसके साथ-साथ 330 ऐसे प्रगतिशील किसानों को भी सरकार के साथ जोड़ा। As Honorary extension workers और हमने यह कहा कि ये लोग हमारे रोल माडल बन जाएंगे और ये राजस्थान में घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों को बताएंगे, नयी टैक्निक से उनको वाकिफ करेंगें और बताएंगे कि अगर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं तो वो आप भी हो सकते हैं। यह अच्छा काम कर रहे हैं। फिर राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एंड एग्रो मार्केटिंग प्रमोशन पालिसी, 2015 जारी हो चुकी है और कृषि उपज मण्डी समितियों में लाइसेंस्ड हम्माल और पल्लेदारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए बहुत अच्छी स्कीम महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना 2016 से हमने लागू की है। 55 नवीन साइल टेस्टिंग लैब्स की स्थापना हो गयी है, 48 स्थानों पर इनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। किसानों की भागीदारी सरकार के साथ बढ़े, यह हमारा सोच है। आज आप यह देख लीजिये कि जल का अच्छा उपयोग, करीब 6 हजार डिग्गियों पर 139 करोड़ रुपये और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

10,048 फार्म पोंड्स के ऊपर करीबन पचास करोड़ रुपया, 2,500 जल होदों के ऊपर करीबन 13 करोड़ रुपये और ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर्स में करीबन पैंतालीस हजार हैक्टेयर और फव्वारा संयंत्र की करीबन पैंतालीस हजार हैक्टेयर में स्थापना हुई है।

हमारी जो फ्लैगशिप योजना है वह किसी कारण से फ्लैगशिप योजना बनी है क्योंकि जब हमने उसका सोचा था, इसलिए सोच की बात करती हूं मैं It was 2005 and 2006 तब वो फैशन में नहीं था। उस समय फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात तो कोई करता ही नहीं था। आज सब लोग पूरी दुनिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं और आज उसी की वजह से हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो कार्यक्रम हैं वो नंबर-1 पर हैं, क्योंकि हमने तब उसको शुरू किया था और उसको खाली इम्प्रूव ही करते गये हैं हम लोग। आपकी सोच क्या थी कि यह योजना तो पिछली सरकार की है जल्दी से इसको बंद करो। तुरन्त ही बंद करो और आप राजधर्म की बात करते हो, तो तुरन्त ही बंद हुई। हर हालत में इसको लागू नहीं करना है, लागू नहीं हुई। कुल मिलाकर टोटली राजनीति से प्रेरित अपन थे।

अब यह बात सही है अभी कह रहे थे, कौन कह रहे थे, जो लास्ट माननीय सदस्य बोल रहे थे। उन्होंने यह कहा था कि स्व. राजीव गांधी ने यह सार्वजनिक तौर पर कहा था कि जो दिल्ली से चलने वाली सरकार योजनाओं के लिए पैसे भेजती है उसमें से बिलकुल मुश्किल से पन्द्रह पैसे लाभार्थियों तक पहुंचते हैं तो बहुत-बड़ी बात है। पर यह तो उन्होंने तब बोला, परन्तु इसी लोक सभा चुनाव में आपके नेता राहुल गांधी ने भी इसको दोहराया। 4 मई, 2009 Very interesting. यह डेली न्यूज का है उसमें ये कहते हैं, 'रविवार को अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के पैसा बांटा, लेकिन जनता तक आज भी दस रुपये में से दस पैसे ही नहीं पहुंच रहे हैं।' राहुल गांधी, हम राजीव पर नहीं हैं। One generation down.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राजकुमार।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): हां। और उनके समय में, ये कह रह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे पिता, वो कह भी रहा है, देखो तो कितना, उन्होंने कहा कि मेरे पिता राजीव गांधी कहा करते थे कि एक रुपये में दस पैसे जनता तक पहुंच रहे हैं और आज भी वो ही स्थिति है। सरकार उन्हीं की थी तो We should know अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसीलिए हम

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लोगों ने यह भामाशाह की इम्पोर्टेंस आप लोगों के सामने उजागर की और मैं यह कहती हूं कि अगर आप लोगों ने इसको अपने समय के अन्दर इस्तेमाल कर लिया होता तो यह स्थिति और जल्दी खतम हो जाती। पूरा पैसा जनता तक पहुंच जाता उनके बैंक अकाउंट में चला जाता। यह इश्यु आप लोगों को फेस करने की जरूरत ही नहीं होती तो हमारी तो सोच यह है कि शत-प्रतिशत राशि लाभार्थियों के पास पहुंच जाए। चाहे वह नकद हो, चाहे गैर नकद हो। गैर नकद तो हम लोग आजकल कर रहे हैं राशन शाप्स के अन्दर जो अन्नपूर्णा योजना चालू की है, जिसको बहुत लोगों ने माना है और उसके अन्दर आप मशीन के ऊपर बायोमेट्रिक आराम से आप लोग अपना सामान निकाल सकते हो और कोई आपका सामान वहां से उठा नहीं सकता है। वो डाइरेक्ट ही आपके घर पर पहुंचेगा। पैसा आपके घर में पहुंचेगा। So नकद और गैर नकद भामाशाह के द्वारा आपके घर सीधा पहुंच सकता है यह परिस्थिति हमने लाकर रख दी है।

हमने अपनी महिला को सशक्त करने के लिए लेटेस्ट टैक्निक्स का इस्तेमाल किया और हमने यह सोचा कि पारदर्शिता से करें। इसके अन्दर कोई फूल अराउंड कर नहीं सकता। महिला सशक्तीकरण और महिलाओं को आर्थिक रूप से किस तरीके से सम्बल प्रदान करें तो हमने वो दो हजार रुपये उन लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और भामाशाह योजना को प्रारम्भ किया है। आप लोगों ने उसको रोक दिया था तो 15 अगस्त, 2014 को हमने इसको फिर से प्रारम्भ किया और 2016 जनवरी में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ई-गवर्नेंस का गोल्डन यानी स्वर्ण पुरस्कार हमको दिया। सबने रिकग्नाइज किया इस देश में कि सबसे बेस्ट प्रोग्राम था। आप कर लेते तो कितना अच्छा होता। पहले ही हो जाता। इस प्लेटफार्म पर आज आपके बहुत सारे नकद के, पेन्शन, नरेगा, स्कालरशिप्स वो सब चल रहा है और धीरे-धीरे हम इस कोशिश में हैं कि इस प्लेटफार्म पर सब चीजें आ जाएं। गैर नकद भी आ जाए, ताकि इधर-उधर जाने की जो ये लायबिलिटीज होती हैं, वे नहीं होंगीं।

पूरे देश में इस किस्म का यह पहला आई.टी. प्लेटफार्म है और भामाशाह योजना में अब 1 करोड़ 11 लाख 30 हजार परिवार नामांकित हो गये हैं। साठ लाख व्यक्तियों को भामाशाह कार्ड मिल गया है और 2015 में अभी तक 2 करोड़ 12 लाख ट्राजेक्शंस हो गये हैं। जिसके जरिये 1,313 करोड़ रुपये की राशि सीधी लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर हो गयी है। Without any

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

loss as told to us by Rajiv and Rahul Gandhi. और इसलिए मैं बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या को कहना चाहती हूं कि इस भामाशाह को थोड़ा सा स्टडी कर लीजिये। आपने यह कहा था कि कोई जगदीश सैनिक, पेन्शन के लिए बेचारी भटक रही है। हमने भामाशाह को इसलिए खड़ा किया कि यह नहीं होना चाहिए और हमने उसका पता किया। हमने पता किया तो हमारे पास आया। उपखंड अधिकारी बानसूर ने कहा कि ये 1994 से इसको पेन्शन प्राप्त हो रही है। फिर उसके बाद पटवारी ने यह कहा कि लास्ट क्रेडिट उसके बैंक अकाउंट में 31 दिसंबर को है और उसके बाद मेरे पास उसके बैंक अकाउंट का विवरण है कि उसके बैंक अकाउंट में 31.12 को 23,948 रुपये थे और 31.12 को उसके अकाउंट में 13 हजार रह गये, क्योंकि उसने दस हजार रुपये उसमें से निकाल लिये So please,...(व्यवधान) नहीं, मैं आपको नहीं दे रही हूं ...(व्यवधान) No, No No आप बैठें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ...(व्यवधान) जमीन आबंटन के लिए चक्कर काट रही है वो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पहले तो पेन्शन के लिए बोल रहे थे। अब क्या बोल रहे हो आपका पता है कि नहीं? (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अब यहां कुछ फेवरेट टापिक्स रहे हैं। अभी अपने कुछ फेवरेट टापिक्स रहे हैं एक तो जल स्वावलम्बन, एक आपका रिसर्जेंट राजस्थान, एक आपका रोजगार और फाइनली आपकी रिफाइनरी। हर बार यह बात उठती है। हर बार हम इस चीज को आपके सामने क्लेरीफाई करते हैं, परन्तु मुझे खुशी है आज फिर से क्लियर कर दूंगी। आपने अभी मुद्दा उठाया। आपकी यह है कि राजनीतिक लाभ हमको कैसे मिले। पहले लीलांवाली में रिफाइनरी। जमीन कीमतें वहां बढ़ा दीं फिर आपको सब कुछ मालूम है वहां क्या हुआ। बाद में 22.9 को चुनाव के ठीक पहले पचपदरा में आपके परिवार के मुखिया ने राजस्थान के यानी आपके राजपरिवार के मुखिया ने वहां उसकी नींव डाल कर और वहां काम चालू हो जाएगा Just before election करके छोड़ दिया। अब क्या सब्सिडी हुई इसके अन्दर? इसलिए मैं कहती हूं यह घाटे का सौदा है और आप अपने बिजनेस करते हैं तो आप लोग तो कभी कोई घाटे को सौदा नहीं करते हैं, हम तो अपने घर में ही नहीं करते हैं। हम राजस्थान को अपना घर मानते हैं। इस

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चीज में हम क्यों घाटे का सौदा अपने लोगों के लिए करें। पर यह घाटे का सौदा है अध्यक्ष जी, क्योंकि रिफाइनरी की कीमत तो 37,229 करोड़ रुपये और सरकार दे रही है 56,040 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्लस 300 करोड़ रुपये में 4,800 एकड़ जमीन देना तय हुआ है। पानी और सड़क की सुविधा वो सब अलग यानी आप तो फ्री में उसको खड़ा कर रहे थे और इसका क्या हमको मिल रहा है, only 26 per cent share in the company. Only 26 per cent. बिना किसी फाइनेंशियल एंड इकानॉमिक एनेलेसिस के 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक का इन्वेस्टमेंट 3 घंटे के अन्दर तय। आप करोगे? Not possible आप यानी हम लोग कोई भी धंधा करते हैं अपने परिवार का बिजनस करते हैं तो दस दफा उसके अन्दर देख कर करेंगे।

इतना बड़ा प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट एडवाइजर नहीं। थोडा-सा गणित अपन समझें, कंपनी की लागत से ज्यादा सब्सिडी, 15 साल तक प्रतिवर्ष दिये जाने वाले 3736 करोड़ रुपये, अब आप यह देखेंगे, हम मिनिमम ब्याज दे रहे हैं 9 परसेंट, इसके आधार पर अगर आप देखें 119595 करोड़ रुपये का बोझ, आप कहोगे कैसा, वह कोस्ट 3736 X 15 + इंटरेस्ट अमाउंट एट 9 परसेंट फोर 15 ईयर, 63000 करोड़ वह हो गया और 56000 उसमें और जोड दीजिए, यह 119000 करोड़। Just imagine इस तरीके के प्राइजिंग, इस तरह की कोस्टिंग और फिर आप मेरे को कहते हो कि राजधर्म का पालन। यह राजधर्म है। मैं यह पूछना चाहती हूं, आपने कभी रिफाइनरी को जाकर देखा है। आपको यह मालूम होना चाहिये कि मोडर्न रिफाइनरी के अन्दर I went to Saudi Arabia मैं साउदी अरेबिया गई थी As Minister small industries उन लोगों ने बुलाया था For small industry programme और उन्होंने इसलिए बुलाया था कि हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज है और बडी इंडस्ट्रीज में हम रोजगार नहीं दे सकते इसलिए हमें स्माल इंडस्ट्रीज की जरूरत है तो आप आकर हमें बताइए कि हिन्दुस्तान में जो स्माल इंडस्ट्रीज चल रही हैं वह कैसे चलती हैं क्योंकि बिग इंडस्ट्रीज की वजह से हमारे बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं और इन सब चीजों में अननैसेसरी वेस्ट हो रहे हैं। Not more than 700 people in a refinery. This is something we have to understand. हमने तो यह सोच रखा है कि राजस्थान को अपन आगे रखेंगे। सबसे पहले हमारा प्रदेश, हमारा परिवार। Aur Proper Financial and Economic Analysis के बिना हम कोई ऐसे बिजनस डील में नहीं जायेंगे।

पीडब्ल्यूसी को हम लोगों ने इस बार ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

किया है और हमने यह कमिटमेंट दिया है कि Refinery at terms and condition favourable to all stakeholders, not just to one. एचपीसीएल और राज्य सरकार के मध्य हमारी वार्ता चल रही है। 9 फरवरी को हमारी लास्ट मीटिंग हुई है। एचपीसीएल के डाइरेक्टर ने, अब यह भी सुन लो आपने अनुरोध किया है कि क्रूड आयल की अवेलेबिलिटी They don't know what the crude oil availability is, for how long? इस सम्बन्ध में डीजी हाइड्रोकार्बन से क्या लेटेस्ट पोजिशन है, पता कर लो। अगर अथाह तेल था तो यह करने की जरूरत ही नहीं होती। अथाह तेल नहीं है There is limited amount of Oil, Aur वह कितना है उसकी पोजिशन असेस करना है क्योंकि उसकी पोजिशन की असेसमेंट पर हम इंवेस्टमेंट करेंगे। जो भी होगा पूरे पारदर्शी रूप से होगा, प्रदेश के हित में होगा, प्रदेश की जनता के हित में होगा। आनन-फानन में और राजनीतिक लाभ के लिये हम लोग नहीं करने वाले हैं।

अदर फेवरेट सब्जेक्ट इसी में कि हमने मैट्रो का कितना सुंदर काम किया। क्या सुंदर काम, जरा बताओ? 11732 करोड़ रुपये की मैट्रो की परियोजना है, 3400 करोड़ रुपये फर्स्ट फेज, जेडीए से 120 करोड़, हाउसिंग बोर्ड से 100 करोड़, रीको से 100 करोड़, बिलकुल चौपट करके, जब हम आये थे तो जेडीए के पास 4 करोड़ मुश्किल से थे। आज सरकार से 30 करोड़ लेना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। आप लोग मैट्रो पर चले जाओ तो आपको मालूम पड़ जायेगा कि कितनी कैरिंग कैपेसिटी है और वाकई में कितने पैसेंजर आ रहे हैं। उसकी इकोनोमी, आन द इकोनोमिक्स ओनली चलेगी आपकी। आज आपकी इकोनोमिक्स तो है ही नहीं उसमें, यह मैट्रो वाली जो कम्पनी है वह 10 करोड़ से ज्यादा पैसा दे नहीं सकती, 30 करोड़ रुपये हमको देना पड रहा है, 40 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं क्योंकि हमने इसकी इक्नोमिक वायबिलिटी स्टडी नहीं की थी। हमने इकोनोमिक वायबिलिटी नहीं की थी, हमने सोचा था कि हम यह चला देंगे तो हम लोगों को खुश कर लेंगे, उनके वोट ले लेंगे। रिजल्ट, क्योंकि जनता सब समझती है। जनता के सामने जाओ अगर कोजेंट आर्ग्युमेंट लेकर उसके सामने जाओ तो वह समझने को भी तैयार हैं, परन्तु इस तरीके को भी वह समझती है। कोई आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेगा तो They can't get away with it. That is the final reply उनकी तरफ से।

अब लेटेस्ट, आपकी सोच है यह आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सुविधा। आपकी क्या सोच है, राजनीति को जितनी हवा दे सकते हैं उतनी हवा देने की अपन कोशिश करो क्योंकि अगर अच्छे काम से हम तुलना नहीं कर सकते, यह तो हम सब जानते हैं। जब हम अच्छे काम से तुलना नहीं करते हैं तो फिर राजस्थान के सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच में हम दरारें क्यों नहीं डालें। हम एक जाति को दूसरी जाति से क्यों नहीं लड़ा दें। हम एक मजहब को दूसरे मजहब से क्यों नहीं लड़ा दें। हम ऐसी व्यवस्था, ऐसी परिस्थिति राजस्थान में क्यों न कर लें कि मैथ्स 9+2+10 हो जाये तो शायद हम लोग वापस आ सकेंगे, यह करके हम लोगों ने इस तरीके की लो राजनीति करने का काम चालू किया है। इसके लिये मैं आपको बता रही हूं कोई भी दुआ नहीं देगा इसके लिये, आगे चलकर यह सब बातें सब लोगों के सामने आ रही हैं और सबको मालूम है कि कौन जाकर, किसको, कैसे बात कर कराकर क्या कर रहा है, यह कहीं से किसी से छिपी नहीं है। पर मैं Just for the record लाना चाहूंगी 2003 के चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ के लिये मैं कहती हूं ईबीसी के आरक्षण के लिये आपने भारत सरकार को पत्र लिख दिया। That was the first salvo यह सिर्फ और सिर्फ पत्र था। न अपन मंत्री मण्डल में गये, न कुछ किया, किसी का निर्णय नहीं, कुछ नहीं, बस पत्र डालकर आग लगाने का काम शुरू कर दिया। 5 वर्ष आपको मिले, क्या किया? कुछ भी नहीं, All Silent absolutely. आप में और हम में डिफरेंस दिखाई देता है, आपकी और हमारी सोच में कितना फर्क है वह हमको दिखाई दे रहा है। हमने आग नहीं लगाई, हमने तीली नहीं लगाई, हमने जाकर किसी को उठाने की कोशिश या किसी को पैसे देने की या किसी को आगे बढाने का, कुछ नहीं किया, हमने यह कोशिश की कि वह वातावरण सौहार्दपूर्ण हो क्योंकि हम जानते हैं कि कल राजस्थान को अगर हिन्दुस्तान में दूसरे प्रदेशों के साथ कम्पीट करना है तो वह तभी कम्पीट कर सकता है जब उसका अन्दर का वातावरण, इंडस्ट्रीयल वातावरण बिल्कुल सोफ्ट और अच्छा हो। यहां निवेश करने के लिये ऐसी परिस्थिति में कौन आयेगा और जब यहां निवेश नहीं होगा, यहां इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो यहां रोजगार नहीं मिलेगा, यहां रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे कहां जायेंगे, यह किसी ने सोचा है या हम खाली पोलीटिक्स ही पोलीटिक्स में अपनी जिंदगी निकाल देंगे। कहीं तो पोलीटिक्स को विराम देने की जरूरत है।

आगे चलिए, कमीशन का आपने गठन तो कर दिया परन्तु न तो अध्यक्ष, न सदस्य, न कुछ, बस करके अपन चल दिये। हमारा जो सोच है उसमें

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हमने आपको यह बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में कहीं खून खराबा न हो। सोच सामाजिक समरसता, सब लोग प्यार से एक साथ रहें, 36 की 36 कौम के बीच में कोई आ नहीं सके। प्रदेश का पूरा और सर्वांगीण विकास हो। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री थे तब उनके काल में राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का उन्होंने गठन किया था। संवैधानिक दायरे में रहते हुए ईसीबी को आरक्षण का लाभ दिलवाना चाहते थे वह भी और हम भी। हमने 17 सितम्बर, 2007 को माननीय जस्टिस शशीकांत शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। जिसे आपने 24.12.2008 को भंग कर दिया। 2008 में भी हमने बिल पारित किया जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने 22.12 को मना कर दिया। हमने फिर से विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर अलग से बिल पारित किया, 9.10.2015 को उसको प्रकाशित भी कर दिया। कानूनी बाध्यता को पूरा करने के लिये ईबीसी आयोग हमने गठित भी किया, उसका अध्यक्ष भी बनाया, उसके सदस्य भी लगा दिये ताकि आर्थिक पिछड़े वर्गों का वहां सर्वे भी हो जायें और जो वह कोर्ट मांग रही है क्वांटिफाइबल डेटा, वहां आंकड़े संकलित हो जाये। इसी ईबीसी आयोग ने अपना काम चालू कर दिया है। यह सब हमने दो साल में किया है। मैं पूछना चाहती हूं कि 5 साल यह कर क्या रहे थे जो यह हमसे पूछ रहे हैं। जब यह सब काम चालू कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है कि पांच साल क्या हुआ, सब शांति से बैठे रहे। मैं यह कहना चाहती हूं कि, मेरा आज के दिन यह मानना है कि अच्छी सोच हो तो नीयत भी अच्छी हो जाती है और अच्छी नीयत होती है तो नीति भी अच्छी बन जाती है और अगर अच्छी नीति बनती है तो प्रदेश की नियति भी अच्छी हो जाती है। हमारी तरफ से ही नहीं, हम कहते हैं कि हम सबको क्योंकि हम सब इलेक्टिव रिप्रजंटेटिव्स हैं और जब लोगों ने हमको इलेक्ट किया है तो कुछ सोच विचार कर इलेक्ट किया है तो हमारी सबकी ड्यूटी बन जाती है कि इस चीज को हम ध्यान रखें और इसके ऊपर चलने की हम पूरी कोशिश करें।

आखिर में आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐसे ही नहीं दो साल में यह रेकग्निशन सिर्फ हम अपनी तूती यहां बजा रहे हैं, वह नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमको अवार्ड मिले हैं और मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। भामाशाह की जैसे मैंने कहा आपको राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस का स्वर्ण पुरस्कार, एसोचैम ने बैस्ट स्टेट एंड स्किल डवलपमेंट का अवार्ड हमें दिया है। ऊर्जा के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

एरिया में अक्षय ऊर्जा के हमारे 11 पुरस्कार मिले हैं। कृषि विभाग में कृषि कर्मण अवार्ड, 2015 हमको मिला है। सहकारिता विभाग में राज्य स्तरीय एन.डी.सी. सहकार उत्कृष्टता पुरस्कार हमको उनके मंत्री ने दिया है। पर्यटन विभाग के अन्दर आउटलुक ट्रेवलर ने जयपुर को फेवरेट सिटी का अवार्ड दिया है। इंटरनेशनल ट्यूरिज्म कानक्लेव एंड ट्रेवल अवार्ड ने बैस्ट वैडिंग डेस्टिनेशन दिया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने हमको समग्र पर्यटन विकास श्रेणी में श्रेष्ठ राज्य से सम्मानित किया है। जल ग्रहण के एरिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस आफ जी.आई.एस. का पुरस्कार हमको मिला है। चिकित्सा में 46 हजार आशाओं को समय पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए आनलाइन साफ्टवेयर 'आशा साफ्ट', इसके लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस रजत पुरस्कार प्राप्त किया है। आई.टी. डिपार्टमेंट को स्काच आर्डर आफ मैरिट मिले हैं For e-Mitra, for State Level Video Conferencing Project, For IT enable Bhamashah Project, For ESRI Award, 2015 for Rajdhara that is for GIS ऐसा नहीं है कि हमीं लोग हम यहां बैठे हुए हैं। पूरे देश के अन्दर राजस्थान को नोटिस किया गया है। बिजनस में ही नहीं, पालिटिकल सर्कल्स के अन्दर भी और ये जो हमको मिले हैं। उससे यह मालूम हो जाता है कि हमारा नहीं, पूरे के पूरे लोग टीम राजस्थान के रूप में सब लोग मिल के अपना काम करने में पीछे नहीं नहीं रहें।

आखिर अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगी कि यह सोच-सोच की बात होती है और मन की टीस की बात भी होती है और एक नजरिए की भी बात होती है। राजस्थान को किस नजरिए से हम देख रहे हैं? वो भी इंट्रेस्ट होता है। मैं कहती हूं कोई लोग राज करने के नजरिए से देखते हैं और कोई लोग सेवा करने के नजरिए से देखते हैं। मैं यहां पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहती हूं सबके सामने कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ हम लोगों को चुनके इस मुकाम तक पहुंचाया है। हम उनकी उम्मीदों के लिए सेवा भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ सबको साथ ले के पूरा प्रयास करके राजस्थान को उनके स्वाभिमान को उनकी इज्जत को बनाये रख के राजस्थान को नम्बर एक प्रदेश पर ले जाने की पूरी कोशिश मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और, मैं अध्यक्ष महोदय, यह बताना चाहती हूं कि ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे टीम की बात है। चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो इलेक्टिव रिप्रेजेंटटेटिव्स हों, चाहे वो जनता हो सब लोगों ने जो मेहनत की है, काम

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

किया है और लगातार कर रहे हैं उसकी वजह से आज हम यहां तक बैठे हैं और यह कह के मैं अपनी बात पर विराम देना चाहती हूं कि और ये मैं एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नया संकल्प आप लोगों के सामने दो पंक्तियों के साथ छोड़ना चाहूंगी। माननीय लीडर आफ दी अपोजीशन के लिए और उनके सब माननीय विधायकों के लिए, सदस्यों के लिए।

तुम्हारे दिए घाव पर मरहम लगाया है।
इस सूबे में तरक्की का परचम फहराया है।।
अंधेरों को बना दिया था तुमने नसीब सबका।
ऐसे में हमने रोशनी का रास्ता दिखाया है।।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं किया जाएगा।

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

प्रश्न यह है कि श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 8 मार्च, 2016 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.45 बजे मंगलवार, 8 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर में संरक्षित परकोटे से अतिक्रमण हटाने की योजना

83. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या कला, साहित्य एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर शहर परकोटा राजस्थान स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष अधिनियम, 1961 के तहत संरक्षित स्मारक है? यदि हां, तो जयपुर में अन्य किन-किन स्मारकों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या परकोटे से 15 फीट की दूरी तक अतिक्रमणों को हटाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो जनहित में उक्त अतिक्रमणों को कब तक हटा दिया जायेगा?

(3) क्या परकोटे पर किये गये अतिक्रमणों की कोई सूची बनाई गई है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर परकोटा (नगर दीवाल, सभी द्वारों को सम्मिलित करके) राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 के तहत राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है।

जयपुर शहर स्थित संरक्षित स्मारकों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जयपुर शहर के परकोटे के दोनों ओर 15 फीट की दूरी तक स्थित अतिक्रमण/निर्माणों के सम्बन्ध में एक डी.बी. सिविल रिट पिटीशन (पी.आई.एल.) नं. 1220/2010 श्री बृजमोहन जांगिड़ बनाम राजस्थान सरकार व अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन नगर निगम, जयपुर द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(3) नगर निगम, जयपुर द्वारा परकोटे पर किये गये अतिक्रमणों की सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में रमसा के तहत बालिका छात्रावास खोलने की योजना

84. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. मंजू बाघमार)

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में बालिकाओं के लिए आवासीय छात्रावास खोलने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक कितने स्थानों पर आवासीय विद्यालय खोले जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त छात्रावासों में कितनी बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य था तथा अब तक कितनी बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में किस-किस आयु वर्ग की कितनी-कितनी छात्राऐं अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा जारी योजना के दिशा-निर्देश परिशिष्ट "1" पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत आवासीय विद्यालय खोले जाने का प्रावधान नहीं है। अपितु बालिकाओं के आवास हेतु शारदे बालिका छात्रावास खोले गये हैं। वर्तमान में 143 शारदे छात्रावास संचालित हैं तथा 43 निर्माणधीन हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट "2" एवं "3" संलग्न है।

(3) भारत सरकार की मूल योजना में एक बालिका छात्रावास में 100 बालिकाओं को लाभान्वित करने का प्रावधान निहित है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध बजट के अन्तर्गत कराये गये निर्माण के अनुसार इन छात्रावासों में कुल 8660 छात्राओं की स्थापित क्षमता है। वर्तमान में कक्षा 9 से 12 में 14 से 18 आयु वर्ग की 7358 बालिकाएं इन छात्रावासों से लाभान्वित हो रही हैं। छात्रावासवार विवरण परिशिष्ट "4" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आवासीय विद्यालय खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा के चिड़ियाघर के लिये अन्यत्र स्थान उपलब्ध कराने की योजना

85. **श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संदीप शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण ने कोटा चिड़ियाघर के लाइसेंस नवीनीकरण को रद्द कर उक्त चिड़ियाघर को अन्य जगह पर स्थानांतरित करने के आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चिड़ियाघर कोटा में पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण से कई वन्य जीवों को पिंजरे में रखा जा रहा है, जो कि सी.जेड.ए. के मानदण्डों के अनुसार नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि चिड़ियाघर कोटा में वन्य जीवों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण वन्य जीवों को अन्य चिड़ियाघरों में स्थानांतरित किया जा रहा है? यदि हां, तो कोटा चिड़ियाघर से गत 3 वर्षों में कितने वन्य जीवों को अन्य जगह पर स्थानांतरित किया गया व इसके क्या कारण थे? विवरण सदन की मेज रखें।

(4) क्या सरकार कोटा चिड़ियाघर के वन्यजीवों के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छन्द स्थान उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) कोटा चिड़ियाघर के वन्य जीवों को प्रस्तावित अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त इन वन्य जीवों को स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

झुंझुनूं जिले में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना

86. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में राजकीय व निजी क्षेत्र में कितने महाविद्यालय संचालित हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में से कितने राजकीय व निजी महिला महाविद्यालय संचालित हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(3) क्या सरकार प्रदेश में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार झुंझुनूं जिले में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में 195 राजकीय व 1432 निजी क्षेत्र में महाविद्यालय संचालित हैं। जिलेवार सूची क्रमशः परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में 44 राजकीय महिला तथा 416 निजी महिला महाविद्यालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-3 व परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) प्रकरण विचाराधीन है।

(4) वर्तमान में झुन्झुनूं जिले में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नसीराबाद (अजमेर) में नगरपालिका बनाने की योजना

87. **श्री रामनारायण** (नसीराबाद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार नसीराबाद में नगर परिषद्/पालिका का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। नसीराबाद में नगरपालिका गठन के सम्बन्ध में प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

जयपुर जिले के कालख बांध को भरने की योजना

88. **श्री कैलाश वर्मा** (बगरू) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश की नदियों को यमुना से जोड़कर बांधों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं तथा इसके लिए क्या योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश वर्मा)

(2) क्या सरकार जयपुर जिले की नदियों को यमुना से जोड़कर जिले के बांधों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर के कालख बांध को भरने के लिए सरकार की क्या योजना है तथा इससे उक्त बांध के आसपास के कितने क्षेत्र की पेयजल समस्याओं का समाधान सम्भव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश की नदियों को यमुना से जोडकर बांधों को भरने हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। जयपुर जिले की नदियों को यमुना से जोड़कर जिले के बांधों को भरने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बारां जिले के छात्रावासों में प्लेसमेंट एजेंसियों से कार्मिकों की आपूर्ति

89. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 5 वर्षों में विभाग के बारां कार्यालय एवं हास्टलों में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्मिक लगाने के लिए कब-कब निविदाएं निकाली गईं एवं कब-कब निरस्त की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में उक्त प्लेसमेंट एजेंसियों को कितना भुगतान किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षो में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बारां कार्यालय एवं छात्रावासों में प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कार्मिक लगाने हेतु निकाली गई निविदा एवं निरस्त की गई निविदाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) विगत पांच वर्षो में इन फर्मो को किये गये भुगतान का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

वर्ष	प्लेसमेंट ऐजेन्सी का नाम	भुगतान की गई राशि (लाखों में)
2010-11	पोरवाल प्लेसमेन्ट बांरा	679479
	बाबा रामदेव प्लेसमेन्ट बांरा	642278
2011-12	पोरवाल प्लेसमेन्ट बारां	1410645
2012-13	पोरवाल प्लेसमेन्ट बारां	1885043
2013-14	पोरवाल प्लेसमेन्ट बारां	1651873
2014-15	पोरवाल प्लेसमेन्ट बारां	1208347
	योग	**7477665**

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक पोरवाल प्लेसमेन्ट बारां को भुगतान राशि 6838387 एवं वर्ष 2010-11 में बाबा रामदेव प्लेसमेन्ट, बारां 642278 का भुगतान किया गया है।

परिशिष्ट-अ

विगत पांच वर्षों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिला कार्यालय, बारां एवं राजकीय छात्रावासों में प्लेसमेंट एजेन्सियों के माध्यम से कार्मिक लगाने हेतु आमंत्रित निविदा एवं निरस्त किये जाने वाली निविदाओं का विवरण :-

क्र. सं.	निविदा जारी वर्ष	निविदा निरस्त वर्ष	विशेष विवरण
1.	2010-11	-	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बारां द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बारां हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थी। न्यूनतम दर वाली एजेन्सी को कार्यादेश जारी किया गया था। प्राप्त दरों के अनुसार ही राजकीय छात्रावासों में मैस समिति के माध्यम से प्लेसमेंट एजेन्सी पोरवाल प्लेसमेंट, बारां एवं बाबा रामदेव प्लेसमेंट, बारां को जाब बेसिस पर रसोइया/चौकीदार की राशि का भुगतान किया गया है।

क्र. सं.	निविदा जारी वर्ष	निविदा निरसत वर्ष	विशेष विवरण
2.	2011-12	-	समिति निविदाएं आमंत्रित कर जाब बेसिस पर रसोइया/चौकीदार कार्मिकों को न्यूनतम दर पर राजकीय छात्रावासों में मैस समिति के माध्यम से पोरवाल प्लेसमेंट, बारां को राशि का भुगतान किया गया है।
3.	2012-13	-	निविदएं आमंत्रित नहीं की गईं। गत वर्ष की न्यूनतम दर के आधार पर जॉब बेसिक पर कार्यरत रसोईया/चौकीदार कार्मिकों को मैस समिति के माध्यम से पोरवाल प्लेसमेंट, बारां को राशि का भुगतान किया गया है।
4.	2013-14	-	निविदएं आमंत्रित नहीं की गईं। गत वर्ष की न्यूनतम दर के आधार पर जाब बेसिस पर कार्यरत रसोईया/चौकीदार कार्मिकों को मैस समिति के माध्यम से पोरवाल प्लेसमेंट, बारां को राशि का भुगतान किया गया है।
5.	2014-15	-	निविदा दरें न्यूनतम मजदूरी के अनुसार नहीं होने एवं निविदादाताओं द्वारा निविदा शर्तों के अनुसार निविदा प्रस्तुत नहीं करने एवं तकनीकी कमी के कारण निविदा निरस्त की गई। गत वर्ष की न्यूनतम दर के आधार पर जाब बेसिस पर कार्मिकों को पोरवाल प्लेसमेंट, बारां को राशि का भुगतान किया गया है।

सांचौर में राशनकार्डों में अशुद्धियों का निवारण

90. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नए राशनकार्डों में अशुद्धियों को ठीक कराने का कार्य लम्बित है? यदि हां, तो अब उक्त राशन कार्ड कब तक दुरुस्त करा दिये जाएंगे व नहीं, तो क्यों?

(श्री सुखराम विश्नोई)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नवीन राशनकार्डों में अशुद्धियां होने से उपभोक्ताओं के सत्यापन की समस्या के कारण वे राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा से वंचित हैं? यदि हां, तो इसका निवारण कब तक करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नये राशनकार्डो में डाटा फिडिंग के समय कुछ राशनकार्डो में त्रुटियां पाई गई थीं, जिसके दुरुस्तीकरण के लिए वैण्डर मैसर्स गुजरात इन्फोटेक लि. द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में कैम्प लगवाकर कार्य किया गया था। दुरुस्तीकरण कार्य का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया गया था। इसके पश्चात् भी जिन उपभोक्ताओं द्वारा गलतियों का सुधार नहीं करवाया गया है, उनका दुरुस्तीकरण कार्य वर्तमान में ई-मित्रों कियोस्क के माध्यम से निरन्तर किया जा रहा है।

(2) नवीन राशनकार्डो में त्रुटि होने के कारण सत्यापन में समस्या आ रही है, परन्तु वर्तमान में कोई भी पात्र परिवार राशन सामग्री से वंचित नहीं रखा जा रहा है। नवीन डिजिटाइज्ड राशनकार्डो को दुरुस्त करने का कार्य दिनांक 01.04.2015 से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा की गई नयी व्यवस्था अनुसार नवीन/डुप्लीकेट राशनकार्ड बनाने, राशनकार्ड में नाम जोड़ने-घटाने, परिवर्तन तथा शुद्धिकरण का कार्य सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी एवं राजस्थान के ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 02.02.2015 की प्रति **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार में अनियमितताओं की जांच

91. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिला मुख्यालय पर स्थित टोंक जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार में करोड़ों रुपये की ठगी के सम्बन्ध में वर्ष 2015 में पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है? यदि हां, तो उक्त ठगी के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही की गई? उक्त कार्यवाही विवरण/जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री अजीत सिंह)

(2) उक्त होलसेल भण्डार की जांच किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की गई तथा उक्त जांच में किन-किन व्यक्तियों को दोषी पाया गया? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) टोंक जिला उपभोक्ता होलसेल भण्डार की निगरानी समय-समय पर किस अधिकारी के द्वारा की जाती है तथा किस अधिकारी के द्वारा उक्त होलसेल भण्डार के खातों का निरीक्षण कब-कब किया गया? वर्षवार व दिनांक वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय जांच हेतु अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर खण्ड, अजमेर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत जांच करवायी गयी। जांच परिणाम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) टोंक जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. की जांच एक दल, जिसमें श्री जी.एल. गुप्ता, संयुक्त रजिस्ट्रार प्रतिनियुक्ति पर सचिव, सहकारी भूमि विकास बैंक लि. भीलवाड़ा, प्रभारी जांच दल, श्री उदयदीप सिंह राठौड़, श्री सुधीर भट्ट एवं श्री गौरव सैन निरीक्षक आडिट सदस्य जांच दल थे, के द्वारा की गयी। उक्त जांच में भण्डार के तत्कालीन प्रशासक श्री ओ.पी. जैन को प्रशासनिक शिथिलता के लिये एवं तत्कालीन महाप्रबंधक श्री करूणेश कुमार सोनी एवं श्री सुखवीर सिंह कैशियर को भण्डार की राशि के अपहरण एवं दुर्विनियोजन के लिए दोषी पाया गया। दोषी कार्मिक श्री करूणेश कुमार सोनी एवं श्री सुखवीर सिंह के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर खण्ड, अजमेर में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 57 के अन्तर्गत वसूली हेतु प्रकरण दर्ज किया गया है जो प्रक्रियाधीन है। श्री ओ.पी. जैन तत्कालीन उप रजिस्ट्रार टोंक एवं प्रशासक भण्डार एवं श्री करूणेश कुमार सोनी तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं निरीक्षक कार्यकारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सर्विसेज (नियंत्रण वर्गीकरण एवं अपील्स) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। इसके अलावा दोषी कार्मिक श्री करूणेश कुमार सोनी तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं निरीक्षक कार्यकारी को दिनांक 01.10.2015 को

(सहकारिता राज्य मंत्री)

निलम्बित किया गया एवं श्री सुखवीर सिंह संविदा कार्मिक की सेवाऐं दिनांक 30.9.2015 को समाप्त की जा चुकी हैं।

(3) टोंक जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार की निगरानी समय-समय पर तत्कालीन संचालक मण्डल / प्रशासक तथा महाप्रबंधक भण्डार द्वारा की जाती थी। उक्त अधिकारियों द्वारा टोंक जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के खातों का निरीक्षण नहीं किया गया है। केवल महाप्रबंधक श्री करूणेश कुमार सोनी द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की कैश बुक पर ही हस्ताक्षर किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा कराये गये कार्य

92. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एडमा) द्वारा प्रदेश के कई स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए डी.पी.आर. तैयार करवाई जा रही है? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय की जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में भी सरकार द्वारा डी.पी.आर. बनाई गई थी? यदि हां, तो पुन: डी.पी.आर. बनाने के क्या कारण हैं? आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एडमा) द्वारा विगत तीन वर्ष में क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण को मार्च, 2015 में राजकीय संग्रहालय-भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, पाली एवं झालावाड़ के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों की डी.पी.आर. तैयार कराये जाने हेतु राशि रुपये 50.00 लाख उपलब्ध करवायी गयी थी, जिसके अन्तर्गत राजकीय संग्रहालय-बीकानेर, अजमेर, भरतपुर एवं जैसलमेर की डी.पी.आर. तैयार करवायी जा चुकी है। राजकीय संग्रहालय-चित्तौड़गढ़, सीकर, जोधपुर, कोटा एवं पाली की डी.पी.आर. हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। राजकीय संग्रहालय-झालावाड़ की डी.पी.आर. तैयार कराये जाने के कार्यदेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त के अतिरिक्त संस्कृति मंत्रालय,

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

भारत सरकार द्वारा राजकीय संग्रहालय-अलवर, आहाड (उदयपुर) एवं डूंगरपुर के संरक्षण एवं विकास कार्य की डी.पी.आर. तैयार करवाये जाने हेतु राशि रुपये 15.00 लाख आबंटित किये गये हैं। उक्त संग्रहालयों में से राजकीय संग्रहालय-अलवर की डी.पी.आर. तैयार करवाये जाने के कार्यादेश इन्दिरा गांधी नेशनल सेन्टर फोर आर्टस, नई दिल्ली (IGNCA) को जारी किये जा चुके हैं तथा आहाड (उदयपुर) एवं डूंगरपुर संग्रहालयों की डी.पी.आर. तैयार कराने हेतु कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) विभाग द्वारा वर्ष 2006-07 में राजकीय संग्रहालय-अजमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ एवं कोटा की डी.पी.आर. बनवाई गई थी तथा उपलब्ध बजट प्रावधान से डी.पी.आर. के अनुसार संग्रहालयों में संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करवा लिये गये थे।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट घोषणा के अन्तर्गत राज्य के दस राजकीय संग्रहालयों-भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, पाली एवं झालावाड़ का सम्पूर्ण पुनरुद्धार कार्य करवाये जाने का निर्णय लिया गया। अत: बजट घोषणा के अन्तर्गत उक्त दस संग्रहालयों की डी.पी.आर. बनवायी जा रही है।

आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, जयपुर (एडमा) द्वारा विगत तीन वर्षों में करवाये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट- '1 से 3' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के प्रतिबंधित जिलों के शिक्षकों का गृह जिले में स्थानान्तरण

93. **श्री नरेन्द्र कुमार** (मण्डावा) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिए किस-किस श्रेणी के लिए कौन-कौन से जिलों को प्रतिबंधित घोषित कर रखा है? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शिक्षकों को ठहराव के आधार पर उनके गृह जिले में स्थानान्तरण की नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े निम्नांकित 10 जिलों को स्थानान्तरण हेतु प्रतिबन्धित घोषित किया हुआ है:- 1. जैसलमेर 2. बाड़मेर 3. डूंगरपुर 4. बांसवाड़ा 5. जालौर 6. झालावाड़ 7. सिरोही 8. बीकानेर 9. बारां 10. प्रतापगढ़ सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) शिक्षा विभाग में शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पचपदरा (बाड़मेर) में रिफाइनरी लगाने का कार्य प्रारम्भ करने की योजना

94. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के बाड़मेर जिले के पचपदरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी स्वीकृत है?

(2) क्या यह भी सही है कि रिफाइनरी का पूर्व में शिलान्यास भी हो चुका है? यदि हां, तो रिफाइनरी कब स्वीकृत हुई एवं इसका शिलान्यास कब हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि रिफाइनरी के शिलान्यास के बाद से अब तक वहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि पचपदरा में रिफाइनरी स्थापित होने से पूरे प्रदेश विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के सीमान्त पिछड़े जिलों में रोजगार के नये अवसरों का सृजन होगा? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में सरकारी कम्पनी हिन्दुस्तान पैट्रोलियम प्रा.लि. से रिफाइनरी लगाने हेतु अनुबंध किया गया था तथा अब किसी अन्य कम्पनी को रिफाइनरी लगाने का कार्य सौंप रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) सरकार द्वारा जनहित में पचपदरा में रिफाइनरी का कार्य अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स का शिलान्यास हो चुका है। सरकार द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के साथ संयुक्त उद्यम में रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स स्थापित करने हेतु दिनांक 14.03.2013 को एमओयू हस्ताक्षरित कर दिनांक 22.09.2013 को शिलान्यास किया गया। एमओयू की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। राजस्थान सरकार एवं HPCL के स्तर पर आपसी सहमति के उपरान्त पेट्रोलियम मंत्रालय केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 11.12.2014 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, प्रमुख शासन सचिव, वित्त व निदेशक रिफाइनरी (HPCL) एवं निदेशक वित्त, (HPCL) सदस्य है। इस समिति द्वारा अब तक चार बैठकें क्रमशः दिनांक 22.12.2014, 20.02.2015, 30.03.2015 एवं 06.01.2016 को आयोजित की गई। रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स को स्थापित करने के लिए एमओयू की शर्तों का पुनरावलोकन किया जा रहा है एवं इस समिति द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाना शेष है, इसके उपरान्त परियोजना पर आगामी रूपरेखा तैयार की जायेगी।

(4) जी हां। रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स स्थापित होने से पश्चिमी राजस्थान में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस परियोजना को प्रारम्भ करने हेतु सरकार के स्तर पर सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार एवं HPCL की आपसी सहमति से पेट्रोलियम मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा, जिसके उपरान्त परियोजना प्रारम्भ करने सम्बन्धी आगामी रूपरेखा तैयार की जायेगी।

(5) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(6) राज्य सरकार एवं HPCL की आपसी सहमति से पेट्रोलियम मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा, जिसके उपरान्त परियोजना प्रारम्भ करने सम्बन्धी आगामी रूपरेखा तैयार की जायेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़ी (धौलपुर) महाविद्यालय में रिक्त पदों पर पदस्थापन

95. **श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गिर्राज सिंह)

(1) बाड़ी (जिला-धौलपुर) में संचालित राजकीय महाविद्यालय में वर्तमान में कितने कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक एवं व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने कनिष्ठ, वरिष्ठ लिपिकों एवं व्याख्याताओं का पदस्थापन हो चुका है तथा कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी (धौलपुर) लिपिक में व्याख्याता, लिपिक ग्रेड-प्रथम व लिपिक ग्रेड-द्वितीय के स्वीकृत पद, भरे पद एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। लिपिक ग्रेड-प्रथम के रिक्त पदों को डी.पी.सी. होने के समय भरा जा सकेगा। विभाग द्वारा विभिन्न विषयों में व्याख्याताओं के 1339 रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवायी गयी है। इन पदों पर चयन की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने/नियमित स्थानान्तरण के समय रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

परिशिष्ट–अ

राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	व्याख्याता	07	02	05
2	लिपिक ग्रेड-प्रथम	02	0	02
3	लिपिक ग्रेड-द्वितीय	01	01	0

बारां नगर परिषद् के ग्रामों में अमृत स्मार्ट सिटी के कार्य

96. श्री रामपाल (बारां-अटरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामपाल)

(1) क्या यह सही है कि बारां नगर परिषद क्षेत्र में सम्मिलित 11 ग्रामों में अमृत स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत आधारभूत विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में कुल आबंटित बजट राशि कितनी है एवं उक्त आबंटित बजट से इन ग्रामों में क्या-क्या विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना के तहत सम्पादित किये जाने वाले विकास कार्यों का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां शहर अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित 29 शहरों में सम्मिलित है, परन्तु स्मार्ट सिटी में चयनित नहीं है। अमृत योजना में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, अरबन ट्रांसपोर्ट एवं अन्य कार्य (पार्क इत्यादि) आधारभूत कार्य करवाये जा सकते है। इन कार्यों पर आगामी पांच वर्षों में अनुमानित व्यय राशि रुपये 160-180 करोड रुपये होगा। कार्यों का चयन एवं क्षेत्र का निर्धारण योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जाना है।

(2) अमृत योजनान्तर्गत प्रत्येक शहर हेतु औसत बजट राशि रु. 160-180 करोड़ के मध्य होगी, जिसमें 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 30 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 20 प्रतिशत नगरीय निकायों द्वारा वहन किया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत पेयजल, ड्रेनेज, अरबन ट्रांसपोर्ट एवं अन्य कार्य (पार्क इत्यादि) आधारभूत कार्य करवाये जा सकते हैं।

(3) अमृत योजनान्तर्गत योजना के दिशा-निर्देशानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है।

चित्तौड़गढ़ जिले के जीर्ण-शीर्ण बांध, एनिकट एवं नहरों की मरम्मत की योजना

97. **श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'** (चित्तौड़गढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'')

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में वर्तमान में कितने बड़े-छोटे बांध व एनिकट कहां-कहां पर निर्मित हैं? विधान सभा क्षेत्र वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने बांध व एनिकट वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार चित्तौड़गढ़ के जीर्ण-शीर्ण बांध, एनिकट एवं नहरों की मरम्मत कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में विभाग के अधीन 46 बांध निर्मित है, विधान सभा वार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है, जिला चित्तौड़गढ़ में विभाग द्वारा निर्मित 134 एनिकट हैं, विधान सभा वार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(2) उक्त विभागीय बांधों में से 13 बांध जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, बांधों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। विभाग द्वारा निर्मित एनिकटों में से 18 एनीकट जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) जी हां। चित्तौड़गढ़ जिले में जीर्ण-शीर्ण बांधों एवं नहरों की मरम्मत हेतु डीपीआर/प्रस्ताव तैयार किये गये/जा रहे हैं, जिन्हें स्वीकृति उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार करवाया जाना विचाराधीन है, विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। विभाग द्वारा निर्मित एवं क्षतिग्रस्त एनिकटों के कार्य मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना/डब्ल्यू.एच.एस. अन्तर्गत प्रस्तावित/स्वीकृत है, जिन्हें संसाधन उपलब्धतानुसार निष्पादित करवाया जाना प्रस्तावित है, विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के मदरसों में उर्दू पैराटीचर्स की नियुक्ति की योजना

98. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में छठे चरण में नियुक्त पैराटीचर्स में से अधिकांश महिला उर्दू पैराटीचर्स को अपने गृह जिले से लगभग 500-600 किलोमीटर की दूरी पर बाड़मेर व

(श्री देवेन्द्र कटारा)

जैसलमेर जिलों के दूरदराज क्षेत्रों में नियुक्ति दी गई हैं? यदि हां, तो कितनी महिला उर्दू पैराटीचर्स हैं, जिन्हें उनके गृह जिले से अन्यत्र नियुक्ति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसी महिला उर्दू पैराटीचर्स को उनके गृह जिले में पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मदरसों में उर्दू पैराटीचर्स एवं कम्प्यूटर पैराटीचर्स के रिक्त पदों पर भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। मदरसा बोर्ड द्वारा छठे चरण में उर्दू पैराटीचर्स की भर्ती की विज्ञप्ति सूचना 1/2013-14 द्वारा जिलेवाइज आनलाइन आवदेन मांगे जाकर जिला स्तरीय समिति द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई थी तथा जिस जिले में पदस्थापन हेतु आवेदन किया गया था, उन्हें उसी जिले में नियुक्ति दी गई है।

(2) जी नहीं। महिला उर्दू पैराटीचर्स की सेवाऐं पूर्णतया अस्थायी प्रकृति की हैं जो कि सम्बन्धित पैराटीचर एवं मदरसा कमेटी के मध्य अनुबन्ध पर आधारित है। संविदा की सेवाओं में स्थानान्तरण का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है।

(3) जी हां। डेटा कैप्चर के पश्चात् निर्धारित नोर्म्स के अनुसार समायोजन की प्रक्रिया समाप्त होने पर रिक्त पदों की संख्या का आकलन किया जावेगा। वर्तमान में कम्प्यूटर पैराटीचर्स के पदों पर भर्ती करने की योजना नहीं है।

प्रदेश में ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से नवीन राशन कार्ड बनाने की योजना

99. **श्री हीरालाल नागर** (सांगोद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से नये राशन कार्ड बनाने के निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो प्रदेश में ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से जनवरी, 2016 तक कितने राशन कार्ड बनाये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल नागर)

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में 10 लाख से भी अधिक राशनकार्ड फर्जी पाये गये हैं? क्या सरकार द्वारा ऐसे राशन कार्डों को निरस्त किया जा चुका है? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी-कितनी संख्या में एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में कई परिवार राशनकार्ड बनने से वंचित रहने के कारण प्रदेश की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं? यदि हां, तो सरकार बचे हुये राशन कार्ड कैम्प लगाकर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2015 से ई-मित्र कियोस्क/ सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नवीन राशनकार्ड तैयार कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से दिनांक 25.02.2016 तक 22,66,931 राशनकार्ड तैयार कर उपभोक्ताओं को वितरित किये गये हैं। वितरित किये गये राशनकार्डो का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जिलों में दोहरे अथवा फर्जी राशनकार्ड बनाये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जिलों में जारी फर्जी राशनकार्डों की जांच कराये जाने पर पाये गये दोहरे एवं फर्जी राशनकार्डों को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाने हेतु सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी एवं जिला कलक्टर को दिनांक 17.11.2015, 17.12.2015 एवं 21.01.2016 को निर्देश जारी किये जा चुके हैं, जिससे ऐसे राशनकार्डों पर सामग्री का वितरण रोका जा सकें। जारी निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

जिलों में जांच के दौरान पाये गये दोहरे/फर्जी राशनकार्डों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-4 पर एवं निरस्त किये गये राशनकार्डों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(3) नवीन राशनकार्ड से वंचित उपभोक्ताओं द्वारा सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी एवं ई-मित्र कियोस्क पर आवेदन कर नवीन राशनकार्ड प्राप्त किये जा सकते है। इस हेतु कैम्प लगाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर सम्भाग में मूंगफली खरीद में हुई अनियमितता की जांच

100. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तहसील लूणकरणसर, श्रीडूंगरगढ़ व बीकानेर की कृषि उपज मंडियों में नेफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद शुरू की गई है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त खरीद का कार्य नेफेड ने तिलम संघ के सुपुर्द कर दिया एवं तिलम संघ ने उक्त सारी खरीद की एजेंसी श्रीगंगानगर की 20 व्यक्तियों की एक सहकारी समिति जिसका नाम "सहभागी बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड" है, के पक्ष में कर सम्बन्धित तहसीलों की रजिस्टर्ड क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को पूर्णरूप से इस खरीद से वंचित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि श्रीगंगानगर की उक्त समिति की एजेंसी ने वस्तुतः जो माल खरीदा, वो व्यापारियों द्वारा पूर्व में खरीदा गया माल था जो उन्होंने मण्डी में खुली बोली में रुपये 2800/- से रुपये 3000 क्विंटल में किसानों से खरीदा गया था व जिसकी गिरदावरियां भी उन्होंने किसानों से हस्तगत कर रखी थीं?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि जिन्सों में दलहन और तिलहन की खरीद के लिये भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नाफेड) को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। इसकी सहयोगी संस्था के रूप में राजफेड व तिलम संघ के द्वारा दलहन व तिलहन की खरीद की जाती है। खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में राज्य में राजफेड के 31 एवं तिलम संघ के 5 कुल 36 मूंगफली खरीद केन्द्र स्थापित किये गये। लूणकरणसर, श्रीडूंगरगढ़ एवं बीकानेर की कृषि उपज मण्डियों में तिलम संघ द्वारा मूंगफली की खरीद 15 नवम्बर, 2013 से प्रारम्भ की गई थी, जो 90 दिवस के लिए 15 फरवरी, 2014 तक पूर्ण होनी थी, परन्तु मूंगफली की बम्पर पैदावार होने के कारण राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा 9 मार्च, 2014 तक खरीद की अवधि बढ़ाई गई।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) यह सही है कि उक्त खरीद का कार्य नेफेड द्वारा तिलम संघ को दिया गया था। तिलम संघ द्वारा लूणकरणसर, श्रीडूंगरगढ व बीकानेर केन्द्रों का कार्य सहभागी बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि., श्रीगंगानगर से कराया गया। लूणकरणसर केन्द्र के लिए उक्त तहसील में कार्यरत लूणकरणसर क्रय विक्रय सहकारी समिति से तिलम संघ द्वारा पत्र दिनांक 09.01.2014 एवं 13.01.2014 से सहमति चाही गई थी, किन्तु उक्त समिति द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। श्रीडूंगरगढ़ व बीकानेर क्रय विक्रय सहकारी समितियों से भी तिलम संघ द्वारा दूरभाष पर सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया गया, किन्तु उक्त समितियों द्वारा संसाधनों के अभाव के कारण उक्त खरीद कार्य से असमर्थता व्यक्त की गई। अतः सम्बन्धित तहसीलों की रजिस्टर्ड क्रय विक्रय सहकारी समितियों को पूर्ण रूप से इस खरीद से वंचित किये जाने का तथ्य सही नहीं है।

(3) यह सही नहीं है कि श्रीगंगानगर की उक्त समिति की एजेन्सी ने वस्तुतः जो माल खरीदा, वो व्यापारियों द्वारा पूर्व में खरीदा गया माल था, जो उन्होनें मण्डी में खुली बोली में रुपये 2800/- से रुपये 3000/- क्विंटल में किसानों से खरीदा गया था व जिसकी गिरदावरी भी उन्होंने किसानों से हस्तगत कर रखी थी। तिलम संघ के निर्देशानुसार आबंटित उक्त समिति द्वारा मूंगफली खरीद से पूर्व कृषक द्वारा गिरदावरी मय परिचय पत्र के खरीद एजेन्सी को जमा कराई जाने के पश्चात गिरदावरी में अंकित कृषक के नाम से माल क्रय किया जाता है तथा बिल बनाकर काश्तकार से बिल पर हस्ताक्षर करवाये जाकर क्रय की गई मूंगफली का भुगतान कृषक को अकाउन्ट पेयी चैक द्वारा किया जाता है तथा चैक जारी करने की पंजिका में हस्ताक्षर कराये जाते हैं। कृषक द्वारा मूंगफली विक्रय के बिल पर तथा चैक जारी करने की पंजिका पर हस्ताक्षर करना इस बात का प्रमाण है कि कृषक स्वयं खरीद केन्द्र पर उपस्थित होकर अपना माल विक्रय करता है और किसी व्यापारी अथवा मध्यस्थ के द्वारा उसका शोषण करना सम्भव नहीं है। कृषकों को भुगतान भी अकाउन्ट पेयी चैक से किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही कृषकों से खरीद सुनिश्चित की जाती है। साथ ही इसके अतिरिक्त भारत सरकार की नोडल एजेन्सी नेफेड का प्रतिनिधि भी खरीद केन्द्र पर खरीद कार्य की निगरानी हेतु उपलब्ध रहता है। उनके द्वारा भी इस तरह की कोई शिकायत तिलम संघ को नहीं की गयी है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) सरकार द्वारा उक्त सहभागी बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि., श्रीगंगानगर द्वारा संचालित खरीद केन्द्रों पर अनियमितताओं एवं किसानों को समय पर भुगतान नहीं होने की शिकायत प्राप्त होने पर आदेश दिनांक 18.06.2014 के माध्यम से राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत जांच कराई जा चुकी है तथा उक्त जांच के क्रम में जांच परिणाम दिनांक 1.12.2014 को जारी किये जा चुके हैं। जांच आदेश एवं जांच परिणाम की प्रति परिशिष्ट-ए एवं परिशिष्ट-बी पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर की पंचायत सिसारमा व बूझडा में नियम विरुद्ध होटलों का निर्माण

101. **श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पिछोला झील के ऊपर पंचायत सिसारमा व बूझडा में कई होटलें बनी हुई हैं तथा उक्त होटलों का गन्दा पानी नदी द्वारा पिछोला झील में आता है? यदि हां, तो क्या उक्त होटलें सरकार से स्वीकृति लेकर बनाई गई हैं? हां, तो किन-किन नियमों एवं शर्तों के तहत पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत सिसारमा व बूझडा में अनन्ता होटल, बुझडा फोट, अतुल होटल, उदयवेली रिसोर्ट, ताज वैवानता, इसांत क्लब, उदयबाग, फतेहगढ़ पैलेस, फतेह निवास, रमाडा होटल, देवी पैलेस, दर्शन पैलेस, परमात्मा गेस्ट हाऊस, चौधरी गेस्ट हाउस, नियम विरुद्ध चल रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इन पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पिछोला झील के ऊपर पंचायत सिसारमा, बूझडा में कई होटलें बनी हुई हैं, परन्तु अधिकांश होटलों का गन्दा पानी नदी द्वारा पिछोला झील में नहीं आता है। केवल उदयबाग होटल एवं उदयवेली रिसोर्ट के पानी आउटलेट बूझडा नदी की ओर रखे गये हैं, जिनसे वर्तमान में गन्दा पानी नदी में नही आ रहा है, फिर भी इन दोनो होटलों को इन आउटलेटस का बंद करने के लिए नोटिस जारी किये जा चुके हैं। यह सही है

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

कि पिछोला झील का पानी उदयपुर की आम जनता पीने के काम में लेती है। जिन होटलों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रन्यास उदयपुर द्वारा स्वीकृति जारी की हुई है, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि सिसारमा व पंचायत बूझडा में अनन्ता होटल, फतेहगढ़ पैलेस एवं रमाडा होटल नियम विरुद्ध चल रहे हैं। इनकी प्रन्यास, उदयपुर द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी की हुई है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। बिना प्रन्यास उदयपुर की निर्माण स्वीकृति के निर्मित व निर्माणाधीन रिसोर्ट/होटलों के निर्माण कार्य को बंद किये जाने हेतु प्रन्यास द्वारा सम्बन्धित रिसोर्ट/होटलों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं। उनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कुशलगढ़ के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

102. श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार नवगठित ग्राम पंचायतों के गावों में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार समानीकरण के कारण रिक्त पड़े विद्यालय भवनों को अन्य कार्यों में उपभोग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2015-16 की बजट घोषणा संख्या 97 के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों (नवगठित एवं ग्राम पंचायतों सहित) में राजकीय/निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय नही है, उन ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को स्थापित किया जाना है।

(2) जी हां। उपरोक्त घोषणा के अनुसार विधान सभा कुशलगढ़ के 3

(शिक्षा राज्य मंत्री)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा 5 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से क्रमोन्नत किये जा सकेंगे।

(3) **माध्यमिक शिक्षा**

जी हां। दिनांक 12.02.2015 के परिपत्र अनुसार उक्त रिक्त भवनों के उपयोग हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। खाली भवनो की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

इस प्ररिपेक्ष्य में समस्त जिला कलक्टर को अ.शा. पत्र दिनांक 10.11.2015 एवं समस्त विभागाध्यक्षों को खाली भवनों के उपभोग हेतु पत्र लिखा गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा

जी हां। विद्यालय एकीकरण से रिक्त हुए विद्यालय भवनों के उपयोग हेतु निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा जारी मार्ग-दर्शिका के अनुसार रिक्त पडे विद्यालय भवनों के उपयोग हेतु सम्बन्धित जिला कलक्टर की अभिशंसा के आधार पर रिक्त पड़े विद्यालय भवनों को अन्य विभागों को दिये जा सकते हैं। मार्ग-दर्शिका परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। रिक्त विद्यालय की सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बहरोड़ में प्रदूषण फैला रही औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही

103. **डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में संचालित औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषण फैल रहा है? यदि हां, तो उक्त औद्योगिक इकाइयों की गत दो वर्ष में कब-कब व किस-किस अधिकारी द्वारा जांच की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौनसी औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण के मानकों के विपरीत पाई गईं तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में संचालित औद्योगिक इकाइयों द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण हेतु संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में संचालित औद्योगिक इकाइयों में से अड़सठ औद्योगिक इकाइयों की जांच/निरीक्षण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधिकारियों द्वारा की गयी है। जांच/निरीक्षण की दिनांक मय अधिकारियों के नाम का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) गत 2 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में संचालित औद्योगिक इकाइयों द्वारा मानकों का उल्लंघन करने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों को देय मानदेय

103. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय को "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" ने "यूनिवर्सिटी विद् पोटेंशियल फार एक्सीलेंस" का अवार्ड दिया है? यदि हां, तो कब व किन-किन आधारों पर?

(2) क्या यह भी सही है कि आयोग की योजना के अनुसार शोधार्थी को आठ हजार रुपये मासिक व वार्षिक कंन्टीजेंसी में कुछ राशि अदा की जा रही है? यदि हां, तो कितने शोधार्थियों को कितनी राशि इन दोनों मदों में अदा की जा रही है?

(3) राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर सहित प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में 31 जनवरी, 2016 तक कितने शोधार्थियों ने अपने शोध पूरे कर शोधपत्र पुन: विश्वविद्यालयों में विधिवत जमा करवा दिये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ-14-2/2008(एन.एस./पी.ई.) दिनांक 15.05.2012 के द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय को ''यूनिवर्सिटी विद् पोटेंशियल फार एक्सीलेंस'' का अवार्ड दिया गया है। उक्त अवार्ड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक्सपर्ट एवेल्यूशन कमेटी (ईईसी) की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 15.05.2012 को स्वीकृत किया गया है। (परिशिष्ट-1) अनुशंसा का आधार यूजीसी द्वारा तय किये गये मानदण्ड परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यू.पी.ई. योजना के अनुसार नान नेट पी.एच.डी. शोधार्थियों/एम.फिल शोधार्थियों को 8000/- व 5000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृति तथा 10000/- व 8000/- वार्षिक कन्टीनजेंसी का भुगतान यूजीसी 12वां प्लान में आबंटित राशि के अन्तर्गत निम्नानुसार किया गया है:-

(उच्च शिक्षा मंत्री)

क्र. सं.	मद वार्षिक/ मासिक वर्ष	प्रति शोधार्थी दी गई राशि	कुल लाभान्वित शोधार्थी	दी गई कुल राशि
1	2013-14	पी.एच.डी. शोधार्थी-8000/- एम. फिल शोधार्थी- 5000/-	85 62	5876557/-
2	2014-15	उपरोक्तानुसार	278 79	23762348/-
3	2015-16	उपरोक्तानुसार	226 72	18015025/-

(3) शोधार्थियों द्वारा अपना शोध कार्य पूर्ण कर शोधपत्र विश्वविद्यालयों में जमा करवाये जाने बाबत विश्वविद्यालयवार सूचना परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड

104. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु निर्धारित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जावेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर कार्यरत व्याख्याता

105. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर व्याख्याता कार्यरत हैं? यदि हां, तो वर्ष 2008 से 31 जनवरी, 2016 तक कहां-कहां पर, कितने-कितने व्याख्याता संविदा पर कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में सेवानिवृत्त व्याख्याता संविदा पर लगाये गये हैं? यदि हां, तो वर्ष 2008 से 31 जनवरी, 2016 तक कहां-कहां पर कितने-कितने सेवानिवृत्त व्याख्याता संविदा पर लगाये गये हैं? उनको दिये गये वेतन सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों का वर्ष 2006 से वेतनमान बदला गया है? यदि हां, तो राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर कार्यरत व्याख्याताओं का वेतनमान क्यों नहीं बदला गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2008 से 31.01.2016 तक राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा व्याख्याताओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमाक एफ.17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 26.5.2014 के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में केवल शैक्षणिक सत्र 2015-16 में 83 सेवानिवृत व्याख्याताओं को संविदा के आधार पर पुर्ननियुक्त किया गया है। संविदा के आधार पर पुर्ननियुक्त किये गये। सेवानिवृत व्याख्याताओं की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

पुनर्नियुक्त सेवानिवृत व्याख्याताओं को वेतन कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमाक एफ.17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 26.5.2014 के संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार देय है।

(3) उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा व्याख्याताओं का सन् 2006 से वेतनमान नहीं बदला गया है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

विभाग द्वारा समय-समय पर संविदा व्याख्याताओं के पारिश्रमिक में वृद्धि हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय महाविद्यालय पोकरण में रिक्त पदों को भरने की योजना

106. श्री शैतानसिंह (पोकरण) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार पोकरण महाविद्यालय में लम्बे समय से रिक्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों को भरने का क्या विचार रखती है यदि हा, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के 1339 रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाई गई है। इन पदों पर चयन की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने/नियमित स्थानान्तरण के समय राजकीय महाविद्यालय, पोकरण में रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

गैर शैक्षणिक पदों में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के 192 तथा प्रयोगशाला सहायक के 175 रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित की गई है। लिपिक ग्रेड-द्वितीय एवं प्रयोगशाला सहायक के पदों को चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर/स्थानान्तरण से भरा जा सकेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण/अनुकम्पात्मक नियुक्ति द्वारा भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

कोटा शहर में एल.ई.डी. लाइट लगाने की योजना

107. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने कोटा शहर में सार्वजनिक रोशनी के लिये एल.ई.डी. लाइट लगाने के लिए एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ कोई अनुबन्ध किया है? यदि हां, तो उक्त अनुबन्ध के तहत कोटा शहर के निगम क्षेत्र में कितनी एल.ई.डी. लाइटें लगवायी गयीं व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार कोटा शहर में शीघ्र एल.ई.डी. लाइट लगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा शहर मे अभी तक 56 एल.ई.डी लाइटें लगाई जा चुकी हैं।

(2) जी, हां। जून 2016 तक कोटा शहर मे एल.ई.डी लाइट लगाने का कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित किया गया है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चौखा में आबंटित भू-खण्डों में सुविधाओं का अभाव

108. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़-जंक्शन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2009 से 2016 तक कहां-कहां राजीव गांधी आवास योजनान्तर्गत चौखा में भूखण्ड आबंटित किये गये? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजीव गांधी आवास योजनान्तर्गत चौखा में भूखण्ड आबंटन के पश्चात् उक्त योजना में पानी/बिजली/सड़क/सीवरेज व अन्य सुविधाएं मुहैया करवा दी गई हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त योजनान्तर्गत समस्त भूखण्डों का आवंटन कर भौतिक कब्जा सम्भला दिया गया है? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पानी/बिजली/सड़क/सीवरेज आदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के क्या-क्या कारण रहे तथा इस हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी है? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजीव गांधी आवास योजनान्तर्गत कहीं पर भी भूखण्ड आबंटित नहीं किये गये हैं, परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम चौखा में खसरा संख्या 61 व 72 में राजीव गांधी नगर आवासीय योजना दिनांक 15.02.2010 को लान्च की गयी, जिसमें कुल भूखण्ड 4668 थे व लाटरी द्वारा आबंटन हेतु 3110 भूखण्ड रखे गये, जिसमें से लाटरी द्वारा 3078 भूखण्ड आबंटित किये गये हैं तथा 500 भूखण्ड राजस्थान आवासन मण्डल को दिये गये है व 14 भूखण्ड अन्य योजना से शिफ्टिंग में दिये जा चुके हैं। कुल 3078+500+14 = 3592 भूखण्ड आबंटित किये गये।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) राजीव गांधी आवास योजनान्तर्गत चौखा में भूखण्ड आबंटन नहीं किये गये थे, बल्कि चौखा में राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आबंटित किये गये थे, जिसमें विकास कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:-

1. **सडक व अन्य निर्माण:-** राजीव गांधी नगर योजना में वर्ष 2008 से 2016 तक सड़क निर्माण, नाला निर्माण, मुटाम निर्माण आदि विकास कार्यों हेतु रुपये 2950.69 लाख व्यय किये जा चुके हैं तथा रुपये 957.01 लाख के तखमीने बनाकर स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है तथा योजना में आवागमन सुचारू है।

2. **बिजली:-** राजीव गांधी नगर योजना में आन्तरिक विद्युतीकरण हेतु रुपये 119 लाख का कार्यादेश दिया जा चुका है, जिससे आवश्यकतानुसार कार्य करवाया जा रहा है। इसमें आबंटियों द्वारा जैसे-जैसे मकान का निर्माण करवाया जायेगा उसी अनुरूप विद्युतीकरण हेतु लाइन का कार्य करवाकर विद्युत कनेक्शन जारी करवाये जायेंगे, क्योंकि उपरोक्त क्षेत्र आबादी क्षेत्र नहीं होने के कारण तार इत्यादि चोरी होने का अंदेशा बना रहता है। अभी एक आबंटी द्वारा मकान निर्माण कराया गया है, उसके लिये विद्युत लाइनों का कार्य करवाकर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके अलावा इस योजना में 33 केवी जीएसएस हेतु 1000 वर्गमीटर के दो भूखण्ड जोधपुर विद्युत वितरण निगम को नि:शुल्क आबंटित किये जा चुके है। डिस्काम द्वारा लोड बढ़ने पर जीएसएस का निर्माण करवाया जायेगा।

3. **पानी:-** राजीव गांधी नगर, रामराज नगर, ठेंगडी नगर एवं चौपासनी चौखा क्षेत्र हेतु पीएचईडी द्वारा स्वीकृत ए.एफ.डी. (फ्रेंच डवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित) परियोजना अन्तर्गत सम्मिलित कार्यक्षेत्र अनुसार इस पेयजल योजना का प्रारूप तैयार किया जाना है, जिस अनुसार प्राधिकरण द्वारा योजना क्रियान्वयन कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। नवीनतम स्थिति के अनुसार पीएचईडी द्वारा स्वीकृत ए.एफ.डी. परियोजना अन्तर्गत तख्तसागर, झींझाबेरी पर प्रस्तावित नये फिल्टर प्लांट से शताब्दी सर्किल पाली रोड तक ट्रंक वाटर फीडर के कार्य का पैकेज दिनांक 04.06.2015 को पीएचईडी की तकनीकी समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त डीपीआर में पीएचईडी द्वारा प्रस्तावित टैपिंग्स पश्चात राजीव गांधी नगर, रामराज नगर, ठेंगडी नगर एवं चौपासनी चौखा क्षेत्र हेतु पेयजल योजना का क्रियान्वयन किया जाना है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

4. **सीवरेज**:- राजीव गांधी नगर आवासीय योजना, चौखा व आस-पास के क्षेत्रों में सीवरेज प्रणाली बिछाने का कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत तैयार किये गये सीवरेज मास्टर प्लान में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र में सीवरेज कार्य को द्वितीय चरण में प्रस्तावित किया गया है।

(3) राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में 3311 भूखण्ड के आबंटियों, जिसमें आवासन मण्डल भी सम्मिलित है, को कब्जा पत्र जारी किये जा चुके हैं। वर्तमान में योजना में मात्र एक मकान निर्मित हुआ है, जिसे बिजली का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। सडकों का निर्माण आवागमन हेतु लगभग किया जा चुका है। पानी व सीवरेज हेतु बिन्दु संख्या-2 के उप बिन्दु संख्या 3 व 4 के अनुसार कार्यवाही प्रगतिरत है। अतः इस हेतु कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है।

जयपुर के आगरा रोड पर रोड लाइटें लगाने की योजना

109. **श्री कैलाश वर्मा** (बगरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर में घाट की गुणी से आगरा रोड़ तक वर्तमान में कितनी-कितनी व कौन-कौन सी रोड लाइट लगाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सम्भावित दुर्घटना क्षेत्र घाट की गुणी से आगरा रोड पर पर्याप्त मात्रा में रोड़ लाइट नहीं है? यदि हां,तो इसके क्या कारण हैं व अब कब तक उक्त स्थान पर रोड लाइटें लगा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर में घाट की गुणी से आगरा रोड, चुल गिरी तक 65 सोडियम लाइटें एवं 4 फ्लड लाइटें लगाई गई हैं।

(2) जी हां। पर्याप्त रोशनी हेतु प्रस्ताव बनाकर कार्यवाही की जाएगी।

जयमाता वैष्णोनगर जयपुर के नियमन की कार्यवाही

110. **श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जगदीश नारायण)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के जोन-18 में स्थित जयमाता वैष्णोनगर कालोनी, गजसिंहपुरा का नियमन शिविर दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 एवं 26 अक्टूबर, 2015 को लगाना प्रस्तावित किया गया था? यदि हां, तो उक्त शिविर को किन कारणों से स्थगित किया गया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जयमाता वैष्णोंनगर, गजसिंहपुरा कालोनी के नियमन शिविर के विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के जोन-18 में किन-किन व्यक्तियों द्वारा क्या-क्या आपत्तियां प्रस्तुत की गईं? मयनाम आपत्तियों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कालोनी के नियमन शिविर लगाने से पूर्व प्राप्त आपत्तियों में से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी आपत्तियों का निस्तारण किया गया एवं कितनी आपत्तियों का निस्तारण शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी के नियमन से पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा उक्त योजना का सर्वे भी कराया गया था? यदि हां, तो कब? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी के नियमन हेतु जयमाता वैलफेयर सोसाइटी, गजसिंहपुरा द्वारा मौके की भौतिक स्थिति की विडियो सीडी भी तैयार कर जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत की है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त कालोनी का मौके पर भौतिक कब्जे को आधार मानते हुए नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन शिविर दिनांक 20.10.2015 व 26.10.2015 को प्रस्तावित किया गया था। नियमन शिविर के सम्बन्ध में श्री संजय शर्मा, मंत्री, तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर की ओर से दिनांक 15.10.2015 को आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं आपत्ति के साथ पंच निर्णायक एवं निरीक्षक (कार्यकारी) कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2008 की प्रति

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

प्रेषित की गई, जिसको ध्यान में रखते हुए उक्त शिविर स्थगित किया गया था। उक्त निर्णय में खसरा संख्या 56 व खसरा संख्या 96 से 105 ग्राम गजसिंहपुरा की भूमि पर हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जारी आबंटन पत्रों को अवैध घोषित किया गया था। अतः खसरा नं. 56 पर सृजित योजना का उक्त कारणों से शिविर को स्थगित किया गया था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं उक्त निर्णय की प्रति मय संलग्नक परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त जयमाता वैष्णोंनगर, गजसिंहपुरा कालोनी के नियमन शिविर आयोजित करने वास्ते दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना पर कुल चार व्यक्तियों श्री रिषी खण्डेलवाल, श्री शैतान सिंह चौधरी, मंत्री तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति एवं श्री हरकेश मीणा द्वारा अपनी आपत्ति सहकारिता प्रकोष्ठ, पृथ्वीराज नगर, जोन-18 सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-12, मानसरोवर, जयपुर में आपत्ति प्रस्तुत की है। उक्त प्राप्त आपत्तियों की छाया प्रतियां परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं।

(3) उक्त जयमाता वैष्णोंनगर, गजसिंहपुरा कालोनी के नियमन शिविर लगाने से पूर्व सहकारिता प्रकोष्ठ, जोन-18 को प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है। आपत्तियों का निस्तारण किया जाना शेष है, जो प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। वर्ष 2012 में मैसर्स मंगल चन्द कुमावत सर्वेयर द्वारा उक्त कालोनी का पी.टी. सर्वे करवाया गया था। जिसे प्रस्तावित कैम्प दिवस से पूर्व अद्यतन किया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) जी हां। जयमाता वैष्णोंनगर, वैलफेयर सोसायटी, गजसिंहपुरा द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.10.2015 द्वारा सीडी सहकारिता प्रकोष्ठ, जोन-18, जविप्रा में प्रस्तुत की गई है। नियमन शिविर स्थगित होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(6) नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2013, 30.09.2014 एवं 20.10.2014 के क्रम में नियमन शिविर आयोजित किये जा रहे। उक्त योजना के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या-1 में उल्लेखित कारण से शिविर स्थगित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर निगम, जयपुर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की योजना

111. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर निगम, जयपुर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की वर्ष 2006 से 2014 तक किस-किस पद पर पदोन्नति की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर निगम, जयपुर में वर्ष 2007 से 2014 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, कनिष्ठ लिपिक एवं स्वास्थ्य निरीक्षक पदों से सेवानिवृत्त कितने कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृत की गई एवं कितने प्रकरण लम्बित हैं, किस-किस स्वास्थ्य निरीक्षक के पेंशन प्रकरण लम्बित हैं? लम्बित प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जयपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर निगम, जयपुर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों से सफाई जमादारों के पद 209 पदों पर पदोन्नति की गई है।

(2) नगर निगम, जयपुर में सफाई कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कनिष्ठ लिपिक एवं स्वास्थ्य निरीक्षक से कुल 574 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये हैं, जिनमें से 573 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृत करा दी गई है, जिनमें से 1 कर्मचारी श्री केवलकृष्ण, स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय की डिप्लोमा/तकनीकी योग्यता नहीं होने के कारण पेंशन प्रकरण लम्बित है।

(3) राज्य सरकार द्वारा द्वारा वर्ष 2012-13 में नगर निगम, जयपुर में सफाई कर्मचारी के 2877 पदों पर भर्ती करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। नगरीय निकायों के द्वारा की जा रही भर्ती के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 6461/2015 व चार अन्य याचिकाओं में दिनांक 19.01.2016 को निर्णय पारित कर नवीन निर्देश प्रदान किये गए हैं। उपरोक्त निर्णय की पालना में विभागीय स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जलमहल परियोजना जयपुर में करवाये गये कार्य

112. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जलमहल परियोजना बनाई गई है? यदि हां, तो कब? उक्त योजना के अन्तर्गत जलमहल में क्या-क्या कार्य करवाये गये एवं क्या-क्या कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जलमहल परियोजना के लिए ग्राम बदनपुरा की भी भूमि अवाप्त की गयी है? यदि हां, तो कब व कितनी? उक्त अवाप्त भूमि पर जलमहल परियोजना के अन्तर्गत अब तक क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम बासबदनपुरा की उक्त अवाप्त भूमि पर अब तक कोई भी कार्य उक्त योजना के अन्तर्गत नहीं करवाये गये और न ही कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि जिस योजना के लिए भूमि अवाप्त की जाती है, उसमें ही उसका उपयोग किया जा सकता है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या झील संरक्षण अधिनियम 2015 (अधिनियम संख्या 5/2015) की धारा-5 के अन्तर्गत मानसागर (जलमहल) को दिनांक 1 जुलाई, 2015 की अधिसूचना द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है एवं धारा-4 के तहत मानसागर (जलमहल) झील को संरक्षित झील क्षेत्र एवं इसकी सीमा घोषित की गई है? यदि हां, तो पूर्व में बनाई गई जलमहल योजना की अब क्या उपयोगिता है? क्या सरकार जलमहल योजना को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जलमहल परियोजना के अन्तर्गत जलमहल झील के संरक्षण हेतु वर्ष 2004-05 में परियोजना बनाई गई, जिसके अन्तर्गत झील में स्थित महल के चारो ओर Wetland (Tertiary) treatment facility) Insitu Bioremedeation, Tourist taril, Path way, Nesting island आदि विकसित किये गये हैं।

वर्तमान में मेन्टीनेन्स व ट्रयूरिस्ट ट्रैल पर राजस्थानी प्रतिमाएं लगाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा अन्य कार्य प्रस्तावित नहीं है। आवश्यकतानुसार विकास कार्य प्रस्तावित किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि जलमहल योजना हेतु अवार्ड दिनांक 24.11.1995 के द्वारा ग्राम बदनपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 170, 172, 173 तथा 175 की 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई थी। इन खसरा नम्बरान में से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1970 में भूमि अवाप्त किये जाने का तथ्य ध्यान में आने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त की गई भूमि को कम करते हुए खसरा नम्बर 172 (अवाप्त 1 बीघा 6 बिस्वा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में अवाप्त 18 बिस्वा कम करते हुए 8 बिस्वा भूमि का) अवार्ड संशोधन किया जा चुका है। खसरा नम्बर 170 (अवाप्त 1 बीघा 13 बिस्वा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में अवाप्त 11 बिस्वा कम करते हुए 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि) खसरा नम्बर 173 (अवाप्त 7 बिस्वा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में अवाप्त 7 बिस्वा कम करते हुए शून्य बिस्वा भूमि) तथा खसरा नम्बर 175 (अवाप्त 1 बीघा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में अवाप्त 2 बिस्वा कम करते हुए 18 बिस्वा भूमि) के अवार्ड संशोधन की कार्यवाही की जा रही है। यह ग्राम बास बदनपुरा न होकर अवार्ड अनुसार बदनपुरा है।

जलमहल परियोजना के लिए ग्राम बदनपुरा में अवाप्त की गई भूमि पर किये गये कार्यों का उल्लेख बिन्दु संख्या 1 में है एवं कुछ खसरों की भूमि आमेर बाइपास निर्माण हेतु उपयोग में ली गयी है। आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

(3) जी नहीं। विकास कार्य करवाया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। विकास कार्यों का विवरण बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित है।

(4) सामान्यत: जिस उद्देश्य हेतु भूमि अवाप्त की जाती है उसी उद्देश्य हेतु उपयोग में ली जानी चाहिए तथा उक्त उद्देश्य के सहायक व समकक्ष व सम्पूरक अन्य सार्वजनिक उद्देश्य जो सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अपरिहार्य हो इस हेतु अवाप्त भूमि का उपयोग किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में तत्समय प्रभावी भूमि अवाप्ति अधिनियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(5) जी हां। झील संरक्षण अधिनियम 2015 (अधिनियम संख्या 5/2015) की धारा-5 के अन्तर्गत मानसागर (जलमहल) को दिनांक 01.07.2015 की अधिसूचना द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया एवं धारा 4

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

के द्वारा सीमा घोषित की गयी है। पूर्व में बनायी गयी जलमहल योजना में उपयोगिता सम्बन्धी विकास कार्यों का उल्लेख बिन्दु संख्या 1 में किया गया है। जलमहल योजना को निरस्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सेई बांध की सुरंग की सफाई कराने की योजना

113. **श्रीमती अमृता मेघवाल** (जालौर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जवाई बांध के कैचमेंट एरिया में छोटे-छोटे एनिकट व बांध बनाने से पानी की आवक में व्यवधान हो रहा है?

(2) क्या सरकार जवाई बांध के सहायक बांध सेई का पानी सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में डाला जा रहा है, किन्तु उसकी लम्बे समय से सफाई नहीं होने से अधिकांश पानी सेई बांध में ही रुक जाता है तथा ओवर फ्लो होकर गुजरात प्रान्त में चला जाता है, जिससे जवाई बांध में पानी की आवक कम होती है? क्या सरकार उक्त सुरंग को बड़ा करने या उसकी सफाई करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या जवाई बांध के निर्माण के समय यह नीति निर्धारित की गई थी, कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर, जालौर, भीनमाल एवं सांचौर के कुओं का जलस्तर कम नहीं हो इस हेतु नदी में पानी को छोडा जावे, किन्तु एक लम्बा समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी नदी में पानी नहीं छोड़ने से इस क्षेत्र के अधिकांश कुएं सूख गये अथवा सूखने की कगार पर हैं। क्या सरकार बांध में निश्चित मात्रा में पानी आने पर पानी छोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। सेई बांध से टनल द्वारा अपवर्तित होने वाले पानी की मात्रा पर आंशिक प्रतिकूल प्रभाव पडा है। सेई बांध से टनल द्वारा जल अपवर्तन को बढ़ाये जाने हेतु विशेषज्ञों की सहायता से डीपीआर तैयार करवा कर स्वीकृति उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(जल संसाधन मंत्री)

(3) जी नहीं। जवाई बांध बनाने के दौरान कुओं का जल स्तर खराब नहीं हो, हेतु नदी में पानी छोड़े जाने की नीति निर्धारित नहीं की गई थी। जवाई बांध के पूर्ण भराव क्षमता तक भरने के पश्चात् ओवर फ्लो के गेटों के माध्यम से नदी में पानी छोड़े जाने के साथ-साथ सुकडी नदी, जो कि जवाई नदी की सहायक नदी है, का पानी नदी में प्रवाहित होता है, फिर भी नीचे के क्षेत्र में स्थित कुओं के जल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है।

जवाई बांध के पानी का उपयोग सिंचाई एवं पेयजल हेतु पूर्व में ही निर्धारित होने से जवाई बांध से नदी में पानी छोड़ा जाना विचाराधीन नहीं है।

परवन वृहत् सिंचाई परियोजना हेतु आमंत्रित निविदायें

114. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश की परवन वृहत् सिंचाई परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद अब तक बांध निर्माण हेतु कितनी बार किस-किस दिनांक को निविदाएं आमंत्रित की गईं? निविदाओं की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जारी निविदाओं में किस-किस संवेदक द्वारा निविदाएं डाली गईं? निविदादाता फर्म के पूर्ण नाम-पते एवं डाली गई निविदा दरों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निविदाएं किन-किन कारणों से स्वीकृत नहीं हुईं? निविदाएं अस्वीकृत करने अथवा लम्बित रखने हेतु लिए गए निर्णयों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परवन वृहत् सिंचाई परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद अब तक बांध निर्माण हेतु प्रथम बार दिनांक 14.09.2013 एवं दूसरी बार दिनांक 18.09.2015 को निविदाएं आमंत्रित की गई। निविदाओं की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) प्रथम बार जारी निविदा के अन्तर्गत निविदा प्राप्त नहीं किये जाने एवं दूसरी बार आमंत्रित निविदा के विरुद्ध निविदाएं दिनांक 29.03.2016 को प्राप्त की जानी प्रस्तावित होने से वर्तमान में तुलनात्मक विवरण आदि की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

(जल संसाधन मंत्री)

(3) प्रथम बार आमंत्रित निविदा हेतु निर्धारित प्राप्ति तिथि पूर्व परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रहे गांवों की सम्पत्तियों, वन एवं अन्य भूमि की तादाद/क्षेत्रफल के मद्देनजर विस्तृत विश्लेषण किये जाने एवं नये भूमि अवाप्ति नियमों के अन्तर्गत अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन रहने से निविदा प्राप्त नहीं किये जाने सम्बन्धित निर्णय पत्रावली पर लिये जाने की आवश्यकता नहीं रही।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बांसवाड़ा जिले के अनकमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

115. **श्री भीमा भाई** (कुशलगढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में अनकमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़, सज्जनगढ़ एवं गांगड़तलाई क्षेत्रों के काश्तकारों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराये जाने की क्या योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या यह सही है कि सज्जनगढ़ में टिडियादेव तालाब, खूजरा, आमलीपाड़ा, झाकरिया, वडला की रेल में तालाब निर्माण की योजना तैयार की जा रही है? यदि हां, तो किन-किन तालाबों का अब तक सर्वे हो चुका है और क्या सरकार उक्त योजनाओं को स्वीकृत करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जनजाति क्षेत्र के अनकमाण्ड क्षेत्र के काश्तकारों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराये जाने की कार्य योजना के तहत कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ क्षेत्र में माही बजाज सागर बांध से सिंचाई सुविधा काश्तकारों को मुहैया कराया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक हुए सर्वे कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें?

(4) क्या सरकार द्वारा माही का पानी अनकमाण्ड क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए नहरों के विस्तार की कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नही। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़, सज्जनगढ़ एवं गांगड़तलाई क्षेत्रों के काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत 18 माइक्रो स्टोरेज टैंक के कार्यों में से 17 कार्य एवं 2 अन्य लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। कार्यो की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। टिडियादेव तालाब की डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है तथा खजूरा व वडला की रेल कार्यों हेतु डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। आमलिपाडा एवं भाकरिया के सर्वे का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। कार्यों की डी.पी.आर. तैयार कर उपादेय पाये जाने पर संसाधन उपलब्धतानुसार स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

(3) राजस्थान एवं गुजरात के मध्य हुए 1966 के समझौते के अन्तर्गत 40 टी.एम.सी. पानी राज्य को उपलब्ध होने पर हाई लेवल नहर द्वारा इस क्षेत्र को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं। माही बांध के जल उपयोग सम्बन्धित अन्तरराज्यीय समझौते के तहत राज्य के हिस्से के पानी उपयोग हेतु सिंचित क्षेत्र का सृजन किया जा चुका होने से नहरों के विस्तार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा सम्भाग में चम्बल की नहरों के जीर्णोद्धार पर व्यय राशि

116. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा सम्भाग में चम्बल सिंचित क्षेत्रीय विकास परियोजना एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं में नहरों के विकास, रख-रखाव एवं नहरों के जीर्णोद्धार हेतु विगत पांच वितीय वर्षों में सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सम्भाग की उक्त सभी परियोजनाओं में कितनी-कितनी राशि के कार्य किस-किस संवेदक के माध्यम से करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में घटिया गुणवता की शिकायतें प्राप्त होने पर विभिन्न संवेदकों के कार्यों की गुणवता की जांच की गई है? यदि हां, तो अब तक की गई जांच का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल नागर)

(4) क्या निर्माण कार्यों में गुणवत्ता खराब होने पर संवेदकों का भुगतान रोका गया है? यदि हां, तो योजनावार एवं संवेदकवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग की सिंचाई परियोजनाओं में नहरों के विकास, रख-रखाव एवं नहरों के जीर्णोद्धार हेतु विगत पांच वितीय वर्षों में चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना पर 22424.25 लाख एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं पर 1432.08 लाख रु. की राशि व्यय की गई है। विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) सम्भाग की उक्त परियोजनाओं पर कराये गये कार्यो की राशि एवम संवेदकों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना के निर्माण कार्यों में घटिया गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होने पर विभिन्न संवेदकों के कार्यो की गुणवत्ता जांच, मुख्य अभियन्ता गुण नियंत्रण एवं सतर्कता जयपुर द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष अनुसार संवेदकों द्वारा कार्यों के निष्पादन के दौरान कुछ कार्यो पर गुणवत्ता में कमी रखे जाने से कार्यों को संवेदकों की स्वयं की लागत पर दुरूस्त करवाया जावेगा तथा इन कार्यों से सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संवेदकों की जिम्मेवारी निर्धारित की जायेगी।

(4) जी हां। वर्तमान में नहरों में सिंचाई हेतु पानी प्रवाहित किया जा रहा है, नहरों से सिंचाई का कार्य पूर्ण होने पर, संवेदकों द्वारा किये गये कार्यों का विस्तृत परीक्षण एवं आंकलन कर खराब गुणवत्ता से सम्बन्धित कार्यों की राशि एवं संवेदकों का निर्धारण किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निजी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों को देय अनुदान

117. डा. **किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा निजी संस्थाओं को वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम व नि:शक्तजन हेतु विद्यालय व छात्रावास के संचालन पर अनुदान राशि देने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में देय है?

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) दौसा जिले में इस प्रकार की कितनी संस्थाएं संचालित हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से अनुदान दिया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में उक्त संस्थाओं को किस-किस मद में कितना-कितना अनुदान दिया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त संस्थाओं के निरीक्षण हेतु कोई कमेटी गठित की गई है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कमेटी द्वारा किये गये निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा वृद्धाश्रम का संचालन करने पर अनुदान/सहायता राशि देने का प्रावधान है।

विशेष योग्यजन के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को मानसिक विमन्दित पुनर्वास गृह गैर-आवासीय/आवासीय विद्यालय, छात्रावासों का संचालन करने हेतु अनुदान/सहायता राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। अनुदान राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) दौसा जिले में केन्द्र तथा राज्य सरकार की योजनान्तर्गत वृद्धाश्रम संचालित नहीं है।

दौसा जिले में विशेष योग्यजन कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत केन्द्र अथवा राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही स्वयंसेवी संस्थाएं की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) दौसा जिले में विशेष योग्यजन के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था को गत पांच वर्षों में भारत एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं का प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। जिलाधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट में प्राप्त अभिशंसा के आधार पर ही संस्था को अनुदान स्वीकृत किया जाता है। माह अप्रैल, 2015 से प्रत्येक जिले के जिला कलक्टर द्वारा नामित अधिकारी के साथ सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है। गत वर्षों में दौसा जिले में इन संस्थाओं की जिलाधिकारी द्वारा की गयी निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट-द पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली में सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभार्थी

118. श्री दलीचन्द डांगी (मावली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? उक्त योजनाओं की पात्रता क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं से विधान सभा क्षेत्र मावली में वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक किस-किस योजनाओं के तहत कितने-कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए व योजना के अन्तर्गत कितनी राशि दी गई? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं एवं पात्रता का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से विधान सभा क्षेत्र मावली में वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक लाभान्वित व्यक्तियों एवं व्यय की गई राशि का वितरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित विद्यालय

119. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कितने विद्यालय आयुक्त अल्पसंख्यक निदेशालय/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में पंजीकृत हैं, जो अल्पसंख्यकों के लिए संचालित किये जाते हैं? जिलेवार विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आयुक्त अल्पसंख्यक निदेशालय/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में पंजीकृत विद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के क्या प्रावधान हैं? प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) कोटा सम्भाग में ऐसे कितने अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित विद्यालय हैं, जिन पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 के तहत 25 प्रतिशत कोटे में नि:शुल्क प्रवेश देने का नियम लागू नहीं होता है? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(4) उक्त विद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के तथा सामान्य वर्ग के कितने-कितने बालक-बालिकाएं अध्ययनरत हैं तथा उक्त विद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को क्या-क्या अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा 211 शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया है। जिलेवार शैक्षणिक संस्थाओं की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था का दर्जा दिये जाने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों में है। उक्त नियम में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) प्रदेश में परिशिष्ट-अ में वर्णित अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा 211 विद्यालय संचालित हैं जिन पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के धारा 12 के तहत 25 प्रतिशत कोटे में नि:शुल्क प्रवेश देने का नियम प्रभावी नहीं होता है।

(4) सूचना अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी के विद्यार्थियों की बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान

120. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दो वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2013-14 व वर्ष 2014-15 में छात्रवृत्ति के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनों को छात्रवृत्ति वितरित की गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की तरह ही ओबीसी के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति को देने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई है।

(2) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन एवं वितरित छात्रवृत्ति राशि का वर्षवार वर्गवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जाती है। अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भारत सरकार से राशि मांग के अनुसार प्राप्त नहीं होकर नोशनल एलोकेशन के आधार पर आबंटित होती है जो वास्तविक मांग से कम होती है। अत: वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्राथमिकताओं के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में नई राशन की दुकानें खोलने की योजना

121. **श्री कैलाश चौधरी** (बायतू) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर में राशन की दुकानें दूर-दूर होने के कारण आमजन को राशन की सुविधा समय पर नहीं मिल पा रही है?

(2) क्या सरकार बाड़मेर जिले में नई राशन की दुकानें सृजित करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल वृहत् है तथा आबादी ढाणियों में निवास करती है। आबादी छितरायी होने से राशन वितरण में कुछ समस्या आती है, परन्तु उपभोक्ताओं को राशन सामग्री समय पर वितरित करवायी जा रही है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 100 अतिरिक्त नई उचित मूल्य दुकानें सृजित की गयी हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में नवसृजित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में सार्वजनिक विज्ञप्ति दिनांक 03.03.2015 को जारी की जा चुकी है, जिसके तहत राशन डीलर नियुक्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।

प्रदेश में गैस कनेक्शन धारकों को कैरोसिन वितरण की जांच

122. **श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) व **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2014 एवं 2015 में किस-किस जिलें में कितने राशन कार्ड धारकों को कितनी मात्रा में केरोसिन तेल जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में गैस कनेक्शन धारक परिवारों के नाम से भी कैरोसिन तेल जारी हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2014 एवं 2015 में केरोसीन के जिलेवार/माहवार आबंटन एवं तत्समय केरोसीन लेने वाले राशनकार्डधारकों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त केरोसीन तेल का जिलेवार आबंटन बिना घरेलू गैस कनेक्शन राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं के लिए ही किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

एकलिंगजी एजुकेशनल सोसाइटी (उदयपुर) का वार्षिक अंकेक्षण विवरण

123. **श्री किशनाराम** (डूंगरगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर में 'एकलिंगजी एजुकेशनल सोसाइटी' का रजिस्ट्रेशन किया गया था? यदि हां, तो कब? उसके संघ विधान पत्र की प्रति तथा रजिस्ट्रेशन के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र में सोसाइटी के पदाधिकारियों व सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सोसायटी के उद्देश्यों व कार्यों के सम्पादन के लिए आय के स्रोत की सूची भी दी गई थी और उसके बाद सोसाइटी को विभिन्न स्रोतों से आय होती रही है? यदि हां, तो 31 जनवरी, 2016 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सोसाइटी के आय-व्यय का नियमानुसार वार्षिक आडिट कराया जाकर आडिट रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई है? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सोसाइटी के संचालन व कार्यों के सम्पादन के लिए प्रथम रजिस्ट्रेशन के बाद भी पदाधिकारियों व सदस्यों का निर्वाचन किया जाता रहा है? यदि हां, तो कब-कब और वर्तमान में क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर नगर में एकलिंगजी एजुकेशनल सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन क्रमांक-57/उदयपुर/2003-04 पर दिनांक 13 अगस्त, 2003 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958(28) के तहत किया गया था। संस्था के पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं संघ विधान पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र में दिये गये अनुसार सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 के पृष्ठ संख्या 2 से 4 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सोसाइटी के विधान नियमावली के नियम 16 में संस्था का कोष चन्दा, शुल्क, अनुदान, सहायता एवं राजकीय अनुदान से संचित किये जाने के प्रावधान हैं।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं के मामले में संस्थाओं के आय का विवरण प्राप्त करने हेतु अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को शक्तियां प्राप्त नहीं है, किन्तु सोसाइटी द्वारा कतिपय वर्षों की आडिट रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। केवल वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2013-14 की आडिट रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। एकलिंगजी एजुकेशनल सोसाइटी, उदयपुर द्वारा कार्यालय रजिस्ट्रार, संस्थाएं, उदयपुर को दी गई सूचनानुसार पंजीयन उपरांत पदाधिकारियों (प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य एवं पदाधिकारियों) के निर्वाचन दिनांक 20.01.2002, 07.03.2004, 05.05.2006, 25.06.2008, 25.07.2010, 25.10.2012 एवं 17.02.2015 को हुए। निर्वाचित प्रबंधकारिणियों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। वर्तमान में दिनांक 17.02.2015 को निर्वाचित प्रबंधकारिणी कार्यरत है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के सहकारी बैंकों के बकाया ऋण की वसूली की कार्य योजना

124. **श्री रमेश** (सपोटरा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के 18 सहकारी बैंकों को बंद करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त बैंकों के वर्तमान में कितने खाता धारियों से कितनी राशि की वसूली होनी शेष है? बैंकवार संख्या, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सभी बैंकों की ऋण वसूली की दर विगत 5 वर्षों में लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम रही है? यदि हां, तो कितनी एवं क्यों?

(4) सरकार द्वारा ऋण वसूली में नाकाम रहे जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(श्री रमेश)

(5) क्या सरकार सहकारी बैंकों को बंद करने के स्थान पर ऋण वसूली करने के सार्थक प्रयास करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) सरकार की उक्त सहकारी बैंकों के स्थान पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने की योजना है?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, 35 अरबन कोआपरेटिव बैंक है। प्रश्न में प्रदेश के किन 18 सहकारी बैंकों को बंद करने का उल्लेख है, स्पष्ट नहीं है।

(2) प्रश्न का उत्तर बिन्दु प्रथम के उत्तर में निहित है।

(3) प्रश्न का उत्तर बिन्दु प्रथम के उत्तर में निहित है।

(4) प्रश्न का उत्तर बिन्दु प्रथम के उत्तर में निहित है।

(5) प्रश्न का उत्तर बिन्दु प्रथम के उत्तर में निहित है।

(6) प्रश्न का उत्तर बिन्दु प्रथम के उत्तर में निहित है।

प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजनान्तर्गत लाभान्वित किसान

125. **डा. फूल चन्द भिण्डा** (विराटनगर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश के ऋणी कृषकों को प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा अवधिपार ऋण चुकाने पर एकमुश्त समाधान योजना का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गत वर्ष की तर्ज पर इस वर्ष भी उक्त योजना का लाभ ऋणी किसानों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा गत वर्ष कितने ऋणी किसानो को उक्त योजना से लाभान्वित किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, परन्तु प्रदेश के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा समय-समय पर एकमुश्त समाधान योजनाएं लागू की जाती हैं। तत्समय ऋणियों को बैंक द्वारा योजनानुसार लाभ दिया जाता है।

(2) बैंकों से प्रस्ताव आने पर योजना को स्वीकृत करने पर विचार किया जाता है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(3) बैकों द्वारा गत वर्ष 7862 ऋणी किसानों को उक्त योजना के अनुसार लाभान्वित किया गया। संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर के प्राकृतिक प्रपात स्थल दमोह का सौन्दर्यीकरण

126. **श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार धौलपुर जिले की सरमथुरा तहसील के दमोह के नाम से प्राकृतिक प्रपात स्थल को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने हेतु उक्त स्थान का सौन्दर्यीकरण कराये जाने एवं सरमथुरा मुख्य सड़क से प्रपात स्थल दमोह तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

दमोह जल प्रपात संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अत: यहां पर किसी प्रकार की गतिविधि /विकास कार्य वन विभाग के द्वारा ही किये जा सकते हैं।

इस स्थल को विकसित करने हेतु पर्यटन विभाग में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

शेखावाटी पर्यटन सर्किट में फतेहपुर व रामगढ़ को सम्मिलित करने की योजना

127. **श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार शेखावाटी सर्किट को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाने पर विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शेखावाटी पर्यटक सर्किट में फतेहपुर व रामगढ़ को शामिल किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? उक्त स्थलों पर अब तक पर्यटक दृष्टि से कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत पांच वर्षों में फतेहपुर व रामगढ़ शेखावाटी में आये देशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(4) फतेहपुर व रामगढ़ कस्बे में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु क्या-क्या कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पर्यटन विकास के लिए शेखावाटी क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के योजनाबद्ध विकास कार्य के अन्तर्गत रामगढ़ शेखावाटी, सीकर में राशि रु. 324.00 लाख से विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

(2) फ़तेहपुर व रामगढ़, शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटक स्थलों में शामिल है। शेखावाटी क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों द्वारा फतेहपुर एवं रामगढ़ का भी भ्रमण किया जाता है। रामगढ़ शेखावाटी, सीकर में विगत पांच वर्षों में निम्नानुसार कार्य कराये गए/जा रहे हैं :-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (राशि लाख में)	व्यय राशि (राशि लाख में)	विशेष विवरण
1.	रामगढ़ शेखावाटी में ग्रामीण पर्यटन विकास कार्य	2012-13	50.00	49.72	कार्य पूर्ण
2.	रामगढ़ शेखावाटी, सीकर में आधारभूत सुविधाओं के योजनाबद्ध विकास कार्य	2015-16	324.00	105.50	कार्य प्रगति पर

(3) विगत पांच वर्षों में शेखावाटी क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	देशी	विदेशी
2011	133151	43623
2012	128283	42718
2013	86996	41967
2014	323953	57254
2015	96089	34413

(पर्यटन राज्य मंत्री)

(4) फतेहपुर हेतु वर्तमान में पर्यटन विभाग में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

रामगढ़ शेखावाटी कस्बे में वर्तमान में निम्निलिखित पर्यटन विकास कार्य कराये जा रहे हैं :-

1. रामगढ़ शेखावाटी के हैरिटेज क्लस्टर (संकुल) के विभिन्न मार्गों में सीमेन्ट कंक्रीट सड़क कार्य।
2. रामगढ़ शेखावाटी के हैरिटेज क्लस्टर (संकुल) के मार्गों पर हैरिटेज पोल लगाने एवं उन पर लाइट लगाने का कार्य।
3. अन्नतरामजी का जोहड एवं रामचन्द्र जी के जोहड का सरंक्षण, जीर्णोद्वार एवं कोबल स्टोन फ्लोरिंग का कार्य।
4. हैरिटेज क्लस्टर (संकुल) में सिटिंग बेन्चेज, कचरा-पात्र एवं साईनेजेज लगाने का कार्य।
5. शीतला माता मंदिर पर कोबल स्टोन फ्लोरिंग का कार्य।
6. जन-सुविधाओं का निर्माण कार्य।

बांदीकुई के सरकारी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव

128. **श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कई सरकारी विद्यालयों (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च मा. विद्यालय) में पेयजल व विद्युत की सुविधा नहीं है तथा कक्षा कक्षों की भी कमी है व शौचालय की सुविधा नहीं है? यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में उक्त सुविधाओं के लिये बजट में राशि का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय सुविधा

(शिक्षा राज्य मंत्री)

उपलब्ध है। 4 प्राथमिक विद्यालयों में स्थाई पेयजल सुविधा की कमी है परन्तु इन विद्यालयों में अस्थाई पेयजल सुविधा उपलब्ध है। विद्युत, स्थाई पेयजल व्यवस्था एवं अतिरिक्त कक्षाकक्षों की सुविधा की कमी वाले विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय सुविधा उपलब्ध हैं, उक्त विधान सभा क्षेत्र के 9 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तथा 21 विद्यालयों में कक्षा कक्षों की कमी हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र के इन विद्यालयों में उक्त कमियों को सर्व शिक्षा अभियान की आगामी वर्षों की कार्य योजना में तथा भारत सरकार से अनुमोदित होने वाले लक्ष्यों की सीमा में दूर करने का प्रयास लक्षित है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षों की कमी हेतु राशि की स्वीकृति के लिए MHRD भारत सरकार में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं, जिसके अनुसार उक्त 21 विद्यालयों में कक्षा कक्षों की कमी है, जिनमें से 10 की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रगति पर है। 1 विद्यालय हेतु MHRD भारत सरकार से स्वीकृति हेतु वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित है एवं शेष 10 विद्यालयों में कक्षों हेतु आगामी पी.ए.बी. में वर्ष 2017-18 में प्रस्ताव स्वीकृति उपरान्त कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्कालय में रखा गया)

बून्दी में प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति निरस्तीकरण करने की कार्यवाही

129. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बून्दी के कितने अध्यापक (प्रारम्भिक शिक्षा) कहां-कहां पर प्रतिनियुक्ति पर हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रतिनियुक्तियों को निरस्त कर कार्मिकों को अपने मूल पदस्थापन स्थान पर भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री अशोक डोगरा)

(3) क्या सरकार भवन विहीन विद्यालयों हेतु भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बूंदी में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत अध्यापकों की सूची परिशिष्ट "क" तथा "ख" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रतिनियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों के नियम 144-ए तहत शिक्षा विभाग से सम्बन्धित परियोजनाओं एवं शिक्षा से जुड़े कार्यो हेतु निर्धारित समयावधि के लिए की जाती है तथा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित कार्मिकों को मूल स्थान पर कार्यमुक्त कर भेजने के प्रावधान हैं। जिसकी पालना हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 2.2.2016 की प्रति परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक भवन रहित विद्यालयों हेतु उपयुक्त भूमि आबंटित/उपलब्ध होने पर सर्व शिक्षा अभियान की आगामी वर्षों की कार्य योजना में तथा भारत सरकार से अनुमोदित होने पर लक्ष्यों की सीमा में भवन निर्माण कराया जाना लक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रधानाध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति

130. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रधानाध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा-2012 में कितने पदों हेतु भर्ती निकाली गई थी? वर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परीक्षा का परिणाम कब जारी किया गया, कितने प्रार्थी सफल रहे एवं कितने असफल रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सफल प्रार्थियों में से कितनों को नियुक्ति दी जा चुकी है व कितनों को नियुक्ति दिया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) शेष सफल अभ्यार्थियों को अब कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा-2012 में कुल 2093 पदों हेतु भर्ती निकाली गई थी। वर्गवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) प्रधानाध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा-2012 का मूल परिणाम दिनांक 18.11.2012 को 2072 पदों हेतु जारी किया गया। सफल 2072 एवं 21 पदों का परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रोका गया एवं अचयनित की संख्या 67941 है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रोके गये 21 पदों में से 20 पदों का परिणाम दिनांक 19.02.2014 को जारी किया गया। शेष 1 पद माननीय न्यायालय के आदेशानुसार रिक्त रखा गया। अपात्र अभ्यथियों के विरुद्ध संशोधित परिणाम दिनांक 12.6.2014 को जारी किया गया, जिसमें 154 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया।

(3) प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा-2012 में कुल विज्ञापित पद 2093 हैं। विज्ञापित पदों के विरुद्ध आयोग द्वारा 2092 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 6588/2012 हनुमान राम चौधारी व अन्य बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय के ओदशानुसार एक पद रिक्त रखा गया है। चयनित अभ्यर्थियों में से आयोग द्वारा स्पष्ट पात्र 2089 अभ्यर्थियों अभिस्तावना विभाग को भेजी गई। 3 अभ्यथियों की पात्रता जांच आयोग स्तर पर लम्बित है। अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से 20 आवेदन पत्र अनुभव प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अभाव में निदेशालय द्वारा पुनः आयोग को लौटा दिये गये हैं। इस प्रकार 23 अभ्यर्थियों के प्रकरण लम्बित हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 2069 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

शेष 24 आवेदन पत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग से आक्षेप पूर्ति उपरान्त प्राप्त होने पर विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पुनः संशोधित रीशफल परिणाम निकाला जाना प्रक्रियाधीन है। परिणाम घोषित होने पर सफल अभ्यर्थियों में से आक्षेप पूर्ति उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त हाने पर विभाग द्वारा शेष को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर के सेठ किशनलाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की पम्प हाउस के लिए ली गयी जमीन

131. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय नागौर में स्थित सेठ किशनलाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर की 15 हजार गज से भी अधिक जमीन नहरी पानी सप्लाई हेतु पम्प हाउस निर्माण के लिए दे दी गयी है? यदि हां, तो उक्त विद्यालय की जमीन किस नियम के आधार पर पम्प हाउस निर्माण हेतु दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निर्माण हेतु ली गई जमीन की एवज में स्कूल को कोई राशि दी गयी है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला मुख्यालय नागौर में स्थित सभी राजकीय उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों को आबंटित भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय नागौर में स्थित सेठ किशनलाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल परिसर की 45 मीटर गुणा 100 मीटर कुल 4500 वर्ग मीटर जमीन नहरी पानी सप्लाई हेतु पम्प हाउस निर्माण के लिये दी गयी है। उक्त जमीन तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय के मौखिक निर्देशानुसार नागौर शहर को पानी सुविधा मुहैया करवाने हेतु दी गयी।

(2) जी नहीं। उक्त विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा अपने पत्रांक-9999 दिनांक 04.07.2011 द्वारा रूडिप नागौर को जमीन के विरुद्ध प्रचलित सरकारी निर्धारित दर से राशि विद्यालय कोष में जमा करवाने हेतु अथवा नियमानुसार मासिक किराया निर्धारित कर विद्यालय कोष में जमा करवाने हेतु लिखा गया था, लेकिन रूडिप द्वारा अभी तक इस संदर्भ में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है और ना ही किसी भी तरह की राशि जमा करवाई गयी है।

(3) जिला मुख्यालय नागौर पर स्थित माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय में भूमि आबंटन सम्बन्धी सूचना निम्नानुसार संलग्न है:-

1. सेठ किशनलाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नागौर का भवन एवं भूमि दानदाता सेठ किशनलाल कांकरिया परिवार द्वारा

(शिक्षा राज्य मंत्री)

विद्यालय को दी गई है एवं कुछ भूमि राज्य सरकार द्वारा न्यायालय निर्णय पर क्रय की गई। वर्तमान में विद्यालय अधीन 45855.82 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है।

2. श्रीमती र.ब.रा.चौ. राबाउमावि, नागौर-भामाशाह श्री शिखरचन्द व श्री चन्द द्वारा भवन निर्माण कर विद्यालय को दान की गई तथा स्वायत शासन विभाग द्वारा 7000 वर्ग गज भूमि निर्धारित दर पर खेल मैदान हेतु दी गयी।

3. राबाउमावि गिनाणी-विद्यालय लम्बे समय से इसी भवन में संचालित है। विद्यालय दस्तावेजों के रूप में 14922.36 वर्ग फीट एरिया है। नक्शा प्रति उपलब्ध है, जो संलग्न है।

4. रामावि राठौडी कुआं-भूमि भवन दाता श्री रामबक्ष कच्छावा द्वारा 5456 वर्ग फिट विद्यालय को दान दी गयी।

5. रामावि बख्तासागर का भवन स्टेट के समय का विद्यालय हेतु निर्मित है। वर्तमान में स्कूल भवन भूमि 12822 वर्ग गज उपलब्ध है, जिसमें से 1000 वर्ग गज भूमि जलदाय विभाग की पानी की टंकी हेतु तत्कालीन जिला कलक्टर के मौखिक निर्देशानुसार जलदाय विभाग को दी गयी है, विद्यालय के पास ही माही दरवाजा के पास स्कूल वाचनालय की भूमि 25056 वर्ग गज है। जिसमें कुछ अवैध कब्जे व नगर परिषद द्वारा कुछ पट्टे भी जारी कर दिये गये है। इस सम्बन्ध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत में आबंटित खानें

132. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में वर्तमान में कितनी खानें किन-किन को आबंटित है? स्थान व आबंटित क्षेत्रफल का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी पहाड़ियां व खनन कार्य के लिए प्रतिबन्धित क्षेत्र कौन-कौन सा है तथा कितनी खानें कहां-कहां अवैध संचालित हो रही हैं तथा कितनी खानें नियम विरुद्ध संचालित होने के कारण बन्द करवाई गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में 113 खानें (खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस) आबंटित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सोजत में प्रभावशील खनन पट्टे/क्वारी लाइसेंस के अलावा क्षेत्र खनन कार्य करने के लिए प्रतिबन्धित है। विधान सभा क्षेत्र सोजत में इस वित्तीय वर्ष में अवैध (नियम विरुद्ध) संचालित खनन को बन्द कराने हेतु विगत दो वर्षों में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना में पेड़ों की अवैध कटाई पर कार्यवाही

133. **श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पेड़ों की अवैध कटाई की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों को सजा देने का सख्त कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पेड़ पौधों की अवैध कटाई के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें एवं की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ए" अनुसार है।

इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना में गत 5 वर्षों में राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अन्तर्गत अवैध कटाई के 61 प्रकरण दर्ज कर राशि रु. 119900/- का मुआवजा वसूला गया है।

(2) वन अपराधों, जिनमें पेड़ों का अवैध कटान भी सम्मिलित है, की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य में राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम 2012 दिनांक 10.04.2013 से प्रभावी हो गया है। इसके अन्तर्गत वन अपराध को कारित करने में प्रयुक्त मशीनरी, औजार या किसी अन्य वस्तु जिसका वन अपराध घटित करने में उपयोग हुआ है, के अधिहरण (Confiscation) करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं

किशनगंज शाहबाद में खैरवा जाति के लोगों को सुविधाएं प्रदान करना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तथा यहां सहरिया, खैरवा आदि अनुसूचित जन जाति का बाहुल्य है। खैरवां जनजाति के परिवार किशनगंज एवं शाहबाद में निवास करते हैं। यह जाति पूर्व में कत्था बनाने का कार्य करती थी। तथा वर्तमान में मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करती है। तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी यह जाति बहुत पिछडी हुई है। भाजपा सरकार के द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में किशनगंज-शाहबाद के खैरवा समाज को भूमि आबंटन किया था। इसी जाति के बहुत से परिवार उदयपुर जिले की कोटड़ा तह. में भी निवास करते हैं। तथा इनको वहां पर कथौड़ी जाति के नाम से जाना जाता है। व यहां यह जाति ओ.बी.सी. में आती है। किशनगंज-शाहबाद की खैरवां जाति व उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में निवास करने वाली कथौड़ी अनुसूचित जनजाति दोनों एक ही जाति के लोग हैं। लेकिन उदयपुर जिले में कथौड़ी जाति को सहरिया अनुसूचित जनजाति के समान सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तथा बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद में निवास करने वाली यही जाति जो कि खैरवां जाति के नाम से जानी जाती है। वह इन सभी सुविधाओं से वंचित है। किशनगंज-शाहबाद में निवास करने वाली सहरिया अनुसूचित जन जाति के परिवारों के समान ही कथौड़ी को भी उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। वर्तमान में उदयपुर जिले की कोटडा तहसील में रहने वाली कथौड़ी जाति को सरकार द्वारा प्रति माह 30 किलो गेहूं, 2 किलो दाल, 2 लीटर तेल, 1 लीटर देशी घी नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

श्रीमान सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री महोदय व माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब कोटड़ा तहसील की कथौड़ी जाति व किशनगंज-शाहबाद में निवास करने वाली खैरवां जाति दोनों एक ही है। तो फिर खैरवां जाति को कथौड़ी जाति के समान सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएं।

अतः किशनगंज-शाहबाद के खैरवां जाति के परिवारों को भी कोटड़ा तहसील के कथौड़ी परिवारों के समान प्रति माह 30 किलो गेहूं, 2 किलो दाल, तेल, 1 लीटर देशी घी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जावे। तथा माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा बजट सत्र 2015-16 में सहरिया जनजाति के 22 हजार 500 परिवारों व कथौड़ी जनजाति के लिए जिन सुविधाओं को उपलब्ध करवाया गया है। उन सभी सुविधाओं का लाभ खैरवां जाति के परिवारों को भी उपलब्ध करवाया जावे।

ललित कुमार

(किशनगंज)

मनोहरथाना में नवीन उप कारागृह भवन का निर्माण

अध्यक्ष महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में नगरपालिका क्षेत्र अकलेरा में स्थित उपकारागृह जो की जर्जर हो चुका है उपकारागृह में 60 बन्दी की क्षमता है परन्तु उसमें लगभग 80 बन्दी रहते हैं। उपकारागृह भवन की जर्जर हालात की वजह से बारिश के समय उक्त कारागृह में पानी भरा जाता है, ऐसी स्थिति में बन्दियों को 2 से 3 माह के लिये जिला कारागृह झालावाड़ में रखा जाता है। सरकार द्वारा वर्ष 2001 में उक्त भवन के लिए ग्राम गुजरी में रकबा 113 में 10 बीघा 17 बिस्वा जमीन आबंटित की गई थी,

अतः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उक्त आबंटित भूमि पर नये उपकारागृह भवन का निर्माण कराया जाए।

कंवर लाल

(मनोहरथाना)

जाखम बांध से पेयजल सप्लाई

महोदय,

विधानसभा बड़ी सादड़ी के अन्तर्गत जिला प्रतापगढ़ की 18 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो जाखम बांध के केचमेन्ट क्षेत्र में आती हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने से इस क्षेत्र में वर्षा के मौसम के अलावा पीने के पानी की काफी समस्या रहती है। इन ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा क्षेत्र के भ्रमण के समय मुझे हमेशा उनकी मुख्य मांग पीने के पानी के पानी कि समस्या ही बताई गई है। जाखम बांध का पानी पेयजल हेतु प्रतापगढ़ शहर में भी जा रहा है। जाखम

बांध से जिला प्रतापगढ़ के 554 गांवों को पेयजल से जोड़ने के लिए एक वृहद पेयजल योजना की डी.पी.आर. भी तैयार है। यदि राज्य सरकार इसी सत्र से इस पेयजल योजना का कार्य प्रारम्भ कर दे तो जिला-प्रतापगढ़ के जनजाति क्षेत्र के 554 गांवों के लिए यह पेयजल योजना एक वरदान साबित होगी और इस जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की लम्बे समय से चली आ रही मूल समस्या पेयजल की कमी का समाधान हो जाएगा।

अत: मान्यवर मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्रीजी से निवेदन करता हूं जनजाति क्षेत्र के 554 गांवों हेतु वृहद पेयजल योजना के लिए जो डी.पी.आर. तैयार है उसको देखते हुए इस महत्वपूर्ण पेयजल योजना को इसी सत्र से प्रारम्भ करवाने की कृपा करावें।

गोतम कुमार
(बड़ी सादड़ी)

जालौर जिले में नर्मदा नहर का निर्माण

अध्यक्ष महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन है कि जालौर जिले के तहसील सांचौर व चितलवाना व बाड़मेर जिले के चौहटन व गुढामालानी में नर्मदा नहर का पानी मिले। 6 वर्ष से रबी की फसल पिलाई जा रही है। कमाण्ड क्षेत्रों में 150 किलोमीटर नहर अभी कच्ची पड़ी है। रतौड़ा, बालोरा, भीमगुढा वितरिका के टेल तक पानी नहीं पहुंचने के कारण विद्युत विभाग द्वारा तार व ट्रांसफार्मर लगाये गये थे वो लोग चोरी करके ले गये। कहीं नहरों में अभी तक काम बाकी पड़ा है। नहरें कच्ची होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। नहरें कच्ची होने के कारण व सीपेज होने के कारण नहर के आसपास के खेत खराब हो रहे हैं। भीमगुढा वितरिका पर सेसावा गांव के आसपास के 2 किलोमीटर तक के खेत सीपेज के कारण खराब हो रहे हैं। इस वर्ष बजट में काम पूर्ण हो जायेगा। अभी तक 30 प्रतिशत सिविल व विद्युत विभाग का काम आधा बाकी है। कहीं डिग्गियों पर विद्युत कनेक्शन नहीं है।

पिछले 5-6 साल से उपरोक्त विषय के बारे में अधिकारी को अवगत करवाया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई वितरिका व उप वितरिका के टेल पर या बीच (मध्यम) में कही पर भी अतिरिक्त पानी के लिए साइफन नहीं बनाया है। ऐसे में वितरिका के बार-बार टूटने व फसल खराब होने की रोज अखबारबाजी होती है।

राज्य सरकार बेवजह परियोजना को लम्बा खींच रही है। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा करें कि यह कार्य कब तक पूर्ण होगा।

सुखराम विश्नोई

(सांचौर)

गंगापुर सिटी व आस-पास के जिलों में ट्रैक्टर ट्रोली की समस्या

अध्यक्ष महोदय,

नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी व आस-पास के जिलों में किसानों द्वारा अपने ट्रैक्टर ट्रोलियों द्वारा बजरी लाने ले जाने पर मा. राज. उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक से किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। यह सही है कि किसान बजरी का कार्य स्वयं के साथ ही आजीविका चलाने के लिये खरीद फरोक्त भी करता है। जिसे माननीय न्यायालय ने गैर कानूनी करार दिया है।

महोदय यह समस्या 2012 में कांग्रेस राज के समय से चल रही है। तत्कालीन सरकार ने खेती किसानी कार्यो को छोड़कर ट्रैक्टर ट्रोली द्वारा अन्य कार्य करने पर 9+1 =10 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान कर दिया, जबकि आज वही कांग्रेसी घड़ियाली आंसू बहाकर किसानों को बरगला रहे हैं। इतनी ही नहीं किसान की ट्रैक्टर ट्रोली को बंद कर बजरी खनन माफिया को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जो कतई बरदाश्त नहीं होगा। महोदय, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा व टोंक आदि जिलों में यह समस्या विशेष है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में जो ट्रैक्टर ट्रोली थानों में बन्द है। उस सम्बन्ध में राज्य परिवहन विभाग नियमों का सरलीकरण कर मा. उच्च न्यायालय में पेश करे, जिससे बन्द ट्रैक्टर ट्रोली छूट सके। साथ ही मेरा मा. मुख्यमंत्रीजी से भी अनुरोध है कि वे किसान हितैषी हैं, अत: किसानों के हित में 10 प्रतिशत टैक्स को कम किया जावे। यह बहुत अधिक है। जिससे किसानों को लाभ मिल सके।

मान सिंह

(गंगापुर)

गंगानगर के राजकीय चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाएं

अध्यक्ष महोदय,

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख कर निवेदन है कि श्रीगंगानगर का जिला अस्पताल अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ रहा है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का आमजन को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिला

अस्पताल में जननी सुरक्षा योजना मरणासन्न स्थिति में है। यहां जेएसवाई काउण्टर नहीं लगाया गया न ही काउंसलर को बैठाने की व्यवस्था की गई है। जिससे गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीपीएल मरीजों हेतु अलग से काउण्टर नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बीपीएल मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और लाभों से अवगत करवाता कोई साइन बोर्ड नहीं लगवाया गया, जिला अस्पताल परिसर में जनसहयोग से बनाये गये नये वार्ड भी प्रारम्भ नहीं किये जा रहे। जिससे एक तरफ तो जगह कम का हवाला देकर वार्डों के साथ चिपती गैलेरी में बैड लगाकर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है जबकि नवनिर्मित वार्ड खाली पड़े धूल फांक रहे हैं।

जच्चा बच्चा वार्ड की स्थिति तो और भी दयनीय है। यहां दानदाताओं द्वारा लगवाये गये ए.सी. और वाटर कूलर बंद पड़े हैं। अस्पताल प्रशासन द्वारा लोड अधिक होने का हवाला देकर इन्हें चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे न केवल नवप्रसुताओं और नवजात शिशुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वरन् दानदाता भी हतोत्साहित हो रहें हैं। यही नहीं इस वार्ड में स्थापित निओनेटल मशीन की सारसम्भाल का कोई धनी धोरी नहीं है। इसकी अपने स्थापित वर्ष से एक बार भी सर्विसिंग नहीं की गई। इससे एक बार तो दुर्घटना भी हो चुकी है जिससे कई नवजात की जान संकट में आ गई थी।

निःशुल्क दवा योजना भी अव्यवस्था की भेंट चढ़ रही है। फार्मासिस्ट स्टाक में उपलब्ध दवाइयों और सप्लाई की जा रही दवाइयों का रिकार्ड नहीं बता पाता है। कमोबेश यही हालत निःशुल्क जांच योजना की है। इसके अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सीय जांच हेतु डायग्नोस्टिक विभाग में सैम्पल लेने का समय भी पीएमओ के तुगलकी फरमान के अनुसार चलता है, जबकि उसका समय निर्धारित होना चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ फ्री होने के बावजूद समय का हवाला देकर सैम्पल लेने से मना कर देता है। जिससे दूरदराज से जिला अस्पताल आने वाले मरीजों को निजी सेन्टरों से जांच करवाने हेतु मजबूर होना पड़ता है फलस्वरूप उन्हें न केवल अनावश्यक आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, वरन् राज्य सरकार की निःशुल्क जांच योजना का लाभ भी नहीं मिल पाता।

जिला अस्पताल मुख्य परिसर से चिपता आयुर्वेद और होम्योपैथी विभाग तो अस्पताल प्रशासन की अनदेखी के चलते दम तोड़ता दिखाई देता

है। यहां पृथक से बना पर्ची काउण्टर भी अस्पताल प्रशासन द्वारा हटा दिया गया। जिससे आयुर्वेद और होम्योपैथी के मरीजों को मुख्य परिसर में बने पर्ची काउण्टर से पर्ची बनवाकर लानी पड़ती है जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कमोबेश यही हालत अस्पताल के डायग्नोस्टिक विभाग की है। लाखों रुपये की लागत की एण्डोस्कोपिक, टीएमटी, सीटी स्कैन मशीनें संचालन के अभाव में धूल फांक रही हैं।

अस्पताल प्रशासन की हठधर्मिता का आलम यह है कि यहां आरएमआरएस की मीटिंग लगभग एक वर्ष से नहीं हुई है, स्पष्ट है अस्पताल प्रशासन जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने हेतु गम्भीर नहीं है। शहर की अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं और दानादाता अस्पताल में व्यवस्था और संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु तैयार है परन्तु अस्पताल प्रशासन की अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जिला राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर में व्यवस्था सुधारनें हेतु मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

कामिनी जिन्दल
(गंगानगर)

किशनगढ़ से परबतसर तक नवीन रेलमार्ग हेतु बजट प्रावधान

माननीय,

मैं, सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि किशनगढ़ (अजमेर) से परबतसर (नागौर) तक के 45 किमी. के प्रस्तावित नवीन रेल मार्ग की ''रेल बजट घोषणा 2016-17'' के लिये सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद, उक्त रेल बजट घोषणा स्वीकृति से किशनगढ़ (अजमेर) रेलवे स्टेशन एक बड़े जंक्शन के रूप में विकसित होगा एवं इस सम्पूर्ण परिक्षेत्र के लगभग पचास लाख वाशिंदों को मकराना, नागौर, जोधपुर, बीकानेर आदि स्थानों के लिये सीधा सम्पर्क रेल मार्ग उपलब्ध हो जायेगा और स्थानीय क्षेत्रवासियों को उक्त स्थानों पर जाने के लिये फुलेरा या अजमेर भी नहीं जाना पड़ेगा वहीं, दूसरी ओर इस रेल मार्ग के निर्माण से विश्व विख्यात एवं देश की दो प्रसिद्ध औद्योगिक मार्बल मण्डियां किशनगढ़ एवं मकराना भी आपस में जुड जायेंगी और इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित मार्बल, ग्रेनाइट, पावरलूम, साइजिंग, मार्बल पाउडर की औद्योगिक इकाइयों एवं टैक्सटाइल्स पार्कों में कार्यरत हजारों

की संख्या में मजदूरों एवं श्रमिकों के साथ-साथ उद्यमियों, व्यापारियों एवं बाहर से आने-जाने वाले अन्य राज्यों के व्यापारियों को भी एक आवागमन का सुलभ एवं सस्ता मार्ग उपलब्ध हो जायेगा। और प्रत्यक्ष रूप से उक्त दोनों मार्बल मण्डियों के व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। और नवीन रेल मार्ग से औद्योगिक नगरी किशनगढ़ से सम्पूर्ण पश्चिमी राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र यथा मकराना, मेडता, नागौर, जोधपुर, बीकानेर आदि भी सीधा रेल परिवहन सेवा से जुड जायेंगे।

मान्यवर, इस संदर्भ में आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप कड़ी से कड़ी को मिलाते हुये केन्द्र सरकार की उक्त रेल बजट घोषणा 2016 जो कि राज्य सरकार की संयुक्त सहभागिता अन्तर्गत उक्त नवीन रेल मार्ग हेतु आवश्यक 900 करोड़ रुपये की बजट राशि में से आवश्यक प्रावधान राज्य बजट वर्ष 2016-17 की रेल परिवहन योजनान्तर्गत स्वीकृत कर राज्य सरकार की सहमति केन्द्रीय स्तर एवं रेल मंत्रालय को भिजवाने की सक्षम विभागीय कार्यवाही आने वाले दिनों में कराये ताकि शीघ्र ही उक्त नवीन प्रस्तावित रेल मार्ग किशनगढ़ (अजमेर) से परबतसर (नागौर) तक के 45 किमी. की ''रेल बजट घोषणा 2016-17'' की सक्षम स्वीकृति रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाकर उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जा सके।

भागीरथ चौधरी

(किशनगढ़)

रानीवाड़ा में नवीन नलकूप

अध्यक्ष महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की पंचायत समिति रानीवाड़ा व सांचौर में कुल 21 नलकूप/ओपनवैल सूख जाने के कारण क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा गया है एवं ग्रामीणों को पेयजल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के इन स्थानों पर वर्तमान में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए सूख गये स्थानों पर नये नलकूप/औपनवैल स्वीकृत कर खुदवाये जाने से पीने के पानी की समस्या से निजात मिलेगी।

इन सूख गये स्थानों पर नये नलकूप/औपनवैल स्वीकृत किये जाने हेतु मेरे द्वारा पिछले एक वर्ष से मांग की जा रही है, मगर नलकूप/औपनवैल

स्वीकृत नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है।

विभाग द्वारा माह मार्च 2015 से इन स्थानों पर नये नलकूप/ औपनवैल स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव बनाकर भिजवाये गये हैं, मगर स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र की जनता को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया आम जन के लिये जनकल्याणकारी कार्य कर रही हैं, मगर मेरे क्षेत्र की जनता पानी की समस्या से जूझ रही है। जिसके लिये सूख गये ट्यूबवैलों के स्थान पर नये ट्यूबवैल स्वीकृत किए जावें ताकि पानी की समस्या से निजात मिले।

नारायण सिंह देवल

(रानीवाड़ा)

कोटा शहर में पेयजल उपलब्धि

माननीय अध्यक्ष महोदय,

कोटा शहर में पेयजल से वंचित लोगों के आबादी क्षेत्र में पानी पहुंचाने हेतु नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा मिनी अकेलगढ़ बनाकर कोटा बैराज से 130 एमएलडी पेयजल योजना का निर्माण करवाया गया था। इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नगरीय विकास विभाग जयपुर द्वारा दिनांक 01.02.2011 को 181 करोड़ 78 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। कार्य के पूर्ण किये जाने की अवधि 18 माह थी जिसमें संवेदक द्वारा दिनांक 19.03.2015 को कार्य पूर्ण कर दिया गया और 8 उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। जिसमें शम्भूपुरा में 3 लाख लीटर की क्षमता, नयाखेड़ा वार्ड 2 में 3 लाख लीटर की क्षमता, बालीता कैनाल रोड पर 5 लाख लीटर की क्षमता, सिविल लाइन्स में 9 लाख लीटर की क्षमता, जेएलएन स्कूल स्टेशन पर 15 लाख लीटर की क्षमता, चन्द्रेसल में 9 लाख लीटर की क्षमता, नया नोहरा में 15 लाख लीटर की क्षमता और रायपुरा में 15 लाख लीटर की क्षमता के उच्च जलाशय बनाये गये और लगभग 64 हजार 450 किलोमीटर मुख्य पाइप लाइन बिछाई गई। कोटा शहर के अधिकांश आबादी क्षेत्र एवं नगर निगम सीमा में आये 21 गांवों की 3 लाख 49 हजार 166 की जनसंख्या को लाभान्वित करने का प्रावधान रखा गया। बड़ी विडम्बना है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने आनन फानन में अधूरी होते हुए भी इस परियोजना का उद्‌घाटन

कर दिया और उसके बाद पाइप लाइन बिछाने व उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है लेकिन अधिकांश आबादी क्षेत्र अभी भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। पाइप लाइन कालोनियों व नगर निगम की सीमा में आये गांवों में हर गली में पहुंच गई है लेकिन नगर विकास न्यास कोटा और जलदाय विभाग के आपसी सामंजस्य के अभाव में अभी तक घरों में कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। सभी जगह उच्च जलाशयों का जनप्रतिनिधियों द्वारा उद्‌घाटन भी हो गया, नगर विकास न्यास ने इस पूरी योजना को जलदाय विभाग को सुपुर्द भी कर दिया, लेकिन अभी भी जलदाय विभाग हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा है। चम्बल का पानी घरों तक पहुंचे इसके लिए लोग धरना, प्रदर्शन व चक्का जाम कर रहे हैं लेकिन जलदाय विभाग अभी भी सोया हुआ है। मेरा सरकार से आग्रह है कि जब योजना पूर्ण हो गई तो अतिशीघ्र लाखों लोगों के घरों तक चम्बल का पानी पहुंचाया जाये।

भवानी सिंह राजावत

(लाडपुरा)

नर्सिंग सीधी भर्ती 2013 की द्वितीय सूची जारी करने हेतु

अध्यक्ष महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि हाल ही में हुई नर्स ग्रेड द्वितीय एवं एएनएम की नियुक्ति में पदों की संख्या 15773 नर्स ग्रेड द्वितीय 12278 एएनएम थी। जिनमें से नर्स ग्रेड द्वितीय के 11028 व एएनएम के 5335 पदों पर ही वित्तीय स्वीकृति होने के कारण नियुक्ति हो पाई है। जिससे प्रदेश में लगभग 9 से 15 वर्षों से अल्प वेतन पर दुर्लभ एवं जटिल परिस्थितियों में संविदा रह गये हैं, जिनमें से अधिकांश निर्धारित आयु सीमा को पार करने के आधार पर है। जिससे कि इन संविदा नर्सेज एवं अन्य अभ्यर्थियों के भविष्य पर सवालिया निशान लग रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जनजाति क्षेत्र से आता हूं और मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि जनजाति क्षेत्र में युवा कितनी कठिन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण कर पाता है बहुत ही मुश्किल के बाद वह ट्रेनिंग कर पाता है और ऐसी परिस्थितियों में जब मौका आता है तो उसको सरकारी सेवा का लाभ नहीं मिल पाता है तो वो स्वयं तो अपने आपको नाकाबिल समझता ही है परन्तु जो जनजाति परिवार बरसों से आस लगाकर बैठा है कि मेरी सन्तान पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करेगी तो उनकी आस टूट जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं कि वर्तमान में हुई नर्स ग्रेड द्वितीय एवं एएनएम कि नियुक्ति से वंचित रहे सविदा नर्स ग्रेड द्वितीय एवं एएनएम के अनुपात में क्रमशः 6000 एवं 4000 पदों पर वितीय स्वीकृति प्रदान करवाते हुए नर्सिंग सीधी भर्ती 2013 की द्वितीय सूची जारी करवाकर चयन से वंचित संविदा नर्सेज की नियमित नियुक्ति दिलवाने की कार्यवाही करावें।

धन्यवाद।

सुशील कटारा

(चौरासी)

जोधपुर के मथुरादास अस्पताल के बाहर अवैध एम्बुलेंस वाहन चालकों द्वारा मरीजों व परिजनों का शोषण

अध्यक्ष महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में ट्रोमा सेन्टर के बाहर रात होते ही निजी जुगाड़ रोगी वाहनों का जमघट देखा जा सकता है। ये रोगी वाहन मरीजों की सेवा के लिए नहीं, बल्कि लाभ कमाने के लिए खड़े होते हैं। इनके संचालक ट्रोमा सेन्टर में आने वाले गम्भीर घायलों के परिजनों को गुमराह कर अहमदाबाद सहित अन्य बाहर के निजी अस्पतालों में रैफर करवाकर खुद किराए की मोटी रकम वसूलते हैं। ये लोग मरीज या घायल को वहां से रैफर करने से लेकर अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाने तक ही जिम्मेदारी उठाते हैं। ये जुगाड़ रोगी वाहन चालक यहां आने वाले या भर्ती घायलों-मरीजों के परिजनों को यहां इलाज सही नहीं होने का डर बताते है। उन्हें रोज हो रही मौतों के बारे में बताते हैं। यहां से कहीं दूसरी जगह ले जाकर इलाज करवाने की सलाह देते हैं। मुसीबत में फंसे परिजन इनकी बातों में आ जाते हैं और घायल को दूसरे अस्पताल में ले जाने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये रोगी वाहन ले जाने का किराया, आक्सीजन, दवाइयां एवं साथ चलने के लिए प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ तक की व्यवस्था के लगभग 8 से 10 हजार रुपये तक की राशि लेते हैं। परिजनों की स्वेच्छा से जयपुर, अहमदाबाद सहित अन्य अस्पतालों में रैफर होने वाले मरीजों पर भी इनकी नजर रहती है। ये पूर्णतया सुरक्षा एवं सुविधाओं की गारंटी लेते हुए उन्हें अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। इन जुगाड़ रोगी वाहनों में अधिकांश वाहन टवेरा, इनोवा व क्वालिस जैसे हैं, जबकि परिवहन विभाग के नियमानुसार कम्पनी से बनी बनाई एम्बुलेंस होती है उसी को एम्बुलेंस का परमिट जारी किया जाता है। इस तरह के वाहनों को एम्बुलेंस का परमिट नहीं दिया जाता हैं।

अब सवाल यह है कि जब ऐसे वाहनों को एम्बुलेंस का परमिट नहीं दिया जा सकता है तो ये कौन हैं? ये एम्बुलेंस कार्य सरे आम कैसे कर रही है? क्या परिवहन विभाग की मिलीभगत है? देखा जाए तो अधिकांश ये रोगी वाहन फर्जी है। इनके पास टैक्सी परमिट है, बावजूद भी ऊपर एम्बुलेंस लिख रखा है और अन्दर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं कर रखी हैं। परिवहन विभाग यदि इनकी जांच करे तो अधिकांश ये रोगी वाहन फर्जी निकलेंगें।

अत: सदन के माध्यम से राज्य के चिकित्सा मंत्री से मेरा आग्रह है कि जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के बाहर ऐसे जुगाड़ वाली एम्बुलेंसों पर नजर रखकर उन्हें सीज किये जाने के साथ दण्डित किया जावे। ताकि मुसीबत में फंसे परिजन इनकी बातों में न आकर इसी अस्पताल में अपना सुगम इलाज करवा सके।

कैलाश भंसाली

(जोधपुर)

धोद में नान पेचेबल सड़कों को ठीक करवाने बाबत्

महोदय,

माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पिछले 20 वर्षों से धोद अपेक्षित रहे क्षेत्र में काफी काम करवाया है और काफी सड़कें नई व ठीक करवाई गईं।

लेकिन विधान सभा क्षेत्र धोद काफी सालों से काम में अनअपेक्षति रहा है इसलिए अब भी वहां पर सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है जैसे-

फतेहपुरा से खुड़दी, धोद से भुवाला, सेवदधोरी व सेवदबड़ी रोड, सेवदबड़ी से शाहपुरा रोड, सिगरावक्र से कोसल छोटी रोड रतूड़ी बड़ी से कूदन दादीया रोड, सिहारे छोटी से परडोली रोड, भढाढर से केकसी रोड, चैलासी से किरडोली रोड, धोद रोड से नेतडवास भूंवाला रोड, रतूड़ में धूनका वास, खावडी से चिडासरा बिजारणियों की ढाणी व शेष बाकी ढाणी तक बानूछा से गोढडाते गलान रोड यह ऐसी सड़क हैं जो काफी खराब हैं।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त विषय को अति गम्भीरता से लेकर आम जनता को राहत पहुंचावें।

गोरधन

(धोद)